सत्यमेव जयते

fssai

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

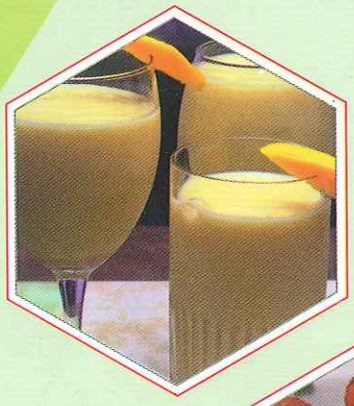

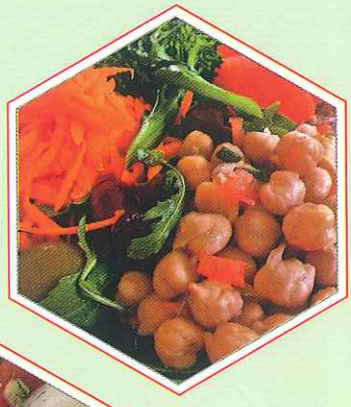

वार्षिक प्रतिवेदन 2011-12

विषय सामग्री

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	सिंहावलोकन	1
2	खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की प्रमुख विशेषताएं	3-5
3	खाद्य संरक्षा एवं मानक विनियमावली, 2011	7
4	शासनादेश और संरचना – प्राधिकरण, केंद्रीय सलाहकार समिति, वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनल	8-17
5	प्रशासन और मानव संसाधन	18
6	परिणाम संरचना दस्तावेज (2011–12)	19-32
7	एफएसएस अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की प्रगति	33-39
8	प्रवर्तन	40-43
9	प्रयोगशालाएं	47-51
10	कूटलिपि मामले	52-53
11	आयातित खाद्य की संरक्षा	54-59
12	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	60-62
13	सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी)	63-64
14	ई–शासन और पुस्तकालय	65
15	आरटीआई मामले	66
16	वित्तीय विवरण	67-100

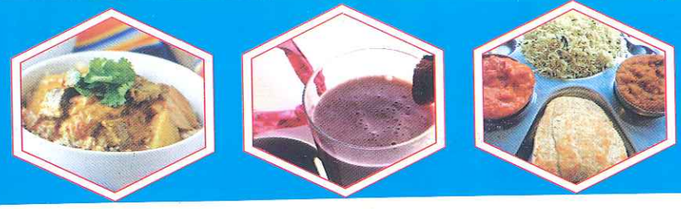

सत्यमेव जयते

सुरक्षित खाद्य द्वारा स्वस्थ भारत का निर्माण

खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन प्रतिष्ठापित किया है। यह बहु–स्तरीय, बहु–विभागीय नियंत्रण से अधिकार की एकल रेखा की ओर बढ़ते हुए खाद्य संरक्षा एवं मानकों संबंधी सभी मामलों के लिए एक एकल संदर्भ बिन्दु है। एफएसएसएआई की स्थापना खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा उनका विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय तथा आयात नियंत्रित करने हेतु की गई है, ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और सम्पूर्ण खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

fssai

Food Safety and Standards Authority of India

✆Help line No : 1800-11-2100

wwe.fssai.gov.in

fssai

सिंहावलोकन

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के इतिहास में वर्ष 2011–12 खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसए), 2006 को प्रचालनशील बनाने के तात्कालिक लक्ष्य को साकार करने की दिशा में तेजी के साथ अनेक उपलब्धियां हासिल करने का वर्ष था। विभिन्न पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर खाद्य संरक्षा एवं मानक नियम, 2011 तथा विनियम,2011 को अंतिम रूप दिया गया तथा उद्योग, उद्योग संघों – एफआईसीसीआई, सीआईआई, ऐसोचैम तथा व्यापार, उपभोक्ता संघों तथा केन्द्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) में विभिन्न राज्यों/केन्द्र सरकार के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न मंचों में काफी विचार विमर्श के पश्चात अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में अधिसूचित सभी पूर्व खाद्य आदेश रद्द करते हुए दिनांक 5.08.2011 की प्रभावी तिथि से खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसए), 2006 के कार्यान्वयन हेतु खाद्य संरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 तथा खाद्य संरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 (एफएसएसआर) को अधिसूचित किया गया।

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954

(2) फल उत्पाद आदेश, 1955

(3) मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973

(4) वनस्पति तेल उत्पाद (नियंत्रण) आदेश, 1947

(5) खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश, 1998

(6) विलायक निष्कर्षित तेल, वि–तेलीकृत आहार और खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967

(7) दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 इत्यादि

(8) खाद्य से संबंधित अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के अधीन जारी कोई अन्य आदेश।

खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम, 2006

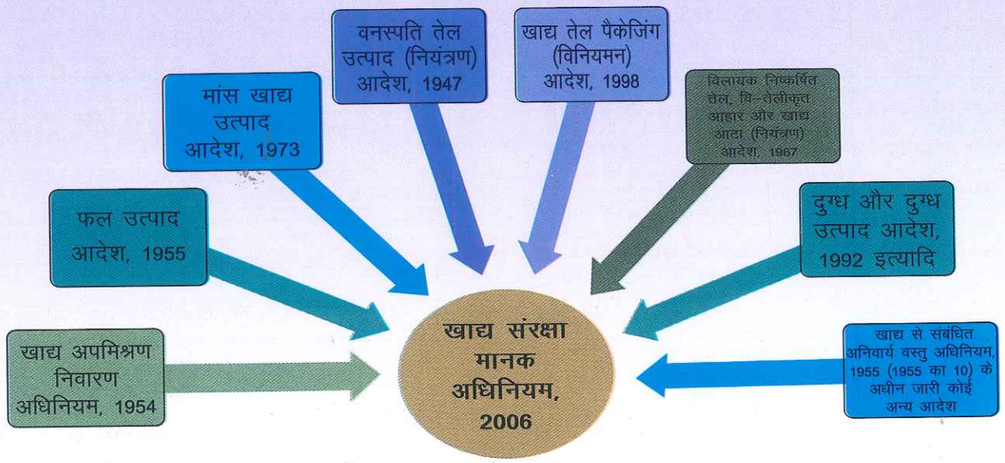

एफएफएस अधिनियम के नए प्रावधान

- कार्यात्मक खाद्य, अनुपूरक, न्यूट्रास्युटिकल्स शामिल
- आवेदन के 2 माह के भीतर लाइसेंस जारी
- पदनामित अधिकारियों द्वारा सुधार सूचना का प्रावधान
- अभियोजन अपराध के 1 वर्ष के भीतर होना चाहिए
- संक्षिप्त सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय
- पीड़ितों को क्षतिपूर्ति (चोट/गंभीर चोट/मृत्यु के किसी मामले में)
- राज्य सरकार द्वारा सूचनादाताओं (उल्लंघनकर्ताओं – अपमिश्रण इत्यादि के बारे में सूचना) को पुरस्कार
- एक क्षेत्र के अंतर्गत यूनिट (टों) के लिए एक संयुक्त लाइसेंस
- स्व नियंत्रण को प्रोत्साहन तथा विनिर्दिष्ट खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणालियों का अनुपालन
- छोटे खाद्य व्यवसाय प्रचालकों के लिए कोई लाइसेंस नहीं; केवल पंजीकरण
- उच्च जोखिम आइटमों के लिए प्राधिकरण से केन्द्रीय लाइसेंसिंग
- कानून का विअपराधीकरण तथा वादों का त्वरित निपटान
- नमूने प्रत्यायित प्रयोगशालाओं को भेजने के विकल्प द्वारा प्रयोगशाला परिणामों के विरोध का अधिकार

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

वेबसाइट : fssai.gov.in

टोल फ्री हेल्पलाइन नं. 1800 11 2100

खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की प्रमुख विशेषताएं

❖ खाद्य संबंधी कानूनों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक एकल अधिनियम बनाने पर लम्बे समय से काम चल रहा था तथा केन्द्र सरकार ने 2002 के बजट भाषण में अपने इरादे की घोषणा कर दी थी। यह कार्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को सौंपा गया था, जिसके द्वारा खाद्य संरक्षा एवं मानक विधेयक, 2005 प्रारंभ किया गया, जिसको अंततः संसद द्वारा खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के रूप में अधिनियमित किया गया और 23.08.2006 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 24.08.2006 को भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग II खण्ड 1 में प्रकाशित किया गया। इसका प्रारूप विभिन्न पणधारकों के साथ परामर्श और अंतर मंत्रालयी समूहों तथा स्थायी संसदीय समिति की बैठकों में चर्चाओं/विचार–विमर्श श्रृंखला तथा मंत्रियों के समूह से मंजूरी के उपरांत तैयार किया गया था; यह प्रारूप जनता से टिप्पणियां मांगने हेतु अधिसूचित किया गया था।

❖ खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में मानव उपभोग के लिए तथा उनके साथ संबद्ध उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय तथा आयात नियंत्रण की कल्पना की गई है। यदि कोई एफबीओ इस अधिनियम के प्रारंभन पर रद्द किए गए किसी भी खाद्य कानून/आदेश के तहत वर्तमान लाइसेंस/पंजीकरण का धारक है, तो संबंधित एफबीओ आवश्यक पंजीकरण/लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर विद्यमान लाइसेंस या पंजीकरण को बिना किसी परेशानी के खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम में पंजीकरण या लाइसेंस के रूप में परिवर्तित करवा सकते हैं।

❖ छोटे–मोटे **एफबीओ'ज का पंजीकरण** – छोटे–मोटे एफबीओ से न्यूनतम सफाई तथा स्वच्छता अपेक्षाओं की पूर्ति सुनिश्चित करने की उम्मीद की जाती है तथा इन यूनिटों को खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसाय का लाइसेन्सीकरण एवं पंजीकरण), 2011 के दायरे से बाहर रखा गया है। तथापि, ऐसी यूनिटों को पंजीकरण के दायरे के तहत लाया गया है (विनियम 2.1.1) जो पहले विद्यमान नहीं था, ताकि एक डेटाबेस तैयार किया जा सके और ऐसी सभी यूनिटों की नियामक जांच की जा सके जो खाद्य वस्तुओं के उत्पादन और अबोध उपभोक्ताओं को आपूर्ति में संलग्न थे तथा देर रात तक काम करती थीं, जबकि कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती थी। सभी विनिर्माण यूनिटों, चाहे छोटी हों या बड़ी, से जनता को सुरक्षित खाद्य उत्पाद आपूर्ति करने/तैयार करने की उम्मीद की जाती है। छोटे–मोटे एफबीओं के पंजीकरण के लिए पंजीकरण शुल्क रू. 100/– प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है तथा पंजीकरण प्रक्रिया भी सरल बनाई गई है।

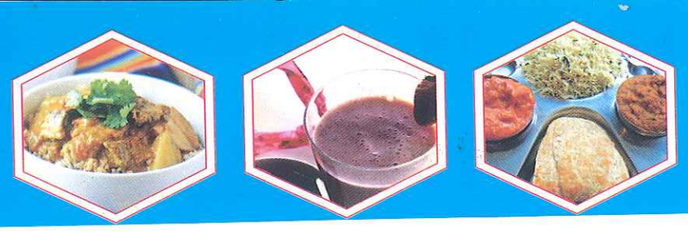

छोटे खुदरा, हॉकर, चल विक्रेता या अस्थायी स्टालधारक अथवा लघु स्तर या कुटीय अथवा खाद्य व्यवसाय से संबंधित ऐसा अन्य उद्योग या लघु खाद्य व्यवसाय आपरेटर को इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त करने से छूट दी गई है। परंतु खाद्य सुरक्षा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है।

ऐसे खाद्य व्यवसाय आपरेटर जिनका वार्षिक टर्नओवर रू. 12 लाख से अधिक नहीं है तथा/अथवा जिनका :

क) खाद्य (दूध और दूध उत्पाद तथा मांस और मांस उत्पादों को छोड़कर) की उत्पादन क्षमता 100 किग्रा/लीटर प्रति दिन से अधिक नहीं है या

ख) दूध का उत्पादन या प्रापण या संग्रहण 500 लीटर प्रति दिन तक है या

ग) वध क्षमता 2 बड़े जानवर या 10 छोटे जानवर या 50 पोल्ट्री पक्षी प्रति दिन या उससे कम है

❖ **खाद्य संरक्षा अधिकारी की शक्तियां और दुरूपयोग हेतु दंडः** खाद्य संरक्षा अधिकारी को इस अधिनियम की धारा 38 की उप धारा 6 के तहत किसी खाद्य विनिर्माता अथवा वितरक/डीलर के अधिकार में अथवा एफबीओ के उपभोगाधीन किसी परिसर में कोई अपमिश्रण पाया जाता है जहां वह उसका हिसाब एफएसओ की संतुष्टि के अनुरूप देने में असमर्थ है, के विरूद्ध कार्यवाहीया अभियोजन प्रारंभ करने, बहीखाते या अन्य दस्तावेज इत्यादि जब्त करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, परंतु एफएसओं द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ किया जाएगा। तथापि, यदि एफएसओं अपनी शक्ति का दुरूपयोग करता है, वह भी इस अधिनियम की धारा 39 के तहत दंड का भागी होगा जो रू. 1 लाख तक हो सकता है।

❖ **सिविल न्यायालय के न्यायाधिकारी की शक्तियां** : खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 68 न्याय प्रक्रिया से संबंधित है। न्यायाधिकारी (एओ) को धारा 68 की उप धारा 3 के तहत एक सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

❖ **खरीदार/उपभोक्ता की खाद्य नमूना विश्लेषण कराने की शक्ति** : इस अधिनियम की धारा 40 किसी भी खाद्य वस्तु के खरीदार को खरीदने के समय पर ऐसी खाद्य वस्तुओं का विश्लेषण करवाने के अपने आशय की सूचना/जानकारी एफबीओ को देने और खाद्य संरक्षा तथा मानक (प्रयोगशाला एवं नमूनों के चयन का विश्लेषण) विनियमावली, 2011 के तहत निर्धारित खाद्य विश्लेषक/प्रयोगशाला को विश्लेषण प्रभार के रूप में रू. 1000/– अदा करके उनका खाद्य विश्लेषण करवाने हेतु सक्षम बनाती है। यह प्रावधान खरीदार/उपभोक्ता को शक्ति प्रदान करने हेतु बनाया गया है, क्योंकि खाद्य उत्पाद उसी के लिए बनाए जा रहे या बिक्री किए जा रहे हैं।

❖ दोषपूर्ण मार्का वाले खाद्य के लिए जुर्माना : दोषपूर्ण मार्का वाले खाद्य के लिए इस अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने की व्यवस्था दी गई है, जो 3 लाख रू. तक हो सकता है।

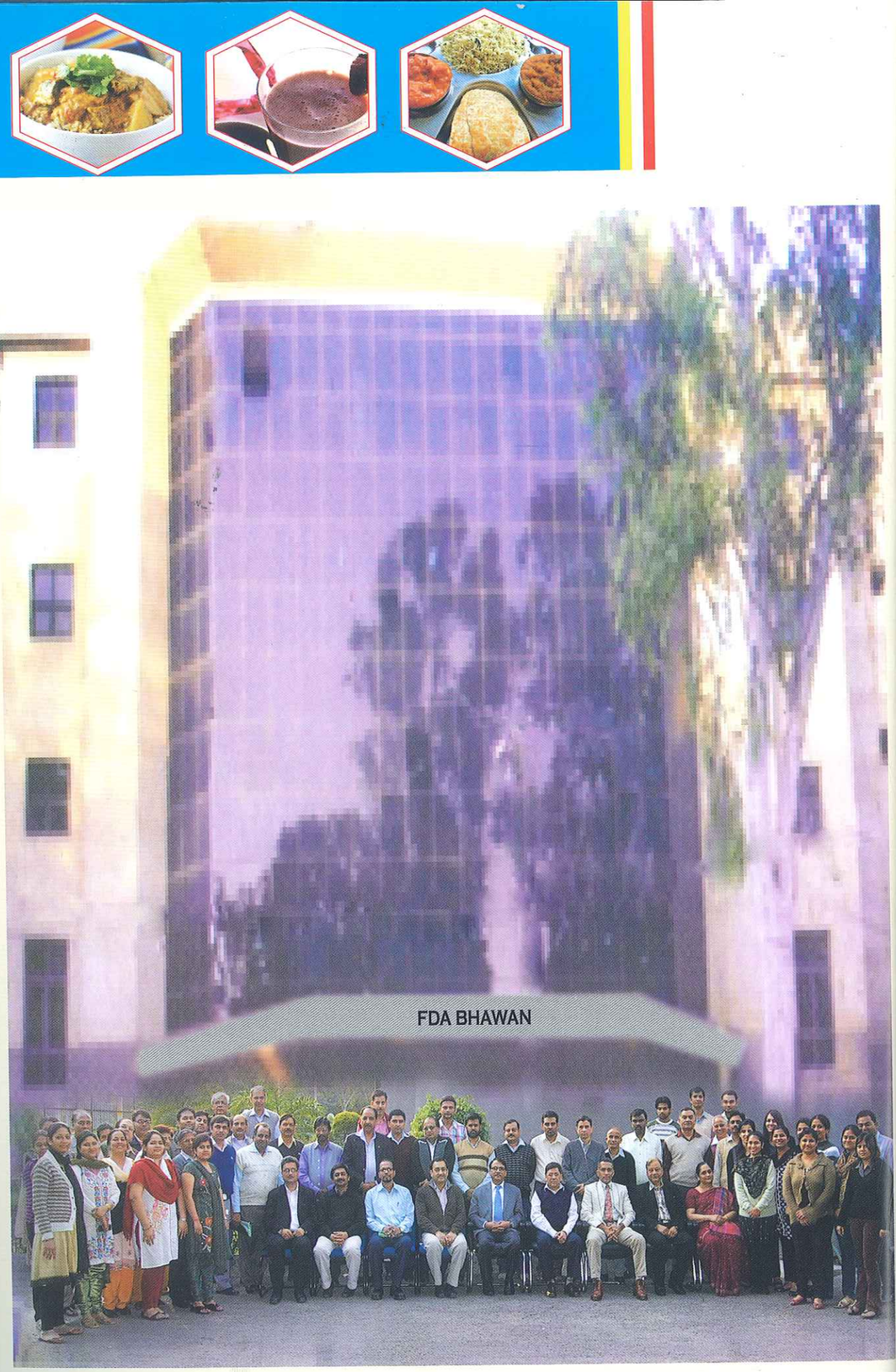

खाद्य संरक्षा एवं मानक विनियमावली, 2011

अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु प्रारूप नियमावली तथा विनियमावली भी विभिन्न पणधारकों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से तैयार की गई तथा जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग तीन , खण्ड 4 में दिनांक 20.10.2010 को प्रकाशित की गई। खाद्य संरक्षा एवं मानक विनियमावली, 2011 को अंतिम रूप देने से पहले उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में पणधारकों से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर, आगे चर्चा की गई जो 01.08.2011 को कानून मंत्रालय तथा केन्द्र सरकार की स्वीकृति से 05.08.2011 की प्रभावी तिथि से इसके प्रवर्तन से पूर्व अधिसूचित किए गए थे।

(1) एफएसएस (खाद्य व्यवसाय का लाइसेंस तथा पंजीकरण) विनियमावली, 2011

(2) एफएसएस (पैकेजिंग तथा लेबलिंग) विनियमावली, 2011

(3) एफएसएस (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य संयोजी) विनियमावली, 2011 (भाग 1)

(4) एफएसएस (विक्रय निषेघ तथा प्रतिबंध) विनियमावली, 2011

(5) एफएसएस (संदूषक, विषैले तत्व और अवशेष) विनियमावली, 2011

(6) एफएसएस (प्रयोगशाला तथा नमूना विश्लेषण) विनियमावली, 2011

एफएसएसएआई का आदेश–पत्र और संरचना

खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का अधिनियमन भारत सरकार द्वारा 24.08.2006 को यह बहु–स्तरीय, बहु–विभागीय नियंत्रण से अधिकार की एकल रेखा की ओर बढ़ते हुए खाद्य संरक्षा एवं मानकों संबंधी सभी मामलों के लिए एक एकल संदर्भ बिन्दु के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य के साथ किया गया था और वही उद्देश्य हासिल करने के लिए एक स्वतंत्र सांविधिक स्वायत्त प्राधिकरण – भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना की गई।

भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का प्रशासनिक मंत्रालय है। एफएसएसएआई के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में एफडीए भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली – 110002 में अवस्थित है। श्री के. चन्द्रामौली ने 27 जनवरी, 2012 को एफएसएसएआई के अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण किया। श्री वी. एन. गौड़ ने 23 फरवरी 2012 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद त्याग दिया।

fssai

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का संघटन

खाद्य प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और निम्नलिखित बाईस सदस्य होंगे जिनमें एक तिहाई महिलाएं होंगी, नामतः:–

(क) केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों अथवा विभागों के प्रतिनिधित्व हेतु सात सदस्य नियुक्त किए जाएंगे जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम पदस्तर के नहीं होंगे :–

(i) कृषि,

(ii) वाणिज्य,

(iii) उपभोक्ता,

(iv) खाद्य प्रसंस्करण,

(v) स्वास्थ्य

(vi) विधायी कार्य,

(vii) लघु स्तर उद्योग,

जो **पदेन** सदस्य होंगे;

(ख) खाद्य उद्योग के दो प्रतिनिधि जिनमें एक लघु स्तर उद्योग से होगा;

(ग) उपभोक्ता संगठनों से दो प्रतिनिधि;

(घ) तीन प्रख्यात खाद्य प्रौद्योगिकीविद् अथवा वैज्ञानिक;

(ङ) पांच सदस्य प्रत्येक तीन वर्ष के चक्रानुक्रम में नियुक्त किए जाएंगे, इनमें प्रत्येक जोन से क्रमानुसार एक सदस्य होगा जैसाकि राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व हेतु प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(च) किसानों के संगठनों के दो प्रतिनिधि;

(छ) खुदरा व्यापारियों के संगठनों का एक प्रतिनिधि।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी खाद्य प्राधिकरण के वैधानिक प्रतिनिधि और सदस्य सचिव भी हैं।

खाद्य प्राधिकरण के वर्तमान सदस्यों की सूची परिशिष्ट–1 में दी गई है।

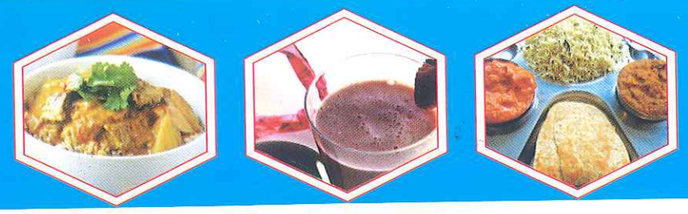

खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्य और कार्य

(1) खाद्य प्राधिकरण का कर्तव्य खाद्य के विनिर्माण, प्रसंस्करण, वितरण, बिक्री तथा आयात का नियंत्रण होगा ताकि सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य सुनिश्चित किया जा सके।

(2) खाद्य प्राधिकरण, उप–धारा (1) को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकता है:–

(क) खाद्य वस्तुओं के संबंध में मानक और दिशानिर्देश तथा इस अधिनियम के तहत अधिसूचित विभिन्न मानकों के प्रवर्तन हेतु एक उपयुक्त प्रणाली का विनिर्देशन;

(ख) खाद्य संयोजियों, शस्य संदूषकों, पीड़कमारों, अवशेषों, पशु औषधियों के अवशेषों, भारी धातुओं, प्रसंस्करण साधनों, माइको–टॉक्सिन्स, प्रतिरक्षियों तथा भेषजीय सक्रिय पदार्थों और खाद्य प्रदीपनों के उपयोग हेतु सीमाएं;

(ग) खाद्य व्यवसाय हेतु खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के प्रमाणन में संलग्न प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन हेतु तंत्र और मार्गदर्शी सिद्धांत;

(घ) भारत में आयातित किसी खाद्य वस्तु के संबंध में प्रक्रिया तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रवर्तन;

(ङ) प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन हेतु प्रक्रिया तथा मार्गदर्शी सिद्धांत और प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की अधिसूचना;

(च) नमूना, विश्लेषण तथा प्रवर्तन अधिकारियों के बीच सूचना विनिमय की विधि;

(छ) देश में इस अधिनियम के प्रवर्तन तथा प्रशासन का सर्वे संचालन;

(ज) खाद्य लेबलिंग मानक जिसमें स्वास्थ्य, पोषण, विशेष आहार उपयोग हेतु दावे शामिल हैं और खाद्यों हेतु खाद्य संवर्ग प्रणालियां; तथा

(झ) जोखिम विश्लेषण, जोखिम आकलन, जोखिम संचार और जोखिम प्रबंधन की विधि और प्रक्रिया।

(3) खाद्य प्राधिकरण ––

(क) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को खाद्य संरक्षा तथा पोषण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में नीतियों तथा नियमों की रचना में वैज्ञानिक सलाह तथा

तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराएगा;

(ख) प्रासंगिक वैज्ञानिक और तकनीकी डेटा की खोज, संग्रहण, सम्मिलन, विश्लेषण तथा सारांकन करेगा विशेषकर जो निम्नलिखित से संबंधित है ––

(i) खाद्य उपभोग तथा व्यक्तियों पर खाद्य उपभोग संबंधी जोखिमों का प्रभावन;

(ii) रोगापतन और जैविक जोखिम की विद्यमानता;

(iii) खाद्य में संदूषक;

(iv) विभिन्न संदूषकों के अवशेष;

(v) उद्भवशील जोखिमों की पहचान; तथा

(vi) त्वरित सतर्कता प्रणाली की शुरूआत;

(ग) जोखिम आकलन कार्यविधियों के विकास हेतु प्रोत्साहन देना, समन्वय करना तथा दिशानिर्देश जारी करना और खाद्य के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जोखिमों पर संदेश मॉनिटर तथा संचालित और केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा खाद्य संरक्षा आयुक्तों को अग्रसारित करना;

(घ) खाद्य संरक्षा के संबंध में संकट प्रबंधन प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को वैज्ञानिक तथा तकनीकी सलाह और सहायता प्रदान करना तथा संकट प्रबंधन के लिए एक सामान्य योजना तैयार करना और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में स्थापित संकट इकाई के निकट सहयोग में काम करना;

(ङ) खाद्य प्राधिकरण के उत्तरदायित्व के भीतर क्षेत्रों में गतिविधियों के समन्वय, सूचना विनिमय, संयुक्त परियोजनाओं का विकास और कार्यान्वयन, कौशल और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के आदान–प्रदान द्वारा वैज्ञानिक सहयोग संरचना के सुसाध्यीकरण के उद्देश्य के साथ संगठनों के नेटवर्क की प्रणाली स्थापित करना;

(च) केन्द्र तथा राज्य सरकारों को अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग सुधार हेतु वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता मुहैया कराना;

(छ) ऐसे सभी कदम उठाना जिससे जनता, उपभोक्ताओं, इच्छुक पक्षों तथा सभी स्तरों की पंचायतों को उपयुक्त विधियों तथा साधनों के माध्यम से तेजी के साथ, विश्वसनीय, उद्देश्यपूर्ण तथा विस्तृत सूचना प्राप्त हो सके;

(ज) खाद्य व्यवसाय में खाद्य व्यवसाय प्रचालक या कर्मचारी या अन्य रूप में संलग्न अथवा संलग्न होने के इच्छुक व्यक्तियों को खाद्य संरक्षा एवं मानकों में प्रशिक्षण कार्यक्रम, चाहे उनके क्षेत्र के भीतर हैं या बाहर, उपलब्ध कराना;

(झ) केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्दिष्ट किया गया कोई अन्य कार्य;

(ङ) खाद्य, सफाई तथा पादप–स्वच्छता मानकों हेतु अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकास में योगदान देना;

(ट) विशिष्ट खाद्य संबंधी उपायों के समतुल्य मान्यता पर अनुबंध विकास हेतु योगदान देना, जहां प्रासंगिक और उपयुक्त है;

(ठ) अंतरराष्ट्रीय सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों द्वारा प्रारंभ किए गए खाद्य मानकों पर कार्य के समन्वय को प्रोत्साहन देना;

(ड) देश में अपनाए गए संरक्षा स्तर में कमी नहीं होना सुनिश्चित करते हुए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू खाद्य मानकों के बीच सामंजस्य को प्रोत्साहन देना;

(ढ) खाद्य संरक्षा तथा खाद्य मानकों के बारे में सामान्य जागरूकता को प्रोत्साहन देना।

(4) खाद्य प्राधिकरण बिना किसी अनुचित विलम्ब के सार्वजनिक करेगा ––

(क) वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल के अभिमत उनके स्वीकार किए जाने के तत्काल पश्चात;

(ख) खाद्य प्राधिकरण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सलाहकार समिति के सदस्यों तथा वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों द्वारा की गई हित की वार्षिक घोषणा और बैठक की कार्यसूची पर मदों के संबंध में की गई हित, यदि कोई, घोषणा;

(ग) वैज्ञानिक अध्ययनों के परिणाम;

(घ) इसके कार्यकलापों का वार्षिक प्रतिवेदन;

(5) खाद्य प्राधिकरण समय समय पर खाद्य संरक्षा तथा मानकों से संबंधित मामलों पर खाद्य संरक्षा आयुक्त को निर्देश दे सकता है, जो इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय ऐसे निर्देशों द्वारा बाध्य होगा;

(6) खाद्य प्राधिकरण इसको प्राप्त होने वाली गोपनीय सूचना किसी तृतीय पक्ष के समक्ष प्रकट नहीं करेगा जिसको गोपनीय माने जाने का अनुरोध किया गया है जो स्वीकार कर लिया गया है, सिवाय ऐसी सूचना के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु परिस्थिति की मांग के अनुरूप सार्वजनिक की जानी आवश्यक है।

श्री वी. एन. गौड़, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एफएसएसएआई सेवानिवृत्ति पर विदाई के समय

केन्द्रीय सलाहकार समिति (सीएसी)

(i) केन्द्रीय सलाहकार समिति में खाद्य उद्योग, कृषि, उपभोक्ताओं, संबंधित अनुसंधान निकायों और खाद्य प्रयोगशालाओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक के दो सदस्य होंगे तथा खाद्य संरक्षा के सभी आयुक्त और वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे।

(ii) संबंधित मंत्रालयों अथवा कृषि, पशुपालन तथा डेरी उद्योग, जैव–प्रौद्योगिकी, वाणिज्य तथा उद्योग, उपभोक्ता मामले, पर्यावरण तथा वन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, स्वास्थ्य, पंचायत राज, लघु स्तर उद्योग और खाद्य और सार्वजनिक वितरण अथवा सरकारी संस्थानों अथवा संगठनों और सरकारी मान्यताप्राप्तं किसानों के प्रतिनिधि केन्द्रीय सलाहकार समिति के विचार–विमर्श में आमंत्रित किए जाएंगे।

(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी केन्द्रीय सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(IV) केन्द्रीय सलाहकार समिति खाद्य क्षेत्र में परिचालित खाद्य प्राधिकरण तथा प्रवर्तन एजेन्सियों और संघटनों के बीच निकटवर्ती सहयोग सुनिश्चित करती है।

समिति का मूल कार्य प्राधिकरण को कार्य प्रोग्राम, कार्य की प्राथमिकता निर्धारण, संभावित जोखिमों की पहचान तथा ज्ञान के समूहन पर सलाह देना है।

केन्द्रीय सलाहकार समिति के वर्तमान सदस्यों की सूची संलग्नक – 2 में दी गई है।

fssai

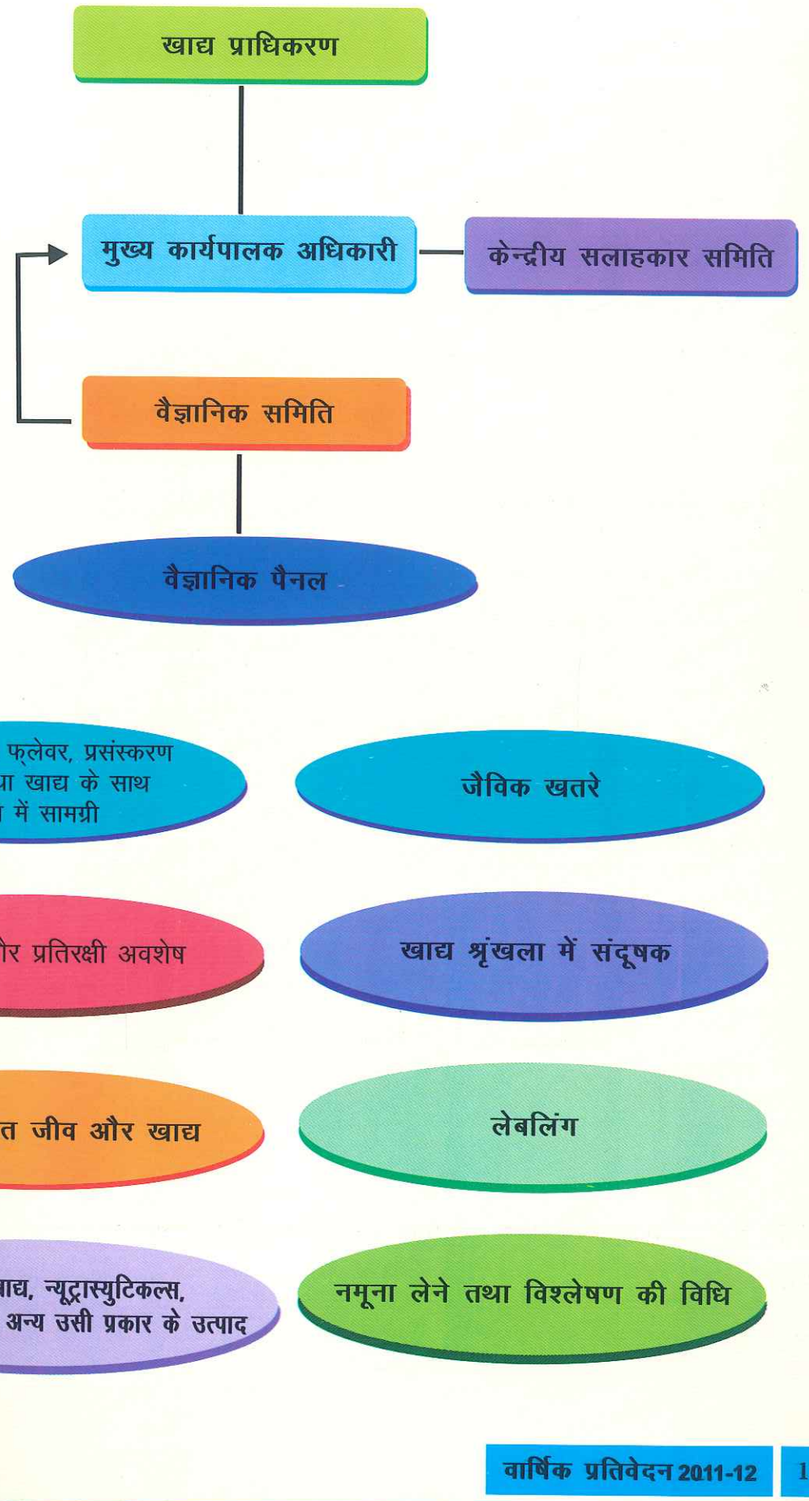

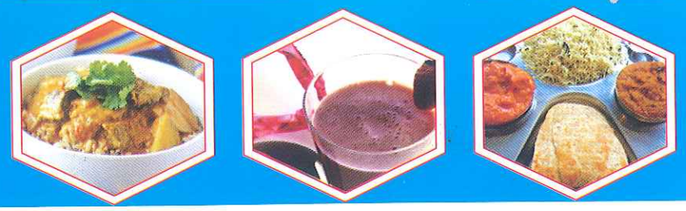

वैज्ञानिक समिति

वैज्ञानिक समिति खाद्य प्राधिकरण को वैज्ञानिक अभिमत उपलब्ध कराती है तथा इसको, जहां आवश्यक है, लोक सुनवाई आयोजित करने का अधिकार होता है। वैज्ञानिक समिति वैज्ञानिक अभिमत की सुसंगति सुनिश्चित करने हेतु विशेषकर वैज्ञानिक पैनल की कार्यविधियों के सामंजस्यीकरण तथा कार्य प्रक्रियाओं के अंगीकरण के संबंध में आवश्यक सामान्य समन्वय हेतु उत्तरदायी होगी। वैज्ञानिक समिति एक से अधिक वैज्ञानिक पैनल की सक्षमता के अंतर्गत आने वाले तथा किसी भी वैज्ञानिक पैनल की सक्षमता के अंतर्गत नहीं आने वाले बहु–क्षेत्रीय मुद्दों पर अभिमत मुहैया कराएगी। जहां कही आवश्यक होगा, तथा विशेष रूप से, किसी भी वैज्ञानिक पैनल की सक्षमता के अंतर्गत नहीं आने वाले विषयों के मामले में, वैज्ञानिक समिति द्वारा कार्य समूहों का गठन किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में, वैज्ञानिक अभिमत कायम करते समय उन कार्य समूहों की महारत का लाभ उठाएगी।

वैज्ञानिक समिति में वैज्ञानिक पैनलों के अध्यक्ष और छह स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञ होंगे जो किसी वैज्ञानिक पैनल के नहीं हैं या उसके साथ संबद्ध नहीं हैं।

एफएसएसएआई की वैज्ञानिक समिति के वर्तमान सदस्यों की सूची परिशिष्ट – 3 में दी गई है।

वैज्ञानिक पैनल

खाद्य प्राधिकरण वैज्ञानिक पैनल गठित करता है जिसमें स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञ शामिल किए जाते हैं जो अपने विचार–विमर्श में संबंधित उद्योग और उपभोक्ता प्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हैं। निम्नलिखित आठ (8) वैज्ञानिक पैनल गठित किए गए हैं–

1. कार्यात्मक खाद्य, न्यूट्रास्युटिकल्स, आहार और अन्य उसी प्रकार के उत्पादों हेतु पैनल;
2. नमूना और विश्लेषण की विधि हेतु पैनल;
3. खाद्य संयोजियों, फ्लेवरिंग्स, खाद्य प्रसंस्करण साधन और सामग्री हेतु पैनल;
4. खाद्य श्रृंखला में संदूषकों हेतु पैनल;
5. जैविक खतरों हेतु पैनल;
6. पीड़कमारों/प्रतिरक्षी अवशेषों हेतु पैनल;
7. लेबलिंग, दावों/विज्ञापन हेतु पैनल;
8. जीन संशोधित जीवों तथा खाद्य हेतु पैनल।

उपरोक्त आठ (8) वैज्ञानिक पैनलों के वर्तमान सदस्यों की सूची परिशिष्ट – 4 में दी गई है।

प्रशासन और मानव संसाधन

संस्थापन एवं प्रशासन

भारत की खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के दैनिक प्रशासन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिम्मेदार है। एफएसएसएआई को मजबूत बनाने के लिए 355 पद मंजूर किए गए। भर्ती और नियुक्ति विनियम के, मंत्रालय के तहत विचारार्थ होने की वजह से, स्वीकृत पदों के लिए नियमित रूप से भर्ती की प्रक्रिया में समय लगेगा। इसलिए, एफएसएसएआई में मानवशक्ति को एक स्थानीय मानव संसाधन एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्स किया जा रहा है। इसके अलावा, कुछ पदों को सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा रहा है।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से स्थानांतरित कर्मचारी

विभिन्न मंत्रालयों से स्थानांतरित स्टाफ के विभिन्न सदस्य, जो इस समय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की दूसरी अनुसूची के तहत सूचीबद्ध विभिन्न अधिनियमों/आदेशों से संबंधित काम को संभाल रहे हैं, प्राधिकरण में एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 90 के तहत काम कर रहे हैं। कानून मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जब तक प्राधिकरण अपनी सेवा नियमावली तैयार कर कर्मचारियों को विकल्प नहीं दे देता है, तब तक उन्हें प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा। भर्ती और नियुक्ति के मसौदा नियम और मसौदा सेवा नियमावली को अंतिम रूप देने के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इन पर विचार किया जा रहा है। स्टाफ के जिन सदस्यों को एफएसएसएआई की धारा 90 के तहत स्थानातरित किया गया था, उन्हें एक चरणबद्ध तरीके से प्रत्यावर्तित किया जा रहा है।

कर्मचारियों के स्थानांतरण के बाद, एफएसएसएआई देश भर में निम्नलिखित स्थानों से काम कर रहा है

1. **दिल्ली**
2. **मुंबई**
3. **चेन्नई**
4. **कोलकाता**
5. **गुवाहाटी**
6. **लखनऊ**
7. **चंडीगढ़**
8. **सोनौली**
9. **रक्सौल**
10. **गाजियाबाद**

हैदराबाद, अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, पटना, भुवनेश्वर में प्रवर्तन/लाइसेंस से संबंधित कार्यों के लि और कोचीन, तूतीकोरिन, कांडला, पीपावाव, काकीनाडा, विशाखापत्तनम आदि जैसे प्रविष्टियों के विभि बंदरगाहों पर आयातित खाद्य की निकासी से संबंधित कार्यों के लिए नए कार्यालयों का खोला जा प्रस्तावित है।

fssai

वर्ष 2011–12 के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के परिणाम रूपरेखा दस्तावेज

आरएफडी 2011–12 ने कार्रवाई बिंदु, प्रदेयों और प्रमुख उपलब्धियों को पहचाना। इनमें सेवा प्रदान करने के मानक भी शामिल हैं। एफएसएसएआई की अपेक्षा के अनुसार प्राप्त होने वाले परिणामों तथा उन्हें पूरा करने की कार्य योजना का सारांश अनुलग्नक–V में दिया गया है।

2011-12

परिणाम – भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का रूपरेखा दस्तावेज

आरएफडी– एफएसएसएआई

एफएसएसएआई को जिन परिणामों के प्राप्त होने की उम्मीद है और उन्हें पूरा करने की कार्य योजना का सारांश

भारत

भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)

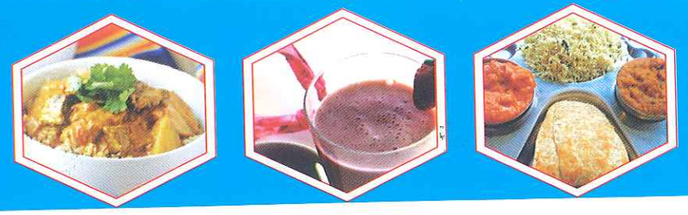

अनुभाग–1

दृष्टि:

हितधारक भागीदारी के आधार पर निर्मित एक खाद्य सुरक्षा नियामक और निगरानी प्रणाली, जो स्व–अनुपालन को प्रोत्साहित करे और सुरक्षित स्थिति एवं प्रत्येक नागरिक के लिए पौष्टिक भोजन के संबंध में जानकारी युक्त निर्णय लेने में सक्षम बनाए।

मिशन:

आधुनिक विज्ञान के आधार पर खाद्य सुरक्षा मानकों के निर्माण में उत्कृष्टता प्राप्त करना और खाद्य क्षेत्र को एक संवेदनशील, कुशल और प्रभावी तरीके से विनियमित करना:

मिशन के उद्देश्य	हमारी रणनीति
सभी हितधारकों में एक दोस्ताना, सुलभ और उत्तरदायी निकाय (सार्वजनिक सेवा) होने का विश्वास पैदा करना	■ प्राधिकरण को सौंपी गई सभी भूमिकाओं और कार्यों की पूरी तरह से स्थापना ■ आंतरिक समीक्षा तंत्र की स्थापना ■ अनुप्रयोगों के त्वरित निपटान की एक प्रणाली विकसित करना और संचालनों में निरंतरता सुनिश्चित करना ■ पर्याप्त और सक्षम पूरक कर्मचारियों का विकास
पूरी तरह से उपभोक्ताओं के हित और अखंडता के सर्वोच्च संभव स्तर के पालन का आश्वासन देने वाले मानकों और प्रथाओं की स्थापना सुनिश्चित करना	■ खुले और पारदर्शी मानकों की स्थापना करने वाले एक तंत्र का विकास ■ मानकों की स्थापना के लिए उपलब्ध सबसे अच्छी वैज्ञानिक विशेषज्ञता तक पहुँच ■ खाद्य सुरक्षा के संबंध में जोखिम मूल्यांकन अध्ययन करना ■ प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तनों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा मानकों की समीक्षा
खाद्य सुरक्षा में भागीदारी की प्रभावी भूमिका के लिए विभिन्न हितधारकों की क्षमता का निर्माण	■ जनता के हित के एक विषय के रूप में खाद्य सुरक्षा की उच्च प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों के साथ काम करना और उनके नियामक क्षमताओं को मजबूत बनाना ■ खाद्य सुरक्षा मानकों के विकास में अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापना निकायों के साथ काम करना ■ विनियामक क्षमताओं के अनुपूरण के लिए मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों और निरीक्षण एजेंसियों को संवद्ध करने जैसे 'वैकल्पिक तरीकों' की पहचान ■ अनुसंधान, वैज्ञानिक जांच और क्षमता निर्माण गतिविधियों को शुरू करने के लिए उत्कृष्टता के केंद्रों और वैज्ञानिक संस्थाओं के एक नेटवर्क की स्थापना ■ क्षमता निर्माण, वैज्ञानिक सलाह और राज्य स्तर पर नियामकों की सहायता के लि वर्द्धित (आउटरीच) भागीदार के रूप में खाद्य सुरक्षा केंद्र स्थापित करना ■ विश्वसनीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से खाद्य परीक्ष के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण

fssai

प्रभावी सूचना के प्रसार चैनलों के विकास द्वारा उपभोक्ता जिस भोजन का उपभोग करते हैं, उसके बारे में सूचित विकल्प बनाने में उन्हें सक्षम करना	■ सभी हितधारकों के बीच सूचनाओं और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए मंच बनाना ■ असुरक्षित भोजन के बारे में अच्छी तरह से किए गए शोध और आंकड़ों के आधार द्वारा समर्थित जन जागरूकता पैदा करना ■ एक मजबूत और व्यापक शिकायत निवारण और पूछताछ– निपटान प्रणाली का विकास ■ एक प्रभावी संचार ढांचे की स्थापना ■ प्रतिक्रिया/धारणा रेटिंग प्रणालियों की स्थापना और सेवा वितरण के स्तर में सुधार लाने के लिए उनका उपयोग।
खाद्य व्यापार के प्रत्येक प्रचालक की जिम्मेदारी को परिभाषित करने के साथ एक खाद्य सुरक्षा की संरचना की स्थापना	■ अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के समक्ष विनियामक प्रक्रियाओं को चिह्नित करना ■ एफएसएसए में नियमों एवं कानूनों के लिए सरल भाषा में दिशानिर्देशों का विकास ■ विनियामक प्रभाव आकलन अध्ययनों का आयोजन और उनका नियमों के ढांचे में सुधार के लिए आगे उपयोग करना ■ सेवा वितरण मानकों का अनुरूप मापन ■ सभी बंदरगाहों पर आयात सुरक्षा निगरानी प्रणाली की स्थापना ■ पता लगाने की क्षमता और खाद्य उत्पाद प्रत्याहार के लिए प्रक्रियाओं की स्थापना ■ प्रभावी निगरानी प्रणाली की स्थापना, जिनसे खतरों की पहचान और उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई में मदद मिले ■ सभी एफबीओज द्वारा प्रभावी आत्म–अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और दिशा निर्देशों का विकास

अधिनियम के तहत निर्धारित कार्य:

- भोजन की सामग्री के संबंध में विनियम, मानक और दिशा निर्देशों का निर्धारण।
- प्रमाणन निकायों/प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए दिशा–निर्देश।
- खाद्य सुरक्षा और पोषण से संबंधित क्षेत्रों में नीति और नियमों को तैयार करने के मामलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहायता देना।
- भोजन की खपत पर आंकड़ों का संग्रह और मिलान। भोजन में जैविक जोखिम, संदूषकों का प्रसार और घटनाएं। भोजन में संदूषकों के अवशेष और त्वरित चेतावनी प्रणाली का आरंभ।
- जोखिम विश्लेषण के तरीकों के लिए प्रक्रिया और दिशा–निर्देश।
- देश भर में खाद्य सुरक्षा के संबंध में सूचना प्रचार–प्रसार नेटवर्क का निर्माण।
- विभिन्न हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण।
- भोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास में योगदान और संभव हद तक राष्ट्रीय मानकों का अनुरूपण।
- खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानक के बारे में सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना।

अनुभाग 2

प्रमुख उद्देश्यों और सफलता के बीच परस्पर प्रमुखता

क्रम सं.	उद्देश्य	वजन	कार्य	सफलता संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
							सर्वोत्कृष्ट	सर्वोत्कृष्ट	अच्छा	संतोषजनक	कमजोर
							100%	90%	80%	70%	60%
1.	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में पारगमन	15%	क) एफएसएस नियम और विनियम की अधिसूचना	नियमों की अधिसूचना	तारीख	4%	31.05.2011	30.06.2011	29.07.2011	31.08.2011	30.09.2011
				नियमों की अधिसूचना	तारीख	4%	29.07.2011	31 08.2011	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011
			ख) लाइसेंस की नई प्रणाली के लिए पारगमन	संरचना, दिशानिर्देश, निरीक्षण नियम–पुस्तिका	तारीख	3%	29.07.2011	31 08 2011	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011
				केन्द्रीय लाइसेंस के लिए आईटी सक्रिय प्रणाली	तारीख	2%	30 11.2011	14.12.2011	28.12.2011	11.01.2012	25.01.2011
			ग) पिछले अधिनियम एवं आदेश का निरसन	पीएफए का निरसन	तारीख	2%	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012	29.02.2012
2.	खाद्य सुरक्षा प्रणाली का विकास और सुदृढ़ीकरण	14%	क) पिछले अधिनियम और आदेश का निरसन	योजना बनाएं और अनुमोदन के लिए सरकार को भेजें	तारीख	3%	30.09,2011	31.10.2011	30 11.2011	30 12.2011	31.01.2012
			ख) पंचायत और नगरपालिकाओं के लिए खाद्य सुरक्षा योजना	पायलट ड्राफ्ट मॉडल खाद्य सुरक्षा योजना के आधार पर मॉडल खाद्य सुरक्षा योजना का मसौदा बनाएं	तारीख	2%	30.12.2011	13.01.2012	27.01.2012	10.02.2012	24.02.2012
			ग) खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस) और अनुपालन की व्यवस्था	दस्तावेजों को अंतिम रूप दें	तारीख	3%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
				आरंभ करें/खाद्य सुरक्षा पेशेवरों को सूचित करें	तारीख	3%	30.12.2011	13.01.2012	27.01.2012	10.02.2012	24.02.2012
			घ) इंडिया–एचएसीसीपी मान्यता प्रबंधन	इंडिया–एचएसीसीपी को अंतिम रूप दें	तारीख	1%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
				प्रमाणन/निरीक्षण निकायों को सूचित करें	तारीख	2%	30.12.2011	13.01 2012	27.01 2012	10.02 2012	24.02 2012
3.	मानक और विनियमन	13.5%	क) कार्यात्मक खाद्य पदार्थों, आहार परिपूरकों आदि के लिए नियमों का विकास	विनियमों को अंतिम रूप दें	तारीख	3%	31.10.2012	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012	29.02.2012
			ख) खाद्य योजकों के लिए विनियम	मानकों और विनियमों को अंतिम रूप दें	तारीख	2%	30.12.2011	13.01.2012	27.01.2012	10.02.2012	24.02.2012
			ग) लेबलिंग और दावा विनियम	विनियमों को अंतिम रूप दें	तारीख	3%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
			घ) पीने योग्य पानी और बोतल बंद पानी के लिए मानक	विनियमों को अंतिम रूप दें	तारीख	1%	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012	29.02.2012
			ड.) मादक पेयों के लिए सुरक्षा मानक	मानकों को अंतिम रूप दें	तारीख	1%	31.01.2012	14.02.2012	28.02.2012	13.03.2012	27.03.2012
			च) पैकेजिंग विनियमन की समीक्षा	समीक्षा के बाद मसौदा विनियमन को अंतिम रूप दें	तारीख	1%	31.01.2012	14.02 2012	28.02.2012	13.03.2012	27.03.2012
			छ) खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग में प्लास्टिक के उपयोग के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश	दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दें	तारीख	0.5%	02.03.2012	09.03.2012	16.03.2012	23.03.2012	30.03.2012
			ज) खाद्य सुदृढ़ीकरण पर एफएसएसएआई नीति	नीति को अंतिम रूप दें	तारीख	0.5%	02.03.2012	09.03.2012	16.03.2012	23.03.2012	30.03.2012
			झ) स्कूलों में खाद्य सुरक्षा के लिए योजना	नीति और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दें	तारीख	1%	16.01.2012	30.01.2012	13.02.2012	27.02.2012	12.03.2012
			ञ) जीएपी दिशानिर्देश	जीएपी दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दें	तारीख	0.5%	30.12.2011	13.01.2012	27.01.2012	10.02.2012	24.02.2012

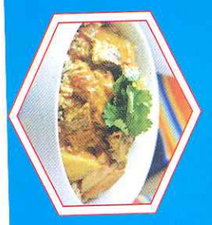

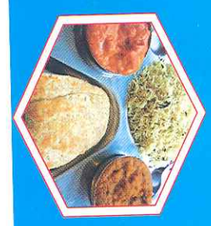

4.	खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं	12%	क) सार्वजनिक खाद्य प्रयोगशालाओं को सूचित करें	अधिसूचना– सार्वजनिक प्रयोगशालाएं	तारीख	3%	30.09.2011	31 10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
			ख) संदर्भित खाद्य प्रयोगशालाओं को सूचित करें	अधिसूचना– संदर्भित प्रयोगशालाएं	तारीख	2%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
			ग) 10 प्रयोगशालाओं के लिए उन्नयन योजना	योजना को अंतिम रूप दें	तारीख	4%	30.11.2011	14.12.2011	28.12.2011	11.01.2012	25.01.2012
			घ) 3 सीएफएल के लिए उन्नयन योजना	योजना को अंतिम रूप दें	तारीख	2%	30.12.2011	13.01.2012	27.01.2012	10.02.2012	24.02.2012
			ङ) आयात के लिए मान्यता प्राप्त खाद्य प्रयोगशालाएं	आयात के लिए सूचीवद्ध प्रयोगशालाओं को सूचित करें	तारीख	1%	31.05.2011	30.06 2011	29.07.2011	31.08.2011	30.09.2012
5.	खाद्य सुरक्षा निगरानी और अनुसंधान एवं विकास	10.5%	क) खाद्य सुरक्षा केन्द्र और उत्कृष्टता के केन्द्रों को आरंभ करना	10 एफएससीज और 3 सीओई को पहचानें	तारीख	1.5%	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012	29.02.2012
			ख) खाद्य सुरक्षा निगरानी संरचना	संरचना को अंतिम रूप दें	तारीख	1%	30.12.2011	13.01.2012	27.01.2012	10.02.2012	24.02.2012
			ग) दूध निगरानी योजना	कार्य आरंभ करें	तारीख	1%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
			घ) अनुसंधान और विकास परियोजना की पहले ट्रेंच को सौंपना	अनुसंधान और विकास परियोजना सौंपना	तारीख	2%	02.03 2012	09.03 2012	16.03 2012	23.03.2012	30.03.2012
			ङ) मानदण्ड सर्वेक्षण संकेतित करना	मौजूदा खाद्य सुरक्षा स्तर के लिए सर्वेक्षण आरंभ करना	तारीख	1%	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012	29.02.2012
			च) एफएसएसएआई खाद्य आयात निकासी	प्रवेश के 7 अतिरिक्त बंदरगाहों तक गतिविधियों का विस्तार	तारीख	1%	30.12.2011	13.01.2012	27.01.2012	10.02.2012	24.02.2012
				आईटी सक्षम एमआईएस प्रणाली का पायलट आरंभ करना	तारीख	1%	29.07.2011	31.08.2011	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011
				आयात के लिए मसौदा जोखिम मूल्यांकन संरचना	तारीख	1%	30.11.2011	14.12.2011	28.12.2011	11.01.2012	25.01.2012
				आयात विनियमों का	तारीख	1%	29.07.2011	31.08.2011	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011

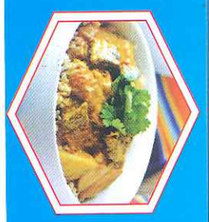
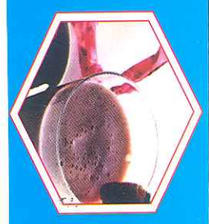
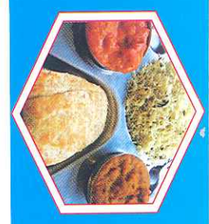

6.	प्रशिक्षण एनं क्षमता निर्माण	9%	क) प्रशिक्षण योजना (2011–2012)	प्रशिक्षण योजना को अंतिम रूप दें	तारीख	1%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	30.01.2012
			ख) राज्य के अधिकारियों के प्रशिक्षण का दूसरा दौर	राज्य के वरिष्ठ नियामक कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण का दूसरा दौर और दूसरों के लिए टीओटी पूरा करें	तारीख	3%	31.10 2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012	29.02.2012
			ग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और प्रमाणन प्रणाली	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दें	तारीख	2%	31.10 2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012	29.02.2012
			घ) गृहिणियों के लिए खाद्य सुरक्षा पर इग्नू के पाठ्यक्रम का आरंभ	पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए संस्था/एजेंसियों को मान्यता देने की प्रणाली विकसित करें	तारीख	1%	02.03 2012	09.03.2012	16.03 2012	23.03.2012	30 03.2012
				पाठ्यक्रम की शुरुआत	तारीख	1%	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012	29.02.2012
			ङ) खाद्य एनालिस्टों के पाठ्यक्रम और काडर की समीक्षा	समीक्षा करें और सिफारिश	तारीख	1%	30.12 2011	13.01.2012	27.01.2012	10.02.2012	24.02.2012
7.	संगठन की संरचना का सुदृढ़ीकरण	8%	क) मौजूदा कर्मचारियों के लिए सेवा नियम और विकल्प	सेवा नियमावली को अंतिम रूप दें	तारीख	2%	29.07 2011	31.08 2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
			क) मौजूदा कर्मचारियों के लिए सेवा नियम और विकल्प	मौजूदा कर्मचारियों के लिए विकल्प	तारीख	1%	30.09.2011	31.10 2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
				सरकार को भर्ती नियम का मसौदा प्रस्तुत करना	तारीख	2%	30.09 2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
			ख) भर्ती के नियम और अनुमोदित पदों पर भर्ती	अनुमोदित पदों को फरने की पहल करें	तारीख	1%	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012	29.02.2012
			ग) वित्तीय प्रक्रियाएं	वित्तीय प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दें	तारीख	1%	30.12.2011	13.01 2012	27.01.2012	10.02.2012	24.02.2012
			घ) एफएसएसएआई के लिए आईटी योजना	आईटी योजना और चरणबद्ध आरंभ का विकास	तारीख	1%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012

8.	खाद्य सुरक्षा के लिए संचार और जागरूकता	7%	क) संचार रणनीति/योजना	संचार रणनीति/योजना को अंतिम रूप दें	तारीख	1%	29.07.2011	31.08.2011	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011
				प्रचार की डिजाइन और प्रक्षेपण	तारीख	2%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
			ख) हेल्पलाइन आरंभ करना	हेल्पलाइन आरंभ करना	तारीख	2%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
			ग) खाद्य सुरक्षा पर जागरूकता के लिए गैर सरकारी संगठनों को मदद	गैर सरकारी संगठनों को आर्थिक मदद की पहल	तारीख	1%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
			घ) जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए उद्योग भागीदारी कार्यक्रम	उद्योग एफएसएसएआई भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन	तारीख	0.5%	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012	29.02.2012
			ङ) राज्यों के लिए प्रारंभिक (ह्वीसल–ब्लोअर) योजना	योजना का मसौदा बनाएं	तारीख	0.5%	29.07.2011	31.08.2011	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011
9	आरएफडी प्रणाली का कुशल कामकाज	11%	2011–12 के लिए आरएफडी को समय से जमा करना	समय पर जमा करना	तारीख	2%	31.03.2011	03.04.2011	04.04.2011	05.04.2011	06.04.2011
			2011–12 के परिण ामों को समय से जमा करना	समय पर जमा करना	तारीख	1%	01.05.2012	03.05.2012	04.05.2012	05.05.2012	06.05.2012
			आरसी के लिए एक रणनीतिक योजना	अगले 5 वर्षों के लिए एक रणनीतिक योजना को अंतिम रूप दें	तारीख	2%	10.12.2011	15.12.2011	20.12.2011	24.12.2011	31.12.2011
			संगठन की गतिविधियों से संबंधित भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों की पहचान और उन्हें कम करने के लिए एक कार्य योजना का विकास	भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों को कम करने के लिए एक कार्य योजना को अंतिम रूप दें	तारीख	2%	10.12.2011	15.12.2011	20.12.2011	24.12.2011	31.12.2011
			सेवोत्तम का कार्यान्वयन	कार्यान्वयन, निगरानी और नागरिक चार्टर की समीक्षा के लिए एक सर्वोत्तम अनुपालन प्रणाली बनाएं	तारीख	2%	10.12.2011	15.12.2011	20.12.2011	24.12.2011	31.12.2011
				सार्वजनिक शिकायतों पर नजर रखने और उनके निवारण के लिए एक सेवोत्तम अनुपालन प्रणाली बनाएं	तारीख	2%	10.12.2011	15.12.2011	20.12.2011	24.12.2011	31.12.2011

* अनिवार्य उद्देश्य (यों)

अनुभाग – 3

सफलता संकेतकों के रुझान मान

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) 2008 में स्थापित किया गया था और यह अभी भी खाद्य क्षेत्र के लिए नियामक ढांचा विकसित करने की प्रक्रिया में है। ऊपर के अनुभाग दो से, यह देखा जा सकता है कि आरएफडी (2010–11) के तहत विकसित प्रावधानों के कार्यान्वयन को आरंभ करने के लिए अधिकांश उद्देश्यों और अनुवर्ती दिशा–निर्देशों के नियमों और विनियमों के विकास की आवश्यकता है। जैसे कि, एफएसएसएआई की गतिविधियों के संदर्भ में इस स्तर पर सफलता के संकेतकों के रुझान मूल्यों का संकेत व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो सकता। एफएसएसएआई सर्वेक्षणों और अध्ययनों की एक श्रृंखला के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के वर्तमान स्तर और केंद्र राज्य तथा निचले स्तर के विनियमन को मानक बनाने का प्रस्ताव करता है। यह हमें खाद्य सुरक्षा के नियमों का आधार स्तर निर्धारित करने और प्रत्येक क्षेत्र में अलग–अलग लक्ष्यों की रूपरेखा बनाने में सक्षम करेगा। चालू वर्ष के दौरान इस तरह के सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।

सफलता संकेतकों और प्रस्तावित मापन क्रियाविधि का विवरण और परिभाषा

1. खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का गठन सितंबर 2008 में किया गया था। मई 2009 में आठ वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समितियों का गठन किया गया। अक्टूबर 2009 में 45 सदस्यों की केन्द्रीय सलाहकार समिति बनाई गई थी।

2. खाद्य संबंधी विभिन्न आदेशों से संबंधित कर्मचारियों को एकीकृत किया गया और वर्तमान लाइसेंस प्रक्रियाओं को एफएसएसएआई के दायरे में लाया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों को भी नए प्राधिकरण में स्थानांतरित कर दिया गया है। 'वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति' ने भी संचालन शुरू कर दिया है।

3. पीएफए से एफएसएसएआई में पारगमन के लिए नियम और विनियम के मसौदे को पहले से ही अधिसूचित किया गया है और इसे अंतिम अधिसूचना के लिए मंत्रालय को भेज दिया गया है। उम्मीद है कि जून 2011 के बाद से इसे राज्यों में आरंभ कर दिया जाएगा। अधिनियम के कार्यान्वयन की तत्परता और आवश्यक समर्थन उपायों का जायजा लेने के लिए राज्यों के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं।

4. यह देखा जा सकता है कि पहले वर्ष में प्राधिकरण विभिन्न मंत्रालयों से आए कर्मियों को एकीकृत करने और प्राधिकरण के विभिन्न अंगों की स्थापना करने में लगा रहा, प्राधिकरण के काम करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को भी अंतिम रूप दे दिया गया है और इनको सरकार से अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है। एफएसएसएआई को संगठन संरचना के लिए मंजूर पदों के संबंध में सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो गया है. और सेवा नियमों तथा भर्ती नियमों को स्थापित करने के बाद इस साल भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा।

5. वर्तमान में प्राधिकरण प्राधिकरण और हितधारकों के बाहर की अनेक एजेंसियों से वैज्ञानिक कौशल प्राप्त कर रहा है। प्राधिकरण के लिए विशिष्ट प्रदर्शन मानकों को स्थापित करने में आने वाली मुख्य कठिनाइयों में से एक है– खाद्य जनित बीमारियों, विभिन्न खाद्य पदार्थों में संदूषण के विशिष्ट स्तर, हितधारकों में खाद्य सुरक्षा जागरूकता से संबंधित जानकारी की एक गंभीर कमी और सर्वेक्षण और अध्ययन, खाद्य सुरक्षा के नियमों के मौजूदा स्तर के प्रभाव का अंकन करने का अभाव। खाद्य प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा के नियमों और कानूनों के क्रियान्वयन, विभिन्न खाद्य वस्तुओं में संदूषण के मौजूदा स्तर, खाद्य सुरक्षा निगरानी और विभिन्न विनियामक उपायों के प्रभाव को प्रोफाइल और चिह्नित करने के लिए सर्वेक्षण के एक विस्तृत सेट को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। अगले कुछ वर्षों में इन आंकड़ों को उभरने तक, सफलता मापदंडों के संबंध में कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित करना संभव नहीं भी हो सकता है।

प्राधिकरण के शुरुआती कुछ वर्ष खाद्य सुरक्षा के विभिन्न नियमों को बनाने, मौजूदा मानकों में संशोधन विभिन्न खाद्य कानूनों की प्रभावशीलता के मौजूदा स्तर और प्रदूषण के स्तर का अध्ययन और सर्वेक्षण की शुरुआत करने में उपयोग कर अपनी निनियामक उपस्थिति स्थापित करने में खर्च होंगे। जैसे ही खाद्य सुरक्षा के नियमों, भोजन संदूषण और विनियामक प्रभाव से संबंधित विश्वसनीय और पर्याप्त रूप से गैर–संग्रहित आंकड़े उभरेंगे, इन्हें प्राधिकरण के प्रदर्शन प्रबंधन दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा।

पारिभाषिक शब्दावली

खाद्य सुरक्षा योजना– एक खास इलाके अर्थात् पंचायत, तालुका, नगरपालिका या जिले में, खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार की गई योजना, कार्यक्रम, या विधियों, कार्य क्षेत्रों की पहचान और उपलब्धि के लिए तय जिम्मेदारियों को संदर्भित करता है। इसमें गांव, शहर समुदाय, स्थानीय निकाय पंचायतों और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अन्य हितधारकों को शामिल किए जाने की उम्मीद है।

खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस) – का मतलब है खाद्य व्यापार के लिए अच्छा विनिर्माण आचरण (जीएमपी), अच्छा स्वच्छता आचरण (जीएचपी), जोखिम विश्लेषण और जटिल नियंत्रण बिंदु तथा इस तरह के अन्य तरीके जो विनियमन द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। एफएसएसएआई एक संदर्भ खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली विकासित करेगी, जो सुरक्षा के स्तर का निर्धारण और मार्गदर्शन कर सकती है और साथ ही इसका मूल्यांकन भी किया जा सकेगा। जो प्रदान कर सकते हैं। ऐसा मानक खाद्य व्यापार संचालकों को व्यापक रूप से उपलब्ध होना चाहिए ताकी उनके पास जो भी संसाधन उपलब्ध हों उनके साथ उन्हें अपना सकें और धीरे–धीरे सुरक्षा के स्वीकार्य स्तर को प्राप्त कर सकें। यह स्व–अनुपालन को प्रोत्साहित करेगा और विस्तृत निरीक्षण की आवश्यकता को कम कर देगा।

भारत–एचएसीसीपी– जोखिम विश्लेषण और जटिल नियंत्रण बिंदु {एचएसीसीपी} – कोडेक्स एचएसीसीपी दिशानिर्देशों को परिभाषित किया है जो पहली प्रकाशित खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है। हालांकि, स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कोई घरेलू एचएसीसीपी मानक नहीं है। एफएसएसएआई का अपने निज

fssai

एफएसएसएआई–भारत–एचएसीसीपी मानक विकसित करने का प्रस्ताव है जो घरेलू बाजार में खानपान इकाइयों के लिए और इस मानक के खिलाफ एक स्वैच्छिक एचएसीसीपी प्रमाणीकरण प्रणाली के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है । यह सुरक्षा नियमों के अनुपालन का प्रदर्शन करने के लिए खाद्य व्यवसायों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है।

कार्यात्मक खाद्य – वे खाद्य पदार्थ है जो किसी भी रूप से संशोधित खाद्य या घटक सहित संभावित स्वस्थ उत्पादों को समेटे होते हैं जो पारंपरिक पोषक तत्वों से परे एक स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है। एफएसएसएआई कार्यात्मक खाद्य पदार्थों के लिए नियमों के विकास पर काम कर रहा है। इस समय कार्यात्मक खाद्य पदार्थों के लिए कोई नियम नहीं है।

खाद्य योज्य– का मतलब भोजन के एक विशिष्ट घटक के रूप में इस्तेमाल किये जाने वाले किसी भी पदार्थ और भोजन के प्रसंस्करण, तैयारी, उपचार, पैकिंग, पैकेजिंग, परिवहन आदि में एक तकनीकी उद्देश्य के लिए जानबूझकर मिलाये गए पदार्थ से है। एफएसएसएआई, पीएफए अधिनियम के तहत कोडेक्स मानकों और पिछले अभ्यास के साथ मिलान के लिए खाद्य योज्यों के मौजूदा मानकों की समीक्षा करेगा।

खाद्य सुरक्षा केन्द्रों के देश भर में फैले अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों में स्थित होने की उम्मीद की जाती है, जिनके पास शैक्षणिक कार्य और खाद्य परीक्षण के लिए बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं हैं। वे विनियामको और अन्य कर्मचारियों प्रशिक्षण, खाद्य सुरक्षा की निगरानी के संबंध में वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध कराने, सर्वेक्षण, निगरानी डेटा की व्याख्या आदि के लिए एफएसएसएआई के विस्तारित (आउटरीच) केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे।

अच्छी कृषि प्रथाएं (जीएपी)– अच्छी कृषि प्रथाएं सिद्धांतों का एक संग्रह है जो कृषि उत्पादन और उत्पादन के बाद की प्रक्रियाओं के लिए लागू होती हैं, जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की स्थिरता का ध्यान रखते हुए सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य और गैर–खाद्य कृषि उत्पादों का परिणाम उत्पन्न होता है।

उत्कृष्टता के केन्द्र – एक उत्कृष्टता केन्द्र एक मौजूदा संस्थान है, जहां माप योग्य वैज्ञानिक उत्पादन (प्रशिक्षण सहित) और/या तकनीकी नवाचार के मामले में अनुसंधान और तकनीकी विकास के एक उच्च स्तर का प्रदर्शन होता है। एफएसएसएआई का एफएसएसएआई की सहायता के लिए खाद्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न पहलुओं पर, अनुसंधान एवं विकास करने और विज्ञान आधारित मानकों के विकास में तकनीकी जानकारी प्रदान करने में देश के उत्कृष्टता केन्द्रों के साथ एक संरचनम समझौते का प्रस्ताव है।

निगरानी के लिए संस्थानों के नेटवर्क – एफएसएसएआई का आरंभ में मौजूदा डेटाबेस पर अधिकार कर, इसमें शामिल विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय और नेटवर्किंग द्वारा खाद्य सुरक्षा की निगरानी के लिए एक संरचना बनाने का प्रस्ताव है। इसमें मौजूदा खाद्य विज्ञान कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान शामिल हो सकते हैं। एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा की निगरानी के लिए एक उपयुक्त ढांचे का विकास कर रहा है ताकी सरकार को आवश्यक उपयुक्त प्रतिक्रिया प्रदान कर सके और बाजार की संबंधित स्थितियों और सुरक्षा स्तरों पर आगम प्रदान कर सके।

आयात के लिए खाद्य सुरक्षा समूह – एफएसएसएआई भारत में आने वाले आयातित खाद्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर चरणबद्ध तरीके से अधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है और खाद्य आयात निकासी की प्रक्रिया के लिए एक जोखिम विश्लेषण ढांचे का विकास कर रहा है।

इग्नू – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के एक शीर्ष निकाय है जो देश भर में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का समन्वय करता है और उस पर निगरानी रखता है। यह दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से और वितरण के लिए मुक्त शिक्षण के पाठ्यक्रम का विकास और उत्पादन करता है तथा अनुसंधान प्रशिक्षण और शिक्षा के विस्तार की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है। एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा की अवधारणा का जमीनी स्तर तक प्रसार करने के लिए दूरस्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने में इग्नू की विशेषज्ञता की मदद लेने का प्रस्ताव किया है।

प्रत्यायन (प्रमाणन) – विशिष्ट अनुरूपता मूल्यांकन कार्य को पूरा करने की अपनी क्षमता के औपचारिक प्रदर्शन से संबंधित एक अनुरूपता मूल्यांकन निकाय द्वारा किया गया तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) का सत्यापन है। भारत की गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआइ) भारत में खाद्य प्रयोगशालाओं के लिए खाद्य सुरक्षा और परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड {एनएबीएल}, की प्रमाणन योजनाओं के लिए मान्यता प्राप्त एजेंसियों का मुख्य मान्यता प्राप्त निकाय है।

संचार अभियान– पंचायतों, स्कूल के बच्चों, घरों और उद्योग जैसे विभिन्न हितधारकों को खाद्य सुरक्षा संदेश के बारे में प्रभावी ढंग से अवगत कराने की जरूरत है। सुरक्षित भोजन की मांग करने और संबंधित लोगों को आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा एक बहु–हितधारक गतिविधि है, जिसे प्रभावी और ध्यान केंद्रित संचार की आवश्यकता है।

गैर सरकारी संगठन– उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा में मुख्य हितधारक है और उपभोक्ता को उपलब्ध भोजन की सुरक्षा आश्वस्त करने, मानक विकास, क्षमता निर्माण, निगरानी और सूचित पसंद में उपभोक्ताओं के प्रभावी सहयोग की प्रभावशीलता के संदर्भ में एफएसएसएआई की गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाना है।

उद्योग इंटरफेस– एफएसएस अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी खाद्य व्यापार संचालकों की है। इसे ध्यान में रखते हुए एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए क्षमता निर्माण की अवधारणा का प्रचार–प्रसार करने के लिए उद्योग इंटरफेस ढांचा विकसित करने का प्रस्ताव करती है।

आर एंड डी – अनुसंधान और विकास– भोजन के लिए विज्ञान आधारित मानक स्थापित करने के जनादेश के साथ, एफएसएसएआई विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार कर अनुसंधान परियोजनाएं और संबंधित नवीन अनुसंधान एवं विकास खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित प्रस्तावों को अपनाने का प्रस्ताव करती है।

fssai

मंत्रालयों और अन्य विभागों और से विशिष्ट आवश्यकताएं

1. एफएसएस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में नियम और विनियमनों के मसौदे को, पहले ही भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। उसके बाद प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, उपयुक्त मसौदे को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है और इसे अंतिम अधिसूचना के लिए सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (नियमों और विनियमों के कानूनी पुनरीक्षण के मामले में) कानून मंत्रालय की ऐसी विशेष मदद से नियमों और विनियमों के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता होगी।

2. सरकार ने पहले ही एफएसएसएआई संगठन संरचना के लिए पदों की स्वीकृति दे दी है और इन पदों को भरने का कार्य इस साल में पूरा कर लिया जाएगा। इन पदों के लिए भर्ती शुरू करने की प्रक्रिया में सेवा नियमावली और भर्ती नियमों की प्रस्तुति के लिए एफएसएसएआई कार्मिक और प्रशिक्षण (डीओपीटी) विभाग से समय पर मदद मांगेगा। इसके अलावा, आयातित खाद्य वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी एफएसएसएआई का एक प्रमुख जनादेश है और इसे पूरा करने के लिए एफएसएसएआई को इसके आयात सुरक्षा निदेशालय के लिए देश भर में कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या की आवश्यकता होगी और इस संबंध में और एक अलग प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। आयात सुरक्षा निदेशालय के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एफएसएसएआई को वित्त मंत्रालय से समय पर और उपयुक्तर विचार की आवश्यकता होगी।

3. 2011–12 के दौरान, देश भर में एफएसएस अधिनियम का सफल कार्यान्वयन शुरू करने के लिए एक संचार जागरूकता और क्षमता निर्माण की पहल की आवश्यकता को देखते हुए, एफएसएसएआई को पर्याप्त बजट की जरूरत होगी। इसके अलावा, राज्यों के सुदृढ़ीकरण, प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे के उन्नयन, गैर सरकारी संगठनों एवं उद्योग की साझेदारी गतिविधियों, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं, खाद्य सुरक्षा केन्द्रों और उत्कृष्टता के केंद्रों आदि की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, विशेष बजटीय प्रावधानों की आवश्यकता होगी। आने वाले वर्षों में इसके काफी हद तक आगे बढ़ने की संभावना है। प्राधिकरण द्वारा कार्यों के निष्पादन के लिए मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा पर्याप्त बजटीय सहायता का प्रावधान आवश्यक होगा।

4. केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा खाद्य संबंधित कानूनों को लागू किया जा रहा हैं। मानकों को खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा रहा हैं, जबकि इनका कार्यान्वयन अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों पर निर्भर है। लाइसेंस के नए प्रावधानों के तहत, उच्च जोखिम की क्षमता या अन्तर्राज्य असर वाले उप क्षेत्रों को खाद्य प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस देना और विनियमित किया जाना जारी रहेगा। हालांकि, खाद्य विनियमन का प्रमुख भाग नगर पालिकाओं, पंचायतों और राज्य सरकारों के दायरे के भीतर होगा। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के कार्यान्वयन

के लिए राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कर्मचारियों को अधिसूचित किया जाना आवश्यक हैं। उन्हें मौजूदा रिक्तियों को भरना होगा और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को और अधिक विश्वसनीयता से खाद्य परीक्षण करने के लिए अपने को उन्नत करने में भी सक्षम करना होगा। खाद्य की निगरानी, नमूना संग्रह, मुकदमों को चलाने जैसे कार्यों को भी राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किया जाना आवश्यक हैं। उनसे जुड़ी प्राथमिकताओं, उपलब्ध संसाधनों और प्रदान किये जाने वाले नेतृत्व. के आधार पर विभिन्न राज्यों में खाद्य कानूनों के क्रियान्वयन के मौजूदा स्तरों में भिन्नता है। देश में खाद्य कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों का योगदान महत्वपूर्ण होगा।

fssai

एफएसएस अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति

1) आंध्र प्रदेश

क) 23 जिलों में 48 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है। निर्णयन अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। गुंटूर में सार्वजनिक विश्लेषक अधिसूचित किया गया है।

ख) विशाखापत्तनम में एक राज्य प्रयोगशाला है।

ग) 3 जिलों में लाइसेंसिंग संचालित किया गया, 614 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 467 लाइसेंस जारी किए गए और 117 प्रक्रिया के तहत हैं।

घ) मोबाइल प्रयोगशाला की सुविधा के लिए चार प्रस्तावों को तैयार किए गए और उन्हें अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

ङ) राज्य के नौ एकीकृत जनजातीय विकास एजेन्सी (आईटीडीए) क्षेत्रों में अंतराष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) के तहत, हितधारकों के लिए खाद्य सुरक्षा और जल की गुणवत्ता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

च) हॉस्टलों, आश्रमों, समाज कल्याण विभाग के स्कूलों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है।

छ) एफबीओज के लिए फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

2) चंडीगढ़

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त,1 नामित अधिकारी, 3 खाद्य सुरक्षा अधिकारी और एक न्यायकर्ता अधिकारी को अधिसूचित कर दिया गया है।

ख) ऑनलाइन पंजीकरण लाइसेंस के लिए, प्राधिकृत अधिकारी/नामित अधिकारियों के प्रशिक्षण उद्देश्य से पहले ही कुशल शासन राष्ट्रीय संस्थान (एनआईएसजी) को एक पत्र भेजा गया है।

ग) चंडीगढ़ के अधिकारियों के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण को हरियाणा राज्य के साथ आयोजित किया जाएगा।

घ) चंडीगढ़ प्रशासन खाद्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के लिए पंजाब और हरियाणा की खाद्य प्रयोगशाला की सेवाओं का उपयोग करेगा।

ङ) हितधारकों की विभिन्न श्रेणियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, चंडीगढ़ के होटल एसोसिएशन, चंडीगढ़ के व्यापार मंडल एसोसिएशन, मिठाई निर्माता एसोसिएशन, करयाना एसोसिएशन और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी।

3) छत्तीसगढ़

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 18 नामित अधिकारियों, 14 खाद्य सुरक्षा अधिकारी और 2 खाद्य विश्लेषकों को अधिसूचित किया गया है। सभी 18 जिलों के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएमएस) को निर्णयन अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

ख) 12 वीं योजना में बिलासपुर में क्षेत्रीय प्रयोगशाला के विकास के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है।

ग) 60 लाइसेंस जारी किए गए हैं।

घ) खाद्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के लिए राज्य में एक मोबाइल प्रयोगशाला।

ङ) अधिकारियों एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है लेकिन एओ के लिए अभी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना बाकी है।

च) छत्तीसगढ़ वाणिज्य संघ के माध्यम से रायपुर में एफबीओ के साथ कार्यशाला के आयोजन द्वारा जागरूकता सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया है।

छ) खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने एफएसएस अधिनियम, 2006 के संदेश को प्रसारित करने के लिए दूरदर्शन और ज्ञानवाणी के मंच का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा, टॉक शो का आयोजन किया गया और छात्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए शैक्षिक संस्थानों ने इसमें भाग लिया।

4) दिल्ली

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 5 पूर्ण कालिक अधिकारियों और 31 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अधिसूचित कर दिया गया है। स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एलएचए) को उपायुक्त के रूप में नामित किया गया है।

ख) एक एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला।

ग) सभी ए.डी.एम को निर्णयन अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

घ) साधारण क्षेत्राधिकार का एक विशेष न्यायालय।

ङ) 2086 नमूने लिए गए, जिनमें से 31 असुरक्षित, 58 घटिया, 48 गलत ब्रॉड युक्त थे और 5 अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया था।

च) ऑनलाइन लाइसेंसिंगध्पंजीकरण का प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

5) गुजरात

क) सभी एलएचए और वरिष्ठ खाद्य निरीक्षकों को नामित अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। खाद्य निरीक्षकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

ख) अहमदाबाद में खाद्य सुरक्षा ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया है।

ग) खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन(फडीसीए) के तहत काम कर रही दो प्रयोगशालाओं को एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हैं। एफडीसीए की राजकोट और भुज प्रयोगशालाएं और सभी 3 नगर निगम प्रयोगशालाएं उन्नयन की प्रक्रिया में हैं।

घ) दो मोबाइल वैन खरीदी गई हैं– एक का मोबाइल परीक्षण और दूसरी का मोबाइल प्रदर्शनी वैन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

ङ) और एनआईसी की मदद से एफडीसीए के अधिकारियों द्वारा लैब मास्टर सॉफ्टवेयर डिजाइन और विकसित किया गया है तथा सॉफ्टवेयर को अपलोड किया गया है।

च) एफएसएस अधिनियम के तहत 1211 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं और 4037 पंजीकरण किए गए हैं।

छ) गुजरात के लिए पायलट परियोजना के रूप में ऑनलाइन लाइसेंसिंग/पंजीकरण प्रणाली आरंभ की गई है।

6) हरियाणा

क) 14 खाद्य निरीक्षकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

ख) 600 अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव है जिनमें डीओ क 22 पद और एफएसओ के 54 पद शामिल हैं, उन्हें अनुमोदन के लिए सरकार को भेजा गया है।

ग) 954 नमूनों का विश्लेषण किया गया, जिसमें से 138 घटिया/असुरक्षित/गलत ब्रॉड युक्त पाये गए हैं।

घ) एफएसएस अधिनियम के तहत 1507 आवेदनों में से 1266 पंजीकरण और 226 में से 87 लाइसेंस जारी किए गए हैं।

7) जम्मू एवं कश्मीर

क) उपायुक्त, 23 नामित अधिकारियों, 70 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, 2 खाद्य विश्लेषकों को अधिसूचित कर दिया गया है। 23 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को निर्णायन अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

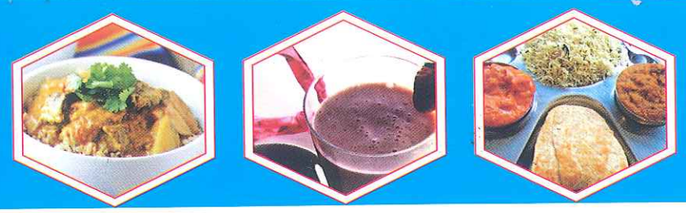

ख) नामित अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए अभी तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है।

ग) 569 एकत्र नमूनों में से 151 गलत ब्रॉड युक्त/मिलावटी पाए गए, 1 असुरक्षित पाया गया और 32 शिकायतों का निपटारा किया गया है।

घ) विभिन्न एफबीओ पर कुल 4,45,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

ङ) पंजीकरण का अधिकार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पास और लाइसेंस देने का अधिकार नामित अधिकारियों के साथ के पास है।

च) मोबाइल प्रयोगशालाओं के साथ भोजन के परीक्षण के लिए मोबाइल सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है।

8) कर्नाटक

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 30 नामित अधिकारियों, 106 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, 30 निर्णयन अधिकारियों और 8 खाद्य विश्लेषकों को अधिसूचित किया गया है।

ख) राज्य सरकार द्वारा 10.4 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिनमें निम्नलिखित गतिविधियां शामिल है–

(i) परीक्षण की गतिशील (मोबाइल) सुविधा,

(ii) उपकरणों की खरीद,

(iii) क्षमता निर्माण कार्यक्रम,

(iv) वेबसाइट का विकास,

(v) एफबीओ के लिए जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाएं।

9) मध्य प्रदेश

क) व्यापारी निकायों के साथ जागरूकता गतिविधियां जारी हैं।

ख) राज्य में लाइसेंस और पंजीकरण में कुछ मुद्दे है।

10) महाराष्ट्र

क) सभी नामित अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और एओज को अधिसूचित किया गया है।

ख) राज्य में प्रवर्तन प्रभावी है।

ग) 1,60,000 से अधिक लाइसेंस जारी किए गए हैं।

घ) प्रत्येक स्तर पर एक विस्तृत प्रभावी मासिक निगरानी प्रणाली को लागू किया गया है।

11) मिजोरम

क) आईईसी गतिविधियां एफबीओ के बीच जागरूकता पैदा करने में प्रभावी रहीं।

ख) 9 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अधिसूचित कर दिया गया है।

ग) 20 लाइसेंस जारी किए गए हैं।

घ) जनशक्ति की कमी के बारे में चिंता पर प्रकाश डाला गया।

12) नागालैंड

क) 11 नामित अधिकारियों और 7 एफएसओ को अधिसूचित किया गया है।

ख) राज्य में एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है जिसे उन्नत किया जाना अभी बाकी है।

13) ओड़ीसा

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अधिसूचित कर दिया गया है।

ख) लाइसेंसिंग/पंजीकरण शुरू नहीं हुआ है।

14) पुडुचेरी

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 1 नामित अधिकारी, 3 खाद्य सुरक्षा अधिकारी, 2 निर्णयन अधिकारियों को अधिसूचित कर दिया गया है।

ख) एनएबीएल का प्रयोगशाला प्रत्यायन प्रगति पर है।

ग) कुल जारी पंजीकरण – 431।

घ) कुल जारी लाइसेंस –57।

ङ) सरकार को 21 पदों का सृजन करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

15) पंजाब

क) खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, नामित अधिकारियों और एओज के लिए प्रशिक्षण का कार्य किया गया है।

16) तमिलनाडु

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त और सहायक आयुक्त, नामित अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और एओज को अधिसूचित किया गया है।

ख) अधिकारियों और एओज को प्रशिक्षित किया गया है।

ग) 584 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों में से, 294 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

घ) राज्य में छह खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं है।

ङ) 345 नमूने लिए गए है और 113 का विश्लेषण किया गया, जिसमें से 80 मिलावटी/गलत रूप से ब्रॉडेड थे।

च) राज्य सरकार ने प्रयोगशालाओं में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 6 करोड़ रुपए मंजूर किए।

छ) 2663 लाइसेंस और 6638 पंजीकरण जारी किए हैं।

ज) 1200 व्यक्तियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

17) उत्तराखंड

क) 12 नामित अधिकारियों और 34 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अधिसूचित कर दिया गया है

ख) पीएफए के तहत मौजूदा लाइसेंसों की कुल संख्या 28262 थी। एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत 88 लाइसेंस और 2481 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग) लाइसेंसिंग और पंजीकरण का कार्य दस्ती रूप से किया जा रहा है।

घ) राज्य में रुद्रपुर में बिना एनएबीएल प्रत्यायन के एक प्रयोगशाला है।

ङ) 543 नमूनों का विश्लेषण किया गया जिसमें से 80 को गलत ब्रॉड युक्त पाया गया और 2 असुरक्षित थे, 12 मामले आरंभ किए गए।

च) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा में 12 नामित अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

छ) लाइसेंस और पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एफबीओं के साथ 50 से अधिक संवादात्मक (इंटरैक्टिव) सत्र आयोजित किए गए हैं।

18) उत्तर प्रदेश

क) नामित अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियो और एओएस को अधिसूचित किया गया है

ख) 250 लाइसेंस जारी किए गए, ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से 300–400 पंजीकरण किए गए थे।

ग) 3 प्रयोगशालाओं में प्रयोगशाला उपकरणों का सुदृढ़ीकरण चल रहा है।

घ) सभी प्रयोगशालाओं के लिए जीएपी विश्लेषण किया गया है।

ङ) झांसी में एक एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला है।

च) राज्य में साप्ताहिक आधार पर एक शिकायत –निवारण प्रकोष्ठ है।

19) पश्चिम बंगाल

क) 18 जिलों और कोलकाता महानगरीय जिले के खाद्य सुरक्षा आयुक्त, नामित अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है। 15 निर्णयन अधिकारियों को अधिसूचित कर दिया गया है।

ख) खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में खाद्य निरीक्षकों को नामित किए जाने की अधिसूचना अन्य स्थानीय निकायों के तहत विचाराधीन है।

ग) दस्ती रूप से पंजीकरण और लाइसेंसिंग शुरू कर दिया गया है।

घ) खाद्य सुरक्षा के संबंध में राज्य स्तर पर हेल्पलाइन और वेबसाइट का निर्माण प्रक्रिया के तहत है।

ङ) दूध के नमूने लिए गए और उनका विश्लेषण किया गया तथा 3 नमूने घटिया पाए गए।

राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों की सूची अनुबंध–II में है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत सार्वजनिक प्रयोगशालाओं की स्थिति

एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रभावी होने के बाद 5 अगस्त, 2011 से पीएफए अधिनियम, 1954 को निरस्त कर दिया गया, पीएफए अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थों के नमूनों का परीक्षण करने वाली मौजूदा 72 सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के अब खाद्य प्राधिकरण के द्वारा अधिकृत कर लिया गया है, एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 43 के तहत किसी भी अधिसूचना के जारी किए जाने तक ये एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 98 के तहत कार्य करेंगी। कोलकाता, पुणे, मैसूर और गाजियाबाद में केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं को संदर्भित खाद्य प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करने के लिए भी अनुमोदित किया गया है। 50 प्रयोगशालाओं के लिए जीएपी विश्लेषण किया गया है। सभी 72 प्रयोगशालाओं को एनएबीएल मानकों के लिए उन्नत किया जा है। बड़े सार्वजनिक समागमों और दुर्गम क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए मोबाइल प्रयोगशालाएं महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में एक मोबाइल प्रयोगशाला स्थापित करना प्रस्तावित किया गया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 1 वर्ष की अवधि के लिए एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य विश्लेषकों द्वारा नमूनों को विश्लेषण के उद्देश्य से 55 प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया है।

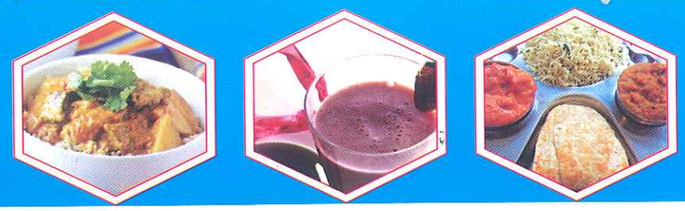

प्रवर्तन

1. लाइसेंसिंग

अ) **क्षेत्रिय कार्यालय**–जैसा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में परिकल्पित है, खाद्य व्यापार परिचालकों (एफबीओ) का केन्द्रीय लाइसेंसिंग प्रगति में है। केन्द्रीय लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सात क्षेत्रिय कार्यालय स्थापित किए गए थे और एफएसएसएआई के क्षेत्रिय कार्यालयों में सात नामित अधिकारियों को अधिसूचित किया गया। केन्द्रीय लाइसेंसिंग प्रक्रिया एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जो लॉजिकसॉफ्ट द्वारा विकसित खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली (एफएलआरएस) 19–08–2011 के प्रभाव से शुरु हुआ। 2011–12 के दौरान एफएसएसएआई के क्षेत्रिय नामित अधिकारियों ने एफबीओ को 413 केन्द्रीय लाइसेंस प्रदान किये जिसमें नए लाइसेंस और साथ ही पुराने लाइसेंस का रूपान्तरण भी शामिल है जिसका विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है–

तालिका 1– 2011–12 के दौरान जारी केन्द्रीय लाइसेंस का ब्यौरा

31–03–2012 तक क्षेत्रवार जारी किए लाइसेंस की संख्या				
क्रम संख्या	क्षेत्र	नए	रूपान्तरण	कुल
1.	चंडीगढ़	25	34	59
2.	चेन्नई	9	107	116
3.	दिल्ली	40	38	78
4.	गुवाहाटी	1	13	14
5.	कोलकात्ता	6	27	33
6.	लखनऊ	12	21	33
7.	मुम्बई	19	61	80
कुल		112	301	413

ब) **भारतीय रेलवे**– भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने भारतीय रेलवे के सभी जोन में 17 नामित अधिकारियों और 26 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अधिसूचित किया है।

स) **राज्यों/कें.शा.प्र. में लाइसेंसिंग**– सभी राज्यों /कें.शा.प्र. ने अपने राज्य व केंशाप्र में खाद्य सुरक्षा कमिश्नर, जिलावार नामित अधिकारियों (लाइसेंसिंग अधिकारी) और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अधिसूचित कर दिया है। खाद्य व्यापार परिचालक, जो एफएसएस (खाद्य व्यापार की लाइसेंसिंग और पंजीकरण) नियमन, 2011 के अंतर्गत दिए गए आवश्कताओं का पालन करते हैं, उन्हें लाइसेंसिंग और पंजीकरण दिया जा रहा है। वर्ष 2011–2012 के दौरान, जारी की गई लाइसेंस की संख्या 91983 थी और पंजीकरण की संख्या 133973 थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है–

साल 2011–12 के लिए लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण पर रिपोर्ट

क्रम संख्या	राज्य का नाम	जारी लाइसेंस की संख्या	जारी पंजीकरण की संख्या
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	55	184
2	आंध्र प्रदेश	192	शून्य
3	अरूणाचल प्रदेश	56	90
4	असम	लागू नहीं	लागू नहीं
5	बिहार	935	1704
6	चंडीगढ़	लागू नहीं	लागू नहीं
7	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य
8	दादर एवं नागर हवेली	27	13
9	दमन व द्वीप	लागू नहीं	लागू नहीं
10	दिल्ली	शून्य	शून्य
11	गोवा	244	1544
12	गुजरात	934	5251
13	हरियाणा	87	1266
14	हिमाचल प्रदेश	लागू नहीं	लागू नहीं

15	जम्मू एवं कश्मीर	7	287
16	झारखंड	शून्य	शून्य
17	कर्नाटक	1014	3956
18	केरल	2351	10860
19	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
20	मध्य प्रदेश	262	1635
21	महाराष्ट्र	72327	72507
22	मणिपूर	लागू नहीं	लागू नहीं
23	मेघालय	184	48
24	मिजोरम	लागू नहीं	लागू नहीं
25	नागालैंड	शून्य	शून्य
26	उड़ीसा	लागू नहीं	लागू नहीं
27	पुडुचेरी	34	236
28	पंजाब	164	94
29	राजस्थान	10541	29102
30	सिक्किम	शून्य	शून्य
31	तमिलनाडु	858	2229
32	त्रिपुरा	लागू नहीं	लागू नहीं
33	उत्तराखंड	88	2481
34	उत्तर प्रदेश	1623	486
35	पश्चिम बंगाल	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल	91983	133973

2. खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली(एफएसएमएस)–

निरीक्षण/अंकेक्षण निकाय और लेखा परीक्षकों/निरीक्षकों की मान्यता के लिए एक अभिरुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की गई। मान्यता प्राप्त निरीक्षण लेखा परीक्षण एजेंसियों की आवश्य

निम्नांकित काम को संपन्न करने के लिए होगी–

अ) खाद्य सुरक्षा और मानक (लाइसेंसिंग और पंजीकरण) नियमन, 2011 के लाइसेंस और अनुसूची 4 की शर्तों में उल्लेखित सफाई और स्वच्छता आवश्यकताओं के संदर्भ में खाद्य व्यापार का निरीक्षण। ये निरीक्षण, एफएफएसएआई द्वारा परिभाति निरीक्षण रिपोर्ट प्रारूप के अनुसार होंगे।

ब) नए स्थापित खाद्य व्यापार इकाईयों की कमिशनिंग से पूर्व निरीक्षण संचालित करना।

स) खाद्य व्यापार इकाईयों की पुष्टि के लिए प्राधिकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसार नियमित/अघोषित निरीक्षण संचालित करना ताकि एफएसएस के अंतर्गत बनाए गए नियमनों का अनुपालन हो।

द) लाइसेंसिग प्राधिकारी द्वारा इंगित कमियों की सुधार की पुष्टि के लिए पुनरर्क्षिण संचालित करना।

व) एफबीओ की आवश्यकता पर खाद्य व्यापार का आवधिक खाद्य सुरक्षा वार्षिक लेखा संचालित करना।

फ) एफबीओ के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली योजना बनाना और इस प्रभाव में प्रमाणपत्र जारी करना।

ज) मूल्यांकन /लेखा परीक्षण/ निरीक्षण अनुशंसाओं के कार्यान्वयन का प्रणालीगत फॉलो–अप विकसित करना।

एफएसएसआई के साथ निम्नांकित आठ एजेंसियां पैनल में हैं–

1. **भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली**
2. **इंडियन रजिस्टर क्वालिटी सिस्टम, नई दिल्ली**
3. **आईएनडीओसीईआरटी, कोच्चि**
4. **टीयूवी एसयूडी, दक्षिण एशिया**
5. **डेट नोर्स्के वर्टियाज**
6. **वन सर्ट, जयपुर**
7. **राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली**
8. **एसजीएस इंडिया प्रा. लिमिटेड**

पंजीकरण की प्रक्रिया

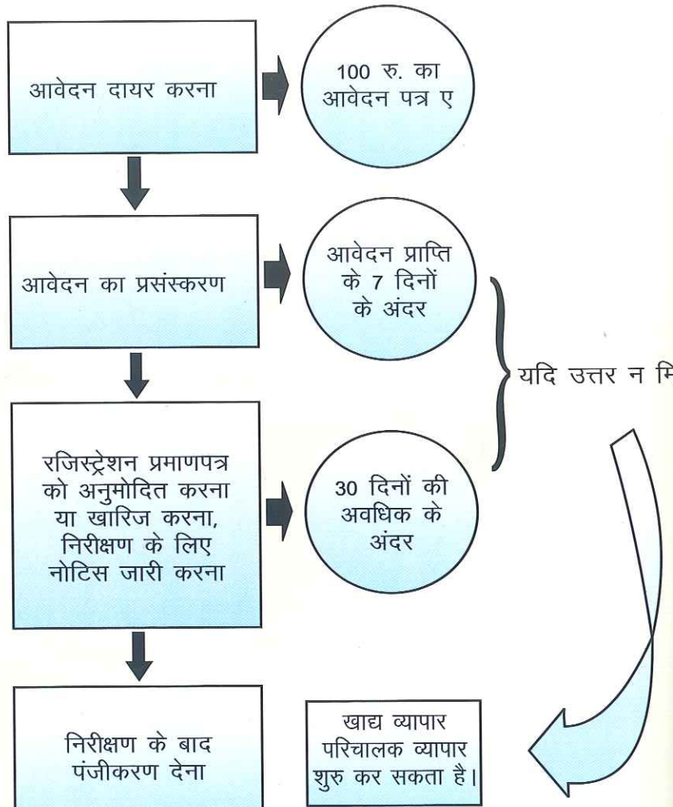

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
वेबसाइट–fssai.gov.in
निःशुल्क नम्बर–1800112100

fssai

लाइसेंसिंग की प्रक्रिया

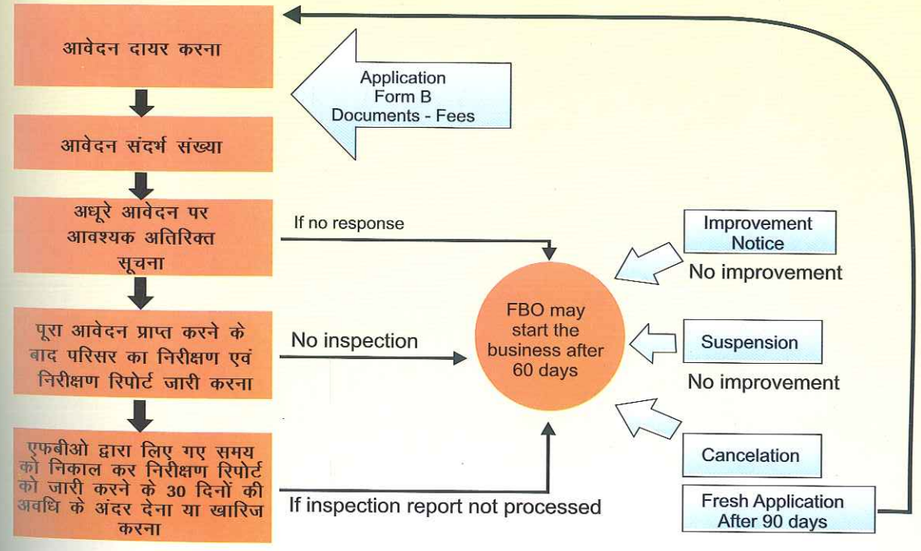

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
वेबसाइट–fssai.gov.in
निःशुल्क नम्बर–1800112100

fssai

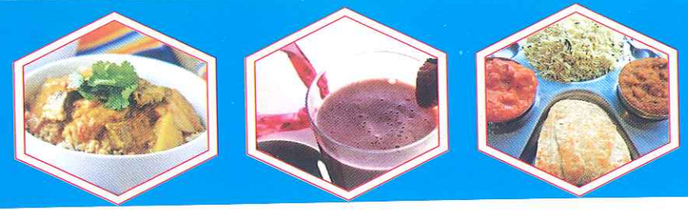

सैंपलिंग और विश्लेषण के लिए नई प्रक्रिया (अनुभाग 47)

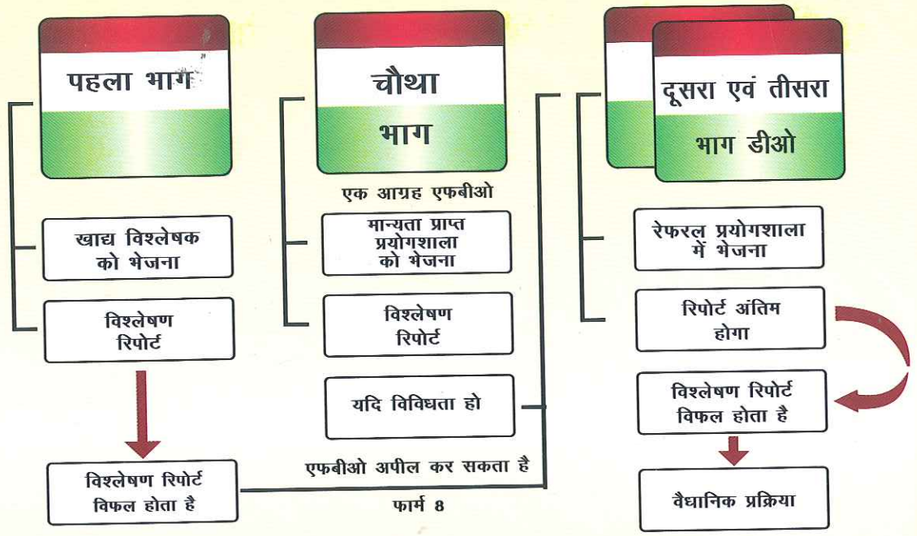

जब एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थ का नमूना विश्लेषण के लिए लेता है तो वह–

अ) जिस व्यक्ति से वह नमूना ले रहा है और जिस व्यक्ति, यदि कोई है, का नाम, पता और अन्य विवरण का खुलासा लिया गया है उसे लिखित में नमूने के विश्लेषण के बारे में नोटिस देगा,

ब) नियम में दिए अनुसार विशेष मामलों को छोड़कर नमूनों को चार भागों में बांटेगा और चिह्नित करेगा तथा प्रत्येक भाग को इसकी प्रकृति के अनुसार सीलबंद करेगा और उस व्यक्ति, जिससे नमूना लिया गया है का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेगा।

1) नामित अधिकारी को सूचना के अंतर्गत विश्लेषण के एक भाग को खाद्य विश्लेषण को भेजेगा

2) इसे सुरक्षित कस्टडी में रखने के लिए इसके दो भागों को नामित अधिकारी को भेजेगा

3) शेष भाग को विश्लेषण के लिए किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को भेजेगा, यदि नामित अधिकारी को सूचना के अंतर्गत खाद्य व्यापार परिचालक द्वारा ऐसा आग्रह किया गया है

यदि जांच रिपोर्ट उप–खंड (1) और (111) के अंतर्गत प्राप्त जांच रिपोर्टों में विविधता पाई जाती है तो नामित अधिकारी उसकी कस्टडी के नमूने के एक भाग को विश्लेषण के लिए रेफरल प्रयोगशाला में भेजेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

एफडीए भवन, कोटला रोड, बाल भवन के करीब, नई दिल्ली–110002

वेबसाइट– fssai.gov.in

निःशुल्क नम्बर–1800112100

प्रयोगशाला

वर्ष 2011–12 के दौरान चार केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला में विश्लेषित और मिलावटी पाए गए नमूनों की संख्या का विवरण

केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला का नाम	पीएफए अधिनियम/ एफएसएसए के अनुसार 12(12ए) 13(बी) के अंतर्गत ट्रायल कोर्ट से		पीएफए अधिनियम/ एफएसएसए के साथ नहीं जुड़े कस्टम, कोर्ट स्वास्थ्य अधिकारी, सरकारी विभाग एवं विशेष नमूने से		परीक्षात्मक नमूने और उन लोगों का सहयोगात्मक अध्ययन		कुल	
	विश्लेषण किया गया	मिलावटी	विश्लेषण किया गया	मिलावटी	विश्लेषण किया गया	मिलावटी	विश्लेषण किया गया	मिलावटी
सीएफएल, पुणे	804	699	257	38	396	.	1457	737
सीएफएल, कोलकाता	72	35	725	51	339	296	1136	382
एफआरएसएल, गाजियाबाद	248	215	141	56	.	.	389	271
सीएफटीआरआई, मैसूर	1450	754 269(अनुपयुक्त)	494	50	99	38	2043	842

- **खाली स्तम्भ और कतारें दर्शाती हैं कि आंकड़ों को संकलन किया जा रहा है।**

एफएसएसएआई अधिसूचित प्रयोगशाला के रूप में पैनल पर आने के लिए विविध एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से आवेदन मंगाने के लिए एफएसएसएआई ने 26 अगस्त, 2011 को एक अभिरूची की अभिव्यक्ति जारी की गई। कई आवेदन प्राप्त हुए जिनकी एक समिति द्वारा छानबीन की गई। आधारभूत आवश्यकता, एनएबीएल मान्यता और अनुमोदित परीक्षण के दायरे थे। आरंभ में प्रयोगशालाओं को 3 महीने के तदर्थ आधार पर 12–12–2011 तक अधिसूचित किए गए थे जो कि आगे 12–03–2012 तक 3 महीने और बढ़ाया गया। 31–3–2012 तक, 32 प्रयोगशालाएं तदर्थ आधार पर प्राधिकृत थीं। राज्य प्रयोगशालाएं, एफएसएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित प्रयोगशाला के रूप में काम करना जारी रखती हैं। प्रयोगशालाओं का ब्योरा नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	क्रम संख्या	प्रयोगशालाओं का नाम	पता
दक्षिण क्षेत्र (केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, लक्षद्वीप)	1	एसजीएस इंडिया प्रा. लि., चेन्नई	मल्टीलैब, 1 / 509 ए, पुराना महाबलीपुरम रोड, सरकारी विद्यालय के विपरीत, थोराइपक्कम, चेन्नई–600096 टेलिफोन :+91-(44) 66693001 to 10 ईमेल : agrilab.chennai@sgs.com
	2	स्टर्लिंग टेस्ट हाउस, कोच्चीन	उच्चीकल लेन, पुनिथुरा पोस्ट, कोच्चीन–682038 टेलिफोन :91-484-2306598, 2301582 ई–मेल: sterlingtesthouse@asianetindia.com
	3	सरगम प्रयोगशाला प्रा. लि., चेन्नई	2, रामावरम रोड, मनपक्कम, चेन्नई–600089, टेलिफोन: 044 – 2249 1117 / 6736 / 2069, फैक्स: 044 – 2249 1651 ई–मेल: enquiry@sargamlabs.com
	4.	विमता, हैदराबाद	लाइफ साइंसेज फैसिलिटी, 5, अलेक्जेड्रिया नालेज पार्क, जिनोम वैली, हैदराबाद– 500078 टेलिफोन : 91-40-67404040 ई–मेल : vimtahq@vimta.com
	5.	एफसी लैब, चेन्नई	छठा तल, सीएमडीए, टॉवर–2, गांधी इरविन रोड़, ईगमोर, चेन्नई – 600008
	6.	एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, कोच्चीन	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, 27 1767 ए, शिपयार्ड क्वार्टर रोड, पनमपिलि नगर, कोच्चीन–682036 ई–मेल :kochilab@eicindia.gov.in टेलिफोन: 0484-2316945, 2316946,2316949
	7.	क्वालिटी इवैल्युएशन लेबोरेटरी, कोच्चीन	स्पाइस बोर्ड सुगंधा भवन बाईपास, पी वी सं 2277, पलारिवत्तम, कोच्चीन–682025.
	8	नेशनल कोलेटरल हैदराबाद	4–7–18 /6बी, राघवेन्द्र नगर, नच्चाराम, हैदराबाद–500076 टेलिफोन : 040-44858686 ई–मेल : quality @ncmsl.com

fssai

	9.	भगवती अन्ना लैब्स लि.	प्लाट न. 7–2–सी7 और 8 /एफ, औद्योगिक स्टेट, सनथनगर, हैदराबाद–500018 टेलिफोन: + 91-40-2381 1535/1545/0505 ई–मेल :ballcentrallab@gmail.com
	10	इंटरफील्ड लेबोरेटरिज, कोच्चीन	XIII/1208 इंटरप्रिंट हाउस, करुवेलिपड्डी, कोच्ची, 682005 0484-2210915,0484-2212465 analysis@iflab.in mail@interfieldlaboratories.com
	11	एसजीएस कोच्चीन	एस्पिन वाल बिल्डिंग, सुब्रमनियन रोड, कोच्चीन–682003 टेलिफोन :0484-2668913,2668914 ई–मेल: Baby.UmaMaheswaran@sgs.com
पश्चिमी क्षेत्र (गुजरात, महाराष्ट्र, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं द्वीप, गोवा, मध्य प्रदेश)	12	रिलायबल एनालिटिकल लैब प्रा. लिं., मुम्बई	रिलायबल हाउस, 125, इंडियन कोर्पोरेशन काम्प्लेक्स, मनकोली, भिवांडी, थाने–421302, महारा ट्र टेलिफोन : 91-02522-398100 ई–मेल : meenal@reliablelabs.org
	13	एनवारोकेयर लेबोरेटरिज प्रा. लि., मुम्बई	ए–7, एमआईडीसी, वाग्ले इंडस्ट्रियल स्टेट, मेन रोड, थाने–400604 टेलिफोन: +91-22-25838286, 87, 88 ई–मेल : info@envirocare.co.in
	14	माइक्रो केम, मुम्बई	माइक्रो केम हाउस, ए–513, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, एमआईडीसी, महावे नवी, मुम्बई–400701 ई–मेल: deepa@microchem.co.in टेलिफैक्स : 022-27787800
	15	अश्वमेघ इंजीनियर्स एवं कनसल्टेंट, नासिक	सर्वे सं–102, प्लाट सं.–26, वदाला पाथरडी रोड, इंदिरा नगर, नासिक–422009 टेलिफोन : 0253-2392225 ई–मेल : sales@ ashwamedh.net, ashwamedh_nashik@hotmail.com
	16	गुजरात लेबोरेटरिज, अहमदाबाद	F/17,माधवपुर मार्केट, साहीबाग, अहमदाबाद–380004
	17	आरसीए लेबोरेटरिज, मुम्बई	(डा. अमीन कंट्रोलर्स प्रा. लि. का एक प्रभाग)501/502, , मिलन औद्योगिक इस्टेट, अभ्युदय नगर, कॉटन ग्रीन, ऑफ टी जे रोड, मुम्बई–400033 टेलिफोन: 24706275, 65247404/09, ई–मेल:laboratory@rcaindia.com, drmore@rcaindia.com

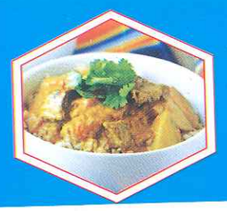
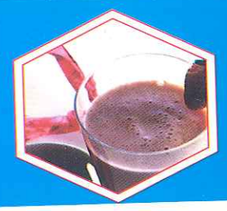
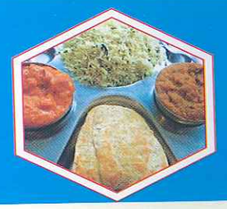

	18	आईएडीएफएसी लेबोरेटरिज प्रा. लि., बंगलोर	1431, पहली मंजिल, कैफे कॉफी डे, 22 क्रॉस, 22 मेन, बनसंकरी दूसरा चरण, बंगलोर–560070
	19	जियो केम, मुम्बई	प्रगति, क्रोम्प्टन ग्रीव्स के समीप, कंजुरमार्ग (ई), मुम्बई
	20	मार्क लैब प्रा. लि., पुणे	प्लाट सं. 1 एवं 2, द्वार सं. 27, नांदेड फटा, सिंघाद रोड, पुणे. 411041 020-24395052,65213313 maarclab@vsnl.net maarc_lab@dataone.in
	21	एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल लैब, मुम्बई	पायलट टेस्ट हाउस, ई–3, एमआईडीसी, मोराल, अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई–400013 महाराष्ट्र
पूर्वक्षेत्र **(पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड)**	22	एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी लेबोरेटरी, कोलकाता	एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी लेबोरेटरी, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, 14–1बी, एजरा स्ट्रीट, कोलकाता
	23	कलकता युनिवर्सिटी, कोलकाता	रसायन प्रोद्योगिकी विभाग, 92, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड, कोलकाता–700009 **टेलिफोन:**033 23509937/ 8386/6387,Extn: 276 **ई–मेल :** mgchemtech@caluniv.ac. in
	24	राज्य सरकार, कोलकाता	पश्चिम बंगाल लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, 2 कॉन्वेंट मार्ग, कोलकाता–700009 **टेलिफोन :** 033 23295974/23299225 **फैक्स :** 033 23297289 **ई–मेल :** publichealth@bsnl.in
	25	मित्रा एस. के. प्रा. लिं., कोलकाता	स्राची केन्द्र (पांचवी मंजिल), 74बी, आचार्य जगदीश चंद्र बोस मार्ग, कोलकाता–700015 **टेलिफोन :** 033- 22172249, 22177484/85 **फैक्स** – 033-22650008 **ई–मेल** - infor@mitrask.com, mitrask@satyam.net.in

fssai

उत्तरी क्षेत्र **(दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मिर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा)**	26	टीयूवी एसयूडी, दिल्ली	सी-153/1, ओखला औद्योगिक इस्टेट, फेस–1, नई दिल्ली–1100020 **टेलिफोन :** 011 – 3088 9611 **मोबाइल:**09717124445 **ई–मेल:** info@tuv-sud.in
	27	एईएस लैब, नोयडा	बी -118, फेस -II, नोयडा – 201304 **टेलिफोन:** 0120-3047900 **फैक्स:** 3047914 **ई–मेल** :support@aeslabs.com
	28	पंजाब जैवप्रौद्योगिकी, मोहाली	एससीओ 7 और 8 (अंतिम मंजिल), फेस–5, एसएएस नगर, मोहाली– 160059, पंजाब **टेलिफोन:** +91-172-020895, 5020894, 5093595 **टेलिफैक्स :** +91-172-5020895 **ई–मेल :** pbti2005@yahoo.com
	29	दिल्ली टेस्ट हाउस, दिल्ली	ए–62/ 3, जी.टी. करनाल रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हंस सिनेमा के विपरित, आजादपुर, नई दिल्ली–110033 **टेलिफोन :** 011-47075555 **ई–मेल :** info@delhitesthouse.com
	30	फेयर लैब्स प्रा. लिं., गुड़गांव	पी–94, सेक्टर–30, गुड़गांव–122002, **टेलिफोन :** +91-124-4223207-08, 4034205 **फैक्स :** +91-124-4036038 **ई–मेल :**farelabs@farelabs.com
	31	एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव	267, उद्योग विहार, फेज–4, गुड़गांव–122015 **टेलिफोन:** 0124-6776070, 09871995085, **फैक्स:** 2399765
	32	श्री राम इंस्टिट्युट, दिल्ली	श्री राम इंस्टिट्युट फार इंडस्ट्रियल रिसर्च, 19 विश्वविद्यालय रोड, दिल्ली–110007

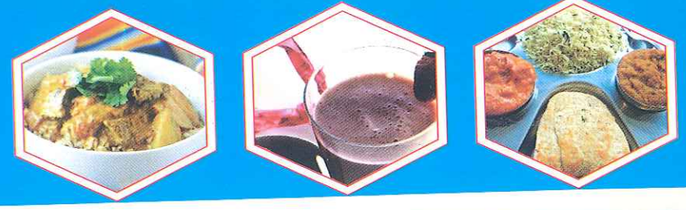

कोडेक्स मैटर

1. कोडेक्स

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कोडेक्स एलिमेंटारियस कमिशन के साथ संपर्क के लिए और देश में विविध कोडेक्स गतिविधियों के संयोजन के लिए नेशनल कोडेक्स कान्टेक्ट प्वाइंट है।

कोडेक्स बैठक में भागीदारी:

वर्ष 2011–12 के दौरान, अन्य मंत्रालयों /विभागों के साथ कोडेक्स के काम में शामिल एफएसएसएआई ने निम्नांकित कोडेक्स कमिटी की बैठकों में भाग लिया है:

- खाद्य पदार्थों की लेबलिंग पर कोडेक्स समिति का 39 वां सत्र (सीसीएफएल), 9–13 मई, 2011
- कोडेक्स एलिमेंटारियस आयोग का 34वां सत्र (सीएसी), 4–9 जुलाई, 2011
- खाद्य आयात और निर्यात निरीक्षण और प्रमाणीकरण प्रणाली पर कोडेक्स समिति का 19वां सत्र (सीसीएफआईसीएस), 17–21 अक्तूबर 2011
- विशेष आहार उपयोग के लिए पो ाण और खाद्य पर कोडेक्स समिति का 33 वां सत्र (सीसीएनएफएसडीय) 14–18 नवम्बर 2011
- खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स समिति का 43 वां सत्र (सीसीएफएच)5–9 दिसम्बर 2011
- फूड एडिटिव पर कोडेक्स समिति का 44वां सत्र (सीसीएफए), 12–16 मार्च, 2012

दो भौतिक कार्य समूहों में भागीदारी (पीडब्ल्युजी) :

एफएसएसएआई ने दो पीडब्ल्युजी में भी भाग लिया– पोषण सामग्री दावों के लिए अतिरिक्त शर्तों पर चर्चा पेपर और सीसीएफएल के 39वें सत्र के लिए पोषण और स्वास्थ्य दावों के उपयोग के लिए दिशानिर्देश में तुलनात्मक दावे और सीसीएफआईसीएस के 19वें सत्र के लिए पो ाण खाद्य नियंत्रण प्रणाली के लिए प्रस्तावित मसौदा सिद्धान्त और दिशानिर्देश।

विविध इलेक्ट्रानिक कार्य समूह में एक सक्रिय भागीदारी रहा है (ईडब्ल्युजी) :

पो ाण एवं स्वास्थ्य दावा, रूपान्तरित मानकीकृत सामान्य नाम के इस्तेमाल, जैविक रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थों के उत्पादन, प्रसंस्करण, लेबलिंग और विपणन के लिए दिशानिर्देश में शामिल करने किए जाने वाले पदार्थों के लिए समीक्षा प्रस्ताव (सीएजीएल 32–1999) और अनिवार्य पो ाण लेबलिंग के लिए दिशानिर्देश में प्रस्तावित मसौदा संशोधन पर फूड लेबलिंग (2011) पर कोडेक्स समिति के इलेक्ट्रानिक कार्य समूह में भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

fssai

कोडेक्स एलिमेन्टारियस आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारतीय अधिकारी

कोडेक्स एलिमेन्टारियस आयोग के अध्यक्ष के पद के लिए भारत के प्रत्याशी के रूप में एफएसएसएआई ने वाणिज्य मंत्रालय के कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के निदेशक श्री एस. दवे को नामित किया। जुलाई 2011 में वह निर्विरोध चुने गए। यह पहली बार है कि कोई भारतीय कोडेक्स एलिमेन्टारियस समिति का अध्यक्ष बना।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण

एफएसएसएआई ने मालद्वीप के दो अधिकारियों और एफएसएसएआई के 10 अधिकारियों के लिए 25–29 अप्रैल 2011 के दौरान कोडेक्स और भारत में इसकी गतिविधियों पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया।

इन्फोसान

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी नेटवर्क (एन्फोसान–आईएनएफओएसएएन) में भारत से एफएसएसएआई एक फोकल बिन्दु है और खाद्य सुरक्षा से संबंधित घटनाओं के दौरान सूचना के तीव्र विनिमय को बढ़ावा देने, वैश्विक रूचि के महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा संबंधि मुद्दों पर सूचना साझेदारी, देशों के बीच साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देने और देशों को खाद्य सुरझा जोखिम के प्रबंधन की क्षमता को सुदृढ़ करने में मदद देने के लिए इसने इन्फोसान की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

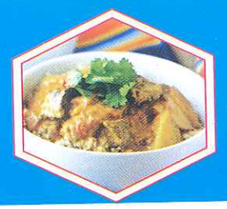
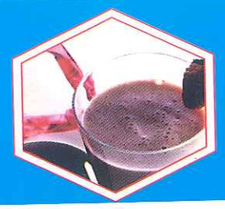

आयातित भोजन की सुरक्षा

वैश्विकरण, बढ़ती आय, बढ़ती आकांक्षाएं, संगठित खुदरा व्यापार का विकास, बदलती जीवन शैली एवं खाने की आदतों ने घरेलू उपभोक्ताओं के बीच मिश्रित भोजन पदार्थों की मांग को बढ़ाया है। इसलिए, भारत में खाद्य पदार्थों की आयात में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में, खाद्य आयात के नियमन के लिए और नियंत्रण के उपायों की आवश्यकता है क्योंकि आयात से लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अनुभाग 25 के अनुसार, सभी खाद्य सामग्री का आयात अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है। यह इस बात का प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम और नियमन के विरुद्ध भारत में किसी भी खाद्य सामग्री का आयात नहीं करेगा। इसके अनुसार केन्द्र सरकार विदेश व्यापार (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के अंतर्गत खाद्य सामग्री के आयात को प्रतिबंधित, सीमित या नियमित करते समय इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और नियमन के अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए मानकों का अनुपालन करेगा। साथ ही, एफएसएस अधिनियम, 2006 के अनुभाग 47 (5) के अनुसार, आयातीत खाद्य सामग्री के मामले में खाद्य प्राधिकरण का अधिकृत अधिकारी इसका नमूना लेगा और किसी अधिसूचित प्रयोगशाला के खाद्य विश्लेषक को विश्लेषण के लिए भेजेगा जो कि अधिकृत अधिकारी को पांच दिनों के अंदर रिपोर्ट देगा।

तद्नुसार, इस अधिनियम के अंदर, एफएसएसएआई के पास देश में आयातित खाद्य सामग्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का स्पष्ट आदेश है। इस परिप्रेक्ष्य में, एफएसएसएआई ने एफएसएस अधिनियम, 2006 के अनुभाग 47(5) के संदर्भ में अधिकृत अधिकारी की नियुक्ति के माध्यम से अगस्त–सितम्बर 2010 से एक चरणबद्ध तरीके में खाद्य आयातित क्लियरेंस सिस्टम (एफआईसीएस) का दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई एवं कोलकाता पोर्ट (समुद्र, वायु और भू सहित) के 10 प्रवेश पोर्ट में सफलतापूर्वक संचालन किया है। आगे एफएसएसएआई अतिरिक्त प्रवेश बंदरगाहों को संचालित करने की प्रक्रिया में है। इकट्ठा किए गए नमूनों और जारी एनओसी की संख्या को तालिका 1 में नीचे दिया गया है और ग्राफ–1 में चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है–

fssai

तालिका 1–लिए गए नमूने एवं जारी एनओसी के आंकड़े (अप्रैल 2011–मार्च 2012)

बंदरगाह का नाम	लिए गए नमूनों की संख्या	जारी एनओसी की संख्या
कोलकाता बंदरगाह, हवाई अड्डा एवं हल्दिया बंदरगाह	1985	2026 **
चेन्नई बंदरगाह एवं हवाई अड्डा	13005	12988
दिल्ली हवाई अड्डा एवं अन्य आईसीडी	650	579
मुम्बई बंदरगाह, हवाई अड्डा एवं जेएनपीटी पोर्ट	35488	34824

" जारी एनओसी की संख्या लिए गए नमूनों से ज्यादा हो सकती है क्योंकि 01.04.2011 से पहले की अवधि के लिए भी एनओसी उसमें हो सकता है।

ग्राफ 1– लिए गए नमूने एवं जारी एनओसी (अप्रैल 2011 –मार्च 2012)

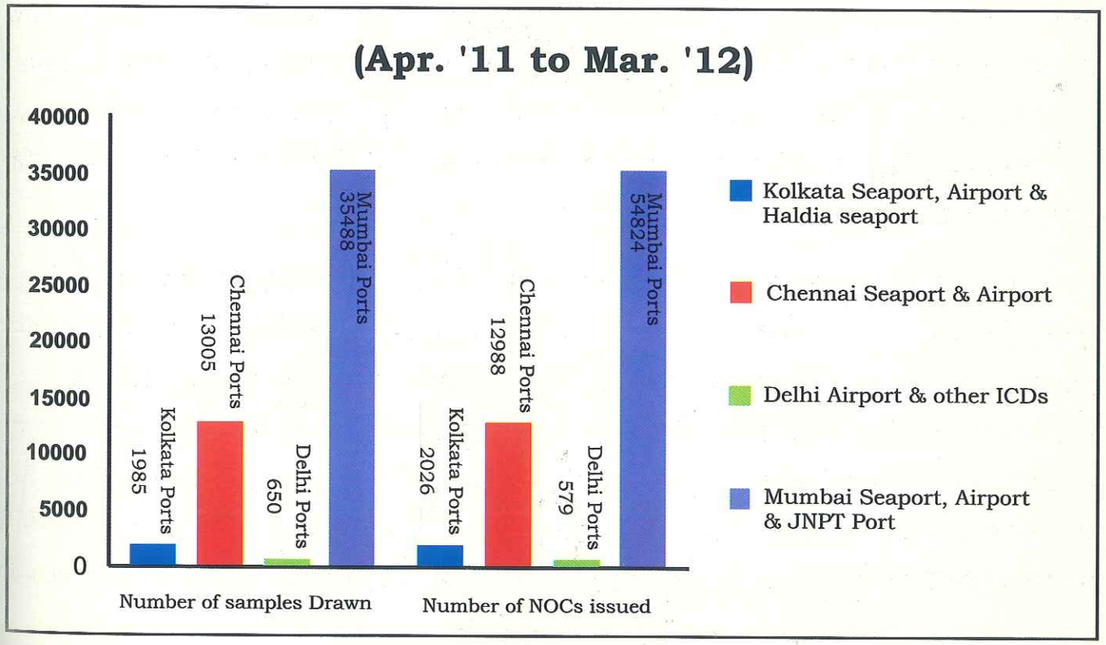

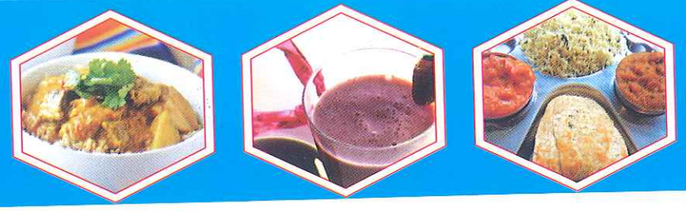

2011–2012 के दौरान एफएसएसएआई द्वारा तैनाती वाले पोर्ट्स के माध्यम से आयातित खाद्य सामग्रियों को मात्रा और उत्पाद प्रकार के संदर्भ में नीचे दिए गए ग्राफ 2 से 5 में दिखाया गया है–

ग्राफ 2– आयात और आयात वितरण की मात्रा –मुम्बई पोर्ट के लिए उत्पाद प्रकार

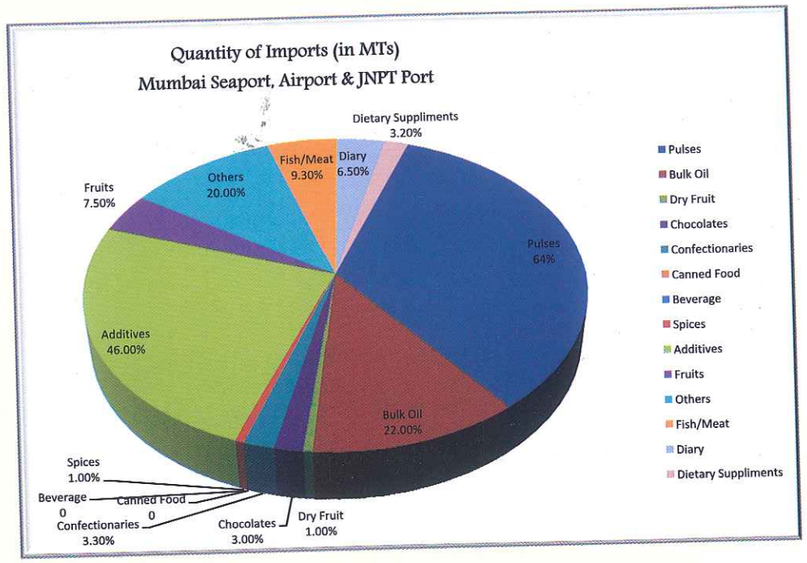

ग्राफ 2(ए)

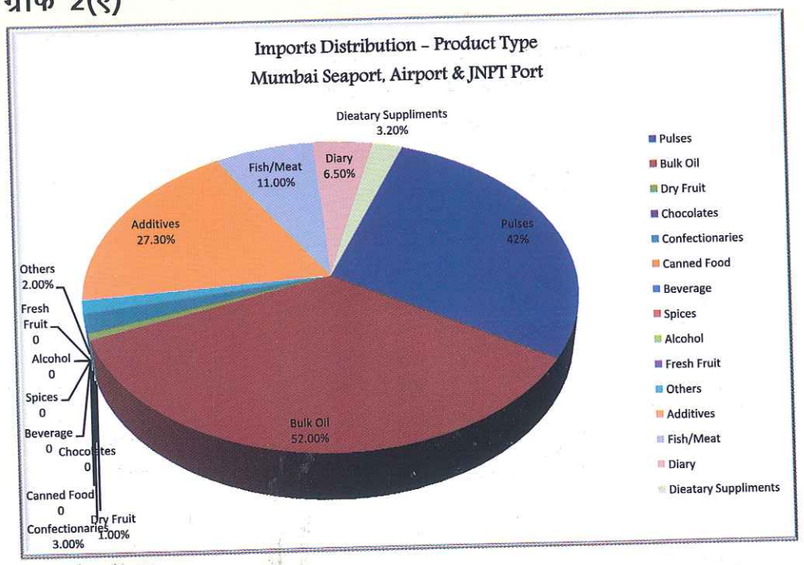

ग्राफ 2 (बी)

fssai

ग्राफ 3– आयात और आयात वितरण की मात्रा–चेन्नई पोर्ट के लिए उत्पाद प्रकार

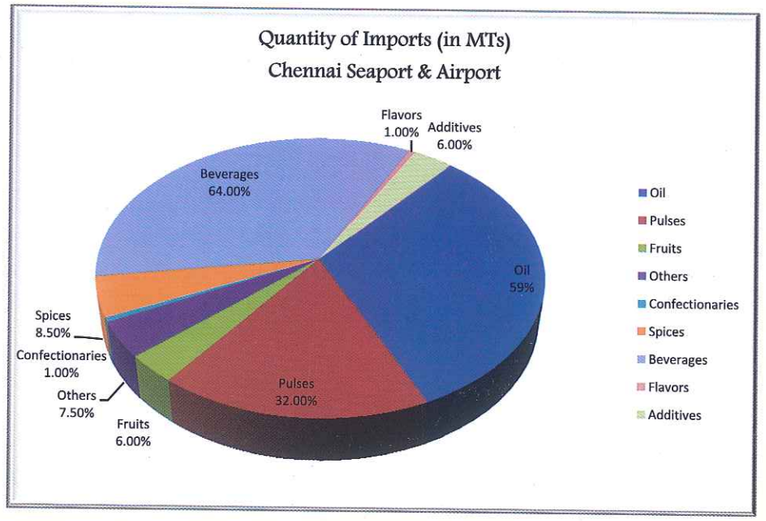

ग्राफ 3 (ए)

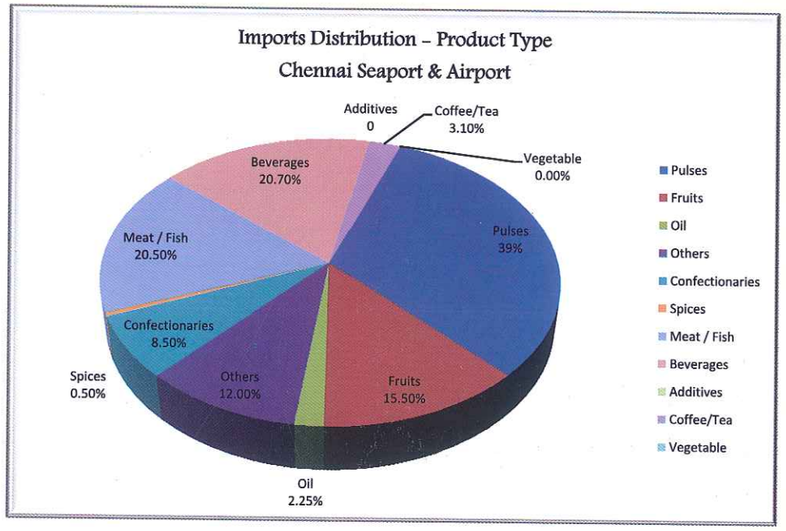

ग्राफ 3 (बी)

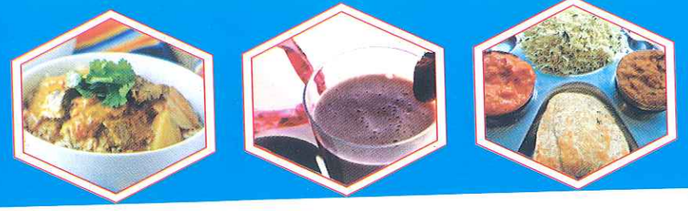

ग्राफ 4– आयात और आयात वितरण की मात्रा –नई दिल्ली पोर्ट के लिए उत्पाद प्रकार

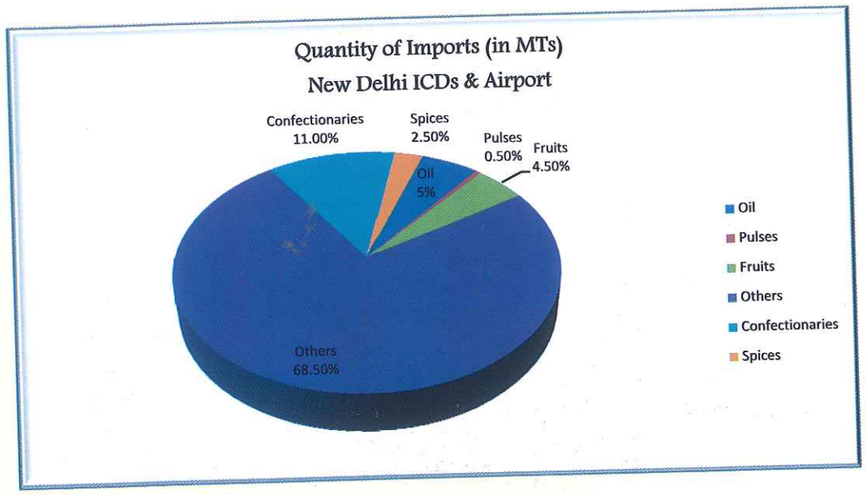

ग्राफ 4(ए)

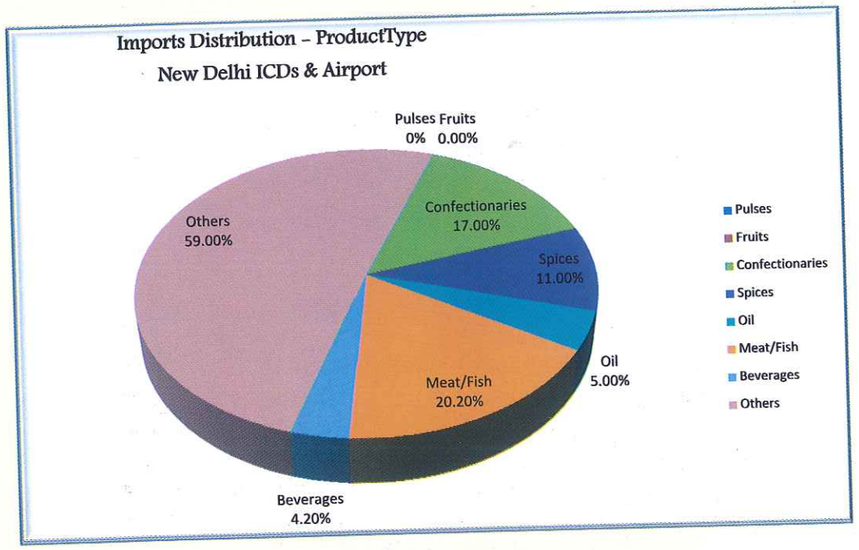

ग्राफ 4(बी)

fssai

ग्राफ 5– आयात और आयात वितरण की मात्रा –कोलकाता पोर्ट के लिए उत्पाद प्रकार

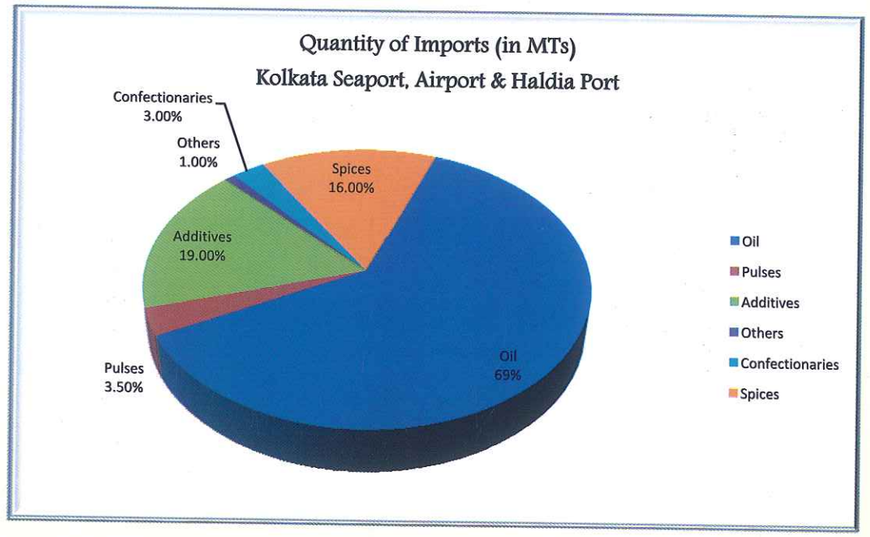

ग्राफ 5(ए)

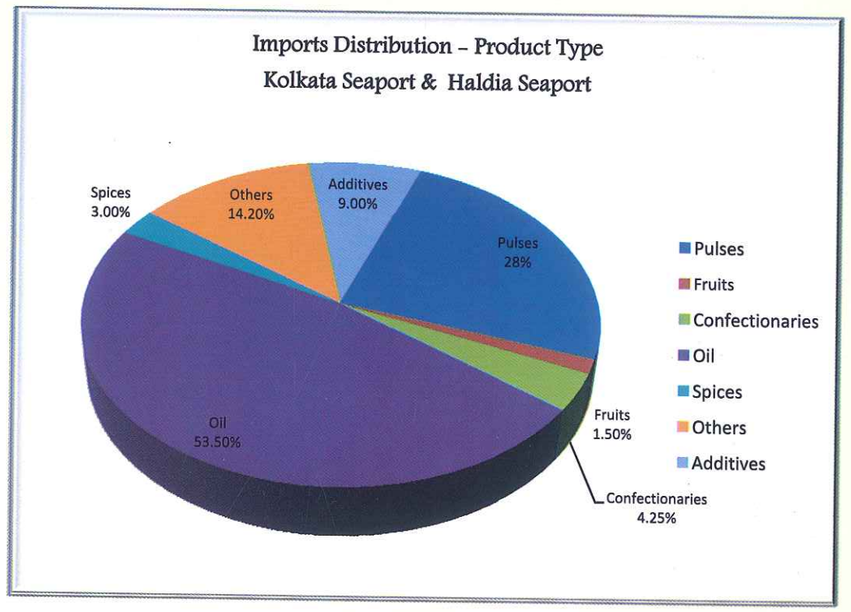

ग्राफ 5(बी)

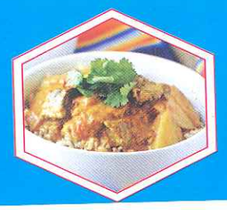

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष खाद्य संरक्षा आयुक्तों (एफएससी'ज), निर्णायक अधिकारियों (एओ'ज), पदनामित अधिकारियों (पदनामित अधिकारियों) के लिए कई अभिविन्यास/प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं/सेमिनार इत्यादि संचालित किए गए हैं।

प्रमुख पहलें:

प्रशिक्षण कार्यक्रम

(i) खाद्य संरक्षा आयुक्तों (एफएससी'ज) के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम 23–25 मई, 2011 के दौरान फरीदाबाद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली में ।

(ii) पदनामित अधिकारियों के लिए कई अभिविन्यास कार्यक्रम

क्र. सं.	तिथियां	स्थान
1	23–08–2011 से 27–08–2011 तक	बेंगलुरू
2	05–09–2011 से 09–09–2011 तक	नोएडा
3	13–09–2011 से 16–09–2011 तक	गुवाहाटी
4	15–11–2011 से 18–11–2011 तक	गुजरात
5	21–02–2012 से 25–02–2012 तक	चेन्नई

(iii) निर्णायक अधिकारियों के लिए कई अभिविन्यास कार्यक्रम

क्र. सं.	तिथियां	स्थान
1	21–02–2012 से 23–02–2012 तक	चेन्नई

कार्यशालाएं तथा मेले

1. एफएसएसएआई द्वारा खाद्य संरक्षा क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता का आकलन/निर्धारण करने के लिए "खाद्य संरक्षा क्षेत्र में मानव संसाधन विकास हेतु शैक्षिक ढांचे का विकास" हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला 3 –4 नवम्बर, 2011 को एफएसएसएआई, एफडीए भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

2. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा भारतीय उद्योग व्यापार संघ (फिक्की) की सहायता से 14 दिसम्बर, 2011 को मुंबई में "खाद्य रिटेल चेन में संरक्षा तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुधार" पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य रिटेल चेन में खाद्य संरक्षा हेतु एक मजबूत नियामक तंत्र का विकास समर्थन था। इसके कार्यान्वयन के सुनिश्चयन के साथ खाद्य चेन के विभिन्न चरणों में खाद्य गुणवत्ता तथा संरक्षा सुधार और गुणवत्ता तथा संरक्षा अनुरक्षण रिटेलर की जिम्मेदारी होगी।

3. एफएसएसएआई ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 12 से 16 मार्च, 2012 तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य शो — "आहार" में भाग लिया। एफएसएसएआई द्वारा किसी अंतरराष्ट्रीय आयोजन में भाग लेने का यह पहला अवसर था। अल्प समय में एफएसएसएआई का यह प्रयास सराहनीय था। आयोजन में संचार और सहक्रिया के सभी स्वरूप मौजूद थे जैसेकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (खाद्य संरक्षा पर टीवी कॉमर्शियल्स का प्रदर्शन), प्रोत्साहन गतिविधियां (पुस्तिका, पर्चे तथा इश्तहार इत्यादि का वितरण)।

व्यवसायिक संस्थाओं के साथ सहलग्नता

क. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (आईजीएनओयू), गृहिणियों, युवा कन्याओं को कौशल प्रदान करने हेतु पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए।

ख. भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान (आईआईपीएच), हैदराबाद क्षमता निर्माण के लिए अर्थात खाद्य संरक्षा अधिकारी, राज्य नियामक स्टाफ, पदनामित अधिकारी, निर्णायक अधिकारी और खाद्य संचालकों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने के लिए।

ग. राष्ट्रीय पोषण संस्थान, (एनआईएन) हैदराबाद – आहार अनुपूरकों हेतु।

घ. भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) बेंगलुरू – खाद्य संरक्षा योजना हेतु।

ङ. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल – उत्कृष्टता केन्द्र।

च. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आणंद – उत्कृष्टता केन्द्र।

छ. निर्यात निरीक्षण परिषद –आयात खाद्य नमूनों का परीक्षण।

ज. भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) – प्रयोगशालाओं हेतु अंतराल अध्ययन।

झ. सीएफटीआरआई मैसूर – मांस मुद्दों हेतु मैसूर में नोडल प्रयोगशाला।

ञ. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) – मानकों के सामंजस्यीकरण हेतु एसपीएस उपायों के संदर्भ में सूचना विनिमय।

ट. भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) – मांस संबंधी मुद्दे।

fssai

सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी)

आईईसी गतिविधियां आवश्यकता आकलन, दृढ़ शैक्षिक सिद्धांतों और लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के एक स्पष्ट समुच्चय के उपयोग द्वारा आवधिक मूल्यांकन के आधार पर विकसित की गई हैं। इसका मूल उद्देश्य जागरूकता पैदा करना, एफएसएसएआई की दृश्यता वृद्धि और मूल्यवान सूचना के प्रसार हेतु कानून, विनियमों के बारे में शिक्षित करना करना और लक्ष्य वर्ग को जोड़ना तथा सशक्त बनाना है।

खाद्य संरक्षा पर विज्ञापन – पैन भारत

एफएसएसएआई ,द्वारा अपनी अंतिम स्वरूप में सूचीबद्ध एजेन्सियों के माध्यम से संचार की एक सरल कार्यनीति अपनाई गई तथा पूरे देश में बहुभाषीय विधा में प्रिंट मीडिया विज्ञापन जारी किया गया। एफएसएसएआई पर पर्चे तथा विवरणिका और उस तरह का साहित्य तैयार और वितरित किया गया।

प्रिंट मीडिया

जन अभियान, विज्ञापनलेख, वर्गीकृत विज्ञापन, कलैंडर, पुस्तिकाएं इत्यादि सहित समाचारपत्रों/आवधिक पत्रिकाओं/पत्रिकाओं में प्रकाशन में नवोन्मेषो का डिजाइन और विमोचन।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

टीवी स्पॉट्स

खाद्य संरक्षा तथा सामान्य स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर टीवी स्पॉट्स का डिजाइन व निर्माण किया गया तथा डीएवीपी के माध्यम से विभिन्न टीवी चैनलों में जारी किए गए।

एआईआर पर रेडियों जिंगल्स (पैन भारत)

ऐसे अंतिम रूप दिए गए रेडियों जिंगल्स एफएम गोल्ड तथा ऑल इंडिया रेडियो के चैनलों पर प्रसारित किए गए।

दूरदर्शन पर फीचर कार्यक्रम – "कल्याणी" ।

खाद्य संरक्षा पर "कल्याणी कार्यक्रम" की 30 मिनट की अवधि की 6 कड़ियां दूरदर्शन के 8 क्षेत्रीय केन्द्रों लखनऊ, भोपाल, जयपुर, रायपुर, रांची, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पटना से प्रसारित की गईं।

आउटडोर

बस शेल्टरों तथा रेलवे स्टेशनों पर होर्डिंग बैनरों इत्यादि के जरिये आउटडोर अभियान चलाए गए।

समाज के सभी वर्गों में जागरूकता पैदा करना तथा खाद्य संरक्षा हेतु लक्ष्य श्रोतावर्ग की पहचान संचार कार्यनीति का केन्द्रबिन्दु रहा है। तथापि, एक अधिक मुद्दा आधारित जागरूकता अभियान तैयार किया जा रहा है जैसेकि हम कौन हैं? हम क्या करते है? और हमारे ग्राहक कौन हैं?, जिसमें नए खाद्य संरक्षा एवं मानक नियमों तथा विनियमों के बारे में जागरूकता और अधिनियम का सार, प्रक्रियाओं, मानकों, लेबलिंग, निगरानी तथा उत्पाद अनुमोदन प्रवर्तन के पहलू शामिल किए जाएंगे। नए खाद्य नियमों तथा विनियमों के बारे में सामान्य जागरूकता हेतु सुधार सूचनाएं। यह जागरूकता अभियान बहुभाषा तथा मल्टीमीडिया प्रारूप में होगा तथा इग्नू एनजीओ, मीडिया संसाधन व्यक्तियों की व्यापार संस्थाओं और उद्योग संघों इत्यादि को जोड़ा जाएगा।

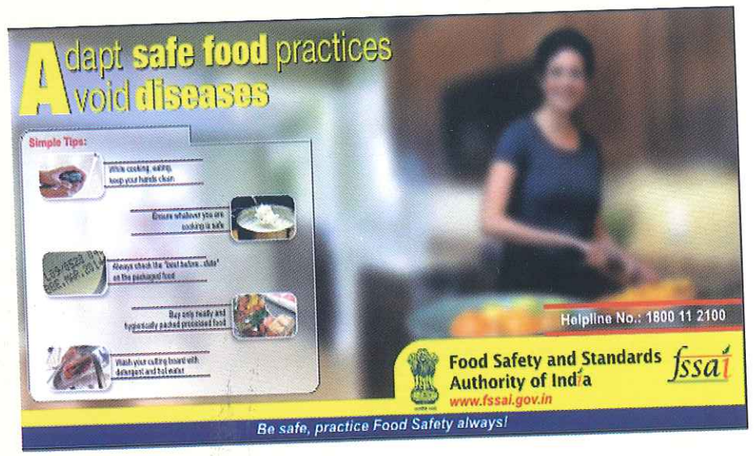

ई–शासन और पुस्तकालय

प्राधिकरण के सभी कार्य अब इलेक्ट्रॉनिक विधाओं में किए जा रहे हैं। एफपीओ और पीएफए से संबंधित पुराने अभिलेखों का अंकीयकरण, एनआईसी सेंटर में अनुरक्षित एनाआईसी डेटा सेंटर तथा सर्वर पर एफएसएसएआई वेबसाइट प्रदर्शित करना। एनआईसी परिसर में एफएसएसएआई डेटा रिकवरी सेंटर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एनआईसी टीम द्वारा सुरक्षा ऑडिट तथा ई–कार्यालय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

एनआईएसजी द्वारा आयातित खाद्य मंजूरी हेतु सॉफ्टवेयर सहायता अन्तःगृह अभिकरण मैसर्स लॉजिकसॉफ्ट प्रा0 लि0 के माध्यम से। केन्द्रीय लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर का डिजाइन और विकास विचाराधीन है तथा कार्य योग्य पाए जाने पर राज्यों से निवेश द्वारा पूर्ण किया जा सकता है।

पत्तनों, प्रयोगशाला सहित बंदरगाहों में सभी एफएसएसएआई कार्यालय आधुनिक कम्प्यूटरों तथा प्रिंटिंग/पुनरूत्पादन उपकरणों के साथ 100 प्रतिशत आईटी सक्षम हैं। एक बार पूरी तरह प्रचालनक्षम और प्रशिक्षित होने पर, सभी कर्मचारी ई–कार्यालय का उपयोग कर सकेंगे।

खाद्य संरक्षा आयुक्त प्रतिवेदन प्रणाली अन्तःगृह विरचित की गई है।

पुस्तकालय सेवाएं – एफएसएसआई पुस्तकालय एवं संसाधन केंद्र वर्ष 2008 में स्थापित किया गया जो खाद्य संरक्षा और संबद्व क्षेत्रों के संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है। पुस्तकालय में खाद्य सरंक्षा से संबंधित पुस्तकों, जरनलों, पत्रिकाओं, रिपोर्टों और सांविधिक सामग्री का समृद्व संग्रह है। पुस्तकालय स्वचालन प्रयोजनों के लिए पुस्तकालय 'पूर्ण आईटी समाधान' सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। पुस्तकों, और पुस्तकालय की अन्य पुस्तकालय सामग्रियों के अलावा पुस्तकालय प्राधिकरण के क्रियाकलापों से संबंधित विधानों, नजीरों और अधिसूचनाओं तक पहुंच के लिए 'मनुपत्र ऑन लाइन विधि डाटाबेस' में भी अभिदान करता है।

पुस्तकालय साहित्य खोज सेवाएं, संदर्भ सेवा, इंटरनेट आधारित पुस्तकालय और सूचना सेवाएं, अंतर–पुस्तकालय ऋण सेवाएं, वर्तमान जागरूकता सेवा और फोटो कॉपी सेवा प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, पुस्तकालय ने प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा यदा–कदा आवश्यकता पड़ने पर पुस्तकों तक पहुंच बनाने के लिए ब्रिटिश काउंसिल लाईब्रेरी, अमेरिकन सेंटर लाईब्रेरी तथा डेलनेट की वार्षिक सदस्यता ली है। प्राधिकरण के अधिकारियों के हित और उपयोग हेतु पुस्तकालय सेवा के भाग के रूप में 'नियम एवं विनियम' तथा 'परामर्श मुद्दों' पर संकलन तैयार किए गए हैं। पुस्तकालय और संसाधन केंद्र को प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य स्टाफ के लिए और अधिक अर्थपूर्ण बनाने हेतु 'वर्तमान विषय सूची' और 'वर्तमान अधिग्रहण' जैसे प्रकाशन भी नियमित आधार पर तैयार किए गए हैं।

आरटीआई मामले

निम्नलिखित विवरण में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में प्राप्त आरटीआई अनुरोधों के संबंध में तथ्य दर्शाए गए हैं :

	01–04–11 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त (अन्य लोक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामलों सहित)	अन्य लोक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जहां अनुरोध/अपील अस्वीकार की गई	निर्णय जहां अनुरोध/अपील स्वीकार की गई
अनुरोध	0	362	09	17	शून्य
प्रथम अपील	शून्य	15	शून्य	15	शून्य

ऐसे मामलों की संख्या जहां किसी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई	शून्य

पदनामित सीएपीआईओ'ज की संख्या	पदनामित सीपीआईओ'ज की संख्या	पदनामित एए'ज की संख्या
शून्य	24	5

ऐसे अवसरों की सख्या जब अनुरोध अस्वीकार करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का आश्रय लिया गया													
आरटीआई अधिनियम, 2005 की प्रासंगिक धाराएं													
धारा 8 (1)										धाराएं			
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	(9)	(11)	(24)	अन्य
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

वसूल किए गए प्रभारों की राशि (रूपयों में)		
पंजीकरण शुल्क राशि	अतिरिक्त शुल्क एवं कोई अन्य प्रभार	दंड राशि
रू. 1590/–	रू. 2376/–	शून्य

अनुकूल प्रकटीकरण पीए की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की अंतिम तिथि	23.08.2012

वित्तीय विवरण

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
वित्तीय वर्ष 2011–2012

विषय सामग्री

बैलेंस शीट
आय एवं व्यय लेखा
उपर्युक्त वित्तीय वक्तव्य की अनुसूची
प्राप्ति एवं भुगतान का वक्तव्य
लेखा की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

31–03–2012 को बैलेंस शीट

(राशि रु.)

संचित / पूंजी निधि और देनदारियां	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
संचित /पूंजी निधि	1	87,111,775	59,302,240
आरक्षित और अधिरक्षण	2	–	–
चिह्नित और दान निधि	3	24,750,497	–
सुरक्षित ऋण और उधार	4	–	–
असुरक्षित ऋण और उधार	5	–	–
विलम्बित ऋण दायित्व	6		
वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान	7	52,964,694	11,046,809
कुल		164,826,966	70,349,049
संपत्ति			
अचल संपत्ति	8	24,750,497	14,520.205
निवेष–चिह्नित/ दान निधि से	9	–	–
निवेष –अन्य	10	–	–
वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	11	140,076,469	55,828,844
विविध व्यय (जो लिखा नहीं गया या समायोजित नहीं किया गया)		–	–
कुल		164,826,966	70,349,049
महत्वपूर्ण लेखा नितियां	26		
आकस्मिक दायित्व और लेखा पर नोट्स	27		

मुख्य कार्यकारी अधिकारी निदेशक (ई) उप निदेशक (वित्त एवं लेखा) सहायक लेखा अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः

fssai

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

31–03–2012 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा

(राशि रु.)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
सेवाओं से आय	12	28,002,647	5,419,065
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदान / सब्सिडी	13	357,827,895	323,700,000
शुल्क /अंशदान	14	–	–
निवेष से आय (निवेष पर, चिह्नित दान, फंड में हस्तान्तरित निधि से आय)	15	–	–
राजस्व, प्रकाशन आदि से आय	16	–	–
अर्जित ब्याज	17	3,172,140	990,147
अन्य आय	18	110,113	787,037
परि कृत सामान के स्टाक में बढ़ोतरी /कमी और जारी कार्य	19	–	–
कुल (ए)		389,112,795	330,896,249
व्यय			
प्रति ठापन व्यय	20	109,896,439	83,677,855
प्रशासनिक व्यय आदि	21	211,581,694	240,366,249
मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय	22	19,304,922	12,114,208
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	23	6,000,000	9,000,000
अवमूल्यन	24	–	3,590,998
ब्याज	25	–	15,633
कुल(बी)		346,783,055	348,764,943
व्यय के उपर आय से अधिक शेष (ए–बी)		42,329,740	(17,868,694)
विशेष रिजर्व का स्थानान्तरण		–	–
सामान्य रिजर्व से को स्थानान्तरण		–	–
संचित पूंजी निधि में डाला गया शेष अधिक कमी		42,329,740	(17,868,694)
महत्वपूर्ण लेखा नितियां	26		
आकस्मिक दायित्व और लेखा पर नोट्स	27		

मुख्य कार्यकारी अधिकारी निदेशक (ई) उप निदेशक (वित्त एवं लेखा) सहायक लेखा अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली

तिथिः

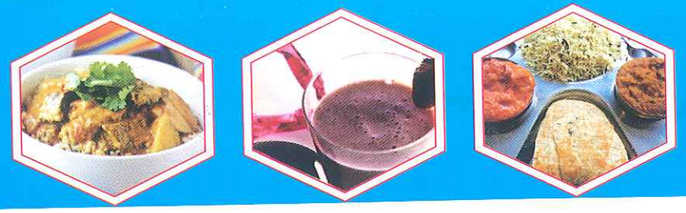

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31–03–2012 को बैलेंस शीट का अनुसूची बनाने वाला भाग

(राशि रु.)

अनुसूची 1– संचित/ पूंजी निधि–	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
साल के शुरु में शेष	59,302,240	77,170,934
जोड़ें–संचित /पूंजी निधि में योगदान		
जोड़ें(घटाएं).शुद्ध आय /(व्यय) स्थानान्तरित आय और व्यय लेखा	42,329,740	
कम करें–अचल संपत्ति निधि को स्थानान्तरित राषि	(14,520,205)	(17,868,694)
साल के अंत में शेष	87,111,775	59,302,240
अनुसूची 2– रिजर्व और आधिक्य–	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1. पूंजी रिजर्व–	–	–
अंतिम लेखा के अनुसार	–	–
साल के दौरान जोड़	–	–
कटौती–साल के दौरान कटौती		–
2. पुर्नमूल्यांकन रिजर्व	–	–
अंतिम लेखा के अनुसार	–	–
साल के दौरान जोड़		
कटौती–साल के दौरान कटौती	–	–
3. विशेष रिजर्व	–	–
अंतिम लेखा के अनुसार	–	–
साल के दौरान जोड़		
कटौती–साल के दौरान कटौती	–	–
4. सामान्य रिजर्व	–	–
अंतिम लेखा के अनुसार	–	–
साल के दौरान जोड़		
कटौती–साल के दौरान कटौती		
कुल	–	–

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31–03–2012 को बैलेंस शीट का अनुसूची बनाने वाला भाग

(राशि रु.)

अनुसूची 3– चिह्नित /दान निधि		
ए) निधि का आरंभिक शेष	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
बी) निधि में योग	अचल संपत्ति निधि	अचल संपत्ति निधि
1. दान /अनुदान	–	–
2. निधि के खाते पर बनाया गया निवेष से आय		
3. अन्य योग (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	–	–
अ) पूंजी व्यय–योजना	–	–
ब) पूंजी व्यय–गैर–योजना	14,256,916	
स) उपहार में दी गई पूंजी	–	–
फ)जीपीएफ लेखा में डाला गया ब्याज	–	–
ज) अग्रिम का पुनर्भुगतान	–	–
4. जमा रिजर्व	–	–
5. संचित निधि से स्थानान्तरण	–	–
कुल (बी)	14,520,205	–
कुल (ए + बी)	28,777,121	–
सी) निधि के उद्देष्य के प्रति उपयोग /व्यय		
1. पूंजी व्यय	–	–
–अचल संपत्ति	–	–
–अन्य	–	–
–सेवा में नही उपयोग किए जाने वाले पदार्थों का निपटारा	–	–
–साल के दौरान अवमूल्यन	4,026,624	–
कुल	4,026,624	
2) राजस्व व्यय		–
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	–	–
–किराया	–	–
–अन्य प्रशासनिक व्यय	–	–
–स्टाफ को अग्रिम	–	–
–स्टाफ और कलाकारों को अंतिम भुगतान	–	–
–दावा नहीं किए गए शेष में स्थानान्तरण	–	–
–स्टाफ की अंतिम वापसी	–	–
कुल	–	–
	–	–
कुल (सी)	4,026,624	–
साल के अंत में शुद्ध शेष (ए +बी+ सी)	24,750,497	–

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31–03–2012 को बैलेंस शीट का अनुसूची बनाने वाला भाग

(राशि रु.)

अनुसूची 4– सुरक्षित ऋण और उधार	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्त संस्थान		
(अ) अवधि ऋण		
(ब) अर्जित ब्याज और उधार		
4. बैंक		
(अ) अवधि जमा		
–अर्जित ब्याज और ऋण		
ब) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
–अर्जित ब्याज और उधार		
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		
6. डिबेन्चर और बॉन्ड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31–03–2012 को बैलेंस शीट का अनुसूची बनाने वाला भाग

(राशि रु.)

अनुसूची 5– असुरक्षित ऋण और उधार	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्त संस्थाने		
(अ) अवधि ऋण		
(ब) अर्जित ब्याज और उधार		
4. बैंक		
(अ) अवधि जमा		
ब) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		
6. डिबेन्चर और बान्ड		
7. सावधि जमा		
8. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 6 विलंबित ऋण दायित्व–	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
ए) पूंजी उपकरण और अन्य संपत्तियो का गिरवी द्वारा स्वीकृति		
बी) अन्य		
कुल		

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31–03–2012 को बैलेंस शीट का अनुसूची बनाने का भाग

(राशि रु.)

अनुसूची 7– वर्तमान दायित्व और प्रावधान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
ए) वर्तमान दायित्व		
1. स्वीकृति		
2. विविध लेनदार		
(ए) सामान/ सेवाओं के लिए (अनुसूची 7.1 के अनुसार)	23,326,288	6,073,150
(ब) अन्य (अनुसूची 7.2 के अनुसार)	11,518,981	1,555,235
3. बयाना धन जमा	721,000	590,000
4. उपार्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं–		
(अ) सुरक्षित ऋण उधार	–	
(ब) असुरक्षित ऋण उधार	1,300,350	1,300,350
5. सांविधिक दायित्व–	108,711	61,420
(अ) अतिदेय		
(ब) अन्य	426,676	525,703
6. अन्य वर्तमान दायित्व–	1,347,499	940,951
(अ) वेतन से कटौती		
(ब) पुराना चेक	14,215,189	
7. साल के अंत में अनुदान का खर्च नहीं हुआ शेष–		
(अ) साल के अंत में नहीं खर्च हो पाया अनुदान		
कुल (ए)	52,964,694	11,046,809
बी) प्रावधान		
1. कर के लिए		
2. ग्रैच्युटी		
3. अवकाष/ पेंषन		
4. जमा छुट्टी नकद भुगतान		
5. व्यापार वारंटी/ दावा		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल (बी)		
कुल (ए+ बी)	52,964,694	11,046,809

fssai

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31–03–2012 को बैलेंस सीट का अनुसूची बनाने का भाग

(राशि रु.)

अनुसूची 7.1–सामान सेवाओं के लिए विविध लेनदार	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
नेशनल इंस्टीट्युट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट	10,637,192	.
प्रसार भारती	4,507,253	.
निदेशक, सीसीडीयु, पीएचईडी, पश्चिम बंगाल सरकार	3,039,000	.
सत गुरु प्रबंधन कनसल्टेंट प्रा. लि.	1,755,160	1,214,056
अमरचंद मंगलदास	539,471	.
बी.वी.जी. भारत लि.	.	937,695
बेदी एवं बेदी	.	897,655
ट्रैक इन्फोविजन प्रा. लि.	508,000	508,000
बाल्मेर लॉरी कं लि.	500,000	500,000
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट इंजीनियरिंग विभाग, चेन्नई	392,845	.
नियो पोस्ट भारत	344,940	344,940
क्राउन कॉर्पोरेशन प्रा. लिं.	.	332,718
करम टैक्सी सर्विसेज	286,875	286,875
नेशनल कॉपरेटिव कंज्यूमर फेडेरेसन	189,840	189,840
सेन्ट्रल पीडब्ल्युडी	169,812	169,812
विविध लैंडस्केप एवं कन्सल्टेंट प्रा. लिं.	116,350	116,350
इम्प्रेशन डिस्ट्रिब्यूटिंग कं	103,000	103,000
इंद्रा डी नारायण एवं कं	.	80,409
एचसीएल इनफोसिस्टम लिं.	.	76,538
रिको इंडिया लि.	74,510	74,510
कंटीनेन्टल कैटरर्स एवं कन्फेक्शनर्स	58,515	58,515
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम	.	47,484
सेन्ट्रल न्यूज एजेंसी प्रा. लिं.	15,500	32,243
तन्नु ट्रांसपोर्ट एवं ट्रैवल	29,431	29,431
स्वास्तिक कंपनी	23,435	23,435
आईएसएस हाईकेयर प्रा. लिं.	22,699	22,699
इंटीग्रेटेड स्ट्रैट्जिक प्रोजेक्ट	10,805	.
क्रेसेंट स्टेशनर	.	14,680
बेल्टेक कनाडियन वाटर लि.	.	10,430
विद्युत इंजीनियरिंग	1,655	1,655
वेब क्राफ्ट इंडिया	.	180
कुल	**23,326,238**	**6,073,150**

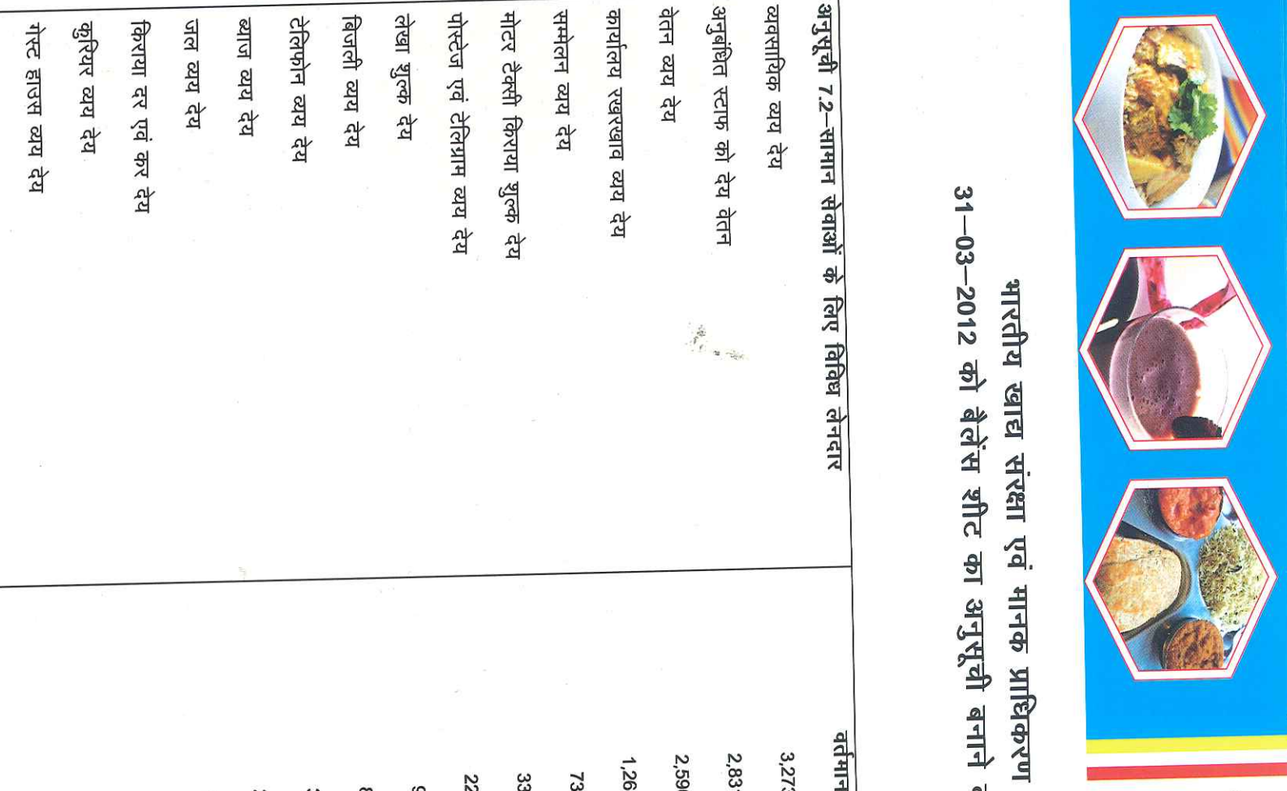

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31–03–2012 को बैलेंस शीट का अनुसूची बनाने का भाग

(राशि रु.)

अनुसूची 7.2–सामान सेवाओं के लिए विविध लेनदार	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
व्यवसायिक व्यय देय	3,273,934	.
अनुबंधित स्टाफ को देय वेतन	2,831,371	.
वेतन व्यय देय	2,596,274	73,911
कार्यालय रखरखाव व्यय देय	1,264,861	.
सम्मेलन व्यय देय	739,830	1,088,790
मोटर टैक्सी किराया शुल्क देय	332,765	.
पोस्टेज एवं टेलिग्राम व्यय देय	229,128	.
लेखा शुल्क देय	90,000	.
बिजली व्यय देय	88,760	.
टेलिफोन व्यय देय	35,049	32,634
ब्याज व्यय देय	20,569	20,569
जल व्यय देय	10,500	.
किराया दर एवं कर देय	5,940	.
कुरियर व्यय देय	.	15,000
गेस्ट हाउस व्यय देय	.	11,700
प्रशिक्षण व्यय देय	.	182,094
सुरक्षा व्यय देय	.	130,537
कुल	11,518,981	1,555,235

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31–03–2012 को बैलेंस शीट का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची8–अचल संपत्ति		कुल संपत्तियां		अवमूल्यन						शुद्ध संपत्ति				
क्र. सं.	विवरण	विभागों का दर	वर्ष की शुरुआत में लागत मूल्यांकन	30.09.2011 तक योग	30.09.2011 तक योग	साल के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत मूल्यांकन	साल के शुरु में जैसा है	साल के दौरान आरंभिक सेस पर	साल के दौरान योग पर	साल के दौरान कटौती पर	साल के अंत तक कुल	वर्तमान साल के अंत तक	पिछले साल के अंत तक
ए.	जमीन–													
	ए) मुआफी जमीन	0%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ब) पट्टे पर	0%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बी	भवन													
	ए) मुआफी जमीन पर	0% 0%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ब) पट्टे की जमीन पर		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सी	संयत्र, मशीनरी एवं उपकरण			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	प्रयोगशाला उपकरण	15%	493,169	587,408	2,069,140	–	3,149,717	42,917	67,538	243,297	–	353,751	2,795,966	450,251
	पानी का पाइप	15%	1,235000	–	–	–	1,235,000	92,625	171,356	–	–	263,981	971,019	1,142,375
डी	वाहन–एम्बेसडर कार	15%	563,772	–	–	–	563,772	261,904	45,280	–	–	307,184	256,588	301,868
ई	फर्निचर एवं फिक्सर	10%	2,134,951	660,663	583,676	–	33,79,290	357,916	177,704	95,250	–	630,869	2,748,421	1,777,035
एफ	कार्यालय उपकरण													
	1)इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस मशीन	15%	80,608	–	–	–	80,608	15,662	9,742	–	–	25,404	55,204	64,946
	2)फोटोकॉपी मशीन	15%	1,860110	–	–	–	1,860,110	345,664	227,167	–	–	572,831	1,287,279	1,514,446
	3)रेफ्रिजरेटर	15%	116,095	64,765		–	180,860	15,657	15,066	9,715	–	40,437	140,423	100,438
	4)स्कैनिंग मशीन	15%	156,750	–	–	–	156,750	33,505	18,487	–	–	51,992	104,758	123,245
	5)वैक्युम क्लीनर	15%	7,790	–	–	–	7,790	2,162	844	–		3,006	4,784	5,628
	6)वीजीए स्वीचर एवं स्पलिटर	15%	39,600	11,240	–	–	50,840	7,202	4,860	1,686	–	13,748	37,092	32,398
	7)बीटल ट्वीन फोन	15%	7,228	3,703	–	–	10,931	2,618	692	555	–	3,865	7,066	4,610
	8मोबाईल फोन	15%	96,699	41,840	46,123	–	184,662	28,876	10,173	9,735	–	48,785	135,877	67,822
	9)तार रहित फोन	15%	8,476	–	–	–	8,476	3,291	778	–	–	4,068	4,408	5,185
	10)फैक्स मशीन	15%	214,810	15,120	–	–	229,930	49,000	24,871	2,268	–	76,140	153,790	165,810
	11)गिजर ए सी	15%	16,042	–	–	–	16,042	6,228	1,472	–	–	7,700	8,342	9,814
	12)माइक्रोवेव	15%	13,350	–	–	–	13,350	4,690	1,299	–	–	5,989	7,361	8,660
	13)ऑयल फिल्ड रेडियेटर	15%	25,365	–	–	–	25,365	8,443	2,538	–	–	10,982	14,383	16,992
	14)वोल्टेज स्टैबलाइजर	15%	25,950	–	–	–	25,950	8,265	2,653	–	–	10,917	15,033	17,685
	15)वाटर डिस्पेंसर	15%	20,500	–	–	–	20,500	4,098	2,460	–	–	6,558	13,942	16,401

	16)आडियो कॉनफ्रेंस सिस्टम	15%	1,051,812	–	–	–	1,051,812	350,127	105,253	–	–	455,379	596,433	701,685
	17)एलसीडी टीवी	15%	1,686,109	29,000	–	–	1,715,109	445,358	186,113	4,350	–	635,821	1,079,288	1,240,751
	18)प्लाज्मा टीवी	15%	2,568,875	–	–	–	2,568,875	884,753	252,618	–	–	1,137,371	1,431,504	1,684,122
	19)टाटा स्काई एवं ईपीआरएस सिस्टम	15%	29,495	–	–	–	29,495	8,345	3,172	–	–	11,518	17,977	21,150
	20)सएमेन हाई पाथ 1150 डिजीटल)एवं आप्टीप्वाइंट	15%	301,573	29,970	–	–	331,543	109,041	28,880	4,496	–	142,416	189,127	192,532
	21)स्पीकर	15%	14,350	–	–	–	14,350	3,982	1,555	–	–	5,537	8,813	10,367
	22)डिजीटल कैमरा	15%	83,050	–	–	–	83,050	14,945	10,216	–	–	25,161	57,889	68,105
	23)ऑफिस एप्लायंस	15%	25,363	38,164	–	–	63,527	5,421	2,991	5,725	–	14,137	49,390	19,942
	24)ब्लू रे डिस्क प्लेयर	15%	99,000	–	–	–	99,000	14,850	12,623	–	–	27,473	71,528	84,150
	25)एलसीडी प्रोजेक्टर	15%	162,000	–	–	–	162,000	24,300	20,665	–	–	44,955	117,045	137,700
	26)कुलर	15%	72,000	5,722	–	–	77,722	5,400	9,990	858	–	16,248	61,474	66,600
	27)फ्रैंकिंग मषीन	15%	344,940	–	–	–	344,940	25,871	47,860	–	–	73,731	271,208	319,069
	27)श्रेडर	15%	8,677	–	–	–	8,677	651	1,204	–	–	1,855	6,822	8,026
	28)वसिकुलर एवं डीप फ्रिजर	15%	68,000	107,437	–	–	175,437	5,100	9,435	16,116	–	30,651	144,786	62,900
	29)फोन	15%	3,600	–	1,995	–	5,595	3,600	–	150	–	3,750	1,845	अ
	30)डीवीडी राइटर	15%	4,239	–	–	–	4,239	4,239	–	–	–	4,239	–	–
	40)टाटा स्काई	15%	3,099	4,523	–	–	7,622	3,099	–	678	–	3,777	3,845	–
	41)टाटा वाकी वायरलेस फोन	15%	1,500	–	–	–	1,500	1,500	–	–	–	1,500	–	–
	42)वाल क्लॉक	15%	1,181	–	–	–	1,181	1,181	–	–	–	1,181	–	–
जी	कम्प्यूटर पेरिफेरल				–	–						–	–	–
	1)कम्प्यूटर	60%	5,766,892	193,768	130,514	460,230	5,630,944	3,734,481	943,309	155,415	138,065	4,695,139	935,804	1,572,181
	2)यूपीएस	15%	527,491	9,561	207,749	–	744,801	190,447	50,557	17,015	–	258,019	486,782	337,044
	3)प्रटर एवं स्कैनर	15%	1,849,356	91,561	–	–	1,940,917	924,632	138,709	13,734	–	1,077,075	863,842	924,724
	4)सस्को 2821 सिक्युरिटी बंडल	15%	171,306	–	–	–	171,306	36,617	20,204	–	–	56,820	114,486	134,691
जी	5)कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	60%	972,999	11,300	31,875	–	1,016,174	497,998	285,001	16,343	–	799,341	216,833	475,001
	6)लाइब्रेरी सॉफ्टवेयक सिस्टम	60%	228,800	–	–	–	228,800	164,736	38,438	–	–	203,174	25,626	64,064
	7)नेटवर्किंग उकरण	15%	352,570	–	–	–	352,570	50,616	45,293	–	–	95,909	256,661	301,955
	8)वेब कैम	15%	18,900	–	–	–	18,900	4,843	2,109	–	–	6,952	11,948	14,057
एच	लाइब्रेरी बुक्स	100%	887,861	89,365	445,851	–	1,423,077	634,010	253,851	312,291	–	1,200,151	222,926	253,851
	कुल (ए)		24,421,303	1,995,110	3,516,923	460,230	29,473,106	9,440,864	3,255,013	909,676	138,065	13,467,488	16,005,615	14,520,205
आई	पूंजी कार्य–कार्य प्रगति में		–	–	8,744,883	–	8,744,883	–	–	–	–	–	8,744,883	–
	कुल (बी)		–	–	8,744,883	–	8,744,883	–	–	–	–	–	8,744,883	–
	कुल योग		24,421,303	1,995,110	12,261,806	460,230	38,217,989	9,440,864	3,255,013	909,676	138,065	13,467,488	24,750,497	14,520,205
	पिछला व र्ा		15,301,226	3,256,768	5,863,309	–	24,421,303	5,389,639	1,796,098	2,255,127	–	9,440,864	14,520,205	9,451,357

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31–03–2012 को बैलेंस सीट का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची 9–निश्चित/दान फंड से निवेश	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूति में		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूति		
3. अंश		
4. डिबेंचर एवं बॉन्ड		
5. सब्सिडी एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (स्पष्ट करे)		
कुल		

अनुसूची 10–निवेश – अन्य	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूति में		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूति		
3. अंश		
4. डिबेंचर एवं बॉन्ड		
5. सब्सिडी एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (स्पष्ट करे)		
कुल		

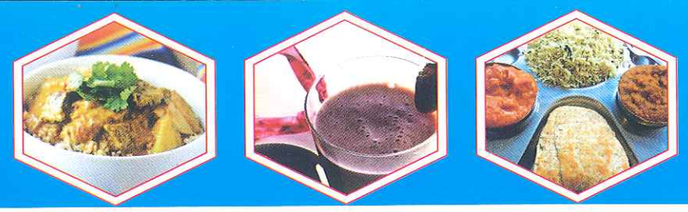

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31–03–2012 के तुलन पत्रक का अनुसूची निर्मित भाग

(राशि रू में)

अनुसूची 11 वर्तमान संपत्तियां, ऋण, अग्रिम राशि इत्यादि	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अ. वर्तमान संपत्तियां:		
1 सूची		
(अ) भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे	–	–
(ब) उपकरण	–	–
(स) विक्रय स्टॉक		
परिष्कृत वस्तुएं	–	–
कार्य प्रगति पर है	–	–
कच्चा माल	–	–
2 विविध देनदार		
(अ) छह माह से अधिक अवधि पर बकाया ऋण	–	–
(ब) अन्य	–	–
	10,000	10,000
3 शेष रोकड (चैक/ ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)		–
4 बैंक शेष		
(अ) सूचीगत बैंक के साथः	–	–
– चालू खाते पर	–	–
– जमा खाते पर	5,313,810	–
– लैब बचत खाते पर	53,699,013	25,599,749
– बचत खाते पर		
(ब) गैर–सूचीगत बैंक के साथ		
– चालू खाते पर	–	–
– जमा खाते पर	–	–
– बचत खाते पर	–	–
5 पोस्ट–ऑफिस बचत खाता		–
कुल राशि	59,022,823	25,609,749

fssai

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31–03–2012 के तुलन पत्रक का अनुसूची निर्मित भाग

(राशि रू में)

अनुसूची 11 वर्तमान संपत्तियां, ऋण, अग्रिम राशि इत्यादि	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
ब. ऋण, अग्रिम राशि एवं अन्य संपत्तियां		
1. ऋण		
(अ) स्टाफ	–	–
(ब) उस संस्था के समान अन्य गतिविधियों / उद्देष्यों में शामिल संस्था	–	–
(स) अन्य (निर्दिष्ट करें)	–	–
	–	–
	–	–
2. नकद में वसूल होने वाली अग्रिम राषि एवं अन्य राषि या प्राप्त की जाने वाली कोई राषि	–	–
(क) पूंजीगत खाते पर	–	–
(ख) पूर्व भुगतान	2,528,422	1,706,473
(ग) अन्य	68,951,899	17,931,439
– स्टाफ को अग्रिम राषि	9,573,325	10,581,183
– ठेकेदारों एवं अन्य लोगों को अग्रिम राषि		
– सुरक्षा जमा	–	–
	–	–
	–	–
3. उपार्जित आय		
(क) चिन्हित/ वृत्ति निधि से निवेष पर	–	–
(ख) निवेष पर – अन्य	–	–
(ग) ऋण एवं अग्रिम राषि पर		
(घ) अन्य		
– बचत खाते पर	**81,053,646**	**30,219,095**
4. प्राप्य दावे		
कुल (अ)		
कुल (अ+ब)	**140,076,469**	**55,828,844**

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31–03–2012 के तुलन पत्रक का अनुसूची निर्मित भाग

अनुसूची 11 ब ठेकेदारों एवं अन्य के लिए अग्रिम राशि	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
विज्ञापन एवं दृष्य प्रचार निदेषालय (डीएवीपी)	49,698,735	–
दवा महानियंत्रक	15,968,527	10,816,464
राष्ट्रीय पोषक संस्थान	1,926,582	1,926,582
केंद्रीय खाद्य प्रयोगषाला, कोलकता	–	3,540,690
एफआरएसएल, गाजियाबाद	–	1,000,490
भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंग्लोर	437,698	–
टोटल लाइब्रेरी सॉल्यूषन इंडिया प्रा.लि	367,110	222,764
इंडिया ट्रेड प्रोमोषनल ऑर्गनाइजेषन	200,000	–
प्रिंसिपल, करोडीमल कॉलेज	200,000	–
नेषनल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉयोलॉजिकल	65,000	–
ब्रिटिष कॉउंसिल	16,500	–
एच.एस.सी.सी. इंडिया लि.	16,414	16,414
विकास बैटरीज	14,999	–
एबीपी प्रा.लि.	14,134	14,134
प्राधिकृत अधिकारी, जेएनपीटी, नहवा शेवा	10,000	10,000
प्राधिकृत अधिकारी, समुद्र पत्तन, चेन्नई	5,000	10,000
अखिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करण संघ	1,200	1,200
फिक्की	–	348,000
विमिता लैब्स	–	16,011
उप निदेषक, बागवानी	–	8,510
राकेश जैन एवं उषा जैन	–	180
कुल	68,951,899	17,931,439

fssai

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31–03–2012 के तुलन पत्रक का अनुसूची निर्मित भाग

अनुसूची 12 – विक्रय/सेवाओं से प्राप्त आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) विक्रय से आय		
अ) निर्मित माल से आय	–	–
ब) कच्चे माल से आय	–	–
स) स्क्रैप से प्राप्त आय	–	–
2) सेवाओं से प्राप्त आय		
अ) लाइसेंसरहित	27,704,989	5,419,065
ब) नमूना जांच शुल्क	297,658	–
कुल	28,002,647	5,419,065

अनुसूची 13 – अनुदान/ सब्सिडी	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(पुनरावृत्त प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी)		
1) केंद्र सरकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)	**386,300,000**	**323,700,000**
2) राज्य सरकार	–	–
3) सरकारी एजेंसियां	–	–
4) संस्थान/ कल्याण निकाय	–	–
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन	–	–
6) अन्य		
जोड: वर्ष के आरंभ में अविगत शेष	–	–
घटा: वर्ष के अंत में अनुदान का अविगत शेष	**(14,215,189)**	–
घटा: वर्ष भर पूंजीकृत अनुदान	**(14,256,916)**	–
		–
कुल	357,827,895	**323,700,000**

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31–03–2012 के तुलन पत्रक का अनुसूची निर्मित भाग

अनुसूची 14 – शुल्क/ अंशदान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) प्रवेश शुल्क	–	–
2) वार्षिक शुल्क	–	–
3) सेमिनार/ कार्यक्रम शुल्क	–	–
4) परामर्श शुल्क	–	–
5) अन्य	–	–
	–	–
कुल		

अनुसूची 15 – निवेश से प्राप्त आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) लाभ		
अ) सरकारी प्रतिभूतियों पर	–	–
ब) अन्य बंधपत्र एवं ऋणपत्रों पर	–	–
2) अन्य	–	–
– निवेश से लाभ	–	–
कुल	–	–
चिह्नित/ वृत्तिदान निधि में हस्तांतरित किया गया		

fssai

अनुसूची 16 – अधिशुल्क, प्रकाशन आदि से प्राप्त आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) अधिषुल्क से प्राप्त आय	–	–
2) प्रकाषन से प्राप्त आय	–	–
3) अन्य (निर्दिष्ट)	–	–
	–	–
कुल	–	–

अनुसूची 17 – उपार्जित लाभ	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) अवधि जमा पर		
क) सूचीगत बैंकों के साथ	–	–
ख) गैर–सूचीगत बैंकों के साथ	–	–
ग) संस्थाओं के साथ	–	–
घ) अन्य	–	–
2) बचत खातों पर		
क) सूचीगत बैंकों के साथ	3,172,140	990,147
ख) गैर–सूचीगत बैंकों के साथ	–	–
ग) पोस्ट ऑफिस बचत खाता	–	–
घ) अन्य	–	–
3) ऋण पर		
क) कर्मचारी/ स्टाफ	–	–
ख) अन्य	–	–
कुल	3,172,140	990,147

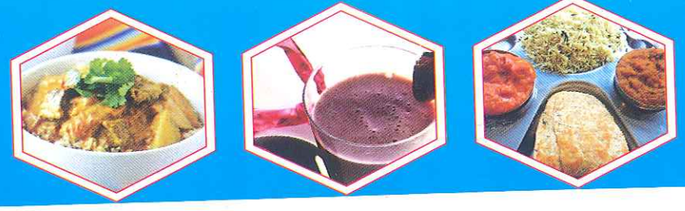

अनुसूची 18 – अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) संपत्तियों के विक्रय/निपटान पर लाभ	–	–
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	–	–
ख) अनुदान के बिना, या लागत मुक्त उपार्जित परिसंपत्तियां		
2) विविध आय		
– पुराने समाचार पत्रों की बिक्री	14,100	9,616
– निविदा पत्रों की बिक्री	250	3,000
– आरटीआई शुल्क	1,775	820
– अन्य	93,988	79,400
– पूर्व में आय		694,201
कुल	110,113	787,037

अनुसूची 19 – निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में उतार–चढाव तथा कार्य प्रगति पर है	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) समापन स्टॉक		
– निर्मित वस्तुएं	–	–
– कार्य प्रगति पर है	–	–
ख) कमः प्रारंभिक स्टॉक		
– निर्मित वस्तुएं	–	–
– कार्य प्रगति पर है	–	–
वास्तविक बढोतरी/कमी		

fssai

अनुसूची 20 – संस्थापन व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरी	105,649,768	80,594,152
ख) भत्ता एवं बोनस	2,999,626	2,490,772
ग) स्टाफ कल्याण खर्चा	–	3,374
ड) कर्मचारियों की सेवानिवृति और सेवा समाप्ति लाभों पर खर्च	–	–
– अन्य		
– चिकित्सकीय दावों की अदायगी	1,247,045	589,557
कुल	109,896,439	83,677,855

अनुसूची 21 – प्रशासकीय व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) श्रम एवं संसाधन व्यय	17,881,631	10,854,621
2) विद्युत एवं उर्जा	4,593,015	3,707,360
3) जल शुल्क	496,146	434,151
4) किराया, दर एवं कर	49,109,632	37,086,349
5) डाक शुल्क एवं संचार प्रभार	1,268,549	562,611
6) प्रिंटिंग एवं स्टेषनरी	4,633,094	2,939,094
7) यात्रा एवं वाहन व्यय	14,335,083	10,197,780
8) सेमिनार एवं वर्कषॉप पर व्यय	4,985,227	3,754,765
9) सदस्यता व्यय	125,170	275,251
10) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	216,320	223,981
11) पेषेवर प्रभार	17,336,995	18,551,027
12) खाद्य आयात निकासी प्रक्रिया के संचालन पर व्यय	34,346,003	–
13) आईईसी एवं प्रचार व्यय	47,563,411	141,833,263
14) ऑफिस खर्च	5,919,383	4,818,677
15) प्रषिक्षण प्रभार	3,876,192	800,027
16) प्रकाषन प्रभार	1,178,252	2,896,556
17) टेलीफोन एवं मोबाइल व्यय	822,655	727,001
18) अन्य प्रषासकीय व्यय	73,484	26,860
– इंटरनेट प्रभार	61,790	7,641
– कंप्यूटर व्यय	1,103	28,000
– सदस्यता शुल्क	1,562	203,959
– अंकरूपण प्रभार	–	64,570
– उपभोगीय स्टोर	–	73,490
– जेनरेटर व्यय	2,756,997	299,215
19) पूर्व अवधि व्यय	211,581,694	240,366,249
कुल		

अनुसूची 22 – मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
मरम्मत एवं रखरखाव व्यय		
1) कार्यालय की मरम्मत एवं रखरखाव	18,901,405	11,713,459
2) एसी संयंत्र, कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव	319,255	278,166
3) वाहनों की मरम्मत, परिचालन एवं रखरखाव	84,262	122,583
4) अन्य	–	–
कुल	19,304,922	12,114,208

fssai

अनुसूची 23 – अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) संस्थानों/ संगठनों को दिया गया अनुदान	6,000,000	9,000,000
2) संस्थानों/ संगठनों को दी गई सब्सिडी	–	–
कुल	6,000,000	9,000,000

अनुसूची 24 – अवमूल्यन	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
नियत परिसंपत्तियों पर	4,026,624	3,590,998
कुल	4,026,624	3,590,998
कमः नियत परिसंपत्ति निधि के लिए हस्तांतरण	4,026,624	3,590,998
कुल	–	3,590,998

अनुसूची 25 – लाभ	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) नियत ऋण पर	–	–
2) अन्य ऋण पर	–	–
3) अन्य – सीपीएफ पर लाभ	–	15,633
कुल	–	**15,633**

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

प्राप्ति और वितरण वर्ष 01.04.2011 से 31.03.2012

राशी रूपये में

क्र.सं.	पावती	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	**आरंभिक शेष**		
	1) नकद	10,000	–
	2) बैंक शेष		
	3) बचत बैंक खाता	25,599,749	62,891,646
	4) चालू जमा खाता	–	–
	5) जमा खाता	–	–
2	**प्राप्त अनुदान**		
	1) भारत सरकार से		
	– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	386,300,000	323,700,000
	– स्वास्थ्य विभाग (पूंजीगत अनुदान)	–	–
3	**निम्न से प्राप्त निवेश पर आय**		
	1) चिहिन्त/ वृत्ति निधि	–	–
	2) स्वामात्वि निधि (अन्य निवेष)	–	–
4	**प्राप्त लाभ**		
	– बैंक जमा पर (बचत)	3,172,140	870,548
	– बैंक जमा पर (एफडीआर)	–	–
	–ऋण, अग्रिम राषि आदि	–	–
5	**लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त आय**		
	– लाइसेंस शुल्क	27,704,989	5,419,465
	– नमूना जांच शुल्क	297,658	–
6	**निवेश का नकदीकरण**	–	–
7	प्राप्त टीडीएस		
	– ठेकेदारों पर	1,364,407	–
	– किराए पर	4,717,030	–
	– पेषेवरों पर	1,371,979	–
	– वेतन पर	3,256,716	–
8	**समायोजित अग्रिम राशि**	–	198,476
9	कोई भी अन्य पावतीः		
	–आरटीआई शुल्क	1,775	820
	– समाचार पत्रों की बिक्री	14,100	9,616
	– निविदा प्रपत्रों की बिक्री	250	3,000
	–विविध आय	93,988	592,364
	–पूर्व अवधि आय	–	17,565
	– लौटाया गया टीडीएस	–	111,674
10	**ठेकेदारों का ईएमडी/सुरक्षा जमा राशि**	1,138,858	615,000
11	**व्यर्थ चेक**	406,548	940,951
	कुल	455,450,187	395,371,125

क्र.सं.	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	**व्यय**		
	क) संस्थापन व्यय (अनुसूची 20 के संगत)	104,542,705	82,763,249
	ख) प्रषासकीय व्यय (अनुसूची 21 के संगत)	191,316,170	241,029,516
	ग) मरम्मत एवं रखरखाव व्यय (अनुसूची 212 के संगत)	17,707,296	12,114,208
2	**प्रदत्त अनुदान**		
	अनुदान सहायता	6,000,000	9,000,000
3	**निवेश एवं जमा**		
	क) उद्दिष्ट/दान फंड से अलग	–	–
	ख) स्वय फंड से अलग (निवेश – अन्य)	–	–
4	**स्थायी परिसंपत्तियों पर व्यय एवं पूंजीगत कार्य प्रगति**		
	क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	5,512,033	6,851,285
	ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय	8,744,883	–
5	**कर्मचारियों का अग्रिम**	821,949	1,943,886
6	**आपूर्तिकर्ताओं/अन्य को अग्रिम**	51,020,460	3,441,531
7	**टीडीएस जमाः**		
	– ठेके पर	1,317,188	1,181,059
	– किराए पर	4,720,661	3,865,726
	– पेशे पर	1,380,177	934,100
	– वेतन	3,244,815	2,697,883
8	**ठेकेदार की ईएमडी/प्रतिभूति जमा**	–	3,948,933
9	**वेतन पर कटौती**	99,027	–
10	**अंतिम शेष**		
	क) नकद राशि	10,000	–
	ख) बैंक शेष		
	ग) बचत बैंक खाता	59,012,823	25,599,749
	घ) चालू जमा	–	–
	ड़) जमा खाता	–	–
	कुल	455,450,187	395,371,125

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

31–03–2012 समाप्ति वर्ष के लिए वित्तीय खातों को अनुसूची का हिस्सा बनाने के लिए

अनुसूची 26– महत्वपूर्ण रेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परंपरा

वित्तीय व्यक्तव्य ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार होते हैं। लेखा की संभूति प्रणाली पर जब तक अन्यथा न कहा जाए।

2. राजस्व मान्यता

जब कारणों के रूप में लाइसेंस फीस और नमूना परीक्षण फीस मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। बचत बैंक खातों पर ब्याज रसीदी आधार पर मूल्यांकित है।

3. निवेश

लंबी अवधि के निवेश के निवेश वर्गीकरण की कीमत पर किए जाते है, गिरावट के लिए प्रावधान, अन्य की तुलना में अस्थायी हैं, इस प्रकार का निवेश लागत को ले जाने के लिए किया जाता है। निवेश बतौर "वर्तमान" रूप में न्यूनतम लागत और उचित मूल्य पर वर्गीकृत किए जाते हैं। इस प्रकार के निवेशों के मूल्यों की कमी के लिए प्रावधान निर्माण के लिए प्रत्येक निवेश व्यक्तिगत माना जाता है और यह एक वैश्विक आधार पर नहीं है। लागत, जिसमें व्यय का अधिग्रहण, जैसे टूट–फूट, टिकटों का स्थानांतरण सम्मिलित है।

4. स्थायी संपत्ति

स्थायी संपत्ति लागत का अधिग्रहण कम संचित मूल्यह्रास कहलाता है, जिसमें समावेश है आवक भाड़ा, शुल्क और कर तथा अनुषंगिक एवं प्रत्यक्ष खर्च, जो अधिग्रहण से संबंधित हैं। योजनाओं के संबंध में संबंधित है, निर्माण, संबंधित पूर्व कार्यकारी व्यय (विशिष्ट पूर्व योजना के लिए लोन पर ब्याज सहित) पूंजीकृत संपत्ति के मूल्य का हिस्सा बनाना। स्थायी संपत्ति गैर मौद्रिक अनुदान के मार्ग से प्राप्त होती है, अन्य की अपेक्षा संचित निधि की ओर, पूंजी संचय के लिए तदनरूपी ऋण द्वारा कहे गए मूल्यों पर लाभ है।

5. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास आयकर कानून के अनुसार उपलब्ध है और लिखी गई मूल्य पद्धति पर आधारित है तथा उसमें विशिष्ट मूल्यों के तौर पर है। संकलनों के संबंध में/वर्ष के दौरान निश्चित संपत्ति में कटौतियां, मूल्यह्रास तदनुसार माना जाता है।

प्राधिकरण की निश्चित संपत्ति वर्ष के लिए मूल्यह्रास अनुदान आधारित लेखांकन के साथ अनुरूप निश्चित संपत्ति अनुदान के नाम लिखा गया।

6. सूचियों का मूल्यांकन

स्टेशनरी की खरीद पर व्यय, खपत, प्रकाशन और अन्य भंडार राजस्व व्यय के तौर पर जिम्मेवार है।

7. अन्य व्यय

अस्थगित राजस्व व्यय उस वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के लिए लिखा जाता है, जिसमें यह व्यय हुआ।

8. सरकारी अनुदान

8.1 सरकारी अनुदान वसूली के आधार पर हिसाब करते हैं, फिर भी 31 मार्च से पूर्व प्राप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान जहां जारी करने की स्वीकृति होती है और अनुदान वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होता है। अनुदान का हिसाब वास्तविक आधार पर होता है और समान राशि वसूली योग्य के रूप में दर्शायी जाती है।

8.2 सरकारी अनुदानों की पूंजी प्रकृति वास्तविक आधार पर पहचानी जाती है और संचय अनुदान के तौर पर निर्धारित/बंदोबस्ती अनुदान के अंतर्गत हिसाब के आधार पर फंड दर्शाया जाता है।

8.3 राजस्व व्यय मिलने के लिए (व्यय के आधार पर) सरकारी अनुदान बढ़ी हुई उपयोगिता के लिए, वर्ष की आय के तौर पर व्यवहारित किए गए, जिसका उन्हें अहसास है।

8.4 अनुपयोगी अनुदान आगे भेजे जाते है और तुलन पत्र में देयता के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं।

9 विदेशी मुद्रा का लेन–देन

9.1 विदेशी मुद्रा में लेन–देन का वर्चस्व का विनिमय दर पर हिसाब लेन–देन की तिथि पर विद्यमान है।

9.2 मौजूदा संपत्तियां, विदेशी मुद्रा ऋण और वर्तमान उत्तरदेयताएं प्रदर्शित विनिमय दर पर बदल गयी है, क्योंकि वर्ष के अंत में और परिणामी लाभ/हानि स्थायी संपत्ति के मूल्य पर समायोजित हो गए हैं, यदि विदेशी मुद्रा स्थायी संपत्ति के देयताएं से संबंधित है और अन्य मामलों में राजस्व के लिए प्रतिबद्धता है।

अनुसूची 27 आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

क. आकस्मिक देयताएं

1. आकस्मिक देयताएं

1.1 ऋण के रूप में स्वीकार न करने पर प्राधिकरण के विरूद्ध दावा – रू. शून्य (पूर्व वर्ष रू. शून्य)

1.2 इनसे संबंधित

– प्राधिकरण द्वारा/ की ओर से बैंक गारंटी देना – रू. शून्य (पूर्व वर्ष रू. शून्य)

– संस्था के की ओर से बैंक द्वारा ऋण पत्र खोलना– रू. शून्य (पूर्व वर्ष रू. शून्य)

– बैंक के साथ रियायती बिल –रू. शून्य (पूर्व वर्ष रू. शून्य)

1.3 इनके संबंध में विवादग्रस्त मांगे:

आय कर–रू. शून्य (पूर्व वर्ष रू. शून्य)

बिक्री कर –रू. शून्य (पूर्व वर्ष रू. शून्य)

नगरपालिका कर–रू. शून्य (पूर्व वर्ष रू. शून्य)

1.4 आदेशों के गैर क्रियान्वन हेतु पक्षों द्वारा दावों के संबंध में, परंतु प्रविष्टियों द्वारा विवाद हुआ (पूर्व वर्ष रू. शून्य)

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं:

पूंजी खातों पर अनुमानित मूल्यों के अनुबंध क्रियान्वित किए जाने है और शून्य के लिए उपलब्ध नही है (पूर्व वर्ष रू. शून्य)

ख. खातों पर टिप्पणियां

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एक पंजीकृत प्राधिकरण है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है और भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त है, इसलिए इसकी लेखांकन नीतियां अधिकांशतः जीएफआर एवं आर एवं पी नियमों पर आधारित है। प्राधिकरण के लेखांकन सिद्धांत और नीतियां संक्षिप्त में निम्न के अंतर्गत दी गई हैं–

1. वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन के विचार में, मौजूदा संपत्ति, ऋण और अग्रिम में व्यापार के साधारण पाठ्यक्रम में प्राप्ति का बैलेंसशीट में दर्शायी गई कुल राशि का कम से कम सामान महत्व मिलता है। वर्ष के दौरान अग्रिम में मुख्यतः बाहरी दलों/ कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम खातों में बढ़ौतरी हुई है।

कराधान

प्राधिकरण की आय आय कर कानून की धारा 11 से 15 की दृष्टि में आय कर से छूट विचारणीय हो सकती है। यहां खातों में आय कर के लिए कोई प्रावधान नही है।

2. विदेशी मुद्रा लेन–देन

2.1 सी.आई.एफ के आधार पर आयात की गणना का मूल्य

पूर्ण हो चुकी वस्तुओं की खरीद – शून्य

कच्चा माल और तत्व (पारगमन सहित) – शून्य

पूंजी वस्तुएँ – शून्य

भंडार, अतिरिक्त और उपयोग में आने वाली – शून्य

2.2 विदेशी मुद्रा में व्यय

1) यात्रा रू. शून्य

2) प्रेषण और वित्तीय संस्थानों/बैंको में विदेशी मुद्रा की ब्याज अदायगी शून्य

3) अन्य व्यय शून्य

बिक्री पर लाभांश शून्य

कानूनी और व्यावसायिक व्यय शून्य

अन्य व्यय शून्य

2.3 आय

एफओबी के आधार पर निर्यात का मूल्य शून्य

सेवाओं का मूल्य शून्य

3. हमारी प्राधिकरण की योग्य सीएजी द्वारा दी गई वर्णित रूपरेखा पर आधरित वित्तीय कथनों का प्रदर्शन

4. अनुदान के स्त्रोत

प्राधिकरण के बजट में अनुदानों की प्राप्ति का वर्गीकरण इनके अंर्तगत होता है–

1) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुद्ध अनुदान।

2) विविध प्राप्ति जैसे– लाइसेंस शुल्क, नमूना परिक्षण शुल्क, बचत बैंक खातों पर ब्याज और अन्य प्राप्तियां आदि।

5. स्थायी संपत्ति अनुदान एवं भवन अनुदान वर्ष के दौरान प्राधिकरण नें प्राधिकरण के खातों की किताबों में झूठ बोली गई स्थायी संपत्ति के लिए स्थायी संपत्ति अनुदान का निर्माण किया है, जो अनजाने में वहां थी। प्राधिकरण के ढ़ाचे सहित और तदनुसार, मूल्यह्रास स्थायी संपत्ति पर समान विषय और हिसाब पर आधारित अनुदान के साथ अनुरूपता में तदनरूपी अनुदान वसूला जाता है।

6. आंकड़े निकटतम रूपये के समरूपी रहे है।

7. प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित एजीसीआर द्वारा वर्णीत रूपरेखा के साथ पंक्तियों में जहां भी आवश्यकता समझी गई पूर्व वर्ष में आंकड़े पुर्नसामूहिक/पुर्नव्यवस्थित और पुर्नवर्णित किए गए।

8. 31–03–2012 तक बैलेंस शीट के बाहरी भाग के फार्म में और आय तथा व्यय खाते उस तिथि पर वर्ष के अंत में अनुसूची 1 से 27 विद्यमान है।

31 मार्च 2012 वर्ष के अंत के लिए भारत की खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से संबंधित भारत के लेखा परीक्षक एवं नियंत्रक की पृथक लेखा रिपोर्ट

हमनें 31 मार्च 2012 तक की भारत की खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की जुडी हुई बैलेंस शीट को लेखापरीक्षित किया है अधिनियम 19 (2) के नियंत्रक और लंखा परीक्षक (संवाओं, शक्तियों एवं संवाओं की स्थिति) कानून, 1971 के अंतर्गत वर्ष के अंत की उस तिथि तक के लिए आय और व्यय खाते की खाता अदायगी और प्राप्तियां होती है। ये वित्तीय वक्तव्य भारतीय खद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। हमारा देयताएं हमारे लेखा परीक्षण पर आधारित इन वित्तीय वक्तव्यों पर राय व्यक्त करना है।

2. इन पृथक लेखा रिपोर्ट में लंखांकन उपचार पर भारत के लेखापरीक्षक और नियंत्रक की टिप्पिणियां निहित होती है, जिसमें केवल आदर के साथ वर्गीकरण, श्रेष्ठ लेखांकन अभ्यास के साथ अनुरूपता और शर्तों का प्रदर्शन आदि होता है। वित्तीय लेन–देन पर लेखा निरीक्षण कानून, नियम एवं नियमन (संपत्ति नियमितता) और प्रभावी प्रदर्शित तथ्यों आदि के साथ संबंध रखती हो, यदि कोई निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी पृथक लेखा परीक्षा के माध्यम से जानकारी देता है।

3. हम अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखापरिक्षित मानकों के अनुसार आयोजित करते है। मानक की आवश्यकता है कि लेखा परीक्षा की योजना और प्रदर्शन के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करें, जहां वित्तीय वक्तव्य भौतिक गलत बयानबाजी से मुक्त हो। एक लेखा परीक्षा में सम्मिलित एक परीक्षा आधार, मात्रा सहायक, साक्ष्य और वित्तीय कथनों में खुलासे। एक लेखा परीक्षा में सम्मिलित है–प्रबंधन द्वारा बनाऐं गए संतोषजनक अनुमान और प्रस्तुत लेखांकन सिद्धान्त का आंकलन, इसके साथ–साथ वित्तीय वक्तव्यों के प्रदर्शन का संपूर्ण आंकलन। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा उचित आधार पर हमारी राय उपलब्ध करवाएगी।

4. 4. हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित, हमारी रिपोर्ट हैः

   1) हम सभी स्पष्टिकरणों और जानकारियों को प्राप्त करते है, जो हमारी जानकारी में सबसे श्रेष्ठ हो और हमें यह विश्वास हो कि ये हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक है।

   2) बैलेंस शीट, असमय और व्यय खाता और प्राप्तियां और भुगतान खातों का निपटान इस रिर्पोट द्वारा वित्तीय मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रूपरेखा में तैयार किया गया।

   3) हमारे विचार में, खातों की उचित किताबों और अन्य संबंधित दस्तावेज, भारत की खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, अब तक के रूप में हमारी

परीक्षा की ऐसी किताबें दिखाई देती है।

4) हमारी आगे की रिपोर्ट है:

क. तुलन पत्र

क.1. देयताएं

क.1.1. चालू देयताएं और प्रावधान रू. 5.30 करोड़

क.1.1.1. विविध लेनदार

पश्चिम बंगाल के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने "खाद्य और जल संबंधित कार्यक्रमों में शामिल प्राधिकरणों के लिए तंत्र विकास हेतु राष्ट्र स्तरीय परामर्श" के आयोजन की लागत साझा करने का प्रस्ताव दिया। एफएसएसएआई ने सहमति प्रदान की तथा सितम्बर, 2011 में रू. 15 लाख का भुगतान कर दिया। शेष 18.89 लाख रूपए की राशि पीएचईडी द्वारा उपलब्ध कराई जानी थी। एफएसएसएआई ने विविध लेनदारों के तहत रू. 18.89 लाख का प्रावधान सृजित किया जिसके परिणामस्वरूप विविध लेनदार और व्यय प्रत्येक में रू. 18.89 लाख की अध्योक्ति हुई।

क.2. आस्तियां

क.2.1. अचल आस्तियों की न्यूनोक्ति

(ख) अचल आस्तियों की रू. 12.54 लाख की न्यूनोक्ति

मुंबई में किराए पर लिए क्षेत्रीय कार्यालय के संबंध में आंतरिक सज्जाकार को रू. 70.16 लाख की राशि का भुगतान किया गया। आंतरिक संविदा कार्य में रू. 12.54 लाख मूल्य के फर्नीचर, एयरकंडीशनर तथा अन्य खुली मदों का क्रय शामिल था जो पूंजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अचल आस्ति और पूंजी निधि प्रत्येक में रू. 12.54 लाख की न्यूनोक्ति हुई।

ख. सामान्य

1. प्राप्ति और भुगतान खाते के अनुसार, हाथ में रोकड़ रू. 10000 दर्शाई गई जबकि रोकड़ बही में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसका समाधान किए जाने की जरूरत है।
2. परिषद आय कर नियमों में दी गई व्यवस्था के अनुसार 60 प्रतिशत के स्थान पर बहियों में 100 मूल्यह्रास प्रभारित कर रही थी, जो इसकी अपनी स्वयं की लेखा नीति का उल्लंघन है।
3. एफएसएसएआई के पांच क्षेत्रीय कार्यालय और दो प्रयोगशालाएं हैं। केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता की स्थापना 1955 में की गई थी तथा इसका परिचालन इसके अपने भवन से किया जा रहा है। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद की स्थापना 1971 में की गई थी। ये दोनों प्रयोगशालाएं 2008 में एफएसएसएआई की अधिसूचना के समय इसका हिस्सा बन

गई। जो पहले से परिचालनरत प्रयोगशालाओं की आस्तियां अर्थात भूमि, भवन, फर्नीचर तथा फिक्सचर्स, संयंत्र और मशीनरी, प्रयोगशाला उपकरण एफएसएसएआई के लेखा में शामिल नहीं किए गए थे।

ग. अनुदान सहायता

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को वर्ष 2011–12 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से योजना शीर्ष के तहत रू. 38.63 करोड़ की अनुदान सहायता प्राप्त हुई (प्राधिकरण को मार्च, 2012 में रू. 8.01 करोड़ की राशि प्राप्त हुई)। इसमें पूर्व वर्ष की व्यय नहीं की गई रू. 1.37 करोड़ की राशि शामिल थी। प्राधिकरण द्वारा वर्ष के दौरान रू. 38.57 करोड़ व्यय किए गए तथा रू. 1.43 करोड़ की राशि शेष रही।

घ. प्रबंधन का पत्र : लेखा परीक्षा में शामिल नहीं की गई कमियां उनके उपचार/सुधार कार्यवाही के लिए प्रबंधन द्वारा जारी एक पृथक पत्र के माध्यम से सचिव, एफएसएसएआई की जानकारी में लाई गई हैं।

रू. 38.63 करोड़

V. हम, पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारी अभ्युक्तियों के तहत, प्रतिवेदित करते हैं कि इस प्रतिवेदन में उल्लेखित तुलन पत्र, आय और व्यय खाते तथा प्राप्ति और भुगतान खाते लेखा बहियों के अनुसार हैं।

Vi. हमारे मतानुसार और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों तथा लेखा पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर और उपरोक्त महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के परिशिष्ट में वर्णित अन्य मामलों के तहत, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के समनुरूप एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं;

क. जहां तक कि यह भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के कार्यों की 31 मार्च, 2012 को स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है; तथा

ख. जहां तक कि यह उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु अधिशेष के आय और व्यय खाते से संबंधित है।

कृते एवं हिते सीएजी, भारत

लेखा परीक्षा महानिदेशक
केन्द्रीय व्यय

स्थान : नई दिल्ली
तिथि

fssai

कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002
Indraprastha Estate, New Delhi -110 002

सत्यमेव जयते पत्र संख्या: ए.एम.जी. III/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई. /50/2012-13/ दिनांक:

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011.

विषय : वर्ष 2011-12 के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण,नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2011-12 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित की प्रति संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002. को भेजी जाएं।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इसको जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा"

भवदीया,

अनुलग्नक: यथोपरि

(हस्ताक्षर)
निदेशक (ए.एम.जी.-III)

पत्र संख्याः ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई. /50/2012-13/ 650 दिनांकः [illegible] 2012

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति **श्री विनोद कोतवाल, निदेशक (कोडेक्स) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002** को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेंजो की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली-110124 को भेजी जाएं।

अनुलग्नकः यथोपरि

निदेशक (ए.एम.जी.- II)

पत्र संख्याः ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई. /50/2012-13/ दिनांकः

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित **श्री मुखबैन सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (रिपोर्ट-ए.बी.), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002.** को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नकः यथोपरि

निदेशक (ए.एम.जी.-II)

fssai

अनुलग्नक -I

खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों की सूची

अध्यक्ष
श्री के.चंद्रामौली
सदस्य सचिव
श्री वी.एन.गौड़ (22 फरवरी 2011 से अब तक)
धारा 5 (1) (क) के तहत भूतपूर्व सदस्य अधिकारी
श्री अतानु पुरकायास्था, संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय
श्री असित त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय
श्री मनोज परीदा, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय
डा. यू.वेंकटेसवारलु, संयुक्त सचिव, खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय
डा. अरुण कुमार पांडा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय
डा. जी. नारायण राजू, संयुक्त सचिव, वैधानिक
श्री एम.पी.सिंह, अर्थशास्त्र सलाहकार (एमएसएमई)
खाद्य उद्योग के दो प्रतिनिधि
लघु उद्योग से
सुश्री मोना मल्होत्रा चोपड़ा, अखिल भारतीय खाद्य प्रोसेसर एसोसिएशन
वृहद उद्योग से
सुश्री इंद्राणी कार, निदेशक और प्रमुख कृषि और खाद्य विभाग, सीआईआई
उपभोक्ता संगठनों के दो प्रतिनिधि
श्रीमती वसुंधरा प्रमोद देवधर, मुंबई ग्राहक पंचायत, मुंबई
श्री बेजोन मिश्रा, कार्यवाहक निदेशक, उपभोक्ता समन्वय परिषद, नई दिल्ली
तीन प्रख्यात खाद्य प्रौद्योगिकीविदों / वैज्ञानिक
डा. एस.गिरिजा, समन्वित मत्स्य परियोजना, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, कोचीन
रिक्त
रिक्त
राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के पांच प्रतिनिधियों
श्री टेप बागरा, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अरुणाचल प्रदेश
श्री प्रवीण प्रकाश, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, आंध्र प्रदेश
डा. एस.के.पॉल, उप निदेशक (स्वास्थ्य), अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन
श्री राकेश गुप्ता, आयुक्त, एफडीए, हरियाणा सरकार
श्री संजय कुमार, खाद्य सुरक्षा आयुक्त और सचिव (स्वास्थ्य) बिहार सरकार
किसान संगठनों के दो प्रतिनिधि
डा. (श्रीमती) टी.ए. कादरभाई, अंगूर उत्पादकों एसोसिएट्स, पुणे– अंगूर उत्पादक
श्री वी. बालासुब्रहमण्यम, महासचिव, झींगा किसान भारतीय महासंघ फेडरेशन–समुद्री भोजन / मत्स्य
खुदरा संस्था का एक प्रतिनिधि
रिक्त

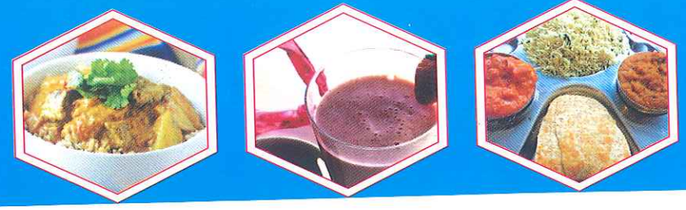

केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य

1. श्री वी. एन. गौड़
   मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

खाद्य उद्योगः–

2. श्री समीर बारडे
   फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई)
   फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली–110011

3. श्री प्रदीप चोर्डिया
   केयर ऑफ चोर्डिया फुड प्रोडक्ट,
   48/ए, प्रावती इंडस्ट्रीयल इस्टेट
   ओपोजिट–अधिनाथ सोसायटी, पुणे
   सतारा रोड, पुणे.411009

कृषि–

4. डा. जे.टोनपानगयोनदंग वालिंग
   गांव–सनग्रस्तसु
   जिला–मोकोकचुंग नागालैंड

5. श्री अरूण बालामत्ती
   815, 7वां क्रोस, बनशनकरी
   थर्ड फेज, थर्ड ब्लॉक, थर्ड स्टेज, बंगलौर–560085

उपभोक्ता

6. श्री आर. देसीकेन
   केयर/ऑफ–कसंर्ट एंड कंजूमर एसोसिएट्स ऑफ इंडिया
   2/228, चीन्नन दिकुप्पम रोड
   वेट्टुवनकेनी, चेन्नई

7. श्रीमती केया घोष
   केयर/ऑफ–कंजूर यूनिट एंड ट्रस्ट सोसायटी
   3 सुरेन टाइगोरे रोड
   गरीहट, कोलकाता–700019
   रीसर्च बॉडी एंड फुड लेबोरेट्रीज

8. डा. एस.पी.वसीरेड्डी
   अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक
   वीआईएमटीए लेबस लिमिटेड
   142, आईडीए, फेज– II
   चेयरपल्ली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

9. प्रो. गोपाल नाइक
   भारतीय प्रबंधन संस्थान
   (आईआईएम) बंगलौर

खाद्य सुरक्षा आयुक्त :

10. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, आंध्र प्रदेश
11. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अरूणाचल प्रदेश
12. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दिल्ली
13. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गुजरात
14. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जम्मू एंड कश्मीर
15. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, कर्नाटक
16. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, केरल
17. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मध्य प्रदेश
18. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, नागालैंड
19. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पंजाब

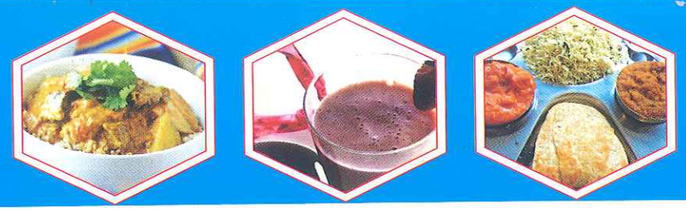

20. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, राजस्थान
21. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, तमिलनाडु
22. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पश्चिम बंगाल
23. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, असाम
24. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड
25. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, बिहार
26. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, चंडीगढ़
27. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, छत्तीसगढ़
28. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दादर एंड नागर हवेली
29. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दामन एंड डीयू
30. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गोवा
31. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हरियाणा
32. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हिमाचल प्रदेश
33. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, झारखंड
34. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, लक्ष्यद्वीप
35. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, महाराष्ट्र
36. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मणिपुर
37. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मेघालय
38. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मिजोरम
39. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उड़ीसा
40. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पुडेचुरी
41. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, सिक्कम
42. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, त्रिपुरा
43. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तर प्रदेश
44. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तराखंड
45. अध्यक्ष, वैज्ञानिक समिति

fssai

अनुलग्नक -III

वैज्ञानिक समिति का सदस्य

1. प्रो. निर्मल कुमार गांगुली, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के सलाहकार
2. डा. पी.जी. चेनगाप्पा, कुलपति, जीकेवीके बेंगलुरू
3. डा. अशोक ए. पटेल, प्रधान वैज्ञानिक एवं एक्ट. हेड, डेरी प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल
4. डा. एम.एस. मित्यांत, उपाध्यक्ष (सेवानिवृत) रिलाइस रिसर्च सेंटर
5. डा. के सी बंसल, समन्वयक, पराजीन–विकास पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नेटवर्क, राष्ट्रीय पादप जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
6. डा. जगदीश एस. पाई, कार्यकारी निदेशक, (खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) विशेषज्ञ कार्यात्मक खाद्य, न्यूट्रास्युटिकल्स, भारतीय प्रोटीन खाद्य एवं पोषणात्मक विकास संघ, मुंबई
7. अध्यक्ष, वैज्ञानिक पैनल कार्यात्मक खाद्य, न्यूट्रास्युटिकल्स, आहार उत्पाद और अन्य समरूपी उत्पाद
8. नमूना तथा विश्लेषण विधि पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष
9. खाद्य संयोजी, फ्लेवरिंग, प्रसंस्करण सहायता तथा खाद्य के साथ संपर्क में सामग्री
10. खाद्य चेन में अपदूषकों पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष
11. जीववैज्ञानिक खतरों पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष
12. कीटनाशकों तथा प्रतिजैविक अवशेषों पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष
13. लेबलिंग तथा दावों/विज्ञापनों पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष
14. जीन–संशोधित जीवों तथा खाद्यों पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष

वैज्ञानिकों का पैनल

पैनल–1 (फंक्शन फूड्स, न्यूट्रास्यिूटिक्ल्स, आहार एवं अन्य समान उत्पाद)

1. डॉ. वी. प्रकाश निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर।
2. डॉ. डी.बी अन्नथा नारायण, पीएच.डी (फार्मेसी), स्वतंत्र सलाहकार, विशेषज्ञ न्यूट्रास्यिूटिक्ल्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बंगलौर।
3. सुश्री अंजू अग्रवाल, आहार विशेषज्ञ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
4. डॉ. बी.सी. घोष, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर।
5. डॉ. के. माधवन नायर, वैज्ञानिक–ई, राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन), हैदराबाद
6. डॉ. शांतिकुमार नायर, पीएच.डी (सामग्री विज्ञान) – कोलंबिया यूनिवर्सिटी, नैनो प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, अमृता विश्वविद्यापीठ्म (यूनिवर्सिटी) के अनुसंधान के डीन, कोचि।
7. प्रो. बी. शशिधर राव, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, बायोकैमिस्ट्री विभाग, यूसीएस उसमानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।
8. डॉ. विलास रामराव श्रीहट्टी, पीएच.डी (रसायन), स्वतंत्र सलाहकार, विशेषज्ञ फंक्शनल फूड्स एवं न्यूट्रास्यिूटिक्ल्स, वसा और तेल, मुंबई।
9. श्री कुमार भाटिया, प्रमुख सलाहकार, (फसलोत्तर प्रबंधन एवं विपणन) कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. डॉ. एन. आनंदावली, पीएच.डी, खाद्य सूक्षम जीवविज्ञान विशेषज्ञ – उपाध्यक्ष (तकनी.) एफएओ/यूएन खाद्य सुरक्षा सलाकार/ऑडिटर, मैसर्स फूड सेफटी सॉल्यूशंस इंटरनेशनल, कोचिन। (सेवानिवृत ईआईसी निदेशक)
11. डॉ. अनूरा विश्वनाथ कुरपद, डीएनबी (शरीरविज्ञान) डीन, सेंट जॉन अनुसंधान संस्थान, बंगलौर।
12. डॉ. पी.डी. द्विवेदी, वैज्ञानिक ईआई, खाद्य विषविज्ञान प्रभाग, भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, पोस्ट बॉक्स सं. 80, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226001
13. डॉ. पर्था राय, सहायक प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, आईआईटी, रूड़की

fssai

पैनल–2 (नमूना एवं विश्लेषण विधि के लिए पैनल)

1. डॉ. सुशील कुमार सक्सेना, निदेशक, राष्ट्रीय विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला – राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनंद, गुजरात।
2. डॉ. राकेश कुमार, खंडल, पी.एच.डी (रसायनशास्त्र) विश्लेषणात्मक विशेषज्ञ, श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
3. डॉ. पीतम चंद्रा, सहायक महानिदेशक (प्रो. इंजी.), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
4. डॉ. एन.वी रामा राव, पीएच.डी (रसायनशास्त्र), विश्लेषणात्मक विशेषज्ञ, अध्यक्ष, विमता लैब्स लिमि., हैदराबाद
5. डॉ. वंसथा मुथुस्वामी, पूर्व वरिष्ठ उप–महानिदेशक एवं प्रभाग प्रमुख बेसिक मेडिकल साइंसेज तथा स्वास्थ्य एवं पोषण रिप्रोडक्टिव प्रभाग, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (सेवानिवृत्त)
6. डॉ. ए.के. दीक्षित, प्रधान वैज्ञानिक (कीटनाशक अवशिष्ट), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली।
7. डॉ. दीपक भाजेकर, पीएच.डी (औद्योगिकी सूक्ष्मजैविकी) प्रोपराइट एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, माइक्रो कैम लेबोरेटरी, मुंबई।
8. डॉ. एम.एन मंजूनाथ, वैज्ञानिक 'एफ', खाद्य सुरक्षा एवं विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर।
9. डॉ. एम.के. कुंडू, सलाहकार, पूर्व–एडिबल ऑयल कमिश्नर, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. डॉ. दिपांकर सिन्हा, प्रोफेसर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजिन एवं पब्लिक हेल्थ, कोलकाता।
11. सुश्री. शोभा हेगड़े, स्वतंत्र सलाहकार, पैनलबद्ध प्रमाणन निर्धारक, मुंबई (भारतीय मानक ब्यूरो से सेवानिवृत्त)
12. डॉ. रंजन शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल।
13. डॉ. जोनलगढ़ा पदमजा, वैज्ञानिक 'सी' खाद्य एवं औषध विषविज्ञान अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, आईसीएमआर, हैदराबाद

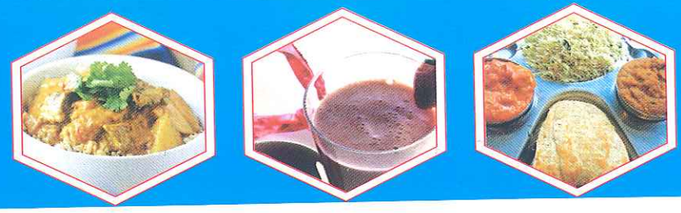

पैनल–3 (फूड एडिटिव्स, फ्लेवरिंग एवं खाद्य पदार्थ के संपर्क में प्रसंस्करण साधन एवं सामगी के लिए पैनल)

सदस्यः

1. डॉ अमरिंदर सिंह बावा, निदेशक, रक्षा खाद्य शोध प्रयोग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, मैसूर।
2. डॉ. मुकुल दास, उप–निदेशक (वैज्ञानिक 'एफ'), भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
3. डॉ. (श्रीमती), कलपागम पोलासा, उप–निदेशक (वरि. वैज्ञानिक 'एफ'), राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद।
4. डॉ. जोसफ लुइस, डॉ. जोसफ लुइस, पीएच.डी (रसायनिक प्रौद्योगिकी), स्वतंत्र सलाहकार, विशेषज्ञ – लेबलिंग फूड एडिटिव्स, तेल एवं वसा, मुंबई।
5. डॉ. राजीव धर, निदेशक एवं सीईओ, भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई।
6. डॉ. के.एन. गुरूदत्त, प्रमुख, खाद्य सुरक्षा एवं विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर।
7. डॉ. एच.एन. मिश्रा, प्रमुख, पोस्ट हारवेस्ट टैक्नोलॉजी सेंटर, हॉल मैनेजमेंट सेंटर आईआईटी, खड़गपुर।
8. डॉ. एच.पी.एस. सचदेव, एम.डी (बाल चिकित्सा), बाल चिकित्सा विशेषज्ञ, वरि. सलाहकार (बाल चिकित्सा एवं क्लिनिकल एपीडेमियोलॉजी), सीता राम भारतीय विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
9. डॉ. आर.बी.एन प्रसाद, वैज्ञानिक 'जी', भारतीय रासायनिक प्रौद्यागिकी संस्थान, हैदराबाद।
10. डॉ. बनवारी लाल, पीएच.डी (सूक्ष्म–जीवविज्ञान), निदेशक, पर्यावरणीय एवं औद्योगिक जैवप्रौद्योगिकी, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, नई दिल्ली
11. डॉ. सतीश कुलकर्णी, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर।

पैनल–4 (खाद्य श्रृंखला में संदूषकों के लिए पैनल)

1. डॉ. शिव लाल, विशेष डीजीएसएस एवं निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, दिल्ली
2. डॉ. ए.के. शर्मा, वैज्ञानिक अधिकारी 'एच', प्रमुख खाद्य प्रौद्योगिकी प्रभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई।
3. डॉ. एस.के. मेंदिरत्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इजतनगर।
4. डॉ. टी.के. श्रीनिवास गोपाल, प्रधान वैज्ञानिक, प्रमुख पैकेजिंग सेक्शन, मत्सय प्रसंस्करण

प्रौद्योगिकी, केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचिन

5. डॉ. कृष्णा झा, प्रधान वैज्ञानिक (सूक्ष्म जीवविज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भोपाल।
6. डॉ. पी. सबियन, निदेशक, (कृषि व्यवसाय विकास), तमिलनाडू एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर।
7. डॉ. के.एल. गाबा, पीएच.डी (कृषि, डेरी, पुशपालन) – एनडीआरआई करनाल, स्वतंत्र सलाहकार, विशेषज्ञ फूड एडिटिव्स, फंक्शनल फूड्स एवं दूध तथा दूग्ध उत्पाद, नई दिल्ली।
8. डॉ. लता, प्रधान वैज्ञानिक, सूक्ष्म जीवविज्ञान प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
9. डॉ. जी. विजयलक्ष्मी, वैज्ञानिक 'एफ' केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर
10. डॉ. रश्मि कुलश्रेष्ठ, पीएच.डी (फार्मा), कीटनाशक अवशिष्ट एवं संदूषक विशेषज्ञ, फूड एवं फार्मा रेगुलेटरी सलाहकार, रेगुलेटरी विस्डम, नई दिल्ली।
11. डॉ. वी.के. जोशी, प्रोफेसर एवं प्रमख (पोस्ट हारवेस्ट टैक्नोलॉजी) डॉ. वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिक्लचर एंड फोरेस्ट्री, सोलन, म.प्र.।
12. श्री प्रवीन गंगाहर, स्वंतत्र सलाहकार, खाद्य सुरक्षा विशेषग, गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएं, दिल्ली (बीआईएस से सेवानिवृत्त)।

पैनल–5 (जैविक खतरे)

1. डॉ. अश्विनी कुमार, वैज्ञानिक 'जी' एवं प्रमुख, पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी, भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
2. डॉ. नरेश कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, करनाल।
3. डॉ. अशीष मोतीराम पातुरकर, प्रोफेसर एवं विभाग प्रमुख, बोम्बे वेटरनेरी कॉलेज, मुंबई।
4. डॉ. भूपिंदर सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, एनआरआई, आईएआरआई, नई दिल्ली।
5. डॉ. प्रेम कुमार जयसवाल, पूर्व–निदेशक (प्रयोगशाला), कृषि एवं सहकारिता विभाग, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर।
6. डॉ. जोगिंदर सिंह बरवाल, पीएच.डी (मीट प्रौद्योगिकी), स्वतंत्र सलाहकार, विशेषज्ञ मीट प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली।
7. डॉ. ए. लक्ष्मीह, उप–निदेशक (वैज्ञानिक 'ई'), राष्ट्रीय पोषण संस्थान, भारतीय आयुर्विज्ञान

अनुसंधान परिषद, हैदराबाद।

8. डॉ. सुशीलांद्रा देसाई, प्रधान वैज्ञानिक, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राइलैंड एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हैदराबाद।
9. डॉ. जमुना प्रकाश, रीडर, खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर।
10. डॉ. डी. नरसिंहा राव (सेवानिवृत्त), वैज्ञानिक 'एफ' एवं विभाग प्रमुख, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर।
11. डॉ. रवि शंकर, सी.एन. वरिष्ठ वैज्ञानिक, मत्सय प्रसंस्करण प्रभाग, केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसीआर), कोचिन।
12. डॉ. मालाबीक राय, वैज्ञानिक 'एफ' / उप–महानिदेशक (वरि. ग्रे.) स्वास्थ्य एवं पोषण रिप्रोडक्टिव प्रभाग, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।

पैनल–6 (कीटनाशक / प्रतिजैविक अवशिष्ट)

1. डॉ. देबाब्राता कानुनगो, अतिरिक्त महानिदेशक (स्टे.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, नई दिल्ली।
2. डॉ. किरण नारायण भिलेगांवकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इजतनगर।
3. डॉ. वी. सुदर्शन राव, वैज्ञानिक 'सी', राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद।
4. डॉ. बी. सुरेंद्र नाथ, प्रधान वैज्ञानिक, एनडीआरआई, बंगलौर।
5. डॉ. जय राज बहरी, वैज्ञानिक 'एफ', भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
6. डॉ. ए.जी. अप्पू राव, वैज्ञानिक 'जी', सीएफटीआरआई, मैसूर।
7. डॉ. के.के. शर्मा, नेटवर्क समन्वयक, परियोजना समन्वयन प्रकोष्ठ में कीटनाशक अवशिष्टों पर एआईएनपी, आईएआरआई, नई दिल्ली।
8. डॉ. तपन चक्रावर्ती, वैज्ञानिक 'जी' एवं कार्यवाहक निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर।
9. श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव, जन विश्लेषक, खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण, दिल्ली। (सेवानिवृत)
10. डॉ. एस.के. हांडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. डॉ. गुरुदयाल सिंह टोटेजा, वैज्ञानिक 'एफ', भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान, परिषद, नई दिल्ली।

fssai

पैनल–7 (कीटनाशक लेबलिंग एवं दावा विज्ञापनों के लिए)

1. डॉ. बी. शशिकेरन, निदेशक, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद।
2. श्री दर्शन सिंह, चढ्डा, वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार, भारतीय उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली (भारत सरकार से सेवानिवृत्त)।
3. डॉ. अनूपा सिद्धू, निदेशक, लेडी इरविन कॉलेज, नई दिल्ली।
4. श्री प्रदीप के. चौधरी, स्वतंत्र सलाहकार, विशेषज्ञ फूड एडिटिव्स, फूड लेबलिंग, पोषणीय खाद्य, गुड़गांव।
5. श्री मृदुल सलगामे, पीएच.डी (डेरी सूक्ष्म जीवविज्ञान), विश्लेषणात्मक विशेषज्ञ, प्रबंध निदेशक, आईएडीएफएसी प्रयोगशाला, बंगलौर।
6. डॉ. एस. प्रेमा कुमारी, पीएच.डी (खाद्य विज्ञान एवं पोषण), आहार विशेषज्ञ, प्रो. एवं प्रमुख, अविनाशलिंगम, यूनिवर्सिटी फॉर वूमेन, कोयंबटूर, तमिलनाडू।
7. डॉ. पुल्लाभट्ला श्रीनिवास, प्रमुख, वृक्षारोपरण उत्पाद, मसाले एवं फ्लेवर प्रौद्योगिकी, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर।
8. डॉ. डी.पी. अत्रे, पी.एच.डी खाद्य विज्ञान (मीट विज्ञान, सस्तरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस एवं सलाहकार, थनाजावुर (तमिलनाडू), डीआरडीओ, स्वास्थ्य मंत्रालय, एपीईडीए, डीएसटी, बीएचयू, स्वतंत्र सलाहकार – विशेषज्ञ खाद्य सुरक्षा, आईएसओ–9001, 17025, 22000, जीएपी, जीसीपी, जीएलपी एवं जीएमपी, नोएडा।
9. डॉ. आर.आर. बी सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल।
10. डॉ. नंदकिशोर नामदेव राव, जेड, प्रो. एवं प्रमुख, नागपुर वेटरनेरी कॉलेज, नागपुर।
11. डॉ. एस.के. खन्ना, सेवानिवृत्त निदेशक ग्रेड वैज्ञानिक, प्रमुख, खाद्य विषविज्ञान प्रभाग, भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।

पैनल–8 (अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों और खाद पदार्थ)

1. डॉ. पी.एल. गौतम, चेयरमैन, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, चेन्नई।
2. डॉ. रमेश वी. भट्ट, सलाहकार, एफएओ, हैदराबाद।
3. डॉ. एम. पदमावती, सहायक प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर।
4. डॉ. पी. बालासुब्राह्मण्यम, निदेशक, सेंटर फॉर प्लांट मोलेक्यूलर बायोलॉजी, तमिलनाडू, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर।
5. डॉ. ललीता रामाकृष्णा गोवडा, वैज्ञानिक 'एफ', केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद), मैसूर।

6. डॉ. जे नागाराजू, वैज्ञानिक 'जी' एवं समूह प्रमुख, सेंटर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एवं डायनॉस्टिक्स, हैदराबाद।
7. डॉ. डी. योगेशवारा राव, वैज्ञानिक 'जी' एवं तकनीकी नेटवर्किंग एवं बिजनेस विकास प्रभाग प्रमुख, सीएसआईआर, नई दिल्ली।
8. डॉ. ए.बी. डोंगरे, प्रधान वैज्ञानिक, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर, नागपुर।
9. डॉ. एस.आर. राव, वैज्ञानिक 'जी', जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, लोदी रोड, नई दिल्ली।
10. डॉ. आर.पी. सिंह, प्रोफेसर, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की।
11. डॉ. सतविंदर सिंह मारवा, सीईओ, पंजाब जैव–प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर, एसएएस नगर, पंजाब।
12. डॉ. परमजीत सिंह पनेसर, सहायक प्रोफेसर, खाद्य एवं अभियंत्रिकी तकनीक विभाग, संत लोंगावल इंजीनियरिंग एवं टैक्नोलॉजी, लोंगावल, पंजाब।
13. डॉ. सुभाष चंद, प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली।

fssai

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

तीसरा एवं चौथा तल, खाद्य एवं औषधि प्रशासनिक भवन,
कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002
बेबसाईट : www.fssai.gov.in
टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर : 1800112100

Printed at : Chaar Dishayen Printers Pvt. Ltd. # 9810297155

सत्यमेव जयते

fssai

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
Food Safety and Standards Authority of India

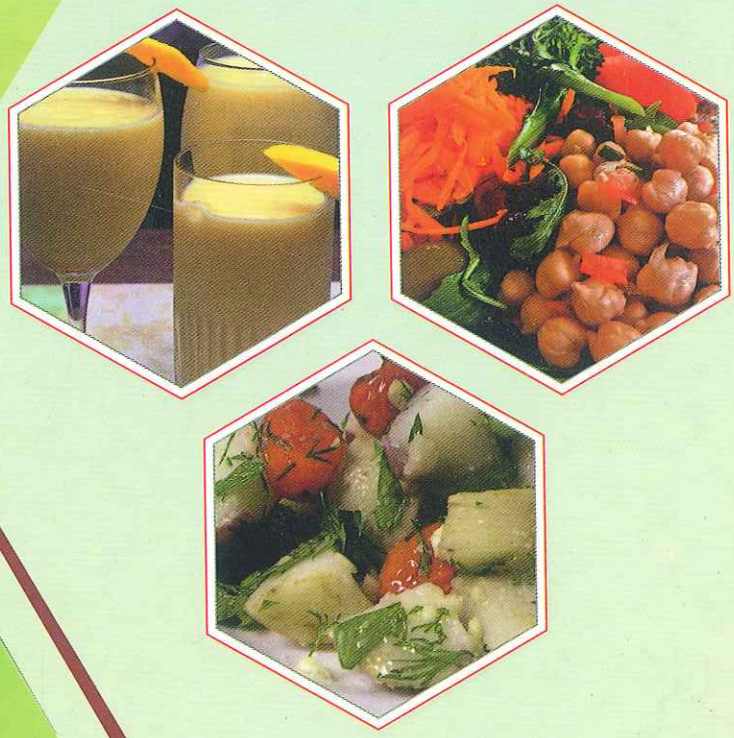

ANNUAL REPORT 2011-12

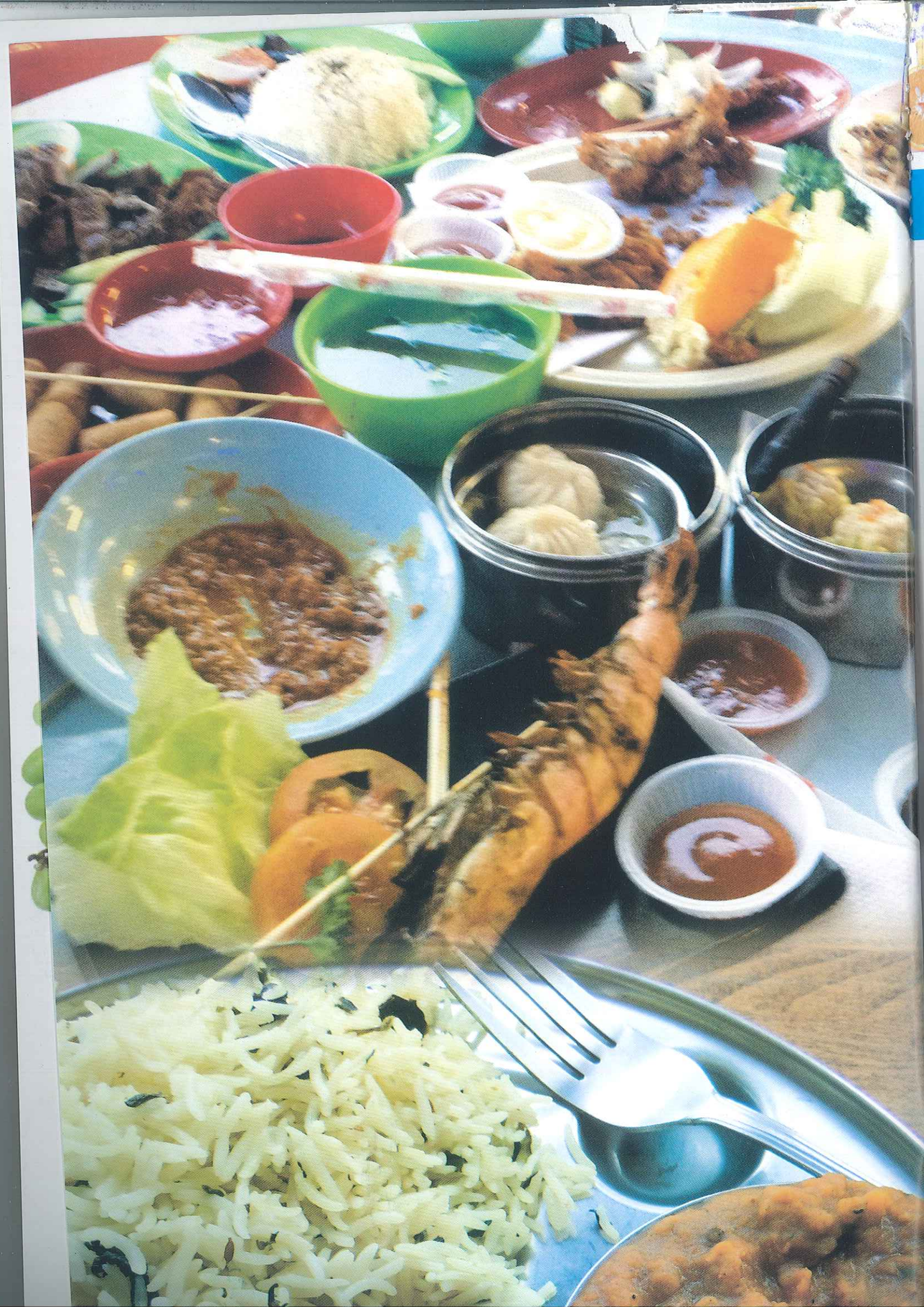

ANNUAL REPORT-2011-12

Contents

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Overview	1
2.	Salient features of the Food Safety and Standards Act, 2006	3-5
3.	Food Safety and Standards Regulations, 2011	7
4.	Mandate and Structure- Authority, Central Advisory Committee, Scientific Committee, Scientific Panels	8-17
5.	Administration and Human Resources	18
6.	Result Framework Document (2011-12)	19-32
7.	Progress of the States/ UTs regarding implementation of FSS Act, 2006	33-39
8.	Enforcement	40-43
9.	Laboratories	47-51
10.	Codex Matters	52-53
11.	Safety of Imported Food	54-59
12.	Training and Capacity Building	60-62
13.	Information, Education & Communication (IEC)	63-64
14.	E-Governance and Library	65
15.	RTI Matters	66
16.	Financial Statements	67-100

सत्यमेव जयते

Building healthy India with safe food

Food Safety Standards Act 2006 has established Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) under administration control of the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India. It is a single reference point for all matters relating to food safety and standards by moving from multi-level, multi-departmental control to a single line of command. FSSAI has been established for laying down science based standards for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption.

fssai

Food Safety and Standards Authority of India

Help line No : 1800-11-2100

wwe.fssai.gov.in

fssai

Overview

The year 2011-12 was a year of great leaps in achieving many milestones in the history of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) towards realization of the immediate goal for operationalizing the Food Safety and Standards Act (FSS Act), 2006. The Food Safety and Standards Rules, 2011 and Regulations, 2011 were finalised on the basis of comments received from various stakeholders and after a series of discussions in various forums with the industry, Industry Associations – FICCI, CII, ASSOCHAM and Trade, Consumers Associations and representatives of various States / Central Government Organisations in the Central Advisory Committee (CAC), the Food Safety and Standards Rules, 2011 and Food Safety and Standards Regulation, 2011 (FSSR) were notified for implementation of the Food Safety and Standards Act (FSS Act) 2006 w.e.f. 5th August 2011 repealing all the previous food orders notified in the Second Schedule of the Act.

(1) The Prevention of Food Adulteration Act, 1954,

(2) The Fruit Products Order, 1955,

(3) The Meat Food Products Order, 1973,

(4) The Vegetable Oil Products (Control) Order, 1947,

(5) The Edible Oils Packaging (Regulation) Order 1998,

(6) The Solvent Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967,

(7) The Milk and Milk Products Order, 1992.

(8) Any other order issued under the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) relating to food.

FOOD SAFETY AND STANDARDS ACT, 2006

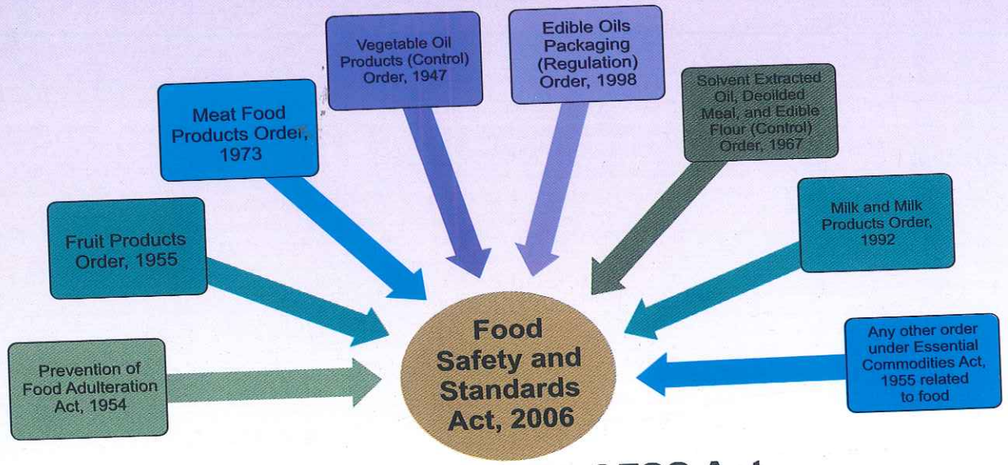

New provisions of FSS Act

- Covering Functional Foods, supplements, Nutraceuticals.
- Issue of Licenses within 2 months of application.
- Provision of Improvement Notice by Designated Officers.
- Prosecution should be within 1 year of offence.
- Special Courts for summary trials.
- Compensation to Victims (for any case of Injury/ Grievous Injury/ Death).
- Rewards to informers (informing about the violators - adulteration etc.) by State Government
- One composite license for unit(s) falling in one area.
- Encouraging Self regulation and adherence to specified food safety management systems.
- No License for petty food business operators; only registration.
- Central licensing from Authority for high risk items.
- Decriminalization of law and expeditious disposal of cases.
- Right to contest laboratory results by opting to send sample to accredited laboratory.

Food Safety and Standards Authority of India
Website : fssai.gov.in
Toll Free Helpline No. 1800 11 2100

fssai

fssai

Salient features of the Food Safety and Standards Act, 2006

- The work on formation of a single Act to consolidate the laws relating to food was going on since long and the Central Government has declared its intention in the budget speech of 2002. This work was entrusted to the Ministry of Food Processing Industries who piloted the Food Safety and Standards Bill, 2005 which was finally enacted as the Food Safety and Standards Act, 2006 by the Parliament and after receiving assent of the President on 23rd August, 2006, the same was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 1 on dated 24th August, 2006. The draft was prepared in consultation with various stakeholders and after a series of discussions / deliberations in Inter-Ministerial Group and Standing Parliamentary Committee Meetings and its clearance from the Group of Ministers; the draft was notified seeking comments from the public.

- The Food Safety and Standards Act, 2006 envisages to regulate manufacture, storage, distribution, sale and import to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption and for consumers connected therewith. If an Food Business Operator (FBO) is holding existing licence/ registration under any of the Food Law/Order which has been repealed on the commencement of this Act, the concerned FBO(s) can get the existing licence or registration converted into registration or license in the Food Safety and Standards Act without any hassles by paying the required registration/ licence fees.

- **Registration of Petty FBOs** : The petty FBOs are expected to ensure minimum sanitary and hygienic requirements and such units have been kept away from the purview of licensing under Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses), Regulation 2011. However, such units have been brought under the purview of registration (Regulation 2.1.1) which were not existing earlier to maintain a database and to have a regulatory check on all such units who were engaged in the production and supply of food items to consumers and to control the consequent mishaps or hazards. All food manufacturing units, whether small or big, are expected

to produce/supply safe food products to the public. For registration of petty FBOs the charges for registration have been kept at Rs. 100/- per annum only and the registration procedure has also been simplified.

- Petty retailer, hawker, itinerant vendor or a temporary stall holder or small scale or cottage or such other industries relating to food business or tiny Food Business Operator are exempted from obtaining licence under the Act. But for food safety, registration is mandatory.

- Such food business operators where annual turnover is not exceeding Rs. 12 lacs and/ or whose:

  a) production capacity of food (other than milk and milk products and meat and meat products) does not exceed 100 kg/litre per day or

  b) production or procurement or collection of milk is up to 500 litres of milk per day or

  c) slaughtering capacity is 2 large animals or 10 small animals or 50 poultry birds per day or less

❖ **Powers of Food Safety Officer and penalty for misuse** : The Food Safety Officer (FSO) has been empowered under sub-section 6 of Section 38 of the Act for initiating action or launching prosecution when any adulterant is found in the possession of a manufacturer or distributor/dealer of food or in any of the premises occupied by the FBO where he is unable to account for such possession to the satisfaction of the FSO for seizure of the account books or other documents etc. but this power is to be exercised by FSO with the approval of the Competent Authority. However, if the FSO misuses his power, he is also liable for penalty under section 39 of the Act which may extend to Rs. 1 Lakh.

❖ **Powers of a Civil Court for the Adjudicating Officers** : Section 68 of Food Safety and Standards Act deal with the procedure of adjudication. The Adjudicating Officer (AO) has been given powers of a Civil Court under Sub-section 3 of Section 68.

❖ **Power to the purchaser/consumer to get the food sample analysed** : Section 40 of Act enables the purchaser of any article of food to get the same analysed from the Food Analyst after giving a notice/information to the FBO at the time of purchase of his intention to have such food articles analysed and by paying a fee of Rs. 1000/- as analytical charges to the Food Analyst/Laboratory prescribed under Food Safety and Standards (Laboratory and Sampling Analysis) Regulations, 2011. This provision has been kept to empower the purchaser/consumers ultimately for whom the food products are being manufactured or being sold.

❖ **Penalty for misbranded food :** The penalty for misbranded food is provided under the Section 52 of the Act which may extend to Rs. 3 Lakhs.

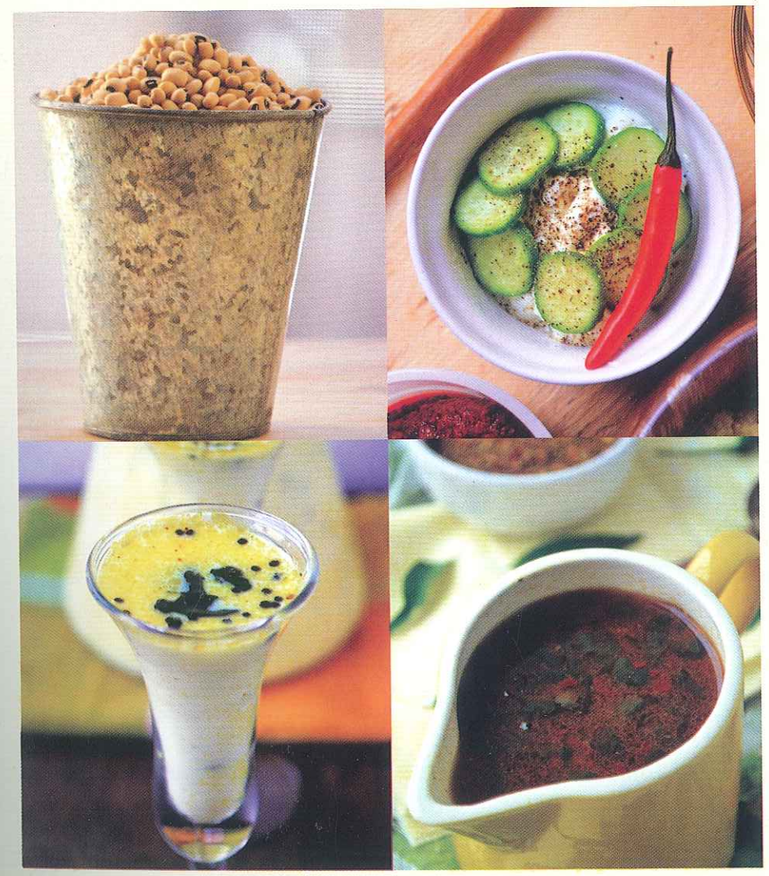

Food Safety and Standards Regulations, 2011

The draft Regulations for implementation of the Act were also framed in consultation with various stakeholders as well as representative from State Governments and the same were published in the Gazette of India (Extraordinary) Part ÌII, Section 4 on dated 20th October, 2010 inviting objections/suggestions from the public. The objections/ suggestions received from stakeholders on the said draft Regulations were further discussed before finalisation of the Food Safety and Standards Regulations, 2011 which were notified on 1st August, 2011 with the approval of the Law Ministry and the Central Government before its enforcement w.e.f. 5th August, 2011.

(1)	FSS (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011
(2)	FSS (Packaging and Labelling) Regulations, 2011
(3)	FSS (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011
(4)	FSS (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations, 2011
(5)	FSS (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011
(6)	FSS (Laboratory and Sampling Analysis) Regulations, 2011

Mandate and Structure of FSSAI

The Food Safety and Standards Act, 2006 has been enacted by the Government of India on 24th August, 2006 with the aim of establishing a single reference point for all matters relating to food safety and standards, by moving from multi- level, multi-departmental control to a single line of command and to achieve the same, an independent statutory autonomous Authority – the Food Safety and Standards Authority of India was established.

Ministry of Health & Family Welfare, Government of India is the Administrative Ministry of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). The Chairperson and Chief Executive Officer of FSSAI are appointed by the Central Government. The Head office of the Authority is located in New Delhi at FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002. Shri K. Chandramouli joined as the Chairperson of FSSAI on 27th January, 2012. Shri V. N. Gaur, relinquished the charge of CEO on 23rd February, 2012.

Composition of Food Safety And Standards Authority of India

The Food Authority shall consist of a Chairperson and the following twenty-two members out of which one-third shall be women, namely:-

(a) seven Members, not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India, to be appointed by the Central Government, to respectively represent the Ministries or Departments of the Central Government dealing with –

- (i) Agriculture,
- (ii) Commerce,
- (iii) Consumer Affairs,
- (iv) Food Processing,
- (v) Health,
- (vi) Legislative Affairs,
- (vii) Small Scale Industries,

who shall be Members *ex officio*;

(b) two representatives from food industry of which one shall be from small scale industries;

(c) two representatives from consumer organisations;

(d) three eminent food technologists or scientists;

(e) five members to be appointed by rotation every three years, one each in seriatim from the Zones as specified in the First Schedule to represent the States and the Union territories;

(f) two persons to represent farmers' organisations;

(g) one person to represent retailers' organisations.

The Chief Executive Officer who is the legal representative of Food Authority and also the member secretary of the Food Authority.

The list of the present members of the Food Authority is at Annexure-I

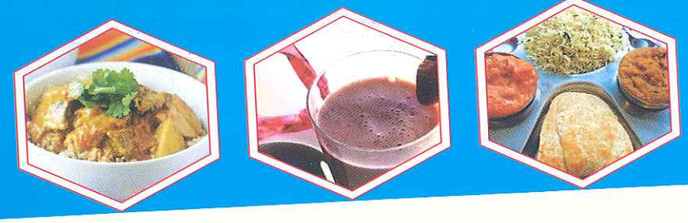

Duties and Functions of Food Authority

(1) It shall be the duty of the Food Authority to regulate and monitor the manufacture, processing, distribution, sale and import of food so as to ensure safe and wholesome food.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1),the Food Authority may by regulations specify –

(a) the standards and guidelines in relation to articles of food and specifying an appropriate system for enforcing various standards notified under this Act;

(b) the limits for use of food additives, crop contaminants, pesticide residues, residues of veterinary drugs, heavy metals, processing aids, myco-toxins, antibiotics and pharmacological active substances and irradiation of food;

(c) the mechanisms and guidelines for accreditation of certification bodies engaged in certification of food safety management systems for food businesses;

(d) the procedure and the enforcement of quality control in relation to any article of food imported into India;

(e) the procedure and guidelines for accreditation of laboratories and notification of the accredited laboratories;

(f) the method of sampling, analysis and exchange of information among enforcement authorities;

(g) conduct survey of enforcement and administration of this Act in the country;

(h) food labelling standards including claims on health, nutrition, special dietary uses and food category systems for foods; and

(i) the manner in which and the procedure subject to which risk analysis, risk assessment, risk communication and risk management shall be undertaken.

(3) The Food Authority shall also

(a) provide scientific advice and technical support to the Central Government and the State Governments in matters of framing the policy and rules in areas which have a direct or indirect bearing on food safety and nutrition;

(b) search, collect, collate, analyse and summarise relevant scientific and technical data particularly relating to –

(i) food consumption and the exposure of individuals to risks related to the consumption of food;

(ii) incidence and prevalence of biological risk;

(iii) contaminants in food;

(iv) residues of various contaminants;

(v) identification of emerging risks; and

(vi) introduction of rapid alert system;

(c) promote, co-ordinate and issue guidelines for the development of risk assessment methodologies and monitor and conduct and forward messages on the health and nutritional risks of food to the Central Government, State Governments and Commissioners of Food Safety;

(d) provide scientific and technical advice and assistance to the Central Government and the State Governments in implementation of crisis management procedures with regard to food safety and to draw up a general plan for crisis management and work in close co-operation with the crisis unit set up by the Central Government in this regard;

(e) establish a system of network of organisations with the aim to facilitate a scientific co-operation framework by the co-ordination of activities, the exchange of information, the development and implementation of joint projects, the exchange of expertise and best practices in the fields within the Food Authority's responsibility;

(f) provide scientific and technical assistance to the Central Government and the State Governments for improving co-operation with international

organisations;

(g) take all such steps to ensure that the public, consumers, interested parties and all levels of panchayats receive rapid, reliable, objective and comprehensive information through appropriate methods and means;

(h) provide, whether within or outside their area, training programmes in food safety and standards for persons who are or intend to become involved in food businesses, whether as food business operators or employees or otherwise;

(i) undertake any other task assigned to it by the Central Government to carry out the objects of this Act;

(j) contribute to the development of international technical standards for food, sanitary and phyto-sanitary standards;

(k) contribute, where relevant and appropriate to the development of agreement on recognition of the equivalence of specific food related measures;

(l) promote co-ordination of work on food standards undertaken by international governmental and non-governmental organisations;

(m) promote consistency between international technical standards and domestic food standards while ensuring that the level of protection adopted in the country is not reduced; and

(n) promote general awareness as to food safety and food standards.

(4) The Food Authority shall make it public without undue delay –

(a) the opinions of the Scientific Committee and the Scientific Panel immediately after adoption;

(b) the annual declarations of interest made by members of the Food Authority, the Chief Executive Officer, members of the Advisory Committee and members of the Scientific Committee and Scientific Panel, as well as the

declarations of interest if any, made in relation to items on the agendas of meetings;

(c) the results of its scientific studies; and

(d) the annual report of its activities;

(5) The Food Authority may from time to time give such directions, on matters relating to food safety and standards, to the Commissioner of Food Safety, who shall be bound by such directions while exercising his powers under this Act;

(6) The Food Authority shall not disclose or cause to be disclosed to third parties confidential information that it receives for which confidential treatment has been requested and has been acceded, except for information which must be made public if circumstances so require, in order to protect public health.

Farewell to

Shri V. N. Gaur, Chief Executive Officer, FSSAI

Central Advisory Committee (CAC)

i. The Central Advisory Committee shall consist of two members each to represent the interests of food industry, agriculture, consumers, relevant research bodies and food laboratories and all Commissioners of Food Safety, and the Chairperson of the Scientific Committee shall be *ex officio* member.

ii. The representatives of the concerned Ministries or Departments of the Central Government in Agriculture, Animal Husbandry and Dairying, Biotechnology, Commerce and Industry, Consumer Affairs, Environment and Forests, Food Processing Industries, Health, Panchayati Raj, Small Scale Industries and Food and Public Distribution or government institutes or organisations and government recognised farmers' shall be invitees to the deliberations of the Central Advisory Committee.

iii. The Chief Executive Officer shall be *ex officio* Chairperson of the Central Advisory Committee.

iv. Central Advisory Committee ensures close cooperation between the Food Authority and the Enforcement Agencies and Organizations operating in the field of food.

The primary mandate of the committee is to advise the Authority on the work programme, prioritization of work, identifying potential risks and pooling of knowledge.

The list of the present members of the Central Advisory Committee is at Annexure-II

fssai

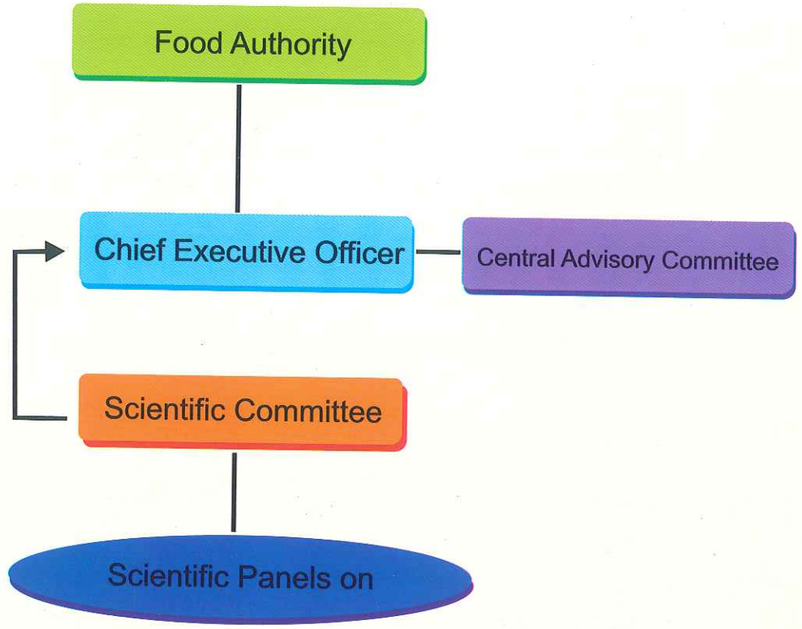

Scientific Committee

The Scientific Committee provides scientific opinions to the Food Authority and has the powers, where necessary, of organizing public hearings. The Scientific Committee shall be responsible for the general co-ordination necessary to ensure consistency of the scientific opinion and in particular with regards to the adoption of working procedures and harmonization of working methods of the Scientific Panels. The Scientific Committee shall provide opinions on multi-sectoral issues falling within the competence of more than one scientific panel, and on issues which do not fall within the competence of any of the scientific panel. Wherever necessary, and particularly, in the case of subjects which do not fall within the competence of any of the Scientific Panel, the Scientific Committee shall set up working groups and in such cases, it shall draw on the expertise of those working groups when groups establishing scientific opinions.

The Scientific Committee consists of the Chairpersons of the Scientific Panels and six independent scientific experts not belonging or affiliated to any of the Scientific Panels.

The list of the present members of the Scientific Committee of FSSAI is at Annexure-III.

SCIENTIFIC PANELS

The Food Authority establishes scientific panels, which consists of independent scientific experts which invites the relevant industry and consumer representatives in its deliberations. The following eight (8) Scientific Panels have been constituted-

1. Panel for Functional Foods, Nutraceuticals, Dietetic and Other Similar Products;
2. Panel for Method of Sampling and Analysis;
3. Panel for Food Additives, Flavorings, Processing Aids and Material in Contact with Food;
4. Panel for Contaminants in the Food Chain;
5. Panel for Biological Hazards;
6. Panel for Pesticides and Antibiotic Residues;
7. Panel for Labelling, claims/Advertisement
8. Panel for Genetically Modified Organisms and Foods.

The List of present Members of the above eight (8) Scientific Panels is at Annexure-IV.

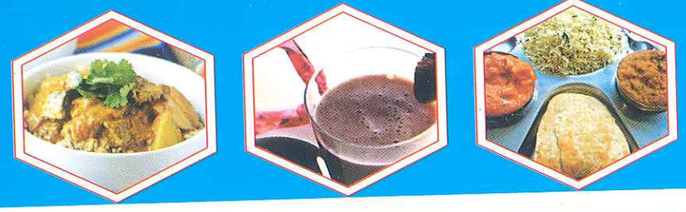

ADMINISTRATION AND HUMAN RESOURCES

ESTABLISHMENT & ADMINISTRATION

Chief Executive Officer is responsible for the day-to-day administration of the Food Safety & Standards Authority of India. 355 posts were sanctioned to strengthen FSSAI. As Recruitment and Appointment Regulations are under consideration with the Ministry, the regular recruitment process for the posts sanctioned will take time. Therefore, the manpower in FSSAI are being outsourced through a local HR agency. Besides, some of the posts are being filled up on deputation basis from the Government organisations.

Staff transferred from various Ministries/Departments

Various staff members transferred from Ministries who have hitherto handled works pertaining to various Acts/Orders listed under Second Schedule of the Food Safety and Standards Act, 2006 are working in the Authority under section 90 of the FSS Act, 2006. Ministry of Law has clarified that they are on deemed deputation until the Authority finalizes its Service Rules and gives option to the employees. The draft Recruitment and Appointment Regulations and the draft Service Rules are under consideration with the Ministry of Health & Family Welfare to finalize. The staff members who were transferred to FSSAI under Section 90 are either being absorbed or being repatriated in a phased manner.

Subsequent to the transfer of Staff, FSSAI is operating from the following locations across the country:

1. **Delhi**
2. **Mumbai**
3. **Chennai**
4. **Kolkata**
5. **Guwahati**
6. **Lucknow**
7. **Chandigarh**
8. **Sonauli**
9. **Raxaul**
10. **Ghaziabad**

New offices are proposed to be opened in Hyderabad, Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Patna, Bhubaneswar for enforcement/licensing related work and at various ports of entries, viz., Cochin, Tuticorin, Kandla, Pipavav, Kakinada, Vizag etc. for work related to clearance of imported food.

fssai

Results Framework Document (RFD) for Food Safety and Standards Authority of India for year 2011-12

RFD for 2011-12 identified action points, deliverable and milestones. It included standards of service delivery. Summary of the results that FSSAI expects to achieve and the action plan to meet them are in section 1 & 2.

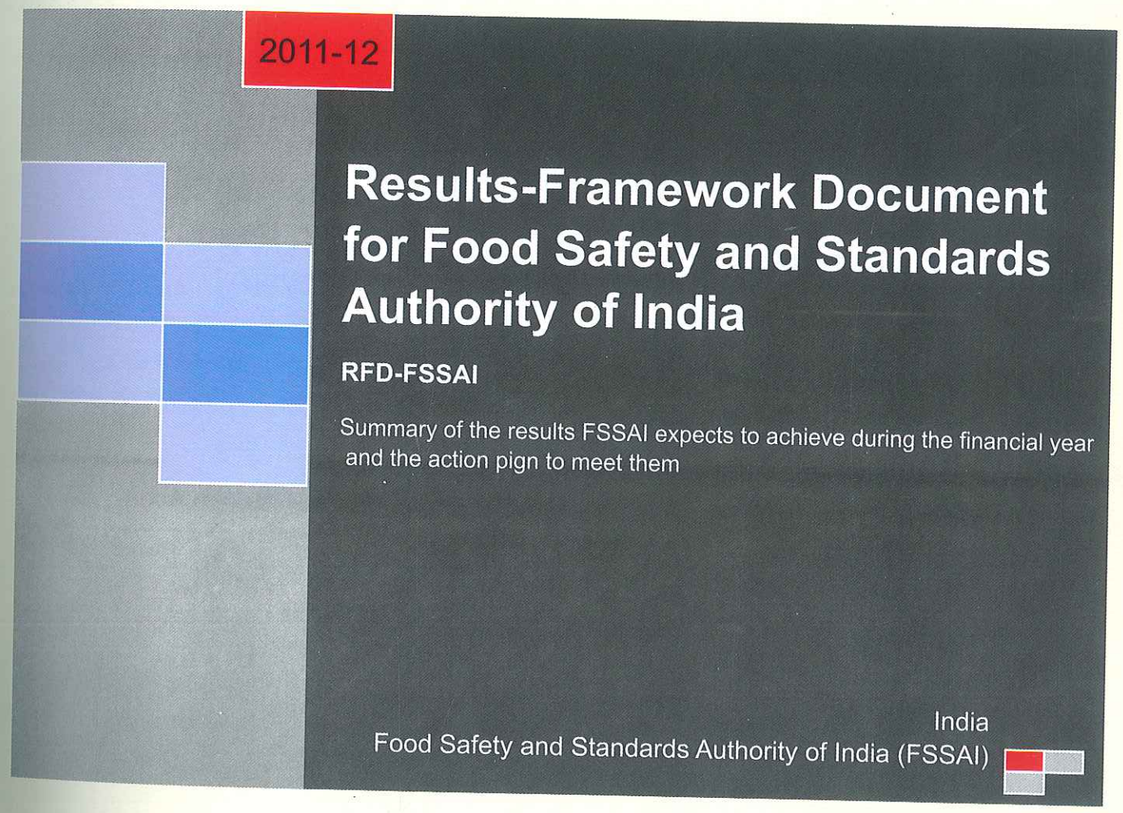

Section-1

Vision:

To create a food safety regulatory and monitoring system built on stakeholder participation, which encourages self compliance and enables informed decision making to secure safe and nutritious food for every citizen.

Mission:

To achieve excellence in the formulation of food safety standards based on modern science and to regulate the food sector in a responsive, efficient and effective manner:

Mission Objectives	Our Strategy
To create confidence among all stakeholders of being a friendly, accessible and responsive (public service) body	• To fully establish all assigned roles and functions of the Authority • Setting up internal review mechanisms • To develop a system of quick disposal of applications and ensure consistency in operations • Develop adequate and competent staff complement
To ensure establishment of Standards and practices that fully assure consumers interest and adhere to the highest degree of integrity possible	• Develop an open and transparent standards setting mechanism • Access best available scientific expertise for setting of standards • Undertake risk assessment studies in relation to food safety • Review existing standards keeping in view changes in technology, national and international best practices and expectations
Building capacity of various stakeholders for effective participatory role in food safety	• Work with all State Governments to ensure higher priority to Food safety as a subject of public interest and strengthen their regulatory capabilities • Work with international standards setting bodies in the development of food safety standards • Identification of 'alternative approaches' such as engaging accredited certification bodies and inspection agencies for supplementing regulatory capabilities • Establish a network of Centers of Excellence and Scientific Institutions to undertake Research, scientific investigations and capacity building activities • Establish Food Safety Centers as the outreach partners for capacity building, scientific advice and assisting the regulators at the state level • Build infrastructure for food testing through a network of reliable food testing laboratories

fssai

The development of effective information dissemination channels enabling consumers in making informed choices regarding the food they consume	• Creating platforms for information sharing and knowledge exchange among all stakeholders • To create mass awareness about un-safe food - supported by well researched and compiled data-base • To develop a robust and comprehensive complaint redress and query handling system • Establish an effective communication framework • Setting up feedback / perception rating systems and use them for improving service delivery standards.
Establish a framework of food safety with defined responsibility of each Food Business operator	• Benchmarking of Regulatory procedures against international best practices • Development of Plain language guidelines for Rules & Regulations in FSSA • Conducting Regulatory Impact Assessment studies and using them further improve the framework of regulations • Measuring conformance to service delivery standards • Setting up import safety surveillance systems at all ports • Establishing procedures for traceability and food product recall • Establishing effective surveillance systems that will help identify hazards and take appropriate corrective actions • To develop policies and guidelines for ensuring effective self compliance by all FBOs

Functions laid down under the Act:

- Framing of Regulations, Standards and guidelines in relation to articles of food
- Guidelines For accreditation of certification bodies / Laboratories
- Scientific advice and technical support to the Central Government and State Governments in matters of framing the policy and rules in areas related to food safety and nutrition
- Collect and collate data on food consumption, Incidence and Prevalence of biological risk. Contaminants in food, Residues of contaminants in food and introduction of rapid alert system
- Procedure and guidelines for Risk Analysis methodologies
- Creating Information Dissemination Network across the country about food safety
- Capacity Building for various stakeholders
- Contribute to development of International Technical Standards for food and harmonize national standards to the extent possible
- Promote general awareness about Food Safety and Food Standards.

Section 2

Inter-se Priorities among key objectives and Success Indicators

S. No.	Objective	Weight	Actions	Success Indicators	Unit	Weight	Target/Criteria Value				
							Excellent	Very Good	Good	Fair	Poor
							100%	90%	80%	70%	60%
1	Transition to Food Safety and Standards Act. 2006	15%	a) Notification of FSS Rules and Regulation Notification	Rules Notification	Date	4%	31.05.2011	30.06.2011	29.07.2011	31.08.2011	30.09.2011
				Regulation Notification	Date	4%	29.07.2011	31.08.2011	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011
			b) Transition to the new system of licensing	Framework, Guidelines, Inspection Manual	Date	3%	29.07.2011	31.08.2011	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011
				IT-Enabled system for Central Licensing	Date	2%	30.11.2011	14.12.2011	28.12.2011	11.01.2012	25.01.2011
			Repeal of previous Acts & Orders	Repeal of PFA	Date	2%	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012	29.02.2012
2	Developing and Strengthening Food Safety System	14%	a) Scheme for Strengthening Food Safety in State	Draft scheme & Send for approval of Govt.	Date	3%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
			b) Food Safety Plan for Panchayats and Municipalities	Draft Model Food Safety Plan based on Pilot	Date	2%	30.12.2011	13.01.2012	27.01.2012	10.02.2012	24.02.2012
			c) Food Safety Management System (FSMS) and compliance arrangements	Finalize documents	Date	3%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
				Roll out/ Notify Food Safety Professioiuds	Date	3%	30.12.2011	13.01.2012	27.01.2012	10.02.2012	24.02.2012
			d) INDIA-HACCP/ accreditation arrangements	Finalize INDIA-HACCP	Date	1%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
				Notify Certification / Inspection Bodies	Date	2%	30.12.2011	13.01.2012	27.01.2012	10.02.2012	24.02.2012
3	Standards and Regulations	13.5%	a) Developing regulations for functional foods, dietary supplements etc	Finalize Regulations	Date	3%	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012	29.02.2012
			b) Regulations for Food Additives	Finalize regulations	Date	2%	30.12.2011	13.01.2012	27.01.2012	10.02.2012	24.02.2012
			c) Labelling and Claim Regulations	Finalize Regulations	Date	3%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
			d) Standards for potable water & bottled water	Finalize Standards	Date	1%	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012	29.02.2012
			e) Safety Standards for Alcoholic drinks	Finalize Standards	Date	1%	31.01.2012	14.02.2012	28.02.2012	13.03.2012	27.03.2012
			f) Review of Packaging Regulation	Finalize draft regulation after review	Date	1%	31.01.2012	14.02.2012	28.02.2012	13.03.2012	27.03.2012
			g) Safety Guidelines for use of plastic in food processing and packaging	Finalize Guidelines	Date	0.5%	02.03.2012	09.03.2012	16.03.2012	23.03.2012	30.03.2012
			h) FSSAI's Policy on Food Fortification	Finalize Polity	Date	0.5%	02.03.2012	09.03.2012	16.03.2012	23.03.2012	30.03.2012
			i) Scheme for Food Safety in schools	Finalize Scheme & Guidelines	Date	1%	16.01.2012	30.01.2012	13.02.2012	27.02.2012	12.03.2012

Section 2

Inter-se Priorities among key objectives and Success Indicators

Sr. No.	Objective	Weight	Actions	Success Indicators	Unit	Weight	Target/Criteria Value				
							Excellent	Very Good	Good	Fair	Poor
							100%	90%	80%	70%	60%
			I) GAP Guidelines	Finalize GAP Guidelines	Date	0.5%	30.12.2011	13.01.2012	27.01.2012	10.02.2012	24.02.2012
4	Food Testing Laboratories	12%	a) Notify public food labs	Notification public labs.	Date	3%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
			b) Notify Referral food labs	Notification Referral labs	Date	2%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
			c) Up-gradation Plan for 10 labs	Finalize Plan	Date	4%	30.11.2011	14.12.2011	28.12.2011	11.01.2012	25.01.2012
			d) Up-gradation Plan for 3 CFLs	Finalize Plan	Date	2%	30.12.2011	13.01.2012	27.01.2012	10.02.2012	24.02.2012
			e) Accredited Food Laboratories for Import	Notify Empanelled Laboratories for Import	Date	1%	31.05.2011	30.06.2011	29.07.2011	31.08.2011	30.09.2011
5	Food Safety Surveillance and R&D	10.5%	a) Rolling out of Food Safety Centres and Centres of Excellence	Identify 10 FSCs and 3 COE	Date	1.5%	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012	29.02.2012
			b) Food Safety Surveillance Framework	Finalize the framework	Date	1%	30.12.2011	13.01.2012	27.01.2012	10.02.2012	24.02.2012
			c) Milk Surveillance Plan	Initiate Action	Date	1%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
			d) Awarding first tranche of R&D Project	Awarding R&D Project	Date	2%	02.03.2012	09.03.2012	16.03.2012	23.03.2012	30.03.2012
			e) Initiate Benchmarking Surveys	Initiate surveys to benchmark existing food safety level	Date	1%	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012	29.02.2012
			f) Food Import Clearance FSSAI	Extending activities to 7 additional ports of entry	Date	1%	30.12.2011	13.01.2012	27.01.2012	10.02.2012	24.02.2012
				Launching Pilot of IT enabled MIS System	Date	1%	29.07.2011	31.08.2011	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011
				Draft Risk Assessment Framework for Import	Date	1%	31.11.2011	14.12.2011	28.12.2011	11.01.2012	25.01.2012
				Draft Import Regulations	Date	1%	29.07.2011	31.08.2011	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011
6	Training and capacity building	9%	a) Training Plan (2011-12)	Finalize Training Plan	Date	1%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
			b) 2nd Round of Training of State Functionaries	Complete the 2nd Round of Training of senior state regulatory functionaries and ToT for others	Date	3%	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012	29.02.2012
			c) Training Curriculum and Accreditation System	Finalize Training Curriculum	Date	2%	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012	29.02.2012
			d) Launching of IGNOU Course on Food Safety for Housewives	Develop system for recognition of Institutions / Agencies to roll out the curriculum	Date	1%	02.03.2012	09.03.2012	16.03.2012	23.03.2012	30.03.2012
				Launching of course	Date	1%	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012	29.02.2012
			e) Review of Food Analysis curriculum and Cadre	Review and Recommendation	Date	1%	30.12.2011	13.01.2012	27.01.2012	10.02.2012	24.02.2012
7	Strengthening of Organization Structure	8%	a) Service Rules and Options to existing staff	Finalize Service Rules	Date	2%	29.07.2011	31.08.2011	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011
				Option to existing staff	Date	1%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
			b) Recruitment Rules and Recruitment against sanctioned posts	Submission of draft Recruitment Rules to Government	Date	2%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
				Initiate filling up of sanctioned posts	Date	1%	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012	29.02.2012
			c) Financial Procedure	Finalize Financial Procedures	Date	1%	30.12.2011	13.01.2012	27.01.2012	10.02.2012	24.02.2012
			d) IT Plan for FSSAI	Develop IT Plan and Phased roll out	Date	1%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012

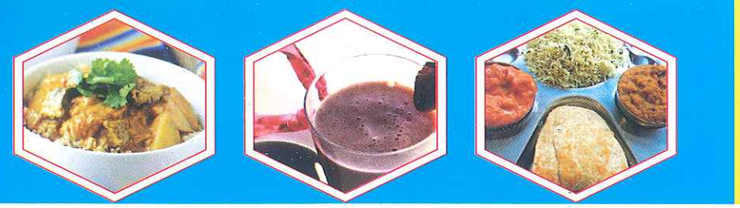

Sr. No.	Objective	Weight	Actions	Success Indicators	Unit	Weight	Target/Criteria Value				
							Excellent 100%	Very Good 90%	Good 80%	Fair 70%	Poor 60%
8	Communication and Awareness for Food Safety	7%	a) Communication Strategy/Plan	Finalize Communication Strategy /Plan	Date	1%	29.07.2011	31.08.2011	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011
				Design it Launch campaign	Date	2%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
			b) Launching Helpline	Launching Helpline	Date	2%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.012012
			c) Assistance to NGOs for awareness on load safety	Initiate Financial assistance to NGOs	Date	1%	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012
			d) Industry Partnership Programme for awareness and capacity building	Initiate Organizing Industry-FSSAt partnership programme	Date	0.5%	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011	31.01.2012	29.02.2012
			e) Whistle Blower scheme for States	Draft the scheme	Date	0.5%	29.07.2011	31.08.2011	30.09.2011	31.10.2011	30.11.2011
9	Efficient functioning of RFD system	11%	Timely submission of RFD for 2011-12	On time submission	Date	2%	31.03.2011	03.04.2011	04.04.2011	05.04.2011	6.04.2011
			Time submission of results for 2011 12	On time submission	Date	1%	01.05.2012	03.05.2012	04.05.2012	05.05.2012	06.05.2012
			Finalize a strategic plan for RC	Finalize strategic plan for next 5 years	Date	2%	10.12.2011	15.12.2011	20.12.2011	24.12.2011	31.12.2011
			Identify potential areas of Corruption related to organisation activities and develop an action plan to mitigote them	Finalize an action plan to mitigate potential areas of corruption	Date	2%	10.12.2011	15.12.2011	20.12.2011	24.12.2011	31.12.2011
			Implementation of Sevottam	Create a Sevottam Compliant System to implement, monitor and review Citizen's Charter	Date	2%	10.12.2011	15.12.2011	20.12.2011	24.12.2011	31.12.2011
				Create a Sevottam Compliant System to redress arid monitor public grievances	Date	2%	10.12.2011	15.12.2011	20.12.2011	24.12.2011	31.12.2011

* Mandatory Objective (s)

fssai

Section-3

Trend Values of the Success Indicators

Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) was established in 2008 and still is in the process of developing regulatory framework for food sector. From the section 2 above, it may be seen that most of the objectives and corresponding actions requires development of rules, regulations and guidelines or the initiation of implementation of provisions developed under RFD (2010-11). As such, indicating the trend values for the success indicators in terms of activities of FSSAI at this stage may not be practically possible. The FSSAI proposes to benchmark current levels of food safety and regulation at central, state and lower levels through a series of surveys, studies etc. This will enable us to determine the base level of food safety regulations and outline the separate targets in each area. Such surveys are being carried out during the current year.

Description and Definition of Success Indicators and Proposed Measurement Methodology

1. Food Safety and Standards Authority was constituted in September 2008. Eight Scientific Panels and Scientific Committee were constituted in May 2009. Central Advisory Committee consisting of 45 Members was set up in October 2009.

2. Staff belonging to various food related orders has been integrated and the current licensing procedures have been brought under the purview of FSSAI. The regional offices have also been transferred to the new Authority. The Scientific Panels and Scientific Committee have also started operations.

3. The Rules and Regulations for transition from PFA to FSSA have already been draft notified and forwarded to the Ministry for final notification. It is expected that these will be rolled out in the States from June 2011 onwards. Meetings have been held with States to take stock of the readiness of the implementation of Act and the supporting measures required.

4. It will be seen that in the first year Authority has been engaged in integrating the personnel from various ministries and setting up of various organs of the Authority. Systems and procedures have also been finalised for functioning of the Authority and these have received the approval of the Government. The FSSAI has received approval from Government regarding the posts sanctioned for organization structure and this year the recruitment process will be completed after laying down service rules & recruitment rules.

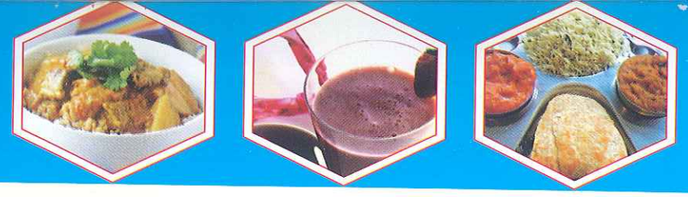

5. At present Authority is accessing scientific skills from a large number of agencies outside the Authority and the stakeholders. One of the main difficulties in laying down specific performance parameters for the Authority is the severe lack of information relating to critical parameters such as, food borne diseases, specific levels of contamination in various foods, awareness of food safety among the stakeholders and the absence of surveys and studies, bench marking impact of the current levels of food safety regulations. The Food Authority proposes to draw up a detailed set of surveys to profile and bench mark the current levels of food safety regulations and implementation of laws, contamination of various food items, food safety surveillance and impact of various regulatory measures. Till these data emerge in the next few years, it may not be possible to lay down any specific target in respect of success parameters.

The initial few years of the Authority would be spent in establishing its regulatory presence by drawing up the various food safety regulations, revision of the current standards, initiating studies and surveys to access the current levels of effectiveness of various food laws and levels of contamination. As soon as reliable and adequately disaggregated data emerge related to food safety regulations, food contamination and regulatory impact, these will be incorporated in the performance management documents of the Authority.

Glossary of Terms

Food Safety Plan - refers to scheme, program or methods identifying action areas and responsibilities worked out for the accomplishment of objective of food safety in a particular locality viz, panchayat, taluka, municipality or district. This is expected to involve the village/town community, local bodies, panchayats and other stakeholders in the food safety programme.

Food Safety Management System (FSMS) - means the adoption of Good Manufacturing Practices (GMP), Good Hygienic Practices (GHP), Hazard Analysis and Critical Control Point and such other practices as may be specified by regulation, for the food business. FSSAI will develop a reference Food Safety Management System which can prescribe levels of safety and provide guidance and which can at the same time, be evaluated. Such a standard should be widely available lo the food business operators who can adopt them with whatever resources available and gradually achieve acceptable levels of safety. This will encourage self compliance and reduces the need for detailed inspections.

INDIA-HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) - The Codex has defined HACCP guidelines which was the first published food safety management system,

However, there arc no freely available domestic HACCP standards. FSSAI proposes to develop its own FSSAI-India-HACCP standard which can be offered to units catering to the domestic market and a voluntary HACCP certification system against this standard. This can be used by food businesses to demonstrate compliance with safety regulations.

Functional Foods- are those foods that encompass potentially healthful products including any modified food or ingredient that may provide a health benefit beyond the traditional nutrients it contains. FSSAI is working on developing regulations for functional foods, Currently there are no regulations for functional foods.

Food Additives- mean any substance used as a typical ingredient of the food and intentionally added to food for a technological purpose in the manufacture, processing, preparation, treatment, packing, packaging, transport etc. FSSAI will review the existing standards for food additives under PFA Act to harmonise with codex standards and best practice.

Food Safety Centres: are expected to be located in research organizations and universities spread across the country that have the basic minimum facilities for academic work and food testing. They will function as outreach centres for FSSAI to carry out training to regulatory and other staff, providing scientific advice in respect of surveillance of food safety, carry out surveys, interpretation of surveillance data etc.

Good Agricultural Practiccs (GAP): Good Agricultural Practices are a collection of principles to apply for on-farm production and post-production processes, resulting in safe and healthy food and non-food agricultural products, while taking into account economical, social and environmental sustainability.

Centres of Excellence- A centre of excellence is an existing institute where research and technological development is performed of a high standard, in terms of measurable scientific output (including training) and/or technological innovation. FSSAI proposes lo have a framework agreement with Centres of Excellence in the country on various aspects related to food science to assist FSSAI in critical areas, carryout R&D and provide technical inputs in developing science based standards.

Network of Institutions for Surveillance- FSSAI proposes to have a framework for food safety surveillance, initially capturing the existing databases, coordination & networking among various institutions involved. This may include existing food science colleges, universities and other institutions.

FSSAI is developing an appropriate structure of food safety surveillance so as to advise government on the appropriate responses required and provide inputs on communicating market conditions and safety levels.

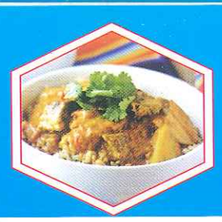
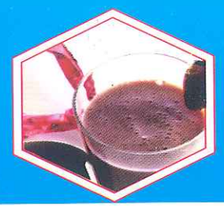
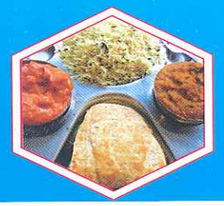

Food Safety Groups for Import- FSSAI will be posting Authorized Officers at all the major ports of the country in a phased manner to ensure the safety of imported food coming into India and developing a risk analysis framework for food import clearance process.

IGNOU- Indira Gandhi National Open University (IGNOU) is an Apex Body which co-ordinates and monitors distance education system throughout the country. It develops and produces courses for delivery through open learning and distance education mode and actively involved in research, training and extension education activities. FSSAI proposes to take help of IGNOU's expertise in launching distance training programmes to disseminate the concept of food safety upto grass root level.

Accreditation - is the third party attestation related to a conformity assessment body conveying formal demonstration of its competence to carry out specific conformity assessment tasks. In India, Quality Council of India (QCI) is the main Accreditation Body for accrediting agencies for certification schemes for food safety and National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) for food laboratories.

Communication Campaign- The food safety message needs to be effectively conveyed to various stakeholders such as panchayats, school children, households and industry. This is essential to build the demand for safe food and encourage steps by all concerned to take the required steps. Food safety is a multi-stakeholder activity which requires effective and focussed communication.

NGOs- Consumer is the main stakeholder in food safety and the activities of FSSAI have to be evaluated with reference to the effectiveness in assuring safety of food available to the consumer, effective association of consumers in standard development, capacity building, surveillance and informed choice.

Industry Interface- the FSS Act specifies that the primary responsibility for safety is on the food business operators. Keeping in view this FSSAI proposes to develop Industry Interface framework for dissemination of concept of food safety and capacity building to achieve the food safety.

R&D - Research & Development: with the mandate of laying down science based standards for food, FSSAI proposes to support research projects and related innovative R&D proposals pertaining to food safety and quality control by extending financial assistance to various institutions/Universities and recognized R&D laboratories.

Specific Requirements from other Departments and Ministries

1. The Rules and Regulation in respect of various provisions of FSS Act have already been draft notified in Gazette of India. Based on the comments received thereafter, the draft have been suitably modified and sent to Government for final notification. As such, specific help of Ministry of Health & Family Welfare, Ministry of Law (in terms of legal vetting of rules & regulations) would be required for early notification of Rules and Regulations.

2. The Government has already approved the posts for organization structure of FSSAI and filling up of these posts is to be completed this year. In the process of finalization of Service Rules and Recruitment Rules to start recruitment process for these post, the FSSAI will solicit timely help from Department of Personnel and Training (DoPT). Further, to ensure safety of imported food items is also one of the major mandate of FSSAI and to carry out the same the FSSAI would be requiring adequate number of staff throughout the country for its import safety directorate and a separate proposal in this regard is being submitted separately. The FSSAI will required timely and due consideration from Ministry of Finance for approval of the proposal on Import Safety Directorate.

3. To launch the success implementation of the FSS Act throughout the country during 2011-12, the FSSAI would be requiring an adequate budget keeping in view the communication, awareness and capacity building initiatives required. Further, schemes to schemes to strengthen States, upgradation the laboratory infrastructure, NGOs & Industry Partnership activities, R&D project, Food Safety Centres & Centre of Excellence etc. would require special budgetary provisions. This is likely to go up substantially in the coming years. Provision of adequate budgetary support by the Ministry and Planning Commission would be essential for the performance of the functions by the Authority.

4. Food related laws arc implemented by the Central Government, State Governments and the local bodies. While standards are determined by the Food Authority, implementation essentially rests with the State Governments. Under the new licensing provisions, sub sectors with high risk potential or those with interstate ramifications will continue to be licensed and regulated by the Food

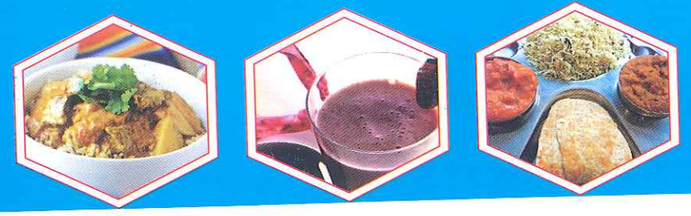

Authority. However, the major part of food regulation will be within the purview of municipalities, panchayats and the State Governments. State Governments arc required to notify the staff required for the implementation of the Food Safety and Standards Act. They will have to fill up the existing vacancies and also enable the food testing laboratories to upgrade themselves to take up food testing more reliably. Activities such as, food surveillance, sampling, prosecution cases etc. are also required to be performed by the State Governments. The existing levels of implementation of food laws vary from State to State, depending on the priorities attached to them, the resources made available and the leadership provided. The contribution of the State Governments and the local bodies will be critical to the effective implementation of the food laws in the country.

fssai

PROGRESS OF THE STATES/UTs REGARDING IMPLEMENTATION OF FSS ACT, 2006

1) ANDHRA PRADESH

a. 48 Food Safety Officers have been notified in 23 districts. Adjudicating officers have been notified. Public Analyst notified in Guntur.

b. There is one State Lab at Visakhapatnam.

c. Licensing piloted in 3 districts, 614 applications received and 467 issued and 117 are under process.

d. Four proposals for Mobile Laboratory facilities have been prepared and submitted for approval.

e. Under the Department for International Development (DFID), awareness programmes on Food Safety and water quality have been conducted to the stake holders in the nine Integrated Tribal Development Agency (ITDA) areas in the state.

f. Awareness programme on Food Safety & Hygiene is being done in Hostels, Ashram, Schools of Social Welfare Department and Schools implementing Mid-day meals programme.

g. Awareness Programme is conducted for FBOs regarding artificial ripening of fruits.

2) CHANDIGARH

a. Food Safety Commissioner, 1 Designated Officer, 3 Food Safety Officers and one Adjudicating Officer has been notified.

b. For the purpose of training of Authorised Officers/ Designated Officers, online registration/ licensing, a letter has already been submitted to National Institute of Smart Governance (NISG).

c. The proposed training for the officials of Chandigarh will be conducted with the State of Haryana.

d. Chandigarh Administration utilizes the services of Punjab and Haryana Food Laboratory for analysis of food samples.

e. For awareness generation among different categories of stakeholders, meeting was held with officials from Hotel Association of Chandigarh, Beopar Mandal Association of Chandigarh, Sweets manufacturer Association, Karyana Association and Flour Mills Association.

3) CHHATTISGARH

a. Food Safety Commissioner, 18 Designated Officers, 14 Food Safety Officers and 2 Food Analysts have been notified. Additional District Magistrates (ADMs) have been notified as Adjudicating Officers for all the 18 districts.

b. Proposal has been sent to the State Govt. for developing 1 regional lab at Bilaspur in the 12th Plan.

c. 60 licenses have been issued.

d. One mobile lab in the State for analysis of food samples.

e. Training programme organized for Designated Officers & Food Safety Officers but for AOs it is yet to be conducted.

f. Awareness generation programme has been initiated by organising workshop at Raipur with FBOs through Chhattisgarh Chamber of Commerce Association.

g. Food Safety Commissioner has used the platform of Doordarshan & Gyanwani for spreading the message of FSS Act, 2006. Also, talk-shows were organized and the Educational Institutions participated to create awareness among the students.

4) DELHI

a. Food Safety Commissioner, 5 full time Designated Officers and 31 Food Safety Officers have been notified. Local Health Authority (LHA) has been designated as Deputy Commissioner.

b. One NABL accredited laboratory.

c. All Additinal Distrcts Magistrates (ADMs) have been notified as Adjudicating Officer.

d. One Special Court of ordinary jurisdiction.

e. 2086 samples were lifted; out of which 31 unsafe, 58 were substandard, 48 misbranded and 5 violated provisions of the Act.

f. Online Licensing/ registration proposal is submitted to the Government.

5) GUJARAT

a. All LHAs and Senior Food Inspectors have been notified as Designated Officers. Food Inspectors have been notified as Food Safety Officers.

b. Food Safety Tribunal is established at Ahemdabad.

c. Two laboratories working under Food and Drug Control Administration (FDCA) are accredited by NABL. Rajkot and Bhuj laboratory of FDCA and all 3 Municipal Corporation Laboratories are in process of upgradation.

d. Two Mobile vans have been purchased–one shall be used for mobile testing and other as mobile exhibition van.

e. Lab Master software has been designed and developed by officers of FDCA with the help of NIC and software is uploaded.

f. 1211 licenses granted & 4037 registrations have been done under FSS Act.

g. Online Licensing/ Registration system has been launched for Gujarat as pilot project.

6) HARYANA

a. 14 Food Inspectors have been notified as Food Safety Officer.

b. Proposal for creation of additional 600 posts which includes 22 posts of DO and 54 posts of FSO have been sent to the Government for approval.

c. 945 samples have been analysed, out of which 138 were found to be substandard/ unsafe/ misbranded.

d. 1266 registrations out of 1507 applications and 87 out of 226 licenses have been issued under FSS Act.

7) JAMMU & KASHMIR

a. Deputy Commissioner, 23 Designated Officers, 70 Food Safety Officers, 2 Food Analysts have been notified. 23 Additional District Magistrates have

been notified as adjudicating Officers.

b. Training programmes for Designated Officers, Food Safety Officers yet to be conducted.

c. Out of 569 samples collected, 151 were found misbranded/ adulterated, 1 was found unsafe and 32 complaints have been disposed off.

d. Total fine of Rs. 4,45,000 have been imposed on FBOs.

e. The Registration powers lie with the Food Safety Officers and the Licensing powers lie with the Designated Officers.

f. Mobile facilities to be developed along with mobile labs for food testing.

8) KARNATAKA

a. Food Safety Commissioner, 30 Designated Officers, 106 Food Safety Officers, 30 Adjudicating Officers and 8 Food Analysts have been notified.

b. Budget of Rs.10.4 crores allotted by State Government for activities which includes-

(i) Mobile testing facility;

(ii) Procurement of equipments;

(iii) Capacity building programmes;

(iv) Development of website;

(v) Awareness and workshops for FBOs.

9) MADHYA PRADESH

a. Awareness activities are on with trader bodies.

b. State has few issues in licensing and registration.

10) MAHARASHTRA

a. All Designated Officers, Food Safety Officers and AOs have been notified.

b. Enforcement is effective in the state.

c. More than 1,60,000 licenses have been issued.

d. An elaborated monthly monitoring system effective at each level has been implemented.

11) MIZORAM

a. IEC activities were effective in creating awareness amongst FBOs.

b. 9 Food Safety Officers have been notified.

c. Issued 20 Number of licenses.

d. Concern about the shortage of manpower was highlighted.

12) NAGALAND

a. 11 Designated Officers & 7 FSOs have been notified.

b. The State has one food testing lab which is yet to be upgraded.

13) ORISSA

a. Food Safety Commissioner has been notified.

b. Licensing/registration not started.

14) PUDUCHERRY

a. Food Safety Commissioner, 1 Designated Officer, 3 Food Safety Officers, 2 Adjudicating Officers have been notified.

b. Laboratory Accreditation of NABL is in progress.

c. Total registration issued – 431.

d. Total license issued – 57.

e. Proposal to create 21 posts has been submitted to the Government.

15) PUNJAB

a. Training for Food Safety Officers, Designated Officers and AOs have been done.

16) TAMIL NADU

a. Food Safety Commissioner and Assistant Commissioner, Designated Officers, Food Safety Officers and AOs have been notified.

b. Designated Officers and AOs have been trained.

c. Out of 584 Food Safety Officers, training have been imparted to 294 Food Safety Officers.

d. State has six Food Testing Laboratories.

e. 345 samples have been lifted and 113 were analyzed, out of which 80 were adulterated/misbranded.

f. State Government sanctioned 6 Crores to strengthen the infrastructure in the laboratories.

g. 2663 licenses and 6638 registrations issued.

h. Awareness programme conducted for 1200 persons.

17) UTTARAKHAND

a. 12 Designated Officers and 34 Food Safety Officers have been notified.

b. Total number of licenses existing under PFA was 28,262. 88 licenses & 2481 registrations have been issued under FSS Act, 2006.

c. Licensing & Registration being done manually.

d. The State has one laboratory at Rudrapur without NABL Accreditation.

e. 543 samples were analysed, out of which 80 were found misbranded and 2 were unsafe, 12 cases were initiated.

f. Training of 12 Designated Officers has been done at National Institute of Biologicals, Noida.

g. More than 50 interactive sessions have been done with FBOs to encourage for licensing and registration.

18) UTTAR PRADESH

a. Designated Officers, Food Safety Officers and AOs have been notified.

b. 250 licenses were issued; 300-400 registrations were done through the online systems.

c. Strengthening of lab equipments is underway in 3 labs.

d. GAP analysis is done for all the labs.

e. There is one NABL accredited lab in Jhansi.

f. State has a grievance cell – redressed on a weekly basis.

19) WEST BENGAL

a. Food Safety Commissioner, Designated Officers of 18 districts and Kolkata Metropolitan district have been notified. 15 Adjudicating officers have been notified.

d. Notification of Food Inspectors as Food Safety Officer under other local bodies is under consideration.

e. Registration and Licensing have been started manually.

f. Creation of Helpline and website at State level on Food safety is under process.

g. Milk samples were drawn and analyzed and 3 sample were found to be sub-standard.

List of State Food Safety Commissioner is at Annexure II.

Status of Public Laboratories functioning in States/UTs.

After FSS Act, 2006 came into force and PFA Act, 1954 was repealed w.e.f. 5th August, 2011, the existing 72 Public Health Laboratories which were testing food samples under PFA Act have now been authorized by the Food Authority to function under Section 98 of FSS Act, 2006 till any further notification is issued under Section 43 of FSS Act, 2006. The Central Food Laboratories at Kolkata, Pune, Mysore and Ghaziabad have also been approved to function as the Referral Food Laboratories. Gap analysis for 50 labs have been got conducted. All 72 labs have to be upgraded to NABL standards. Mobile laboratories are important to cater to large public congregations and to inaccessible areas. Therefore it has been proposed to establish one mobile lab in each district of all states.

The Food Safety & Standards Authority of India has notified 55 laboratories for the purpose of carrying out analysis of samples by the Food Analysts under FSS Act, 2006 for a period of 1 year.

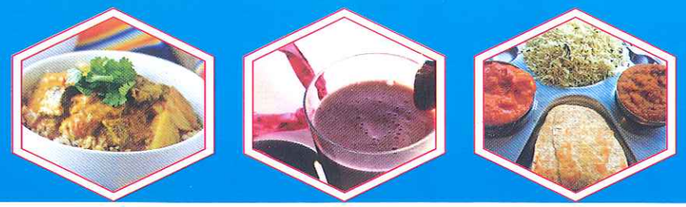

ENFORCEMENT

1. LICENSING

A) **Regional Office:** As envisaged in the Food Safety and Standards Act, 2006, central licensing of Food Business Operators (FBOs) is in progress. Seven regional offices were established to facilitate the central licensing process and seven Designated Officers were notified in regional offices of FSSAI. Central Licensing Process is an online process. Food Licensing and Registration System (FLRS) developed by the Logicsoft started with effect from 19th August 2011. During the year 2011-12, the regional Designated Officers of FSSAI have granted 413 Central Licenses to FBOs which include new Licenses as well as conversion of old licenses, whose details are given as follows:

Table 1: DETAILS OF CENTRAL LICENSE ISSUED DURING 2011-12

No. of Licenses Issued Region wise as on 31/03/2012				
S.No.	**Region**	**New**	**Conversion**	**Total**
1.	CHANDIGARH	25	34	59
2.	CHENNAI	9	107	116
3.	DELHI	40	38	78
4.	GUWAHATI	1	13	14
5.	KOLKATA	6	27	33
6.	LUCKNOW	12	21	33
7.	MUMBAI	19	61	80
TOTAL		**112**	**301**	**413**

B) **Indian Railways:** Food Safety and Standards Authority of India has notified 17 Designated Officers and 26 Food Safety Officers in all zones of Indian Railways.

C) **Licensing in States/UTs:** All States/UTs Government have notified Food Safety Commissioner, district wise Designated Officers (Licensing Officer) and Food Safety Officers in their respective States/UTs. Licensing and Registration is being granted to Food Business Operators who are complying with the requirements as laid down under FSS (Licensing and Registration of Food Business) Regulations, 2011. During the year of 2011-2012, the number of licenses issued was **91983** and number of registrations was **133973** as per details given below:-

Report on Licensing & Registration for the year 2011-2012

S.No.	Name of State	No. of Licenses Issued	No. of Registrations issued
1	**Andaman & Nicobar Island**	55	184
2	**Andhra Pradesh**	192	Nil
3	**Arunachal Pradesh**	56	90
4	**Assam**	NA	NA
5	**Bihar**	935	1704
6	**Chandigarh**	NA	NA
7	**Chhattisgarh**	Nil	Nil
8	**Dadara & Nagar Haveli**	27	13
9	**Daman & Diu**	NA	NA
10	**Delhi**	Nil	Nil
11	**Goa**	244	1544
12	**Gujarat**	934	5251
13	**Haryana**	87	1266
14	**Himachal Pradesh**	NA	NA
15	**Jammu & Kashmir**	7	287

16	**Jharkhand**	Nil	Nil
17	**Karnataka**	1014	3956
18	**Kerala**	2351	10860
19	**Lakshadweep**	Nil	Nil
20	**Madhya Pradesh**	262	1635
21	**Maharashtra**	72327	72507
22	**Manipur**	NA	NA
23	**Meghalaya**	184	48
24	**Mizoram**	NA	NA
25	**Nagaland**	Nil	Nil
26	**Orissa**	NA	NA
27	**Puducherry**	34	236
28	**Punjab**	164	94
29	**Rajasthan**	10541	29102
30	**Sikkim**	Nil	Nil
31	**Tamil Nadu**	858	2229
32	**Tripura**	NA	NA
33	**Uttarakhand**	88	2481
34	**Uttar Pradesh**	1623	486
35	**West Bengal**	NA	NA
	TOTAL	**91983**	**133973**

1. FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (FSMS)

An Expression of Interest (EOI) was floated for Recognition of Inspection/ Auditing Bodies and Auditors/Inspectors. The accredited inspection/auditing agencies will be required to carry out the following jobs:-

a) To inspect food business in the light of sanitary and hygienic requirements mentioned in the conditions of license and schedule IV of Food Safety and Standards (Licensing and Registration) Regulations, 2011. These inspections will be as per the inspection report formats as defined by FSSAI.

b) To conduct pre-commissioning inspection of newly established food business units.

c) To conduct routine / unannounced inspections as directed by the Authority from time to time to verify the food business units so as to comply with FSS regulations made there under.

d) To conduct re- inspection to verify rectification of deficiencies pointed out by the Licensing Authority.

e) To conduct periodical food safety annual audit of food businesses on the requirement of FBOs.

f) To make Food Safety Management Systems plans for FBOs and issue certificate to that effect.

g) To develop systematic follow-up of the implementation of the evaluation/ audit / inspection recommendations.

Following eight agencies are empanelled with FSSAI:

1. Export Inspection Council of India, New Delhi
2. Indian Register Quality Systems, New Delhi
3. INDOCERT, Kochi
4. TUV SUD, South Asia,
5. Det Norske Vertias,
6. One Cert, Jaipur
7. National Productivity Council, New Delhi
8. SGS India Pvt. Ltd.,

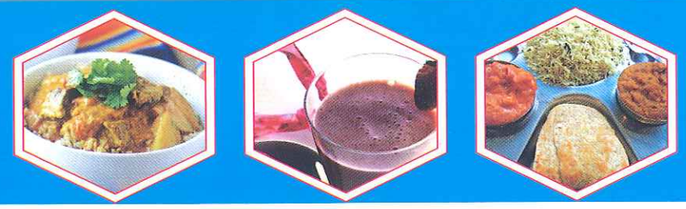

Procedure of Registration

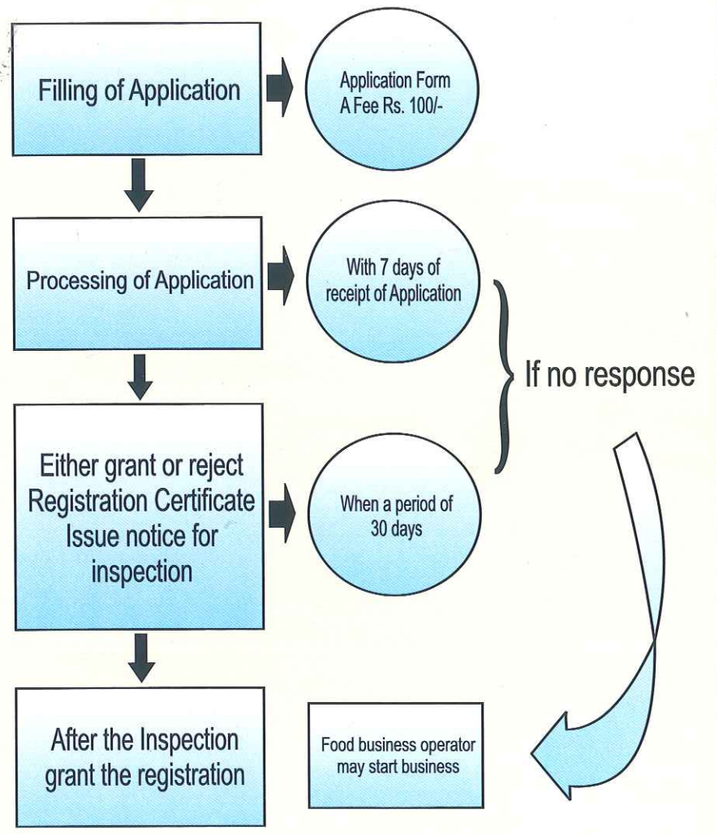

Food Safety and Standards Authority of India
website : fssai.gov.in
Toll Free Helpline No. 1800 11 2100

fssai

fssai

Procedure of Licensing

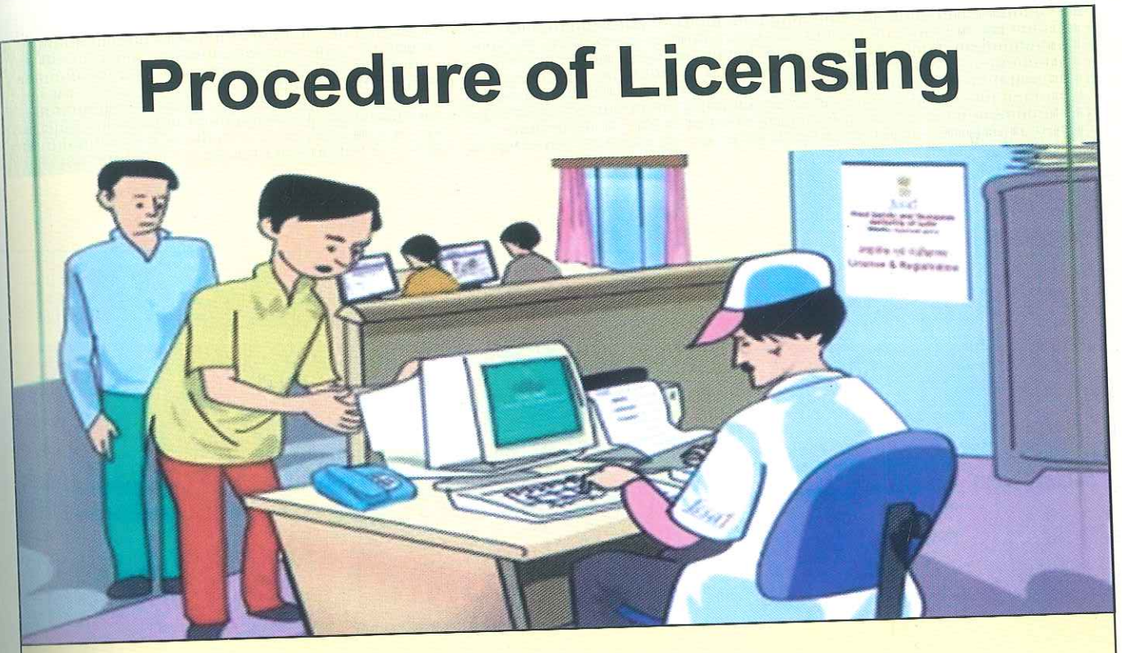

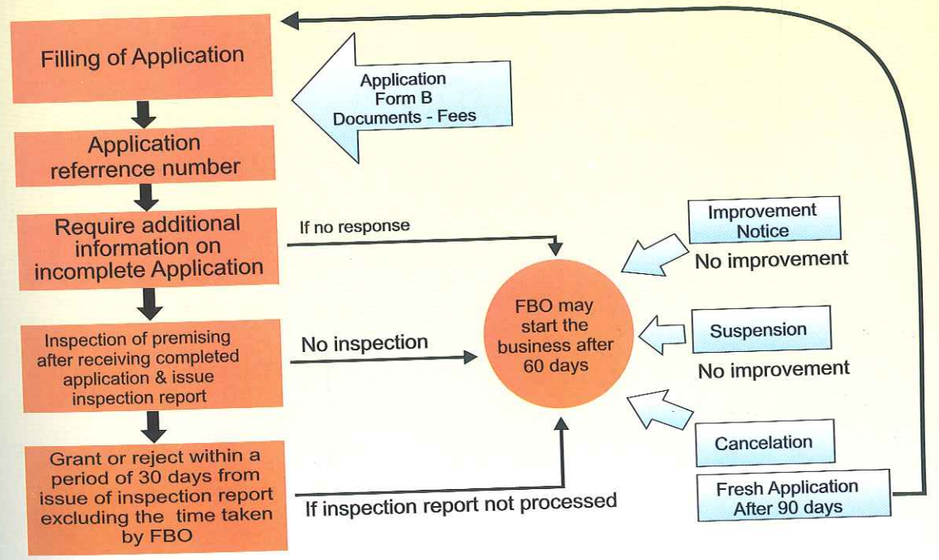

Food Safety and Standards Authority of India
website : fssai.gov.in
Toll Free Helpline no. 1800 11 2100

fssai

New Procedure for Sampling and analysis (Section 47)

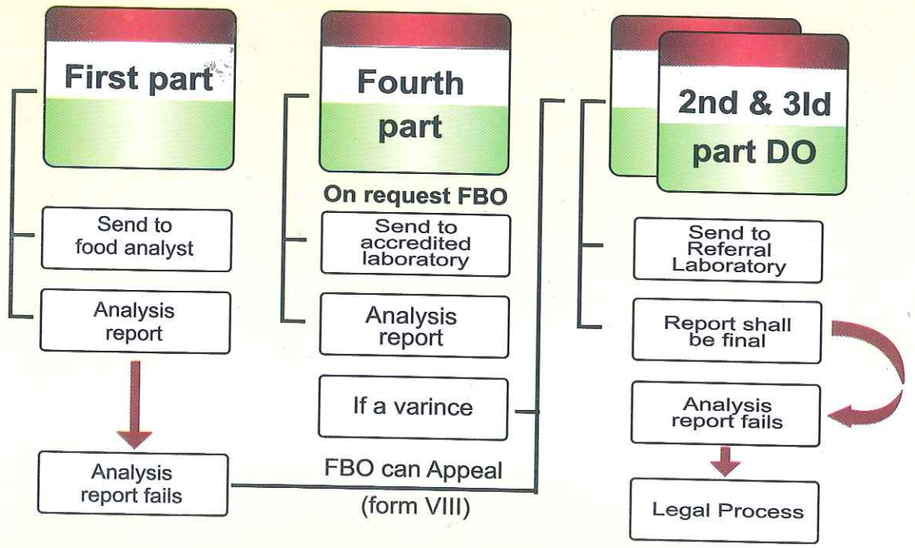

When a Food Safety Officer takes a sample of food for analysis, he shall-

(a) Give notice in writing of his intention to have it analyzed to the person from whom he has taken the sample and to the person, if any, whose name, address and other particulars have been disclosed ;

(b) Except in special cases as may be provided by rules divide the sample into four parts and mark and seal or fasten up each part in such a manner as its nature permits and take the signature or thumb impression of the person from whom the sample has been taken.

(i) send one of the part for analysis to the Food Analyst under intimation to the Designated Officer.

(ii) send two parts of the Designated Officer for keeping this in safe custody and

(iii) send the remaining part for analysis to an accredited laboratory, if so requested by the food business operator, under intimation to the Designated officer:

Provided that if the tests reports received under sub-clauses (i) and (iii) are found to be at variance, then the Designated Officer shall send one part of the sample in his custody, to referral laboratory for analysis, whose decision thereon shall be final

Food Safety and Standards Authority of India

FDA Bhawan, Kotla Road, Next to Bal Bhawan, New Delhi-110002

Website : fssai.gov.in

Toll Free Helpline No. 1800 11 2100

Laboratories

Details of Number of Samples Analysed and Found Adulterated at the Four Central Food Laboratories during the year 2011-12

Name of the Central Food Lab	From trial Courts under Section 12 (2A) 13 (2B) of the PFA Act/ FSSA		From Customs, Court Health Officers, Government Department & Specials Samples not connected with PFA Act/FSSA		Investigational Samples and those of Collaborative Studies		Total	
	Analysed	Adulterated	Analysed	Adulterated	Analysed	Adulterated	Analysed	Adulterated
CFL, Pune	804	699	257	38	396	---	1457	737
CFL, Kolkata	72	35	725	51	339	296	1136	382
F R S L , Ghaziabad	248	215	141	56	---	---	389	271
CFTRI, Mysore	1450	754 269 (Unfit)	494	50	99	38	2043	842

* Blank Columns/Rows indicate data under compilation.

FSSAI floated an Expression of Interest (EOI) on 26th August, 2011 to invite application from various NABL accredited laboratories for empanelment as FSSAI notified laboratories. A number of applications were received which were scrutinized by a committee. The basic requirements were NABL accreditation and approved scope of testing. Initially the laboratories were notified on ad-hoc basis for 3 months i.e till 12th December, 2011 which was further extended for 3 months until 12th March 2012. Till 31st March, 2012, 32 laboratories were authorized on ad-hoc basis. The State laboratories continue to act as notified laboratories under FSS Act, 2006. The details of labs are given below:

Region	S. No.	Name(s) of Laboratories	Address
Southern Region **(Kerala, TamilNadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Puducherry, Lakshadweep)**	1	SGS India Pvt Ltd, Chennai	Multilab, 1/509 A,Old Mahabalipuram Road, Opp. Govt. School, Thoraipakkam, Chennai-600096 Tel :+91-(44) 66693001 to 10 E-mail : grilab.chennai@sgs.com
	2	Sterling Test House, Cochin	Uchikkal Lane, Poonithura P.O, Cochin-682038 Tel :91-484-2306598, 2301582 E-mail: sterlingtesthouse@asianetindia.com
	3	Sargam laboratory Pvt. Ltd, Chennai	2, Ramavaram Road, Manapakkam, Chennai – 600 089, Tel.: 044 – 2249 1117 / 6736 / 2069, Fax: 044 – 2249 1651 E-mail: enquiry@sargamlabs.com
	4	Vimta, Hyderabad	Life Sciences Facility, 5,Alexandria Knowledge Park, Genome Valley, Hyderabad- 500078 Tel : 91-40-67404040 E-mail : vimtahq@vimta.com
	5	EICLab, Chennai	6th FLOOR, CMDA Tower-II, Gandhi Irwin Road, Egmore, Chennai – 600008
	6	Export inspection agency, Cochin	Ministry of Commerce and industry, Govt of India, 27/1767 A, Shipyard Quarters Road, Panampilly Nagar, Cochin-682036 Email-kochilab@eicindia.gov.in Tel: 0484-2316945,2316946,2316949
	7	Quality Evaluation Laboratory, Cochin	Spice Board Sugandha Bhavan Bypass P B No. 2277, Palarivattom, Cochin-682025
	8	National Colletarel Hyderabad	4-7-18/6B, Raghavendera Nagar, Nacharam, Hyderabad-500076 Tel : 040-44858686 E-mail : quality @ncmsl.com
	9	Bhagavathi Ana Labs Ltd, Hyderabad	Plot no: 7-2-C7 and 8/F, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad- 500018 Tel : + 91-40-2381 1535/1545/0505

fssai

			E-mail : ballcentrallab@gmail.com
	10	Interfield laboratories, Cochin	XIII/1208 Inter print House, Karuvelipady, Kochi. 682005 0484-2210915,0484-2212465 analysis@iflab.in mail@interfieldlaboratories.com
	11	SGS Cochin	Aspin Wall Building, Subramaniam Road,Cochin-682003 Tel :0484-2668913,2668914 E-mail: Baby.UmaMaheswaran@sgs.com
Western Region **(Gujarat, Maharashtra , Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Goa, Madhya Pradesh)**	12	Reliable analytical Labs Pvt Ltd, Mumbai	Reliable House, 125, Indian Corpn Complex, Mankoli, Bhivandi, Thane -421302 Maharashtra Tel : 91-02522-398100 E-mail : meenal@reliablelabs.org
	13	Envirocare laboratories Pvt Ltd, Mumbai	A-7, MIDC, WagleIndl. Estate, Main road, Thane-400604 +91-22-25838286, 87, 88 E-mail : info@envirocare.co.in
	14	Micro Chem, Mumbai	Micro Chem House, A-513, TTC Industrial area, MIDC, Mahape Navi, Mumbai-400701 Email: deepa@microchem.co.in Telefax : 022-27787800
	15	Ashwamedh Engineers & Consultants, Nasik	Survey No. 102, Plot No.26, Wadala Pathardi Road, Indira Nagar, Nashik-422009 Tel : 0253-2392225 E-mail-sales@ashwamedh.net, ashwamedh_nashik@hotmail.com
	16	Gujarat Laboratory, Ahmedabad	F/17, Madhavpura Market, Shahibaug, Ahmedabad-380004
	17	RCA Laboratories, Mumbai	(A Division of Dr. Amin Controllers Pvt Ltd) 501/502, Milan Industrial Estate, Abhudaya Nagar, Cotton Green, Off T J Road, Mumbai-400033

			Tel: 24706275, 65247404/09, E mail: laboratory@rcaindia.com, drmore@rcaindia.com
	18	IADFAC Laboratories Pvt. Ltd, Bangalore	1431, 1st Floor, Above Café Coffee Day, 22nd Cross, 22nd Main,Banashankari 2nd Stage, Bangalore-560070
	19	Geo Chem, Mumbai	Pragati, Adjacent to Crompton Greaves, Kanjurmarg(E), Mumbai-400042 Tel: 91-022 61915100 Fax: 022 61915101 E-mail: laboratory@geochemgroup.com
	20	Maarc Labs Pvt. Ltd, Pune.	Plot No 1&2, gate No. 27, Nanded Phata, Sinhagad Road, Pune. 411041 020-24395052,65213313 maarclab@vsnl.net maarc_lab@dataone.in
	21	Export Inspection Council Lab, Mumbai	Pilot Test House, E-3,MIDC, Marol, Andheri (East) Mumbai-400013, Maharashtra
Eastern Region **(West Bengal, Orissa, Bihar, Jharkhand, Sikkim, A &N Islands, Chattisgarh, Assam, Arunachal Pradesh, Tripura, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland)**	22	Export Inspection Agency Laboratory, Kolkata	Export Inspection Agency Laboratory, World Trade Centre,14/1B, Ezra Street, Kolkata
	23	Calcutta University Kolkata	Department of Chemical Technology 92,Acharya Prafulla Chandra Road, Kolkata-700009 Tel:033 23509937/ 8386/6387,Extn: 276 E-mail :mgchemtech@caluniv.ac.in
	24	State Govt, Kolkata	West Bengal public Health Laboratory, 2,Convent Road, Kolkata-700015 Tel : 033 23295974/23299225 Fax : 033 23297289 E-mail : publichealth@bsnl.in
	25	MitraS.K.Pvt Ltd, Kolkata	Shrachi Centre (5th Floor), 74B, Acharya Jagdish Chandra Bose Road, Kolkata – 700016 Tel : 033-22172249,22177484/85 Fax – 033-22650008 E-mail - infor@mitrask.com, mitrask@satyam.net.in
Northern Region	26	TUV SUD, Delhi	C-153/1, Okhla Ind. Estate, Phase-1,

fssai

(Delhi, Uttarakhand, Rajasthan, J&K, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana)			New Delhi-1100020 Tel. : 011 – 3088 9611 Mob:09717124445 E-mail: info@tuv-sud.in
	27	AES Lab, Noida	B-118, Phase-II, Noida – 201304 Tel: 0120-3047900 Fax: 3047914 E-mail : support@aeslabs.conm
	28	Punjab Biotechnology, Mohali	SCO 7 and 8 (top Floor), Phase-5, SAS Nagar, Mohali-160059, Punjab Tel : +91-172-020895,5020894, 5093595 TeleFax : +91-172-5020895 E-mail : pbti2005@yahoo.com
	29	Delhi Test House, Delhi	A-62/3. G.T. Karnal Road, Industrial Area, Opp. Hans Cinema, Azadpur, New Delhi -110033 Tel : 011-47075555 E-mail : info@delhitesthouse.com
	30	Fare Labs Pvt Ltd, Gurgaon	P-94, Sector-30, Gurgaon-122002, Tel : +91-124-4223207-08, 4034205 Fax : +91-124-4036038 E-mail : farelabs@farelabs.com
	31	SGS India Private Limited, Gurgaon	267 Udyog Vihar, Phase IV, Gurgaon-122015 Tel: 0124-6776070, 09871995085, Fax: 2399765
	32	Sri Ram Institute, Delhi	Sriram Institute for Industrial Research , 19 University Road, Delhi-110007

Codex Matter

CODEX

The Food Safety and Standards Authority of India, Ministry of Health and Family Welfare is the National Codex Contact Point for liaison with the Codex Alimentarius Commission and for coordinating various Codex activities in the country.

Participation in Codex meetings

During the year 2011-12, FSSAI along with other Ministries/ Departments involved in Codex work has participated in the following Codex Committee meetings:

- 39th session of Codex Committee on Food Labeling (CCFL), 9 – 13 May, 2011
- 34th session of Codex Alimentarius Commission (CAC), 4-9 July, 2011
- 19th session of Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS), 17-21 October 2011
- 33rd session of Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU), 14 - 18 November 2011
- 43rd session of Codex Committee on Food Hygiene (CCFH), 5 - 9 December 2011
- 44th session of Codex Committee on Food Additives (CCFA), 12-16 March, 2012

Participation in two Physical Working Groups (PWG)

FSSAI also participated in two PWG on: Discussion paper on additional conditions for nutrient content claims and comparative claims in the Guidelines for Use of Nutrition and Health Claims for 39th session of CCFL and the Proposed Draft Principles and Guidelines for National Food Control System for 19th session of CCFICS.

There is an active participation in various Electronic Working Groups (eWG)

India actively participated in the electronic working Group of Codex Committee on Food Labeling (2011) on Proposed Draft Amendments to the Guidelines for the use of Nutrition and Health Claims, Modified Standardized Common Names, Reviewing proposals for substances for inclusion in the Guidelines for production, processing, labeling and marketing of organically produced foods (CA/GL 32-1999) and Mandatory Nutrition Labeling.

Indian Official as Chairperson of Codex Alimentarius Commission

FSSAI nominated candidate Shri S. Dave, Director of Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Ministry of Commerce, was unanimously elected in July, 2011 as the Chairperson of Codex Alimentarius Commission. This is the first time an Indian became the Chairperson of Codex Alimentarius Commission.

Trainings at International Level

FSSAI conducted a training programme on Codex and its activities in India for two officials of Maldives and 10 officials of FSSAI during 25th -29th April 2011.

INFOSAN

FSSAI is the focal point from India in International Food Safety Authorities Network (INFOSAN) and actively participates in INFOSAN activities to promote rapid exchange of information during food safety related events, share information on important food safety related issues of global interest, promotes partnership and collaboration between countries and help countries strengthen their capacity to manage food safety risks.

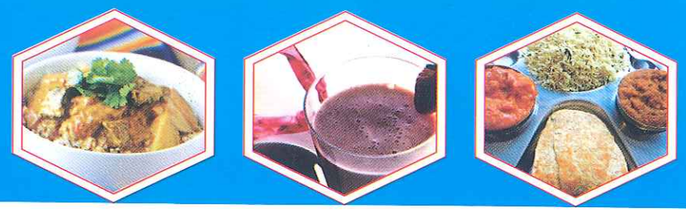

SAFETY OF IMPORTED FOOD

Globalization, increasing income, rising aspirations, growth of organized retail, changing lifestyles & food habits has led to an increasing demand for assorted food articles for domestic consumers. Hence, there is an increasing trend of food import into India. In view of this, further control measures are needed to regulate food imports which may pose risks to public health.

As per section 25 of the Food Safety & Standard Act, 2006, all imports of articles of food are subject to the provision of the Act. It provides that no person shall import into India any article of food in contravention of the Act or any Rules and Regulations made thereunder. It also provides that the Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and Regulations made thereunder. Further, as per section 47 (5) of the FSS Act, 2006, in case of imported articles of food, the Authorised Officer of the Food Authority shall take its sample and send to the Food Analyst of notified laboratory for analysis who shall send the report within a period of five days to the Authorised Officer.

Accordingly, under this Act, FSSAI has a clear mandate of ensuring safety of food items imported into the country. In view of this, FSSAI has already successfully operationalized the Food Imported Clearance System (FICS) in a phased manner since August- September 2010 through appointment of Authorized officer in terms of section 47 (5) of the FSS Act, 2006 in 10 ports of entry at Delhi, Mumbai, Chennai & Kolkata Ports (including sea, air and land). Further FSSAI is in the process of operationalizing the additional ports of entry. The data regarding the number of samples drawn & NOC's issued is given in Table 1 below and represented graphically in Graph 1:

Table 1: Data on Samples drawn & NOC's issued (April 2011 – March 2012)

PORT NAME	Number of Samples Drawn	Number of NOCs issued
Kolkata Seaport, Airport & Haldia Seaport	1985	2026 **
Chennai Seaport & Airport	13005	12988
Delhi Airport & other ICDs	650	579
Mumbai Seaport, Airport & JNPT Port	35488	34824

** The number of NOC's issued may be more than samples drawn as NOC's for period prior to 01.04.2011 may also be there.

Graph 1: Samples drawn & NOC's issued (April 2011-March 2012)

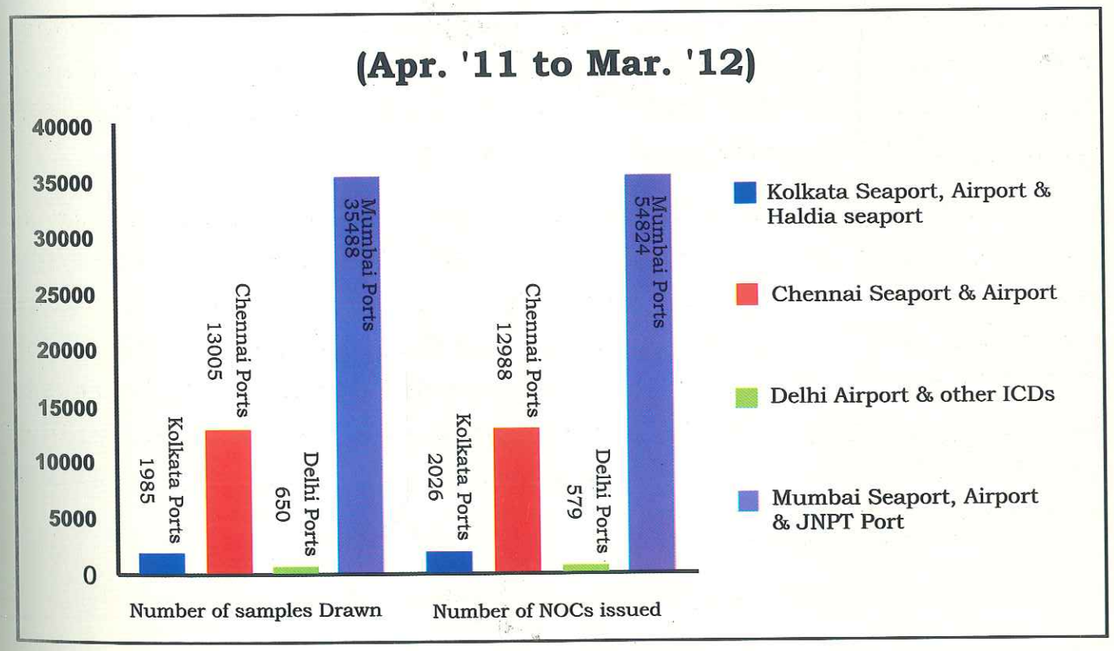

The food imported through the ports manned by FSSAI during 2011-12, in terms of quantity and product type is represented in graphs 2 to 5 as given below:

Graph 2: Quantity of Imports and Import Distribution – Product Type for Mumbai Ports

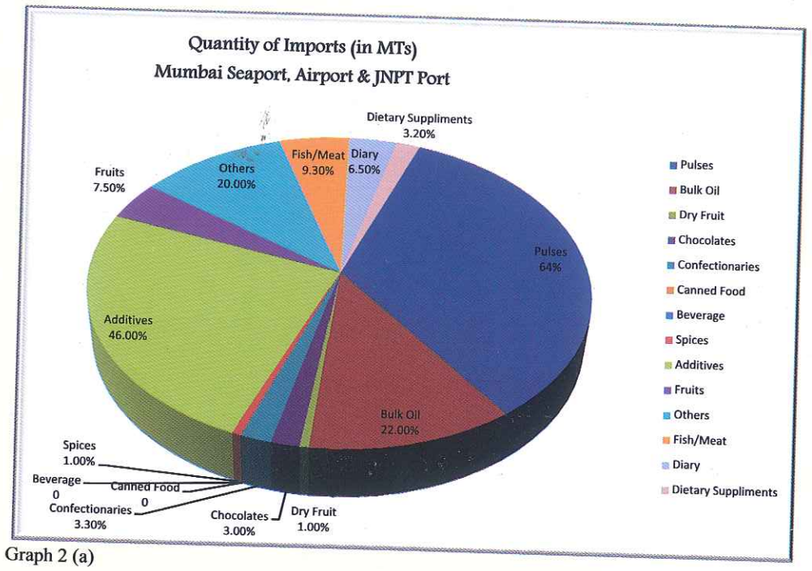

Graph 2 (a)

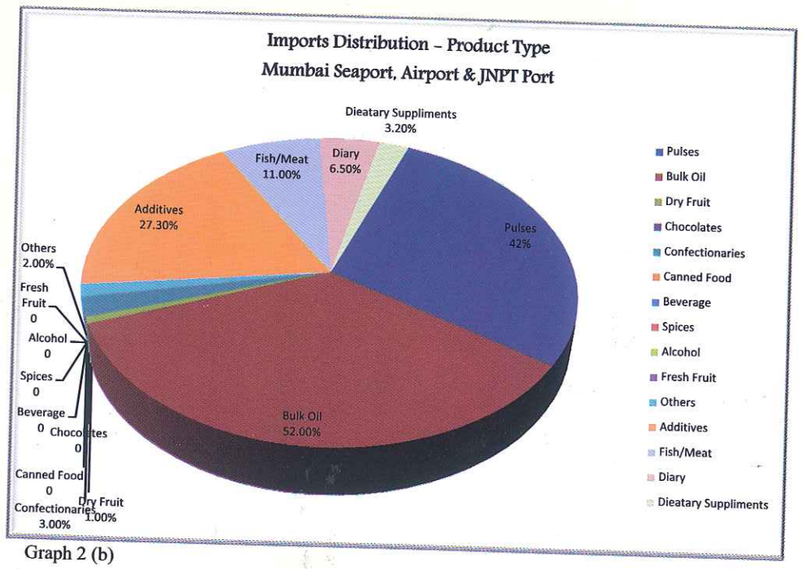

Graph 2 (b)

Graph 3: Quantity of Imports and Import Distribution – Product Type for Chennai Ports

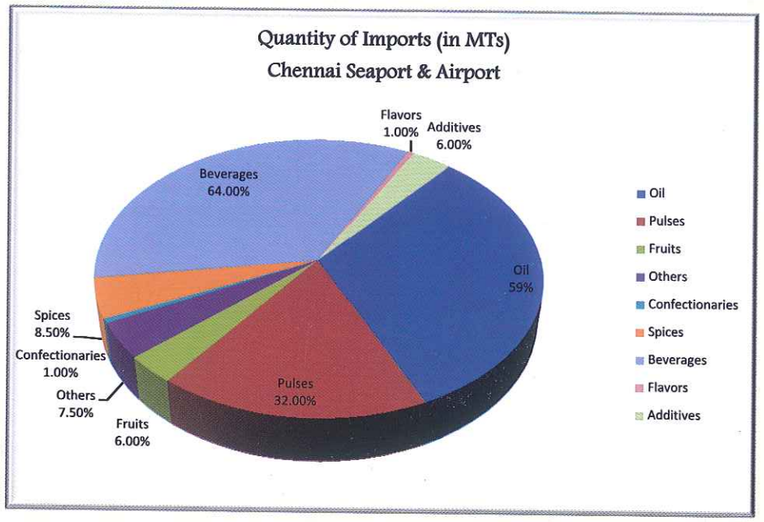

Graph 3 (a)

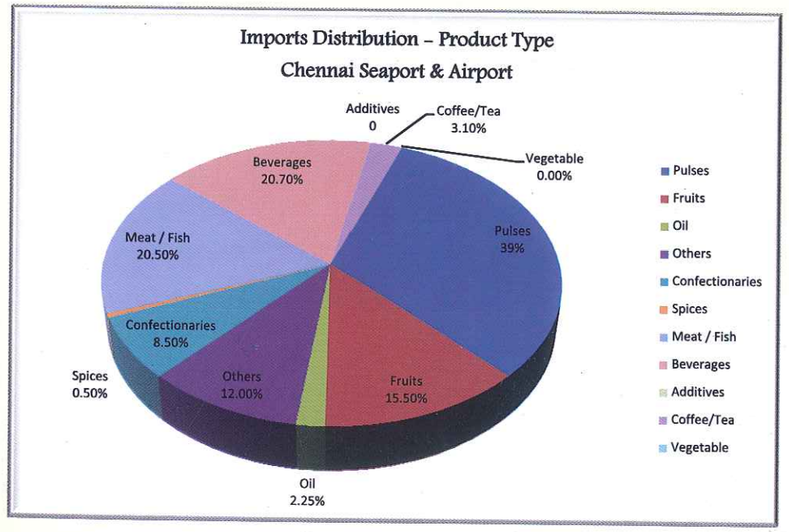

Graph 3 (b)

Graph 4: Quantity of Imports and Import Distribution – Product Type for New Delhi Ports

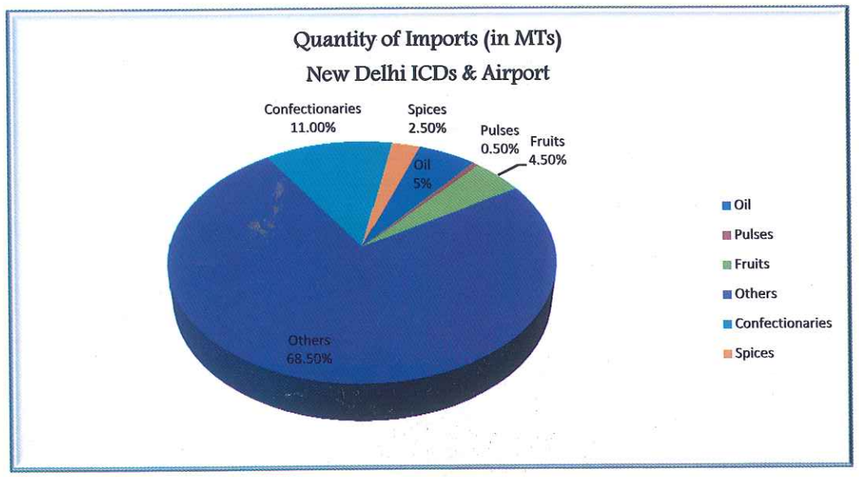

Graph 4 (a)

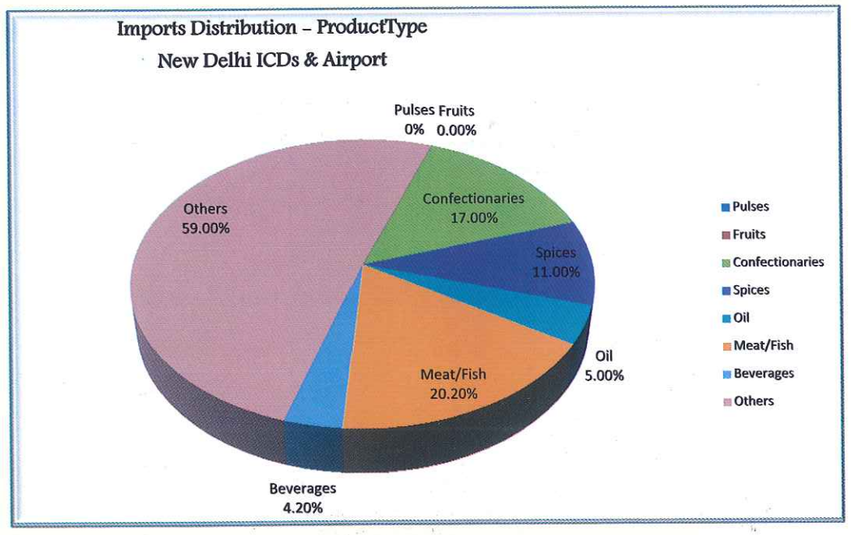

Graph 4 (b)

Graph 5: Quantity of Imports and Import Distribution – Product Type for Kolkata Ports

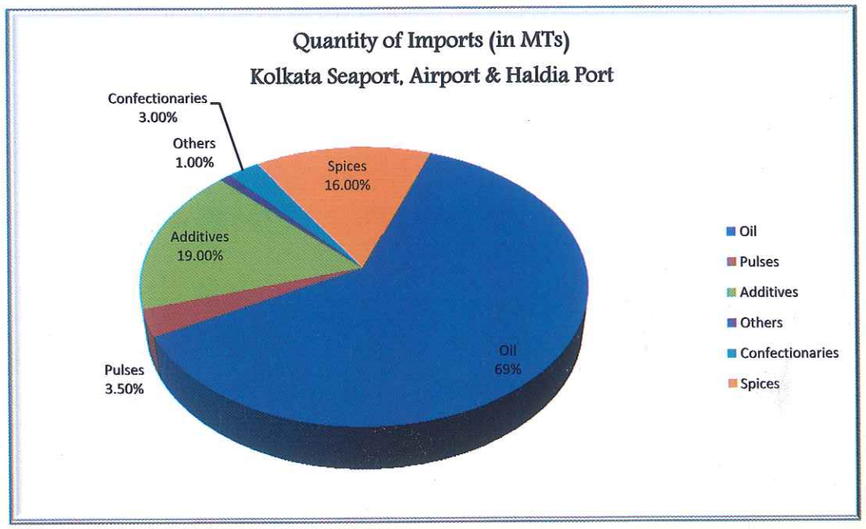

Graph 5 (a)

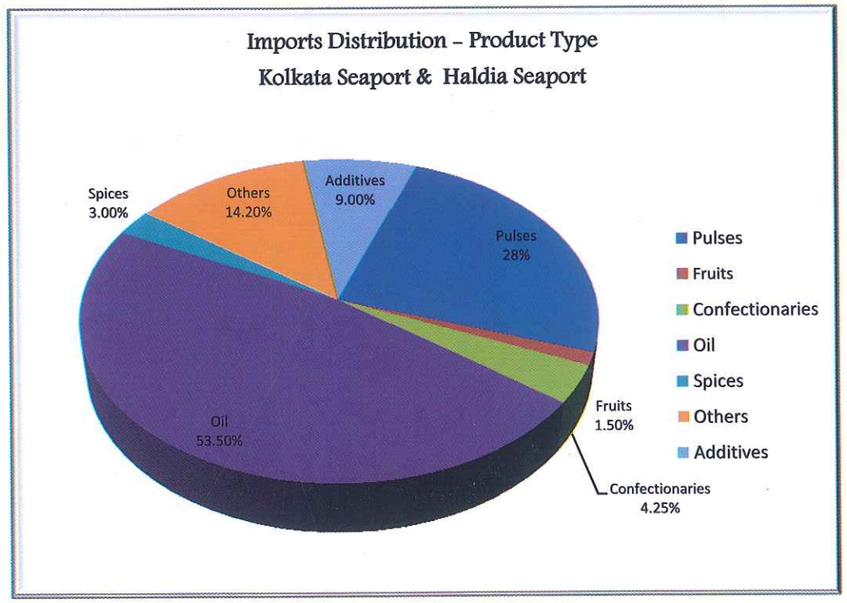

Graph 5 (b)

Training and Capacity Building

Food Safety & Standards Authority of India has conducted several orientation/ training programmes for Food Safety Commissioners (FSCs), Adjudicating Officers (AOs), Designated Officers (DOs) and Workshops/Seminar etc. during the year.

Major Initiatives:

Training Programmes

(i) Orientation programme for Food Safety Commissioners (FSCs) during 23-25th May, 2011 at Faridabad, National Capital Region, New Delhi.

(ii) Orientation Programme for Designated Officers

S. No.	Dates	Venues
1.	23/08/2011 to 27/08/2011	Bangalore
2.	05/09/2011 to 09/09/2011	Noida
3.	13/09/2011 to 16/09/2011	Guwahati
4.	15/11/2011 -18/11/2011	Gujarat
5.	21/02/2012 to 25/02/2012	Chennai

(iii) Orientation Programme for Adjudicating Officers

S. No.	Dates	Venues
1.	21/02/2012 to 23/02/2012	Chennai

Workshops and Fairs

1. National Workshop on "Develop an Educational Framework for Human Resource Development in the Food Safety Sector" was organised by FSSAI on 3rd and 4th November, 2011 at FSSAI, FDA Bhawan, New Delhi to assess/determine the need for trained human resource in food safety sector.

2. Workshop on "Improving Safety and Quality Control in Food Retail Chain" was organised by Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) and Food & Agriculture Organisation (FAO) of the United Nations with support of Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI) on 14th December, 2011 in Mumbai with the objective of supporting the development of a strong regulatory mechanism for food safety in retail chain and to ensure its implementation as well as to improve food quality and safety at various stages of the food chain.

3. FSSAI Participated in the **AAHAR** - the International Food and Hospitality show, held at Pragati Maidan, New Delhi, from 12 to 16 March, 2012. It was the first venture in International event by FSSAI which was highly commendable task in a short time. The event included 360 degree form of communication and interaction such as Electronic Medium (Displaying T. V. Commercials on Food Safety), Promotional Activities (Distribution of Leaflets, Handouts and Pamphlets etc.).

Linkage with Professional Institutions

a. Indira Gandhi National Open University (IGNOU), for developing syllabus in imparting skills to housewives, young girls.

b. Indian Institute of Public Health (IIPH), Hyderabad for capacity building i.e. designing course contents for state regulatory staff i.e. Food Safety Officer, Designated Officer, Adjudicating Officer and Food Handlers.

c. National Institute of Nutrition, (NIN) Hyderabad – for Dietary Supplements.

d. Institute of Management (IIM) Bangalore - for Food Safety Plan.

e. National Dairy Research Institute, Karnal - Centre for excellence.

f. National Dairy Development Board, Anand -Centre for excellence.

g. Export Inspection Council - Testing of Import Food Samples.

h. Quality Council of India (QCI) – Gap studies for Laboratories.

i. CFTRI Mysore – Nodal Laboratory in Mysore for Meat issues.

j. Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) – exchange of information with reference to SPS measures to harmonize the standards.

k. Indian Veterinary Research Institute (IVRI) – Meat related issues.

INFORMATION, EDUCATION & COMMUNICATION [IEC]

IEC activities are developed based upon needs assessments, sound educational principles, and periodic evaluation using a clear set of goals and objectives.The prime objective is to create awareness, to enhance the visibility of FSSAI and to educate about Laws, Regulations etc. to disseminate - valuable information and to engage and empower target audience.

Advertisements on Food Safety- PAN India

A simple strategy of communication was adopted by FSSAI, through its empanelled agencies finalized to released Print Media advertisement in multilingual mode across the country. Pamphlets, Brochures on FSSAI, and similar literature distributed.

Print Media

Design and release of creatives in Newspapers/ Periodicals/ Magazines including mass campaign, advertorial, classified advertisements, calendars, handouts, etc.

Electronic Media

TV Spots

TV spots were designed, produced and released through DAVP in various TV channels on issues related to Food Safety and General Hygiene.

Radio jingles on A.I.R. (PAN India)

The Radio Jingles were broadcasted on FM Gold and other channels of All India Radio.

Feature Programme on Doordarshan-"Kalyani" I

Six episodes of 30 minutes "Kalyani Program" on Food Safety were telecasted through 8 regional Doordarshan stations, Lucknow, Bhopal, Jaipur, Raipur, Ranchi, Guwahati, Bhubneshwar, Patna.

Outdoor

Out door campaigns were carried out through hoardings banners etc. in bus shelters and railway stations.

Awareness generation amongst cross–section of population and identification of target audience for Food Safety issues has been focal point of communication strategy. However, a more issue based awareness campaign is under preparation like who we are, what we do and who are our customers?, which shall incorporate awareness about the new Food Safety and Standards Rules and Regulations, and the essence of the Act, the aspects of Enforcement processes, Standards, Labelling, Surveillance and Product approval. Improvement notices for general awareness about the new Food Laws and their regulations. The awareness campaign will be on multilingual and multimedia format by involvement of NGO, media resource person's, trade bodies and industry associations etc.

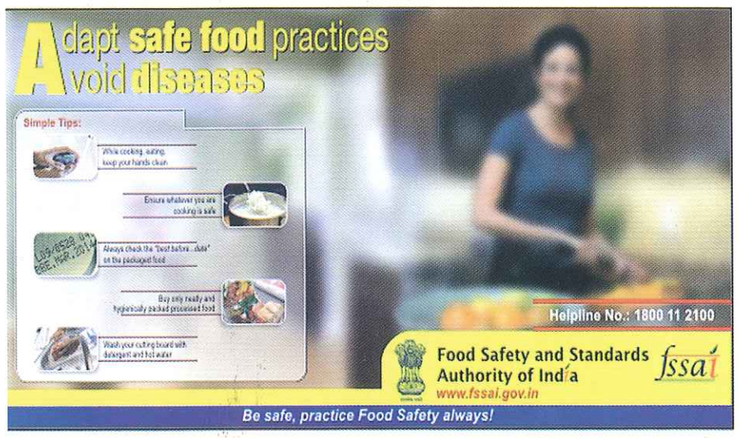

fssai

E-Governance and Library

E-Governance: All works of the Authority are now on electronic modes. Digitization of old records related to FPO and PFA, hosting of FSSAI website on NIC Data centre and servers maintained at NIC centre. FSSAI Data Recovery Centre at NIC premises, is under finalization. Security audit and e-office training has been provided by NIC team.

Software support for Imported Food clearance by NISG has been provided through the agency M/s Logicsoft Pvt. Ltd. The central licensing software's design and development is under consideration and if found workable, could be integrated with inputs from states.

All FSSAI offices at Ports including sea ports and laboratories are 100% IT enabled with modern computers and printing/reprographic devices. Once fully operational and trained, all employee will have access to e-office.

Food Safety Commissioner reporting system has been designed inhouse.

Library Services - FSSAI Library and Resource Centre was set up in the year 2008 which acts as a Resource Centre for Food Safety and allied areas.The Library has a good collection of Books, Journals, Magazines, Reports and statutory material relating to Food Safety. The Library uses "Total IT Solutions" software for library automation purposes. Besides, books and other library materials, library also subscribe to "Manupatra Online legal database" for access to legislations, case laws and notifications relevant to the activities of the Authority.

The library is providing literature search services, reference service, internet based library and information services, inter-library loan service, current awareness service and photocopying service. In addition, the library has taken the annual membership of British Council Library, American Centre Library and DELNET, so as to access books from these institutions as an when required by the officers of the authority. Compilations on "rules and regulation" and "advisories issued" have been done as part of the library service for the benefit and use of the officers of the authority. Publications like "Current Contents" and "Current Acquisition" are also prepared on a regular basis to make the library and resource centre more meaningful to the officers and other staff of the Authority.

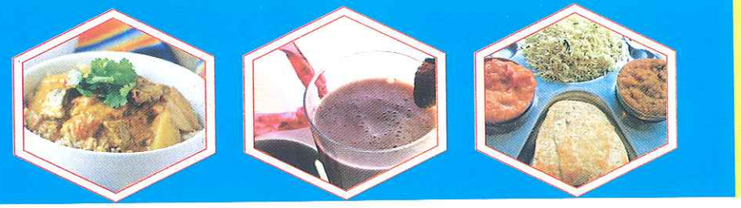

RTI Matter

Following statement depicts facts in respect of RTI requests received in Food Safety and Standards Authority of India:

	Opening Balance as on 01-04-11	Received during the year(including cases transferred to other Public Authority	No. of cases transferred to other Public Authorities	Decisions where requests/ appeals rejected	Decisions where requests/ appeals accepted
Requests	0	362	09	17	Nil
First Appeals	Nil	15	Nil	15	Nil

No. of cases where disciplinary action taken against any officer	Nil

No. of CPIOs designated	No. of Appelate Authority designated
24	5

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests													
Relevant Sections of RTI Act, 2005													
Section 8 (1)										Sections			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(9)	(11)	(24)	other
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Amount of charges Collected (in Rs.)		
Registration Fee Amount	Additional Fee & Any other charges	Penalties Amount.
Rs.1590/-	Rs.2376/-	Nil

Last date of uploading the pro-active disclosures on the website.	23.08.2012

FINANCIAL STATEMENTS

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

FOR THE

FINANCIAL YEAR 2011-2012

CONTENTS

BALANCE SHEET

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

SCHEDULES TO THE ABOVE FINANCIAL STATEMENTS

STATEMENT OF RECEIPTS AND PAYMENTS

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

BALANCE SHEET AS ON 31-03-2012

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Previous Year
Corpus / Capital Fund			
	1	87,111,775	59,302,240
	2	-	-
	3	24,750,497	-
	4	-	-
	5	-	-
	6	-	-
	7	52,964,694	11,046,809
Total		164,826,966	70,349,049
ASSETS			
Fixed Assets	8	24,750,497	14,520,205
Investment-From Earmarked/Endowment Funds	9	-	-
Investments-Others	10	-	-
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	140,076,469	55,828,844
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		-	-
Total		164,826,966	70,349,049
Significant Accounting Policies	26	164,826,966	70,349,049
Contingent Liabilities and Notes On Accounts	27		

CHIEF EXECUTIVE OFFICER **DIRECTOR (E)** **DY. DIRECTOR (F&A)** **ASST. ACCOUNT OFFICER**

PLACE : NEW DELHI
DATE :

fssai

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-2012

	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Income from Service	12	28,002,647	5,419,065
Grants/Subsidies from Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India	13	357,827,895	323,700,000
Fees/Subscriptions	14	-	-
Income from Investments (Income on Invest. from earmarked/endow. fund transferred to funds)	15	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	16	-	-
Interest Earned	17	3,172,140	990,147
Other Income	18	110,113	787,037
Increase/(decreaseO in stock of Finished goods and work in progress	19	-	-
Total (A)		**389,112,795**	**330,896,249**
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	109,896,439	83,677,855
Administrative Expenses etc.	21	211,581,694	240,366,249
Repair & Maintenance Expenses	22	19,304,922	12,114,208
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	23	6,000,000	9,000,000
Depreciation	24	-	3,590,998
Interest	25	-	15,633
Total (B)		**346,783,055**	**348,764,943**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		**42,329,740**	**(17,868,694)**
Transfer to Special Reserve		-	-
Transfer to/from General Reserve		-	-
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS / CAPITAL FUND		**42,329,740**	**(17,868,694)**
Significant Accounting Policies	26		
Contingent Liabilities and Notes On Accounts	27		

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2012

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND:	Current Year	Previous Year
Balance as at the beginning of the year	59,302,240	77,170,934
Add:Contributions towards Corpus/Capital Fund		-
Add/(Deduct):Balance of net income/[expenditure)transferred from the Income and Expenditure Account	42,329,740	(17,868,694)
Less: amount transferred to Fixed Asset Fund	(14,520,205)	-
BALANCE AS AT THE YEAR - END	**87,111,775**	**59,302,240**

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS:	Current Year	Previous Year
1. Capital Reserve:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
2. Revalution Reserve:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less:Deductions during the year	-	-
3. Special Reserves:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less deductions during the year	-	-
4. General Reserve:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less:Deductions during the year	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2012

SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS		
	CURRENT YEAR	**PREVIOUS YEAR**
a) Opening balance of the funds	Fixed Asset Fund	Fixed Asset Fund
b) Additions to the Funds:		
i. Donations/Grants	-	-
ii. Income from Investments made on account of funds		
iii. Other additions (specify nature)	-	-
a) Capital Expenditure - Plan	-	-
b) Capital Expenditure - Non Plan		
c) Gifted Capital	14,256,916	-
e) Staff Subscription to GPF	-	-
f) Interest credited in GPF Account	-	-
g) Refund of Advance	-	-
iv. Accumulated Reserve	-	-
v. Transfer from Corpus Fund	-	-
Total (b)	-	-
	14,520,205	-
	28,777,121	-
TOTAL (a+b)	**28,777,121**	-
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds		
i. Capital Expenditure	-	-
-Fixed Assets	-	-
-Others	-	-
- Disposal of unserviceable material	-	-
- Depreciation during the year	4,026,624	-
Total	**4,026,624**	-
ii. Revenue Expenditure		
-Salaries, Wages and allowances etc.		
-Rent	-	-
-Other Administrative expenses	-	-
- Advance to staff	-	-
- Final Payment to Staff and Artists	-	-
-Transferred to Unclaimed Balances	-	-
- Final Withdraw by staff	-	-
Total	-	-
	-	
TOTAL (c)	**4,026,624**	-
NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)	**24,750,497**	-

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY Of INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31 03-2012

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS		
1.Central Government	-	-
2. State Government(Specify)		
3. Fiancial Institutions	-	-
a) Term Loans		
b) Interest accrued and due		
4. Banks	-	-
a) Term Loans	-	-
- Interest accrued and due		
b) Other Loans (specify)		
-Interest accrued and due	-	-
5. Other Insitutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others (specify)	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
TOTAL	-	-

fssai

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2012

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS		
1.Central Government	-	-
2. State Government(Specify)	-	-
3. Financial Institutions	-	-
4. Banks		
a) Term Loans	-	-
b) Other Loans (specify)	-	-
5. Other Insitutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Fixed Deposits	-	-
8. Others (specify)	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULE 6-DEFERRED CREDIT LIABILITIES:	Current Year	Previous Year
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-
b) Others	-	-
TOTAL	-	-

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2012

(Amount Rs.)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances	-	-
2. Sundry Creditors		
a) For Goods/Services **(as per Schedule-7.1)**	23,326,288	6,073,150
b) Others **(as per Setiedule-7.2)**	11,518,981	1,555,235
3. Earnest Money Deposits	721,000	590,000
4, Interest accrued but not due on:		
a) Secured Loans/borrowings	-	-
b) Unsecured Loans/borrowings	-	-
5,Statutory Liabilities:		
a) Overdue	1,300,350	1,300,350
b) Others	108,711	61,420
6. Other current Liabilities:		
a) Deductions from Salaries	426,676	525,703
b) Stale Cheques	1,347,499	940,951
7. unspent balance of the grant at the end of the year:		
a) Unspent Grant at the end of the year	14,215,189	-
TOTAL (A)	**52,964,694**	**11,046,809**
B. PROVISIONS		
1. For Taxation	-	-
2. Gratuity	-	-
3. Superannuation/Pension	-	-
4. Accumulated Leave Encashment	-	-
5. Trade Warranties/Claims	-	-
6. Others (Specify)	-	-
TOTAL (B)	-	-
TOTAL (A+B)	52,964,694	11,046,809

fssai

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2012

(Amount Rs.)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 7.1 - SUNDRY CREDITORS FOR GOODS/ SERVICES		
National Institute of Smart Govt.	10,637,192	-
Prasar Bharti	4,507,253	-
Director,CCDU,PHED,Govt of West Bengal	3,039,000	-
Sat Guru Management Consultants Pvt Ltd	1,755,160	1,214,056
Amarchand Mangaldas	539,471	-
B.V.G India Ltd	-	937,695
Bedi & Bedi	-	897,655
Track Infovision Pvt Ltd	508,000	508,000
Balmer Lawrie Co Ltd	500,000	500,000
Chennai Port Trust Engineering Deptt, Chennai	392,845	-
Neo Post India	344,940	344,940
Crown Corporation P Ltd.	-	332,718
Karam Taxi Services	286,875	286,875
National Cooperative Consumer Federation	189,840	189,840
Central PWD	169,812	169,812
vividh Landscape & Consultants Pvt Ltd,	116,350	116,350
Impression Distributing Co.	103,000	103,000
indra D Narayan & Co.	-	80,409
Hcl Infosystems Ltd.	-	76,538
Ricoh India Ltd.	74,510	74,510
Continental Caterers & Confectioners	58,515	58,515
Hindustan Petroleum	.	47,484
Central News Agency Pvt Ltd	15,500	32,243
Tanu Transport & Travel	29,431	29,431
Swastik Company	23,435	23,435
ISS Hicare Pvt Ltd	22,699	22,699
Integrated Strategic Project	10,805	-
Crescent Stationers	-	14,680
Beltek Canadian Water Ltd.	-	10,430
vidutt Engineering.	1,655	1,655
Web Craft India	-	180
TOTAL	23,326,238	6,073,150

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2012

(Amount Rs.)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 7.2 SUNDRY CREDITORS FOR OTHERS		
Professional Expenses Payable	3,273,934	-
Salary to Contractual Staff Payable	2,831,371	-
Salary Expenses Payable	2,596,274	73,911
Office Maintenance Expenses Payable	1,264,861	-
Conference Expenses Payable	739,830	1,088,790
Motor Taxi Hire Charges Payable	332,765	-
Postage & Telegramme Expenses Payable	229,128	-
Audit Fees Payable	90,000	-
Electricity Expenses Payable	88,760	-
Telephone Expenses Payable	35,049	32,634
Interest Expenses Payable	20,569	20,569
water Expenses Payable	10,500	-
Rent Rate & Taxes Payable	5,940	-
Courier Exp Payable	-	15,000
Guest House Exp Payable	-	11,700
Training Exp Payable	-	182,094
Security Exp Payable	-	130,537
TOTAL	**11,518,981**	**1,555,235**

fssai

SCHEDULE 8 – FIXED ASSETS

Sl. No.	Description	Rate of Dep.	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
			Cost/ valuation As at begining of the year	Additions during the year		Deductions during the year	As at the beginning of the year	On opening balance during the year	On additions during the year	On deductions during the year	Total up to the year-end	As at the Current year-end	As at the Previous year-end
				Addition upto 30.09.2011	Addition upto 30.09.2011								
A.	**Land:-**												
	a) Freehold	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) Leasehold	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	**Building:-**												
	a) On Freehold Land	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) On Leasehold Land	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	**Plant, Machinery & Equipments**												
	Lab Equipments	15%	493169	587408	2069140	-	353751	67538	243297	-	353751	2795966	450251
	Water Pipeline	15%	1235000	-	-	-	263981	171356	-	-	263981	971019	1142375
D.	**Vehicles-Ambassador Car**	15%	563772	-	-	-	307184	45280	-	-	307184	256588	301868
E.	**Furnitures & Fixtures**	10%	2134951	660663	583676	-	630869	177704	95250		630869	2748421	1777035
F.	**Office Equipments**												
	1) Electronic Attendance Machine	15%	80608	-	-	-	25404	9742	-	-	25404	55204	64946
	2) Photocopy Machine	15%	1.86011	-	-	-	572831	227167	-	-	572831	1287279	1514446
	3) Refrigerator	15%	116095	64765	-	-	40437	15066	9715	-	40437	140423	100438
	4) Scanning Machine	15%	156750	-	-	-	51992	18487	-	-	51992	104758	123245
	5) Vaccum Cleaner	15%	7790	-	-	-	3006	844	-	-	3006	4784	5628
	6) VGA Switcher & Splitter	15%	39600	11240	-	-	13748	4860	1686	-	13748	37092	32398
	7) Beetel Twin Phones	15%	7228	3703	-	-	3865	692	555	-	3865	7066	4610
	8) Mobile Phones	15%	96699	41840	46123	-	48785	10173	9735	-	48785	135877	67822
	9) Cordless Phones	15%	8476	-	-	-	4068	778	-	-	4068	4408	5185
	10) Fax Machines	15%	214810	15120	-	-	76140	24871	2268	-	76140	153790	165810
	11) Gyser A/c	15%	16042	-	-	-	7700	6228	1472	-	7700	8342	9814
	12) Micro Wave	15%	13350	-	-	-	5989	4690	1299	-	5989	7361	8660
	13) oil Field Radiator	15%	25365	-	-	-	10982	8443	2538	-	10982	14383	16922
	14) Voltage Stablizer	15%	25950	-	-	-	10917	8265	2653	-	10917	15033	17685
	15) Water Dispenser	15%	20500	-	-	-	6558	4098	2460	-	6558	13942	16401

	16) Audio Conference System	15%	1051812	-	-	-	1051812	350127	105253	-	-	455379	596433	701685
	17) LCD TV	15%	1686109	29000	-	-	1715109	445358	186113	4350	-	635821	1079288	1240751
	18) Plasma TV	15%	2568875	-	-	-	2568875	884753	252618	-	-	1137371	1431504	1684122
	19) Tata Sky & EPRS System	15%	29495	-	-	-	29495	8345	3172	-	-	11518	17977	21150
	20) Siemen Hi Path 1150 Digital & Optipoint	15%	301573	29970	-	-	331543	109041	28880	4496	-	142416	189127	192532
	21) Speaker	15%	14350	-	-	-	14350	3982	1555	-	-	5537	8813	10367
	22) Digital Camera	15%	83050	-	-	-	83050	14945	10216	-	-	25161	57889	68105
	23) Office Appliances	15%	25363	38164	-	-	63527	5421	2991	5725	-	14137	49390	19942
	24) Blue Ray Disc Player	15%	99000	-	-	-	99000	14850	12623	-	-	27473	71528	84150
	25) LCD Projector	15%	162000	-	-	-	162000	24300	20655	-	-	44955	117045	137700
	26) Cooler	15%	72000	5722	-	-	77722	5400	9990	858	-	16248	61474	66600
	27) Franking Machine	15%	344940	-	-	-	344940	25871	47860	-	-	73731	271208	319069
	28) Shredders	15%	8677	-	-	-	8677	651	1204	-	-	1855	6822	8026
	29) Visicooler & Deep Freezer	15%	68000	107437	-	-	175437	5100	9435	16116	-	30651	144786	62900
	30) Phone		3600	-	1995	-	5595	3600	-	150	-	3750	1845	-
	31) DVD Writer	15%	4239	-	-	-	4239	4239	-	-	-	4239	-	-
	32) Tat Sky	15%	3099	4523	-	-	7622	3099	-	678	-	3777	3845	-
	33) TATA Walky Wireless Phone	15%	1500	-	-	-	1500	1500	-	-	-	1500	-	-
	34) Wall Clock	15%	1181	-	-	-	1181	1181	-	-	-	1181	-	-
G.	**Computer Peripherals**													
	1) Computer	60%	5766892	193768	130514	460230	5630944	3734481	943309	155415	138065	4695139	935804	1572181
	2) UPS	15%	527491	9561	207749	-	744801	190447	50557	17015	-	258019	486782	337044
	3) Printer & Scanner	15%	1849356	91561	-	-	1940917	924632	138709	13734	-	1077075	863842	924724
	4) Cisco 2821 Security Bundle	15%	171306	-	-	-	171306	36617	20204	-	-	56820	114486	134691
	5) Computer Software	60%	972999	11300	31875	-	1016174	497998	285001	16343	-	799341	216833	475001
	6) Library Software System	60%	228800	-	-	-	228800	164736	38438	-	-	203174	25626	64064
	7) Networking Equipment	15%	352570	-	-	-	352570	50616	45293	-	-	95909	256661	301955
	8) Web Cam	15%	18900	-	-	-	18900	4843	2109	-	-	6952	11948	14057
H.	**Library Books**	100%	887861	89365	445851	-	1423077	634010	253851	312291	-	1200151	222926	253851
	TOTAL (A)		**24421303**	**1995110**	**3516923**	**460230**	**29473106**	**9440864**	**3255013**	**909676**	**138065**	**13467488**	**16005615**	**14520205**
I.	CAPITAL WORK-IN-PROGRESS		-	-	8744883	-	8744883	-	-	-	-	-	8744883	-
	TOTAL (B)		-	-	**8744883**	-	**8744883**	-	-	-	-	-	**8744883**	-
	GRAND TOTAL		**24421303**	**1995110**	**12261806**	**460230**	**38217989**	**9440864**	**3255013**	**909676**	**138065**	**13467488**	**24750497**	**14520205**
	PREVIOUS YEAR		15301226	3256768	5863309	-	24421303	5389639	1796098	2255127	-	9440864	14520205	9451357

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2012

(Amount Rs.)

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (to be specified]	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULE 10 - INVESTMENTS - OTHERS	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (to be specified]	-	-
TOTAL	-	-

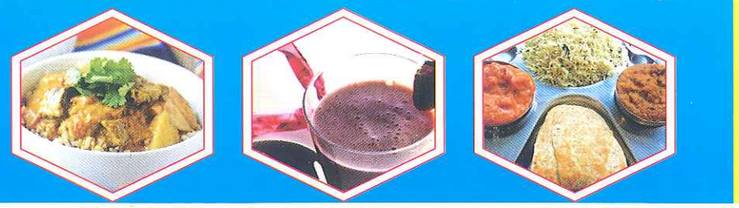

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2012

(Amount Rs.)

SCHEDULE 11 – CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	Current Year	Previous Year
A. CURRENT ASSETS		
1. Inventories		
	-	-
a) Stores and Spares	-	-
b) Loose Tools	-	-
	-	-
c) Stock-in-trade	-	-
Finished Goods	-	-
	-	-
Work-in-progress	10,000	10,000
Raw Materials		
2. Sundry Debtors	-	-
	-	-
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	5,313,810	-
	53,699,013	25,599,749
b) Others		
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)	-	-
4. Bank Balances:	-	-
	-	-
a) With Scheduled Banks :	-	-
- On Current Accounts		
- On Deposit Accounts (includes margin money)		
- On Labs Saving Accounts		
- On Saving Accounts		
b) Loose Tools		
- On Current Accounts		
- On Deposit Accounts		
- On Saving Accounts		
5. Post Office Savings Accounts		
TOTAL	**59,022,823**	**25,609,749**

fssai

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2012

(Amount Rs.)

SCHEDULE 11 – CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)	Current Year	Previous Year
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. Loans		
a) Staff	-	-
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that	-	-
c) of the Entity	-	-
d) Other [specify)	-	-
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for		
value to be received		
a) On Capital Account	-	-
b) Prepayments	-	-
c) Others	-	-
- Advance to Staff	2,528,422	1,706,473
- Advance to Contractors and others (as per Schedule-11(B)(l))	68,951,599	17,931,439
- Security Deposits	9,573,325	10,581,183
3. Income Accured		
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds	-	-
b) On Investments - Others	-	-
c) On Loans & Advances	-	-
d) Others		
- On Saving Accounts	-	-
5. Claims Receivable		
	-	-
TOTAL (B)	**81,053,646**	**30,219,095**
TOTAL (A+B)	**140,076,469**	**55,828,844**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2012

(Amount Rs.)

SCHEDULE 11(B)(1) Advance to Contractors and others	Current Year	Previous Year
Directorate of Advertising and Visual Publicity (DAVP)	49,698,735	-
Controller General Drug	15,968,527	10,816,464
National Institute Nutrition	1,926,582	1,926,582
Central Food Laboratory, Calcutta	-	3,540,690
FRSL Ghaziabad	-	1,000,490
Indian Institute of Management Bangalore.	437,698	-
Total Library Solution India Pvt Ltd	367,110	222,764
India Trade Promotion Organisation	200,000	-
Principle Kirori Mal College.	200,000	-
National Institute of Biologicals	65,000	-
British Council	16,500	-
H.S.C.C, India Ltd	16,414	16,414
Vikas Batteries	14,999	-
ABP Pvt Ltd.	14,134	14,134
Authorised Officer JNPT Nhava Sheva.	10,000	10,000
Authorised Officer Sea Port Chennai	10,000	10,000
All India Food Processing Association	5,000	-
Bag Full	1,200	1,200
FICCI	-	348,000
Vimita Labs	-	16,011
Deputy Director Horticulture	-	8,510
Rakesh Jain & Mrs. Usha Jain	-	180
TOTAL	**68,951,899**	**17,931,439**

fssai

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2012

(Amount Rs.)

SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES	Current Year	Previous Year
1) Income from Sales		
a) Safe of Finished Goods	-	-
b) Sale of Raw Material	-	-
c) sale of Scraps	-	-
2) Income from Services		
a) Licence Fee	27,704,989	5,419,065
b] Sample Testing Fee	297,658	-
TOTAL	**28,002,647**	**5,419,065**

SCHEDULE 13 - GRANTS/SUBSIDIES	Current Year	Previous Year
(Recurring Grants & Subsidies Received)		
l) Central Government (Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India)	386,300,000	323,700,000
2) State Government	-	-
3) Government Agencies	-	-
4) Institutions/Welfare Bodies	-	-
5) International Organisations	-	-
6) Others :		
Add: Unspent balance at the beginning of the year	-	-
Less: Unpent balance of grant at the end of the year	(14,215,189)	-
Less: Grants Capitalised during the year	(14,256,916)	-
TOTAL	**357,827,895**	**323,700,000**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2012

(Amount Rs.)

SCHEDULE 14 - FEES/SUBSCRIPTIONS	Current Year	Previous Year
Entrance Fees	-	-
Annual Fees/Subscriptions	-	-
Seminar/Program Fees	-	-
Consultancy Fees	-	-
Others	-	-
TOTAL	-	-

(Amount Rs.)

SCHEDULE I5 - INCOME FROM INVESTMENTS	Current Year	Previous Year
1) Interest		
a) On Govt. Securities	-	-
b) Other Bonds/Debentures	-	-
2) Others:		
- interest from investments	-	-
TOTAL	-	-
TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	-	-

fssai

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2012

(Amount Rs.)

SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATIONS ETC.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1 Income from Royalty	-	-
2 Income from Publication	-	-
3 Others (Specify)	-	-
	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULE 17 - INTEREST EARNED	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1 On Term Deposits		
a) With Scheduled Banks	-	-
b] With Non-Scheduled Banks	-	-
c) With Institutions	-	-
d) Others	-	-
2 On Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks	3,172,140	990,147
b) With Non-Scheduied Banks	-	
c) Post Office Saving Accounts	-	-
d) Others	-	
3 On Loans:		
a) Employees/Staff	-	-
b) Others	-	-
TOTAL	**3,172,140**	**990,147**

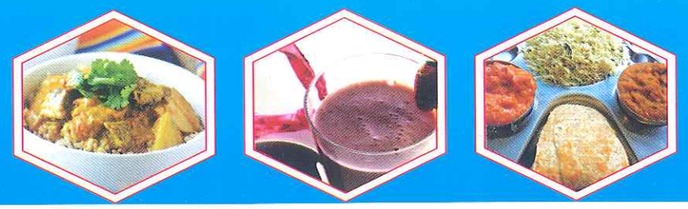

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2012

(Amount Rs.)

SCHEDULE 18 - OTHER INCOME	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1 Profit on Sale/disposal of Assets		
a) Owned Assets	-	-
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	-	-
2 Miscellaneous Income		
-Sale of old Newspapers	14,100	9,516
- Sale of Tender Form	250	3,000
-RT1 Fees	1,775	820
-Others	93,988	79,400
-Prior Period Income	-	694,201
TOTAL	**110,113**	**787,037**

SCHEDULE 19 - INCREASE/I DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Closing Stock		
- Finished Goods	-	-
- Work in Progress	-	-
b) Less: Opening Stock		
- Finished Goods	-	-
- Work in Progress	-	-
NET INCREASE/(DECREASE) [a-b)	**-**	**-**

fssai

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2012

(Amount Rs.)

SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Salaries and Wages	105,649,768	80,594,152
b) Allowances and Bonus	2,999,626	2,490,772
c) Staff Welfare Expenses	-	3,374
d) Expenses on Employee's Retirement and Terminal Benefits	-	-
e) Others:		
-Reimbursement of Medicai Claims	1,247,045	589,557
TOTAL	**109,896,439**	**83,677,855**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2012

(Amount Rs.)

SCHEDULE 21 – ADMINISTRATIVE EXPENSES	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Labour and processing expenses	17,881,631	10,854,624
b) Electricity and Power	4,593,015	3,707,360
c) Water charges	496,146	434,151
d) Rent, Rates and Taxes	49,109,632	37,086,349
e) Postage and Communication Charges	1,268,549	562,611
f) Printing & Stationery	4,633,094	2,939,094
g) Travelling and Conveyance Expenses	14,335,083	10,197,780
h) Expenses on Seminar/Workshops	4,985,227	3,754,765
i) Subscription Expenses	125,170	275,251
j) Auditors Remuneration	216,320	223,981
k) Professional Charges	17,336,995	18,551,027
l) Expenses on operationalisation of food Import Clearance Process	34,346,003	-
m) IEC & Publicity Expenses	47,563,411	141,833,263
n) Office Expenses	5,919,383	4,818,677
o) Training Charges	3,876,192	800,027
p) Publication expenses	1,178,252	2,896,556
q) Telephone & Mobile Expenses	822,655	727,001
r) Other Administrative Expenses		
- Internet Charges	73,484	26,860
- Computer Expenses	61,790	7,641
- Membership Fees	1,103	28,000
- Digitisation charges	1,562	203,959
- Consumable Store	-	64,570
- Generator Expenses	-	73,490
s) Prior Period Expenditure	2,756,997	299,215
TOTAL	**211,581,694**	**240,366,249**

SCHEDULE 22 – Repair & Maintenance Expenses	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Repair & Maintenance		
i) Repair and maintenance of Office	18,901,405	11,713,459
ii) Repair and Maintenance of AC Plant, Computers & Other Equipments	319,255	278,166
iii) Repair, Running and Maintenance of Vehicles	84,262	122,583
iv) Others	-	-
NET INCREASE/(DECREASE) [a-b]	**19,304,922**	**12,114,208**

fssai

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31-03-2012

(Amount Rs.)

SCHEDULE 23 – EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Grants Given to Institutions/Organisation	6,000,000	9,000,000
b) Subsidies given to Institutions/Organisation	-	-
NET INCREASE/(DECREASE) [a-b]	**6,000,000**	**9,000,000**

SCHEDULE 24 – DEPRECIATION	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
On Fixed Assets	4,026,624	3,590,998
TOTAL	**4,026,624**	3,590,998
Les: Transferred to Fixed Asset Fund	**4,026,624**	-
Total	**-**	**3,590,998**

SCHEDULE 25 – INTEREST PAID	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) On Fixed Loans	-	-
b) Subsidies given to Institutions/Organisation	-	-
c) Others – Interest on CPF	-	15,633
Total	**-**	**15,633**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
RECEIPTS AND PAYMENT FOR THE PERIOD 01.04.2011 TO 31.03.2012
(Amount Rs.)

S.NO.	RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	S.NO.	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
I	**Opening Balance**			I	**Expenses**		
	a) Cash in hand	10,000	-		a) Establishment Expenses (Corresponding to Schedule 20)	104,542,705	82,763,249
	b) Bank Balances				b) Administrative Expenses (Corresponding to Schedule 21)	191,316,170	241,029,516
	i) Saving Bank Accounts	25,599,749	62,891,646		c) Repair & maintenance Expenses (Corresponding to Schedule 212)	17,707,296	12,114,208
	ii) Current Deposits	-	-				
	iii) Deposit Account	-	-	II	**Grants Given**		
					Grant in Aid	6,000,000	9,000,000
II	**Grants Received**						
	a) From Government of India	386,300,000	323,700,000	III	**Investments and deposits made**		
	- Ministry of Health & Family Welfare	-	-		a) Out of Earmarked/Endowment funds	-	-
	- Department of Health (Capital Grant)				b) Out of Own Funds (Investments - Others)	-	-
III	**Income on Investments from**			IV	**Expenditure on Fixed Assets & Capital Work in Progress**		
	a) Earmarked/Endow-Funds	-	-		a) Purchase of Fixed Assets	5,512,033	6,851,285
	b) Own funds (Oth. Investments)	-	-		b) Expenditure on Capital Work in Progress	8,744,883	-
IV	**Interest Received**			V	**Advance to Employees**	821,949	1,943,886
	On Bank Deposits (Saving)	3,172,140	870,548	VI	**Advances to Suppliers/Others**	51,020,460	3,441,531
	On Bank Deposits (FDR)	-	-	VII	**TDS Deposit:**		
	Loans, Advances etc.	-	-		-on Contractors	1,317,188	1,181,059
V	**Income received from Licencee's**				-on Rent	4,720,661	3,865,726
	- Licence Fees	27,704,989	5,419,465		-on Professional	1,380,177	934,100
	- Sample Testing Fees	297,658	-		-on Salary	3,244,815	2,697,883
VI	**Encashment of Investment**	-	-	VIII	**Contractor's EMD/Security Deposits**	-	3,948,933
VII	**TDS Received :**			IX	**Decutions from salary**	99,027	-
	-on Contractors	1,364,407	-				
	-on Rent	4,717,030	-	X	**Closing Balances**		
	-on Professional	1,371,979	-		a) Cash in hand	10,000	-
	-on Salary	3,256,716	-		b) Bank Balances		
VIII	**Advances Adjusted**	-	198,476		i) Saving Bank Accounts	59,012,823	25,599,749
					ii) Current Deposits	-	-
IX	**Any other receipts :**				iii) Deposit Account	-	-
	RTI fees	1,775	820				
	Sale of Newspaper	14,100	9,616				
	Sale of Tender from	250	3,000				
	Misc. Incme	93,988	592,364				
	Prior Period Income	-	17,565				
	TDS Refund	-	111,674				
X	**Contractor's EMD/Security Deposits**	1,138,858	615,000				
XI	**Stale Cheques**	406,548	940,951				
	TOTAL	485,460,187	395,371,125			455,450,187	395,371,125

fssai

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF THE FINANCIAL ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDIND 31-03-2012

SCHEDULE 26 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. REVENUE RECOGNITION

Licence Fees and Sample Testing Fee are recognised as and when due. Other Income is recognised on accrual basis. Interest on saving bank accounts is accounted on receipt basis.

3. INVESTMENTS

Investments classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments. Investments classified as "Current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment; considered individually and not on a global basis. Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

4. FIXED ASSETS

Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depredation inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to the acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), forming part of the value of the assets capitalized.

Fixed Assets received by way of non monetary grants, other than towards the Corpus fund, are capitalized at values stated, by corresponding credit to capital Reserve.

5. DEPRECIATION

Depreciation is provided as per the provisions of Income Tax Act and based upon written down value method & as per rates specified therein.

In respect of additions to / deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered accordingly.

Depreciation for the year on fixed assets of the authority has been debited to fixed assets fund in consistent with the fund based accounting.

6. VALUATION OF INVENTORIES

Expenditure on purchase of stationary, consumables, publications, and other stores is accounted as revenue expenditure.

7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.

8. GOVERNMENT GRANTS

8.1 Government Grants are accounted on realization basis. However, where a sanction for release of grant pertaining to the financial year is received before 31st March and the grant is actually received in the next financial year, the grant is accounted on accrual basis and an equal amount is shown as recoverable

8.2 Government Grants of capital nature are recognised on accrual basis and shown as capital grants under Earmarked/Endowment fund in consistent with fund based accounting.

8.3 Government grants for meeting revenue expenditure (on accrued basis) are treated, to the extent utilized, as income of the year in which they are realized.

8.4. Unutilized grants are carried forward and exhibited as a liability in the balance sheet.

9. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

9.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

9.2 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

SCHEDULE 27 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

A. CONTINGENT LIABILITIES

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Claims against the Authority not acknowledged as debts - Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

1.2 In respect of:

- Bank guarantees given by/on behalf of the Authority -Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity-Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- Bills discounted with banks-Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

1.3 Disputed demands in respect of:

Income-tax Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

Sales-Tax Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

Municipal Tax Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entry Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

fssai

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

B. NOTES TO ACCOUNTS

Food Safety Standards Authority of India is a registered authority under the Administrative Control of the Ministry of Health & Family Welfare and is fully financed by Govt, of India, therefore, its accounting policies are mostly based on GFR's & R&P Rules. The accounting principles and policies of the authority in brief are as under:

1. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet. Increase in advances during the year is mainly on account of advances given to employees/ outside parties.

TAXATION

The income of the authority is considered to be exempt from income tax in view of section 11 to 13 of the Income Tax Act. No provision for income tax is therefore made in the accounts.

2. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

2.1 Value of imports calculated on C.I.F. Basis:	
Purchase of finished goods	NIL
Raw Materials & Components (Including in transit)	NIL
Capital Goods	NIL
Stores, Spares and Consumables	NIL
2.2 Expenditure in foreign currency:	
a) Travel	Rs. NIL
b) Remittances and Interest payment to	
Financial Institutions/Banks in Foreign Currency	NIL
c) Other expenditure:	NIL
Commission on sales	NIL
Legal and Professional Expenses	NIL
Miscellaneous Expenses	NIL
2.3 Earnings:	
Value of exports on FOB basis	NIL
Value of Services	NIL

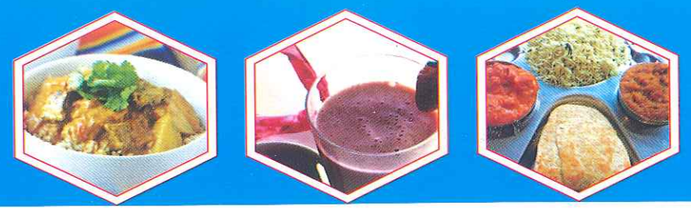

3. The presentation of the financial statements is based upon the prescribed format given by CAG applicable to our Authority.

4. Source of Funds

The receipts of funds In the budget of the authority are classified as under:-

i) Net grant from Ministry of Health & Family Welfare, Govt, of India

ii) Misc. Receipts like Licence Fee, Sample Testing Fee, Interest on saving bank accounts, and other miscellaneous receipts, etc.

5. Fixed Asset Fund & Building Fund

During the year authority has created Fixed Asset Fund for the fixed assets lying in the books of account of the authority which were inadvertently included in corpus of the authority and accordingly, the depreciation charged on the fixed assets has been charged to the corresponding fund in accordance with fund based accounting and matching concept.

6. Figures are rounded off to the nearest rupees.

7. Figures of the previous year have been regrouped/rearranged and recasted wherever considered necessary in lines with format prescribed by AGCR adopted by the Authority.

8. Schedule 1 to 27 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31-03-2012 and the Income and Expenditure account for the year ended on that date.

****

fssai

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of Food Safety & Standards Authority of India for the year ended 31st March 2012

We have audited the attached Balance Sheet of Food Safety & Standards Authority of India as at 31 March 2012, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Condition of Service) Act, 1971. These financial statements are the responsibility of the management of Food Safety & Standards Authority of India. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observation on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc, if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Report Separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidences supporting the amount and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion

4. Based on our audit, we report that:-

i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii. The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.

iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Food Safety & Standards Authority of India, in so far as it appear from our examination of such books.

iv. We further report that:

A. Balance Sheet

A.1. Liabilities

A.1.1 Current Liabilities and Provisions Rs. 5.30 crore

A.I-1.1 Sundry Creditors

The Public Health Engineering Department(PHED) of the Government of West Bengal proposed to share the cost of organizing a 'National level Consultation in developing-a mechanism for involving authorities ill food and water related programmes'. The FSSAI agreed and paid Rs. 15 lakh to PHED in September 2011. The balance amount of Rs. 18.89 lakh was to be provided by PHED. FSSAI created a provision of Rs. 18.89 lakh under Sundry Creditors which resulted in Overstatement of Sundry Creditors and Expenditure by Rs. 18.89 lakh each.

A.2 Assets

A2.1 Understatement of fixed assets

(b) Understatement of fixed assets by Rs. 12.54 lakh

An amount of Rs. 70.16 lakh was paid to the interior decorator in respect of hired regional office at Mumbai. The interior contract work included purchase of furniture, air conditioner and other loose items worth Rs. 12.54 lakh which was not capitalized. This resulted in understatement of Fixed Assets as well as Capital Fund by Rs. 12.54 lakh each.

B. General

1. As per Receipt and Payment Account, the cash in hand was depicted as Rs. 10000 whereas cash book did not reflect it. It needs reconciliation.

2. The Council was charging 100% depreciation on books instead of 60% as provided in Income Tax Rules in contravention of its own Accounting Policy.

3. FSSAI has five Regional offices and two laboratories. Central Food Laboratory, Kolkata was established in 1955 and it is being operated from its own building. Food Research and Standardization Laboratory, Ghaziabad was established in 1971. These two laboratories became part of FSSAI at the time of its notification in 2008. The assets of two already operational laboratories i.e., land, building, furniture and fixtures, Plant and machinery, lab equipments were not incorporated in the accounts of the FSSAI.

C. Grants in Aid

The Food Safety & Standards' Authority of India received grant-in-aid of Rs. 38.63 crore under Plan bead from Ministry of Health & Family Welfare (The Authority received Rs. 8.01 crore in

March 2012) during the year 2011-12. It had unspent balance, of Rs. 1.37 crore of previous year. The Authority utilized Rs. 38.57 crore during the year leaving a balance of Rs. 1.43 crore.

D. Management letter: Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Secretary, FSSAI, through a management letter issued separately for remedial /corrective action.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts arid Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in, Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Food Safety and Standards Authority of India as at 31 March 2012; and

b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the surplus for die year ended on that date

For and on behalf of the C & A G of India

Director General of Audit

Central Exenditure

Place : New Delhi
Date

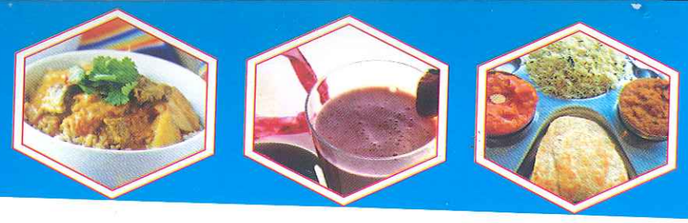

Annexure to Audit Report

1. Adequacy to Internal Audit System:-

The internal audit of FSSAI is being conducted by Ministry of Health and Family Welfare who has conducted audit upto 2009-11. During the year 2011-12 the internal audit was conducted by a Chartered Accountant firm.

2. Adequacy of Internal Control:-

Consistent prior period adjustments of income and expenditure was observed in the accounts of FSSAI during the year 2009-10, 2010-11 and 2011-12 which is indicative of weak internal controls.

3. System of Physical verification of fixed assets:-

Physical verification of fixed assets has been conducted for the year 2011-12. Physical verification of fixed assets in respect of Branch offices had not been conducted.

4. System of Physical verification of inventory:-

The Physical verification of inventory like books, stationery & other consumables had been conducted for the year 2011-12. Physical verification of inventory in respect of Branch offices had not been conducted.

5. Regularity in payment of statutory dues:-

No payment over six months in respect of statutory dues was outstanding as on 31.03.2012.

fssai

सत्यमेव जयते

कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002
Indraprastha Estate, New Delhi -110 002

पत्र संख्यः ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई. /50/2012-13/ दिनांकः

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011.

विषय : वर्ष 2011-12 के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण,नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2011-12 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित की प्रति संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002. को भेजी जाएं।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों ।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इससे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है । पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण **(disclaimer)** अंकित करें ।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

भवदीया,

अनुलग्नकः यथोपरि

निदेशक (ए.एम.जी.- II)

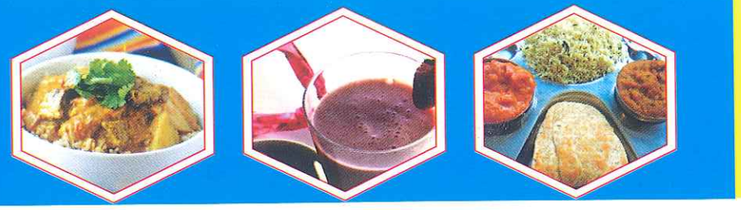

पत्र संख्याः ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई. /50/2012-13/650 दिनांकः 17 MAY 2012

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति **श्री विनोद कोतवाल, निदेशक (कोडेक्स) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002** को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेंजो की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली-110124 को भेजी जाएं।

अनुलग्नकः यथोपरि

एस.ए. पंडा
निदेशक (ए.एम.जी.- II)

पत्र संख्याः ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई. /50/2012-13/ दिनांकः

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित **श्री मुखबैन सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (रिपोर्ट-ए.बी.), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002.** को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

अनुलग्नकः यथोपरि

निदेशक (ए.एम.जी.-II)

Annexure-I

Members of the Food Authority

Chairperson
Shri. K.Chandramouli
Member Secretary
Shri.V.N.Gaur (till 23rd February,2011)
Ex- officio members under Section 5(1)(a)
Shri Atanu Purkayastha , Joint Secretary, Ministry of Agriculture
Shri Asit Tripathy, JS, Ministry of Commerce
Shri Manoj Parida, JS, Ministry of Consumer Affairs
Dr. U. Venkateswarlu, JS, Ministry of Food Processing Industries
Dr. Arun Kumar Panda, JS, Ministry of Health & Family Welfare
Dr. G. Narayana Raju, Joint Secretary (Legislative)
Shri M.P. Singh , Economic Advisor (MSME)
Two representatives of food industry
From Small Scale Industry
Ms. Mona Malhotra Chopra, All India Food Processors' Association
From Large Scale Industry
Ms. Indrani Kar, Director & Head, Agriculture and Food Division, CII
Two representatives of Consumer Organisations
Mrs. Vasundhara Pramod Deodhar from Mumbai Grahak Panchayat, Mumbai
Shri. Bejon Misra, Acting Director, Consumer Coordination Council, New Delhi
Three eminent Food Technologists/ Scientists
Dr. S. Girija, Integrated Fisheries Project, Ministry of Agriculture & Cooperation, Cochin
Vacant
Vacant
Five representatives of States/ UTs
Shri Tape Bagra, Commissioner Food Safety for of Arunachal Pradesh
Shri Praveen Prakash, Food Safety Commissioner for Andhra Pradesh
Dr. S.K. Paul, Dy. Director (Health), A&N Island Administration
Shri Rakesh Gupta, Commissioner, FDA, Govt. of Haryana
Shri. Sanjay Kumar, Food Safety Commissioner and Secretary(Health), Govt. of Bihar
Two representatives of Farmers' organisations
Dr. (Mrs.) T.A. Kadarbhai, Grapes Growers Assoc., Pune- Grape Grower
Shri. V. Balasubramaniam, General Secretary, Prawn Farmers' Federation of India- Sea food/ Fisheries
One representative of Retailers' organisations
Vacant

Annexure-II

Members of Central Advisory Committee (CAC)

1. Sh. V.N. Gaur, Chief Executive Officer,

   Food Safety and Standards Authority of India

Food Industry:-

2. Shri Sameer Barde

   C/O Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI),
   Federation House, Tansen Marg,
   New Delhi, 110011

3. Shri Pradeep Chordia,

   C/O Chordia Food Products, 48/A,
   Pravati Industrial Estate,
   Opp. Adinath Society, Pune,
   Satara Road, Pune -411009

Agriculture :-

4. Dr. J. Tonpangyongdang Walling

   Village-Sungratsu,
   Distt.-Mokokchung Nagaland

5. Shri Arun Balamatti

   815, 7th Cross, Banashankari,
   3rd Phase, 3rd Block, 3rd Stage,
   Bangalore-560085

Consumers :-

6. Shri R.Desiken

   C/o Concert and Consumer Associationof Inida
   2/228, Chinnan Dikuppam Road
   Vettuvankeni, Chennai

7. Smt.Keya Ghosh,

   C/o Consumer Unity and Trust Society

   3 Suren Tagore Road

   Gariahat, Kolkata-700019

Research Bodies and Food Laboratories:-

8. Dr.S.P Vasireddi

   Chairman and Managing Director
   VIMTA Labs Limited
   142, IDA, Phase-II
   Cherlapally, Hyderabad, Andhra Pradesh

9. Prof. Gopal Naik,

   Indian Institute of Management

   (IIM) Bangalore

Commissioners of Food Safety:

10. Commissioner of Food Safety for Andhra Pradesh
11. Commissioner of Food Safety for Arunachal Pradesh
12. Commissioner of Food Safety for Delhi
13. Commissioner of Food Safety for Gujarat
14. Commissioner of Food Safety for Jammu and Kashmir
15. Commissioner of Food Safety for Karnataka
16. Commissioner of Food Safety for Kerala
17. Commissioner of Food Safety for Madhya Pradesh
18. Commissioner of Food Safety for Nagaland
19. Commissioner of Food Safety for Punjab
20. Commissioner of Food Safety for Rajasthan
21. Commissioner of Food Safety for Tamil Nadu
22. Commissioner of Food Safety for West Bengal
23. Commissioner of Food Safety for Assam
24. Commissioner of Food Safety for Andaman and Nicobar Islands
25. Commissioner of Food Safety for Bihar
26. Commissioner of Food Safety for Chandigarh
27. Commissioner of Food Safety for Chattisgarh
28. Commissioner of Food Safety for Dadar and Nagar Haveli

29. Commissioner of Food Safety for Daman and Diu
30. Commissioner of Food Safety for Goa
31. Commissioner of Food Safety for Haryana
32. Commissioner of Food Safety for Himachal Pradesh
33. Commissioner of Food Safety for Jharkhand
34. Commissioner of Food Safety for Lakhsadweep
35. Commissioner of Food Safety for Maharashtra
36. Commissioner of Food Safety for Manipur
37. Commissioner of Food Safety for Meghalaya
38. Commissioner of Food Safety for Mizoram
39. Commissioner of Food Safety for Orissa
40. Commissioner of Food Safety for Puducherry
41. Commissioner of Food Safety for Sikkim
42. Commissioner of Food Safety for Tripura
43. Commissioner of Food Safety for Uttar Pradesh
44. Commissioner of Food Safety for Uttarakhand
45. Chairperson of the Scientific Committee

fssai

Annexure-III

Members of the Scientific Committee

1. Prof. Nirmal Kumar Ganguly, Adviser to Department of Health Research, Translational Health Science & Technology Institute, New Delhi.
2. Dr. P.G. Chengappa, Vice Chancellor, GKVK, Bangalore.
3. Dr. Ashok A. Patel, Principal Scientist & Actg. Head, Dairy Technology, National Dairy Research Institute (ICAR), Karnal.
4. Dr. M.S. Mithyantha, Vice President (Retd), Rallies Research Centre.
5. Dr. K.C. Bansal, Coordinator, ICAR Network on Transgenic Development, National Research Centre on Plant Biotechnology, ICAR, New Delhi.
6. Dr. Jagadish S. Pai, Executive Director, Protein Foods & Nutritional Development Association of India, Mumbai.
7. Chairperson of the Scientific Panel on functional foods, nutraceuticals, dietetic products and other similar products.
8. Chairperson of the Scientific Panel on method of sampling and analysis.
9. Chairperson of the Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food.
10. Chairperson of the Scientific Panel on contaminants in the food chain.
11. Chairperson of the Scientific Panel on biological hazards.
12. Chairperson of the Scientific Panel on pesticides and antibiotic residues.
13. Chairperson of the Scientific Panel on labelling and claims/Advertisements.
14. Chairperson of the Scientific Panel on genetically modified organisms and foods.

Annexure-IV

Members of Scientific Panels

PANEL-1 (Functional Foods, Nutraceuticals, Dietetic and other similar Products)

1. Dr. V. Prakash, Director, CFTRI, Mysore.
2. Dr. D B Anantha Narayana, Ph.D.(Pharmacy), independent consultant, expert in-Nutraceuticals, Ayurvedic products, Bangalore.
3. Ms. Anuja Agarwala, Dietician, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.
4. Dr. B.C. Ghosh, Principal Scientist, NDRI, Bangalore.
5. Dr. K. Madhavan Nair, Scientist 'E', National Institute of Nutrition, Hyderabad.
6. Dr. Shantikumar Nair, Ph.D (Materials Science)- Columbia University, expert in Nano Technology, Dean of Research in Amrita Vishwa Vidyapeetham (University), Kochi.
7. Prof. B. Sashidhar Rao, Professor & Chairman in Department of Biochemistry, UCS, Osmania University, Hyderabad-500007, Andhra Pradesh.
8. Dr. Vilas Ramrao Shirhatti, Ph.D (Chemistry), independent consultant, expert in Functional foods and Nutraceuticals, Fats and Oil, Mumbai.
9. Shri Kumar Bhatia, Chief Consultant (Post Harvest Management & Marketing), Ministry of Agriculture, New Delhi.
10. Dr. N. Anandavalli, Ph.D (food Microbiology), food safety expert, Vice President – (Tech) FAO/ UN Food Safety Consultant /Auditor, M/s Food Safety Solutions International, Cochin.(Retd EIC Director).
11. Dr. Anura Vishwanath Kurpad, DNB (Physiology), Nutrition expert, Dean, St, John's Research Institute, Bangalore.
12. Dr. P.D. Dwivedi, Scientist EI, Food Toxicology Division, Indian Institute of Toxicology Research, Post Box No. 80, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow-226 001.
13. Dr. Partha Roy, Assistant Professor, Department of Biotechnology, IIT, Roorkee

fssai

PANEL-2 (Method of sampling and analysis)

1. Dr. Sushil Kumar Saxena, Director, National Analytical Laboratory of NDDB, Anand, Gujarat.
2. Dr. Rakesh Kumar Khandal, Ph.D.(Chemistry), Analytical expert Director, Shriram Institute for Industrial Research, New Delhi.
3. Dr. Pitam Chandra, Assistant Director General (Proc. Engg), Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
4. Dr. N.V.Rama Rao, Ph.D.(Chemistry), Analytical expert, President, Vimta Labs Ltd., Hyderabad.
5. Dr. Vasantha Muthuswamy, Former Senior Deputy Director General and chief of Division basic medical Sciences and Division of Reproductive Health and Nutrition, Indian Council of Medical Research, New Delhi. (Retd).
6. Dr. A. K. Dikshit, Principal Scientist (pesticide residues), Indian Agricultural Research Institute (IARI), Pusa Institute, New Delhi.
7. Dr. Deepa Bhajekar, Ph.D(Industrial Microbiology)- Proprietor & Chief Executive Officer, Micro Chem Laboratory, Mumbai.
8. Dr. M.N. Manjunath, Scientist 'F', Food Safety and Analytical Quality Control Laboratory, CFTRI, Mysore.
9. Dr. M.K. Kundu, Consultant, Ex-Edible Oils Commissioner, Government of India, New Delhi.
10. Dr. Dipankar Sinha, Professor, All India Institute of Hygiene & Public Health, Kolkata.
11. Ms. Sobha Hegde, independent consultant, Empanelled Accreditation Assessor, Mumbai(Retired from BIS).
12. Dr. Rajan Sharma, Senior Scientist, National Dairy Research Institute, Karnal.
13. Dr. Jonnalgadda Padmaja, Scientist 'C', Food & Drug Toxicology Research Centre, National Institute of Nutrition, ICMR, Hyderabad.

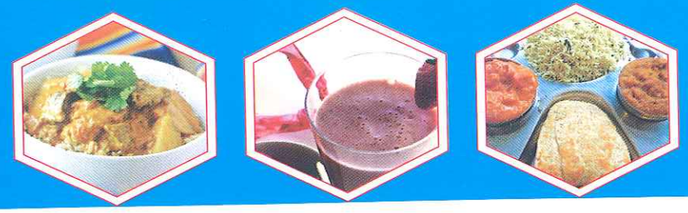

PANEL-3 (Food additives, Flavorings, Processing Aids and material in contact with food).

1. Dr. Amarinder Singh Bawa, Director, Defence Food Research Laboratory (DFRL), DRDO, Mysore.
2. Dr. Mukul Das, Deputy Director (Scientist 'F'), Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow.
3. Dr. (Mrs.). Kalpagam Polasa, Deputy Director (Sr. Scientist `F'), National Institute of Nutrition, Hyderabad.
4. Dr. Joseph I Lewis, Ph.D. (Chemical Technology), independent consultant, expert in Labelling, Food Additives, Oils & Fats, Mumbai.
5. Dr. Rajiv Dhar, Director & CEO, Indian Institute of Packaging, Mumbai.
6. Dr. K.N. Gurudatt, Head, Food Safety & Analytical Quality Control Laboratory, CFTRI, Mysore.
7. Dr. H.N. Mishra, Head Post Harvest Technology Centre, Chairman, Hall Management Centre IIT, Kharagpur.
8. Dr. H.P.S. Sachdev, M.D. (Pediatrics), expert in Pediatrics, Sr. Consultant (Pediatrics and Clinical Epidemiology), Sita Ram Bharatia Institute of Science and Research, New Delhi.
9. Dr. R.B.N. Prasad, Scientist 'G', Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad.
10. Dr. Banwari Lal, Ph.D (Microbiology), Director, Environmental and Industrial Biotechnology, The Energy and Resources Institute (TERI), New Delhi.
11. Dr. Satish Kulkarni, Principal Scientist, National Dairy Research Institute, Bangalore.

PANEL-4 (Contaminants in the Food Chain)

1. Dr. Shiv Lal, Special DGHS & Director, National Institute of Communicable Disease, Director General of Health Service, Delhi.
2. Dr. A.K. Sharma, Scientific Officer 'H' Head, Food Technology Division, Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai.
3. Dr. S.K. Mendiratta, Senior Scientist, Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar.
4. Dr. T.K. Srinivasa Gopal, Principal Scientist, , Head Packaging Section, Fish Processing

Technology, Central Institute of Fisheries Technology (ICAR), Cochin.

5. Dr. Krishna Jha, Principal Scientist (Microbiology), Indian Council of Agricultural Research, Bhopal.
6. Dr. P. Subbian, Director (Agribusiness Development), Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.
7. Dr. K.L. Gaba, Ph.D(Agriculture, Dairy, Animal Husbandry)- NDRI Karnal, independent consultant, expert in Food Additives, Functional Foods and Milk and milk products, New Delhi.
8. Dr. Lata, Principal Scientist, Division of Microbiology, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi.
9. Dr. G. Vijayalakshmi, Scientist 'F', CFTRI, Mysore.
10. Dr Rashmi Kulshrestha, Ph.D (Pharma), expert in pesticide residues & contaminants, Food and Pharma Regulatory Consultant, Regulatory Wisdom, New Delhi.
11. Dr. V.K. Joshi, Professor & Head (Post Harvest Technology) Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan, H. P.
12. Ms. Praveen Gangahar, independent consultant, food safety expert (Accreditation Assessor), Quality Management Services, Delhi.(Retired from BIS)

PANEL- 5 (Biological Hazards)

1. Dr. Ashwani Kumar, Scientist 'G' and Head, Environmental Biotechnology, IITR, Lucknow.
2. Dr. Naresh Kumar, Senior Scientist, National Dairy Research Institute (NDRI) ICAR, Karnal.
3. Dr. Ashish Motiram Paturkar, Professor and Head of Department, Bombay Veterinary College, Mumbai.
4. Dr. Bhupinder Singh, Senior Scientist, NRL, IARI, New Delhi.
5. Dr. Prem Kumar Jaiswal, Ex- Director (Laboratories), Dept. of Agriculture and Cooperation, Central Agmark Laboratory, Nagpur.
6. Dr. Joginder Singh Berwal, Ph.D.(Meat Technology), independent consultant, expert in

Meat Technology, New Delhi.

7. Dr. A. Laxmaiah, Deputy Director (Scientist 'E'), National Institute of Nutrition, Indian Council of Medical Research, Hyderabad.

8. Dr. Suseelendra Desai, Principal Scientist, Central Research Institute for Dryland Agriculture (ICAR), Hyderabad.

9. Dr. Jamuna Prakash, Reader, Department of Food Science and Nutrition, University of Mysore.

10. Dr. D. Narasimha Rao (Retd), Scientist 'F' and Head of the Department, CFTRI, Mysore.

11. Dr. Ravi Shankar, C.N, Senior Scientist, Fish Processing Division, Central Institute of Fisheries Technology (ICAR), Cochin.

12. Dr. Malabika Roy, Scientist 'F' / Deputy Director General (Sr. Gr.) Div. of Reproductive Health and Nutrition, Indian Council of Medical Research, New Delhi.

PANEL-6 (Pesticides/Antibiotic Residues)

1. Dr. Debabrata Kanungo, Additional Director General (St), Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.

2. Dr. Kiran Narayan Bhilegaonkar, Senior Scientist, Indian Veterinary Research institute, Izatnagar.

3. Dr. V. Sudershan Rao, Scientist 'C', National Institute of Nutrition, Hyderabad

4. Dr. B. Surendra Nath, Principal Scientist, NDRI, Bangalore

5. Dr. Jai Raj Behari, Scientist 'F', Indian Institute of Toxicology Research (IITR), Lucknow.

6. Dr. A .G.Appu Rao, Scientist 'G', CFTRI, Mysore.

7. Dr. K.K. Sharma, Network Coordinator, AINP on Pesticide Residues in Project Coordinating Cell, IARI, New Delhi.

8. Dr. Tapan Chakrabarti, Scientist G and Acting Director, NEERI, Nagpur

9. Mrs. Mohini Srivastava, Public Analyst, PFA, Delhi. (Retired)

10. Dr. S.K. Handa, WHO Consultant, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.

11. Dr. Gurudayal Singh Toteja, Scientist 'F', Indian Council of Medical Research, New Delhi.

PANEL-7 (Labelling and Claims Advertisements)

1. Dr. B. Sasikeran, Director, National Institute of Nutrition, Hyderabad.

2. Shri Darshan Singh Chadha, Senior Technical Advisor, Confederation of Indian Industry (CII), New Delhi.(Retd from Govt. of India)

3. Dr. Anupa Siddhu, Director, Lady Irwin College, New Delhi.

4. Sh. Pradeep K. Chaudhary, independent consultant, expert in Food Additives, Food Labelling, Nutritional Foods, Gurgaon.

5. Dr. Mridul Salgame, Ph.D.(Dairy Microbiology)- Analytical expert, Managing Director, IADFAC Laboratories, Bangalore.

6. Dr. S. Premakumari, Ph.D(Food Science & Nutrition), Nutrition expert, Professor and Head, Avinashilingam University for Women, Coimbatore, Tamil Nadu.

7. Dr. Pullabhatla Srinivas, Head, Plantation Products, Spices and Flavour Technology, CFTRI, Mysore.

8. Dr. D.P. Attrey, Ph.D. Food Science(Meat Science) Professor Emeritus & Consultant in SASTRA University, Thanjavur (Tamil Nadu), DRDO, Ministry of Health, APEDA, DST, BHU, independent consultant-expert in Food Safety, ISO- 9001, 17025, 22000, GAP, GCP, GLP & GMP, Noida.

9. Dr. R.R. B Singh, Senior Scientist, NDRI, Karnal.

10. Dr. Nandkishor Namdeorao Zade, Prof. & Head, Nagpur Veterinary College, Nagpur.

11. Dr. S. K. Khanna, Retired Director Grade Scientist, Head Food Toxicology Division, IITR, Lucknow.

PANEL-8 (Genetically Modified Organisms and Foods)

1. Dr. P.L. Gautam, Chairman, National Biodiversity Authority, Ministry of Environment Forests, Chennai.

2. Dr. Ramesh V Bhat, Consultant, FAO, Hyderabad.

3. Dr. M. Padmavati, Assistant Professor, Indian Institute of Technology, Kharagpur.

4. Dr. P. Balasubramanian, Director, Centre for Plant Molecular Biology Tamil Nadu

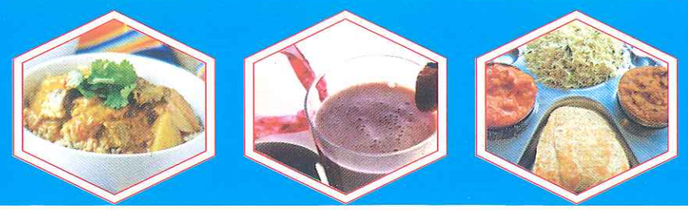

Agricultural University Coimbatore.

5. Dr. Lalitha Ramakrishna Gowda, Scientist 'F', Central Food Technological Research Institute (Council of Scientific and Industrial Research), Mysore

6. Dr. J. Nagaraju, Scientist 'G', & Group Leader, Centre for DNA Finger Printing & Diagnostics, Hyderabad.

7. Dr. D. Yogeswara Rao, Scientist 'G' and Head Technology Networking and Business Development Division, CSIR, New Delhi.

8. Dr. A.B. Dongre, Principal Scientist, Central Institute of Cotton Research, ICAR, Nagpur.

9. Dr. S. R. Rao, Scientist 'G', Department of Biotechnology, Ministry of Science & Technology, Lodhi Road, New Delhi.

10. Dr. R. P. Singh, Professor, Department of Biotechnology, Indian Institute of Technology, Roorkee.

11. Dr. Satwinder Singh Marwaha, CEO, Punjab Biotechnology Incubator, SAS Nagar, Punjab.

12. Dr. Parmjit Singh Panesar, Assistant Professor, Dept. of Food Engg. & Technology, Sant Longowal Institute of Engineering & Technology, Longowal, Punjab.

13. Dr. Subash Chand, Professor, IIT, Delhi.

सत्यमेव जयते

fssai

Food Safety And Standards Authority Of India

3rd-4th Floor, FDA Bhavan, Kotla Road, New Delhi-110002

Website : www.fssai.gov.in

Toll Free helpline No. 1800112100

Printed at : Chaar Dishayen Printers Pvt. Ltd. # 9810297155